.दश माला, खंड 6, अंक 1

सोमवार, 30 नवम्बर, 1998
9 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

P. C

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 30 नवम्बर, 1998/9 अग्रहायण, 1920 (शक)

विषय	कालम
बारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	iii—xii
लोक सभा के पदाधिकारी	xiii
मंत्रिपरिषद	xv—xvi
राष्ट्रगान	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—4
मंगोलिया के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत	4
प्रश्नों के लिखित उत्तर	7—360
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20	7—55
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	55—360

बारहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)

अग्रवाल, श्री धीरेन्द्र (चतरा)

अजमीरा, श्री चंदू लाल (वारंगल)

अजय कुमार, श्री एस॰ (ओट्टापलम)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनवर, श्री तारिक (कटिहार)

अन्नाययांगरी, श्री साई प्रताप (राजमपेट)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अयानूर, श्री मंजुनाथ (शिमोगा)

अरूमुगम, श्री एस॰ (पांडिचेरी)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अहमद, डा॰ शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री अकबर (आजमगढ़)

अहमद, श्री ई॰ (मंजेरी)

अहमद, श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद)

अहिरे, श्री डी॰एस॰ (धुले)

आ

आचार्य, श्री प्रसन्ना (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजना, श्री उदयलाल (चित्तौड़गढ़)

आठवले, श्री रामदास (मुंबई उत्तर-मध्य)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, श्री (गोरखपुर)

आपांग, श्री ओमाक (अरूणाचल पश्चिम)

आलीवाल, श्री अमरीक सिंह (लुधियाना)

आवाडे, श्री कल्लाप्पा (इचलकरांजी)

इ

इन्दौरा, डा॰ सुशील (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उपाध्याय, श्री रामपाल (भीलवाड़ा)

उपेन्द्र, श्री पी॰ (विजयवाड़ा)

उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)

उराम, श्री जुआल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए॰एफ॰ गुलाम (बारपेटा)

ऋषिदेव, श्री रामजीदास (अरारेया)

ए

एम॰ मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

ओ

ओमप्रकाश, श्री (गाजीपुर)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कठेरिया, श्री प्रभुदयाल (फिरोजाबाद)

कथीरिया, डा॰ वल्लभभाई (राजकोट)

कनोडिया, श्री महेश (पाटन)

कमल रानी, श्रीमती (घाटमपुर)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करूणाकरन, श्री के॰ (तिरूअनन्तपुरम)

कवाडे, प्रो॰ जोगेन्द्र (चिमूर)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कहांडोले, श्री जेड॰एम॰ (मालेगांव)

कांबले, श्री अरविंद (उस्मानाबाद)

कामत, श्री गुरूदास (मुम्बई उत्तर-पूर्व)

कालिता, श्री भुवनेश्वर (गुवाहाटी)

किन्डिया, श्री पी॰आर॰ (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी॰ (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री वी॰ धनंजय (मंगलौर)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (चैल)

कुमार, श्रीमती मीरा (करोलबाग–दिल्ली)

कुमारमंगलम, श्री पी॰आर॰ (तिरूचिरापल्ली)

कुरियन, प्रो॰ पी॰जे॰ (मवेलीकारा)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा॰ रामकृष्ण (दमोह)

कृष्णादास, श्री एन॰एन॰ (पालघाट)

कृष्णमराजु, श्री यू॰वी॰ (काकीनाडा)

कृष्णमूर्ति, श्री के॰ (मयिलादुतुराई)

कैंथ, श्री सतनाम सिंह (फिल्लौर)

कोंडय्या, श्री के॰सी॰ (बेल्लारी)

कोली, श्री गंगा राम (बयाना)

ख

खण्डेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खण्डूड़ी, मेजर जनरल भुवन चन्द्र, एवीएसएम (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खॉं, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)

खॉं, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खॉं, श्री रिजवान जहीर (बलरामपुर)

खॉं, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

ग

गंगटे, कुमारी किम (बाह्य मणिपुर)

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गंगाधर, श्री एस॰ (हिन्दुपुर)

गगोई, श्री तरूण (कलियाबोर)

गढ़वी, श्री पी॰एस॰ (कच्छ)

गणेशमूर्ति, श्री ए॰ (पलानी)

गफुर, श्री अब्दुल (गोपालगंज)

गमांग, श्री गिरिधर (कोरापुट)

गवई, श्री आर॰एस॰ (अमरावती)

गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गामीत, श्री सी॰डी॰ (माण्डवी)

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)

गिरियप्पा, श्री सी॰पी॰एम॰ (चित्रदुर्ग)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरि)

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार (जालन्धर)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिदनापुर)

गुप्त, श्री चमन लाल (ऊधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोपाल, श्री सी॰ (अर्कोनम)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी॰ (कासरगोड)

गोस्वामी, श्री नृपेन (नौगांव)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चन्दूमाजरा, प्रो॰ प्रेम सिंह (पटियाला)

चन्द्रेल, श्री सुरेश (हमीरपुर) (हि.प्र.)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया) (उ.प्र.)

चपलोत, श्री शान्तिलाल (उदयपुर)

चलामेला, डा॰ सुगुण कुमारी (पेद्दापल्ली)

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा॰ (कराड़)

चाक्को, श्री पी॰सी॰ (इदुक्की)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई (आनन्द)

चिखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई (जूनागढ़)

चिदम्बरम, श्री पी॰ (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डा॰ (तिरुपति)

चिन्नासामी, श्री वी॰के॰ (गोबिचेटिट्पालयम)

चेंगारा सुरेन्द्रन, श्री (अडूर)

चौधरी, कर्नल सोनाराम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री ए॰बी॰ए॰ गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री कृष्ण कुमार (गया)

चौधरी, श्री पंकज (महाराजगंज)

चौधरी, श्री मणीभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री रामरघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री शकुनी (खगड़िया)

चौधरी, श्री समर (त्रिपुरा पश्चिम)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती निशा अ॰ (साबरकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, स्क्वाड्रन लीडर कमल (होशियारपुर)

चौबे, श्री लालमुनी (बक्सर)

चौहान, श्री चेतन (अमरोहा)

चौहान, श्री जयसिंहजी (कपड़वंज)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री शिवराज सिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा॰ सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन, श्री कादम्बूर एम॰आर॰ (तिरूनेलवेली)

जाखड़, श्री बलराम (बीकानेर)

जाफर शरीफ, श्री सी॰के॰ (बंगलौर-उत्तर)

जायसवाल, डा॰ मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जालप्पा, श्री आर॰एल॰ (चिकबलपुर)

जावीया, श्री गोरधनभाई जादवभाई (पोरबन्दर)

जिंगाजिनागी, श्री रमेश सी॰ (चिक्कोडी)

जैन, श्री सत्य पाल (चंडीगढ़)

जैन, श्री मीठा लाल (पाली)

जोगी, श्री अजीत (रायगढ़)

जोशी, डा॰ मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोस, श्री ए॰सी॰ (मुकुन्दपुरम)

जहेदी, श्री महबूब (कटवा)

ट

टंडेल, श्री देवजी भाई जे॰ (दमन और दीव)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन भरतकुमार (बडोदरा)

ठाकुर, डा॰ सी॰पी॰ (पटना)

ठाकुर, डा॰ प्रभा (अजमेर)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डामोर, श्री सोमजीभाई (दोहद)

डिसूजा, डा॰ बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डेनिस, श्री एन॰ (नागरकोइल)

डोम, डा॰ रामचन्द्र (बीरभूम)

त

तनपुरे, श्री प्रसाद बाबूराव (कोपरगांव)

तम्बीदुरई, डा॰ एम॰ (करूर)

तसलीमुद्दीन, श्री (किशनगंज)

तिवारी, श्री प्रभाव चन्द्र (भागलपुर)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तुपे, श्री विठ्ठल (पुणे)

तुर, श्री त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा॰ रमेश चन्द (हापुड़)

त्यागराजन, श्री एम॰ (पोल्लाची)

त्रिपाठी, श्री चन्द्रमणि (रीवा)

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर (पुरी)

थ

थामस, श्री पी॰सी॰ (मुवत्तुपुजा)

थोरात, श्री संदीपान (पंढरपुर)

द

दत्त, वैद्य विष्णु (जम्मू)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित एजिलमलाई, श्री (चिदम्बरम)

दवे, श्रीमती भावना कर्दम (सुरेन्द्रनगर)

दामोदरन, श्री एम॰सी॰ (कुड्डालोर)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दुराई, श्री एम॰ (वन्डावासी)

देलकर, श्री मोहन एस॰ (दादरा और नगर हवेली)

देव, श्री विक्रम केशरी (कालाहांडी)

देवगौडा, श्री एच॰ डी॰ (हसन)

देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)

देवी, श्रीमती ओमवती (बिजनौर)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरूक्षेत्र)

देवी, श्रीमती मालती (नवादा)

देवी, श्रीमती रमा (मोतीहारी)

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह (कानपुर)

द्विवेदी, श्री रमेश चन्द्र (बांदा)

ध

धालीवाल, श्रीमती सतविन्दर कौर (रोपड़)

न

नकवी, श्री मुख्तार (रामपुर)

नम, श्री शंकर सखाराम (दहानू)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई–उत्तर)

नागरा, श्री अमन कुमार (अम्बाला)

नायक, श्री उपेन्द्र नाथ (क्योंझर)

नायक, श्री ए॰ वेंकटेश (रायचूर)

नायक, श्री रवि सीताराम (पणजी)

नायम, श्री सुधाकरराव राजूसिंग (वाशिम)

नायडू, श्री के॰पी॰ (बोब्बिली)

नायडू, श्री गिरजला वेंकट स्वामी (राजामुन्दरी)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पंत, श्रीमती इला (नैनीताल)

पटनायक, श्री नवीन (आस्का)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (बरहामपुर) (उड़ीसा)

पटेल, डा॰ अशोक कुमार (फतेहपुर)

पटेल, डा॰ ए॰ के॰ (मेहसाना)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री जंग बहादुर सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री दिन्शा (खेड़ा)

पटेल, श्री प्रफुल्ल (भंडारा)

पटेल, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास (गोधरा)

पनबाक, श्रीमती लक्ष्मी (नैल्लौर)

पन्नीरसेल्वम, श्री कॉची (चेंगलपेट)

पन्नु, इंजीनियर शंकर (श्री गंगानगर)

परमशिवम राजा, श्री (पुडुक्कोट्टई)

परांजपे, श्री प्रकाश विश्वनाथ (ठाणे)

परांजपे, श्री दादा बाबूराव (जबलपुर)

पलानीमनिक्कम, श्री एस॰एस॰ (तंजावूर)

पलानीस्वामी, श्री के॰ (तिरूचेंगोडे)

पवार, श्री उत्तम सिंह (जालना)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पांजा, डा॰ रणजीत कुमार (बारसाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पाटसाणी, डा॰ प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री भास्कर राव (नांदेड़)

पाटीदार, श्री रामेश्वर (खरगोन)

पाटील, डा॰ उल्हास वासुदेव (जलगॉव)

पाटील, श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव (यवतमाल)

पाटील, श्री एम॰बी॰ (बीजापुर)

पाटील, श्री जयसिंहराव गायकवाड़ (बीड़)

पाटील, श्री बाबागौड़ा (बेलगाम)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (अहमदनगर)

पाटील, श्री मदन (सांगली)

पाटील, श्री माधवराव (नासिक)

पाटील, श्री रामकृष्ण बाबा (औरंगाबाद) (महाराष्ट्र)

पाटील, श्री शिवराज वी॰ (लादूर)

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता (हिंगोली)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा॰ लक्ष्मी नारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री पीताम्बर (रोसेड़ा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पुगलीया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रधान, डा॰ देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधानी, श्री खगपति (नवरंगपुर)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो॰ आर॰आर॰ (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री लालू (मधेपुरा)

प्रसाद, श्री हरिकेवल (सलेमपुर)

प्रेमचन्द्रन, श्री एन॰के॰ (क्विलोन)

प्रेमाजम, प्रो॰ ए॰के॰ (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फातमी, श्री मोहम्मद अली अशरफ (दरभंगा)

फोली, जनरल नेविले (नामनिर्दिष्ट)

ब

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरदुआर्स)

बघेल, प्रो॰ एस॰पी॰ सिंह (जलसेर)

बचदा, श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी॰एम॰ (पोन्नानी)

बरनाला, सरदार सुरजीत सिंह (संगरूर)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बर्क, डा॰ शफीकुर्रहमान (मुरादाबाद)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बसु, श्री अनिल (आराम बाग)

बादल, श्री सुखबीर सिंह (फरीदकोट)

बापीराजु, श्री के॰ (नरसापुर)

बालयोगी, श्री जी॰एम॰सी॰ (अमालापुरम)

बाला, डा॰ असीम (नवद्वीप)

बालु, श्री टी॰आर॰ (मद्रास दक्षिण)

बिसेन, श्री गौरी शंकर चतुर्भुज (बालाघाट)

बिसवाल, श्री रनजीब (जगतसिंहपुर)

बुडानिया, श्री नरेन्द्र (चुरू)

बेहरा, श्री पद्मा नावा (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैरवा, श्री द्वारका प्रसाद (टोंक)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खंगुर (कोकराझार)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

भ

भक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

भगत, श्री इन्द्र नाथ (लोहरदगा)

भजनलाल, श्री (करनाल)

भारद्वाज, श्री परस राम (सारंगढ़)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भार्गव, श्री राम शंकर (मिसरिख)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भोंसले, श्री अभयसिंह एस॰ (सतारा)

भोंसले, श्रीमती राणी चित्रलेखा (रामटेक)

म

मंडल, श्री जय कृष्ण (पूर्णिया)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मरांडी, श्री बाबू लाल (दुमका)

मरांडी, श्री सोम (राजमहल)

मलिक, श्री राम चन्द्र (जाजपुर)

मल्लिकार्जुनय्या, श्री एस॰ (तुमकूर)

मल्लू, डा॰ रवि (नगर कुरनूल)

महंत चरण दास, डा॰ (जांजगीर)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्री राजवंशी (बलिया) (बिहार)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इंदौर)

मान, श्री जोश सिंह (फिरोजपुर)

मायावती, कुमारी (अकबरपुर)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मालवीया, श्री महेन्द्रजीत सिंह (बांसवाडा)

मिश्र, श्री इन्द्रजीत (खलीलाबाद)

मिश्र, श्री जनार्दन प्रसाद (सीतापुर)

मिश्र, श्री रामनगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम–बिहारी (बिल्हौर)

मिश्र, श्रीमती सुखदा (इटावा)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्री रामनारायण (कोटा)

मीणा, श्रीमती उषा (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री प्रमथेस (बरहामपुर) (प. बंगाल)

मुखर्जी, श्री सुब्रत (रायगंज)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्नगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुथैया, श्री आर॰ (पेरियाकुलम)

मुनियप्पा, श्री के॰एच॰ (कोलार)

मुनिलाल, श्री (सासाराम)

मुनूसामी, श्री के॰पी॰ (कृष्ण गिरी)

मुरूगेसन, श्री एस० (तेनकासी)

मुर्मु, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मु, श्री सालखन (मयूरभंज)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मेनसिंकाई, श्री बी०एम० (धारवाड़ दक्षिण)

मेहता, प्रो० अजित कुमार (समस्तीपुर)

मेहताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलुबेरिया)

मोहन, श्री आनन्द (शिवहर)

मोहन, श्री के०पी० (धर्मपुरी)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहोल, श्री अशोक नामदेवराव (खेड़)

मौर्य, श्री आनन्द रत्न (चंदौली)

य

यादव, श्री अनूप लाल (सहरसा)

यादव, श्री घासी राम (अलवर)

यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद (गोड्डा)

यादव, श्री पारसनाथ (जौनपुर)

यादव, श्री प्रदीप कुमार (कन्नौज)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)

यादव, श्री सीताराम (सीतामढ़ी)

यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (जहानाबाद)

यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

येरननायडु, श्री के० (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा० जयन्त (स्वशासी जिला–असम)

रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)

राघवन, श्री वी०वी० (त्रिचूर)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजपूत, श्री गंगा चरण (हमीरपुर) (उ०प्र०)

राजबंशी, श्री माधव (मंगलदाई)

राजरतिनम, श्री पी० (पेरम्बलूर)

राजु, श्री एस० विजय रामा (पार्वतीपुरम)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजैया, श्री एम० (सिद्दीपेट)

राठवा, श्री एन०जे० (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वारकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी०पी० (कोयम्बटूर)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन० (टिंडिवनाम)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नौर)

राममूर्ति, श्री के० वाझापडी (सेलम)

रामराजन, श्री (तिरूचेंदूर)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलु, श्री एच०जी० (कोप्पल)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री देवेन्द्र बहादुर (सुल्तानपुर)

राय, श्री हीरा लाल (छपरा)

राव, श्री आर० साम्बासिवा (गुंटूर)

राव, श्री के०एस० (मछलीपत्तनम)

राव, श्री गुरूनाधा (अनकापल्ली)

राव, श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम)

राव, श्री सीएच० विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्री मगन्ती वेंकटेश्वर (एलुरू)

रावत, श्री बैजनाथ (बाराबंकी)

रावत, श्री भगवान शंकर (आगरा)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रेड्डी, डा॰ बी॰एन॰ (मिरयालगुडा)

रेड्डी, डा॰ वाई॰एस॰ राजशेखर (कुडप्पा)

रेड्डी, श्री एन॰ जनार्दन (बापतला)

रेड्डी, श्री एम॰ बागा (मेडक)

रेड्डी, श्री एस॰ जयपाल (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एस॰ सुधाकर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री के॰ विजय भास्कर (कुरनूल)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी॰ गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री भूमा नागी (नान्दयाल)

रेड्डी, श्री मगुन्टा श्रीनिवासुलु (ओगोले)

रेड्डी, श्री वेंकटरामी अनन्त (अनन्तपुर)

रेड्डी, डा॰ टी॰ सुब्बारामी (विशाखापत्तनम)

रेड्डी, श्री एन॰आर॰के॰ (चित्तूर)

रोसैया, श्री कोनिजेटी (नरसारावपेट)

ल

लालुगमौना, श्री एच॰ (मिजोरम)

लहिड़ी, श्री समीक (डाइमंड हार्बर)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरूणाचल पूर्व)

वरपुडकर, श्री सुरेश (परभणी)

वर्मा, कुमारी विमला (सिवनी)

वर्मा, प्रो॰ रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (केसरगंज)

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह (जालौन)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)

वर्मा, श्री वीरेन्द्र (कैराना)

वर्मा, श्री सुशील चंद्र (भोपाल)

वर्मा, श्रीमती उषा (हरदोई)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वासनिक, श्री मुकुल (बुलदाना)

विजय, श्री विजय कुमार (मुंगेर)

विजयशंकर, श्री (मैसूर)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वेणुगोपाल, श्री के॰ (श्रीपेरूम्बुदुर)

वेणुगोपाल, श्री डी॰ (तिरूपत्तूर)

वेणुगोपालाचारी, डा॰ एस॰ (आदिलाबाद)

वेदान्ती, डा॰ रामविलास (प्रतापगढ़)

वैको, श्री (शिवकाशी)

वोरा, श्री मोतीलाल (राजनादगांव)

श

शंकर, श्री पी॰ (कालीकट)

शमानुर, श्री शिवशंकरप्पा (दावणगेरे)

शर्मा, श्री कृष्ण लाल (बाहरी दिल्ली)

शहाबुद्दीन, मुहम्मद (सिवान)

शांता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाक्य, डा॰ महादीपक सिंह (एटा)

शास्त्री, डा॰ विजय सोनकर (सैदपुर)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिव शंकर, श्री पी॰ (तेनाली)

शेट्टी, श्री जयराम आई॰एम॰ (उदुपी)

शेरवानी, श्री सलीम इकबाल (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी॰सी॰ (चिकमंगलूर)

श्रीनिवास, श्री एम॰ (कनकपुरा)

श्रीनिवासन, श्री सी॰ (डिंडीगुल)

ष

षणमुगम, श्री एन॰टी॰ (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़-उत्तर)

संगमा, श्री पूर्णो ए॰ (तुरा)

सईद, श्री पी॰एम॰ (लक्षद्वीप)

सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (अनन्तनाग)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यमूर्ति, श्री वी॰ (रामनाथपुरम)

समाऊं, श्री यतिन सिंह (भटिंडा)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा॰ विक्रम (हावड़ा)

सरनायक, श्री अजय कुमार एस॰ (बागलकोट)

सरपोतदार, श्री मधुकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम)

सरोज, श्री दरोगा प्रसाद (लालगंज)

सरोजा वी॰, डा॰ (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के॰ए॰ (नागालैण्ड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साक्षी, डा॰ स्वामी सच्चिदानन्द हरि (फर्रुखाबाद)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात कुमार (केन्द्रपाड़ा)

साय, श्री लरंग (सरगुजा)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को (मारमागाओ)

साहू, श्री चन्द्रशेखर (महासमुन्द)

साहू, श्री ताराचंद (दुर्ग)

सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (गुना)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिंह, डा॰ राम लखन (भिण्ड)

सिंह, डा॰ संजय (अमेठी)

सिंह, राव इन्द्रजीत (महेन्द्रगढ़)

सिंह, श्री अमर पाल (मेरठ)

सिंह, श्री अशोक (रायबरेली)

सिंह, श्री एच॰पी॰ (आरा)

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन, (गोण्डा)

सिंह, श्री के॰ नटवर (भरतपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)

सिंह, श्री ज्ञान, (शहडोल)

सिंह, श्री तेजवीर (मथुरा)

सिंह, श्री था॰ चौबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री देवी बक्स (उन्नाव)

सिंह, श्री नकली (सहारनपुर)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज)

सिंह, श्री बूटा (जालौर)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री मोहन (देवरिया)

सिंह, श्री रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, श्री राघवेन्द्र (शाहाबाद)

सिंह, श्री राजवीर (आंवला)

सिंह, श्री राजो (बेगूसराय)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री वशिष्ट नारायण (बिक्रमगंज)

सिंह, श्री वीरेन्द्र (मिर्जापुर)

सिंह, श्री सरताज (होशंगाबाद)

सिंह, श्री सुरेन्द्र (भिवानी)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद) (बिहार)

सिंह, श्री सोहनवीर (मुजफ्फरनगर)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिद्धराजु, श्री ए॰ (चामराजनगर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सुधीरन, श्री वी॰एम॰ (अलेप्पी)

सुब्बा, श्री मोनी कुमार (तेजपुर)

सुल्तानपुरी, श्री के॰डी॰ (शिमला)

सेठ, श्री लक्ष्मण चन्द्र (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेडाम, श्री बासवराज पाटील (गुलबर्गा)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेल्वारासु, श्री एम॰ (नागापट्टीनम)

सैयद हुसैन, श्री (लद्दाख)

सोज, प्रो॰ सैफुद्दीन (बारामूला)

सोढ़ी, श्री दया सिंह (अमृतसर)

सोमपाल, श्री (बागपत)

सोय, श्री विजय सिंह (सिंहभूम)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (दक्षिण दिल्ली)

स्वाईं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, डा॰ सुब्रह्मण्यम (मदुरै)

स्वामी, श्री चिन्मयानंद (मछलीशहर)

ह

हमीद, श्री अब्दुल (धुबरी)

हाण्डिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुड्डा, श्री भूपिन्द्र सिंह (रोहतक)

हेगड़े, श्री अंनत कुमार (कनारा)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री जी॰एम॰सी॰ बालयोगी

उपाध्यक्ष *

सभापति तालिका

श्री पी॰एम॰ सईद

श्री खगपति प्रधानी

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

प्रो॰ रीता वर्मा

श्री के॰ येरननायडू

श्री वी॰ सत्यमूर्ति

श्री बसुदेव आचार्य

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

महासचिव

श्री एस॰ गोपालन

---

* निर्वाचित किया जाना है।

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधान मंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी, जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है, अर्थात् (1) कृषि मंत्रालय (2) विदेश मंत्रालय (3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (4) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (5) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (6) योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (7) जल संसाधन मंत्रालय (8) परमाणु ऊर्जा विभाग (9) इलेक्ट्रानिकी विभाग (10) महासागर विकास विभाग (11) अन्तरिक्ष विभाग
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	गृह मंत्री
श्री अनंत कुमार	नागर विमानन मंत्री
श्री सिकन्दर बख्त	उद्योग मंत्री
सरदार सुरजीत सिंह बरनाला	रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री
श्री जॉर्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री रामकृष्ण हेगडे	वाणिज्य मंत्री
डा॰ सत्यनारायण जटिया	श्रम मंत्री
श्री राम जेठमलानी	शहरी कार्य और रोजगार मंत्री
डा॰ मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री वाझापडी के॰ राममूर्ति	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री मदन लाल खुराना	संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री
श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम	विद्युत मंत्री
डा॰ एम॰ तम्बी दुरई	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री
श्री नीतीश कुमार	रेल मंत्री
श्री नवीन पटनायक	इस्पात और खान मंत्री

श्री सुरेश प्रभु	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री

राज्य मंत्री
(स्वतंत्र प्रभार)

श्री दलित एजिलमलाई	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती मेनका गांधी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री बाबागौड़ा पाटील	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिलीप राय	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री ओमाक आपोंग	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुखबीर सिंह बादल	उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रमेश बैस	इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुमारी उमा भारती	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बाबू लाल मरांडी	पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुख्तार नकवी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री राम नाईक	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा॰ ए॰के॰ पटेल	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा॰ देवेन्द्र प्रधान	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ	संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यपाल सिंह यादव	खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सोमपाल	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री)

लोक सभा

सोमवार, 30 नवम्बर, 1998/9 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्र गान

राष्ट्र गान की धुन बजाई गई

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि आज लगभग चार माह के अंतराल के बाद सभा की बैठक हो रही है, मुझे सभा को हमारे सात भूतपूर्व सहयोगियों सर्वश्री निकुंज बिहारी चौधरी, द्वैपायन सेन, नरसिंह यादव, लखन लाल गुप्ता, बनमाली बाबू, जे. रामेश्वर राव और टी. अब्दुल वहीद के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री निकुंज बिहारी चौधरी पहली लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने 1952-57 के दौरान पश्चिम बंगाल के तत्कालीन घाटल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री चौधरी अध्यापक थे और 1949 से 1953 तक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड, मिदनापुर के सदस्य के रूप में कार्य किया।

श्री चौधरी एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता रहे और उन्होंने कई स्कूल और पुस्तकालय स्थापित किए।

वह कृषक भी रहे और इस रूप में उन्होंने अपने राज्य में सहकारिता और किसान आंदोलन चलाए। 79 वर्ष की आयु में श्री निकुंज बिहारी चौधरी का 13 जून, 1998 को कल्याणी, नदिया, पश्चिम बंगाल में निधन हो गया।

श्री द्वैपायन सेन, चौथी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1967-70 के दौरान पश्चिम बंगाल के कटवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। व्यवसाय से वकील श्री द्वैपायन सेन पश्चिम बंगाल की बॉर काउन्सिल और कानूनी मंचों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे और उन्होंने इनमें विभिन्न पदों पर कार्य किया।

एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और मानववादी होने के नाते श्री सेन ने ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने उद्योगों के विकास के लिए भी कार्य किया। श्री द्वैपायन सेन का 78 वर्ष की आयु में 17 जून, 1998 को कलकत्ता में निधन हो गया।

श्री नरसिंह यादव छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1977-79 के दौरान उत्तर प्रदेश के चन्दौली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सुयोग्य सांसद, श्री यादव ने 1979-80 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया और विभिन्न महत्वपूर्ण विभाग संभाले।

व्यवसाय से कृषक और अध्यापक, श्री यादव विभिन्न अध्यापक यूनियनों के साथ विभिन्न हैसियत से सम्बद्ध रहे।

एक सुविख्यात सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता, श्री नरसिंह यादव ने दलितों के उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया।

श्री नरसिंह यादव का 9 जुलाई, 1998 को 67 वर्ष की आयु में लखनऊ के निकट निधन हो गया।

श्री लखन लाल गुप्ता चौथी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1967-70 के दौरान मध्य प्रदेश के रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1952-67 के दौरान मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री गुप्ता ने विभिन्न कृषि संगठनों में अलग-अलग पदों पर सक्रिय रूप से कार्य किया।

श्री गुप्ता एक विख्यात सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने आदर्श गांवों की स्थापना के लिए कठिन परिश्रम किया। श्री लखन लाल गुप्ता का 87 वर्ष की आयु में 31 जुलाई, 1998 को मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में निधन हो गया।

श्री बनमाली बाबू पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1971-77 के दौरान उड़ीसा के सम्बलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व 1961-70 के दौरान श्री बाबू उड़ीसा विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1967 तक उड़ीसा सरकार में विधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, उद्योग और शहरी विकास विभाग के मंत्री रहे।

श्री बाबू एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उड़ीसा में विभिन्न स्कूल और कालेजों की स्थापना में उनकी मुख्य भूमिका रही। वह विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य रहे।

श्री बनमाली बाबू पेशे से वकील थे और उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए सतत् प्रयास किए।

श्री बनमाली बाबू एक विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने भारत में नगर आयोजना और शहरी विकास पर अनेक लेख लिखे।

श्री बनमाली बाबू का 80 वर्ष की आयु में 5 अगस्त, 1998 को उड़ीसा में सम्बलपुर में निधन हो गया।

श्री जे. रामेश्वर राव ने 1957 से 1979 के दौरान दूसरी से छठी लोक सभा में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री राव एक सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे जो 1949 में भारतीय विदेश सेवा से जुड़े। 1950-52 के दौरान वे भारतीय उच्चायोग, नैरोबी के प्रथम सचिव रहे और 1953-56 के दौरान गोल्ड कोस्ट तथा नाईजीरिया में भारत सरकार के आयुक्त रहे।

व्यवसाय से कृषक तथा व्यापारी श्री राव ने कृषि तथा सिंचाई के विकास के लिए कार्य किया और कृषि श्रम संघों का नेतृत्व किया।

अनेक देशों की यात्रा कर चुके श्री राव 1958 में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल, 1960-61 के दौरान कांगों के लिए यूनाइटेड नेशंस कांसिलिएशन कमीशन तथा 1964-65 के दौरान अल्जीरिया में अफ्रो-एशियन कान्फ्रेंस के सदस्य थे।

एक सक्रिय सांसद होने के साथ-साथ श्री राव विदेश मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय की सलाहकार समितियों के भी सदस्य रहे।

श्री जे. रामेश्वर राव का 75 वर्ष की आयु में 15 सितम्बर, 1998 को हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में निधन हो गया।

श्री टी. अब्दुल वहीद ने तीसरी लोक सभा 1962-67 के दौरान पूर्व मद्रास राज्य की वैल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। व्यवसाय से व्यापारी, श्री वहीद ने कई सामाजिक और कल्याण संस्थाओं के विभिन्न पदों पर कार्य किया। वह भारत सरकार की विभिन्न सलाहकार समितियों और परामर्शदात्री समितियों के सदस्य भी रहे।

श्री वहीद सुप्रसिद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे। इन वर्गों हेतु शिक्षा के प्रचार-प्रसार में वह बहुत रुचि रखते थे।

श्री टी. अब्दुल वहीद का 88 वर्ष की आयु में 5 अक्टूबर, 1998 को चैन्नई में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवदेना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ यह सभा भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवदेना व्यक्त करती है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है 18 अगस्त, 1998 को पिथौरागढ़ के पर्वतीय क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर की ओर जा रहे 180 व्यक्तियों की, जिनमें ट्रैकर और तीर्थ यात्री सम्मिलित थे, भूस्खलन में मृत्यु का समाचार आया था।

एक अन्य त्रासदी में 26 नवम्बर, 1998 को पंजाब में खन्ना के निकट कौड़ी गांव में तेज रफ्तार से जा रही जम्मू-सियालदाह एक्सप्रैस में मुम्बई-अमृतसर फ्रंटीयर मेल के पटरी से उतर गये डिब्बों से टकरा जाने से हुई दुर्घटना में लगभग 200 व्यक्तियों के मारे जाने और 250 व्यक्तियों के आहत होने का समाचार आया था।

हम इन दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और सभा इस संबंध में गहन शोक व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.12 बजे

मंगोलिया के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आरम्भ में, मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, मंगोलिया के "स्टेट ग्रेट हुराल" के चेयरमैन महामहिम श्री गोम्बिग्दोर्ज तथा श्रीमती डी. हिशिग्ट एवं मंगोलिया के ससंदीय शिष्ट मंडल के अन्य सदस्यों, जो इस समय हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, का स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

शिष्ट मंडल के अन्य सम्मानित सदस्य इस प्रकार हैं :-

1. श्री डी. दाशपुरेव
2. श्री त्साट आधिर
3. श्री एस. शर्वदोर्ज
4. श्री एस. लाम्बा

यह शिष्ट मंडल शनिवार 28 नवम्बर को दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से मंगोलिया के राष्ट्रपति, वहां की ससंद और मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल लेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले प्रधान मंत्री जी इस्तीफा दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है सदन में बाकी बिजनेस दूर रखकर महंगाई के इश्यू पर डिटेल में डिस्कशन हो।...*(व्यवधान)*

जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय डा. शफीकुर्रहमान बर्क तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति दी है। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले विपक्ष के नेता को अपनी बात पूरी करने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपने-अपने स्थानों पर वापस जाने की अपील करता हूं। मैंने विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति दी है। मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए। मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें कि मैंने उसी विषय पर विपक्ष के नेता को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने अपने स्थानों पर जाएं।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.17 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति दी है। पहले उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें और फिर मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझिए। मैंने विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति दी है। हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हमें विधेयकों को भी पारित करना है। मैं आपकी बात भी सुनूंगा। कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइए और फिर बोलें। आप यहां से नहीं बोल सकते हैं। कृपया यह समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें। कृपया पहले अपने-अपने स्थानों पर जाइए और फिर इस मामले पर वहां से बोलें न कि यहां से।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं से भी अपने-अपने स्थानों पर जाने और फिर वहां से बोलने का अनुरोध कर रहा हूं। वे सभा के बीचोंबीच आकर नहीं बोल सकते हैं। कृपया इस बात को समझें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि सारा देश इस कार्यवाही को देख रहा है। सभी लोग कार्यवाही देख रहे हैं। यह क्या है? कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइये और फिर इस बारे में बोलिए।

पूर्वाह्न 11.22 बजे

इस समय श्री रामदास आठवले अपने स्थान पर वापस चले गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थानों पर जाइये। आप सभा के बीचों-बीच से नहीं बोल सकते हैं, अपने स्थान से आप जो चाहते हैं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से इस स्थान से जाने का अनुरोध करता हूं। श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी आप एक

वरिष्ठ सदस्य हैं। आप कृपया यहां से जाइये। कृपया पहले अपने स्थान पर जाइये और फिर आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं से भी पहले अपने-अपने स्थानों पर जाने की पुनः अपील कर रहा हूं और फिर वे बोल सकते हैं। वे सभा के बीचों-बीच खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं से भी पहले अपने-अपने स्थानों पर जाने का बार-बार अनुरोध कर रहा हूं। वे अपने स्थान से बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि पहले वे अपने-अपने स्थानों पर जाएं। वे यहां से नहीं बल्कि अपने-अपने स्थानों से बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

नौवहन नीति

*1. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के देशों के बीच दूरियां कम करने के नए प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में नौवहन नीति को नई दिशा देने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई नई नौवहन नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परिवहन आधारभूत संरचना तंत्र के निजीकरण के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा० एम० तम्बी दुरई) : (क) और (ख) भारतीय समुद्र में नाविकों के लिए तटीय और महासागरीय क्षेत्र में उनके सुरक्षित नौचालन और खुले समुद्र में पांच मीटर से बेहतर परिशुद्धता पर अपनी स्थिति नियत करने के लिए दीपघर और दीपपोत विभाग के जरिए चौबीस घंटे, पूरे वर्ष नौचालन हेतु दृश्य और रेडियो उपकरण उपलब्ध कराने की सरकार की नीति है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के *अनुसार नौचालन उपकरणों का आधुनिकीकरण करने की भी सरकार की नीति है।*

नौचालन उपकरणों की दो मुख्य श्रेणियों में से दृश्य किस्म के उपकरणों का आधुनिकीकरण करने के लिए निम्नलिखित उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है :-

(i) गैस और पेट्रोलियम-वाष्प द्वारा दीप्त सभी लाइटों का विद्युत/सौर चालित लाइटों में परिवर्तन।

(ii) अधिक वाटसंख्या के तापदीप्त लैंपों को कम वाट संख्या के हैलोजन, मैटल हेलाइड जैसे उच्च प्रबलता के लैंपों द्वारा चरणबद्ध रूप से बदलना ताकि ऊर्जा की बचत की जा सके।

(iii) अधिक विश्वसनीयता और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र में अवस्थित किसी स्थान से स्वचालन करके दीपघरों पर दूरस्थ नियंत्रण और दूरस्थ निगरानी रखने का प्रस्ताव है।

रेडियो नौचालन उपकरण जो नौचालन के लिए दूसरी मुख्य श्रेणी है, को आधुनिक बनाने/स्तर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय किए जा रहे हैं :-

(i) भारतीय तटरेखा के साथ-साथ 10 रेडियो बीकन स्टेशनों पर डिफ्रेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाया गया है। नौचालन के लिए इस विकसित उपकरण से 5 मीटर की दूरी के भीतर अधिक परिशुद्धता से स्थिति का नियतन हो जाता है। इससे तटीय क्षेत्र अथवा हार्बर के पहुंच मार्ग में चल रहे किसी पोत को जलयान के बोर्ड पर किसी डी जी पी एस रिसीवर से स्वतः सही स्थिति ज्ञात करने की सुविधा होगी। इस उपाय से रेडियो बीकन दिशा सूचक सेवा को बदलने का प्रथम चरण पूरा हो जाएगा। द्वितीय चरण को वर्ष 2000 ई. तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। डेका नेवीगेटर सिस्टम को भी वर्ष 2000 ई. तक चरणबद्ध रूप से बदलने का प्रस्ताव है। इस स्कीम की अनुमोदित लागत 11.50 करोड़ रु. है।

(ii) मौजूदा पोत एम.वी.सागर दीप के प्रतिस्थापन के लिए 49.25 करोड़ रु की अनुमानित लागत से एक नया लाइट हाउस टेंडर वेसल निर्माणाधीन है।

(iii) कच्छ की खाड़ी के उच्च यातायात सघनता के क्षेत्र में यातायात का उत्तम प्रबंध करने की दृष्टि से 160 करोड़ रु. से अधिक लागत की पोत यातायात प्रबंध प्रणाली नामक एक परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव

है। इस खर्च को पूरा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसियां द्वारा सहभागिता की जाएगी।

(ग) दीपघर और दीपपोत का नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित परिव्यय 68 करोड़ रु. है।

(घ) यद्यपि दीपघर और दीपपोतों के कार्य-कलापों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु निजी क्षेत्र सहित किसी एजेंसी द्वारा विकसित किए जाने वाले किसी नए पत्तन पर नौचालन सुरक्षा से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति देने की सुविधा के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है। जहां तक महापत्तनों का संबंध है, सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार नई सुविधाओं के सृजन तथा पत्तनों की मौजूदा परिसम्पत्तियों को अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर पट्टे पर देने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति है।

संविधान की पुनरीक्षा

*2. **श्री रामानन्द सिंह :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संविधान की पुनरीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन क्या है; और

(घ) उक्त समिति कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) सरकार ने, इस मामले में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया है।

विद्युत उत्पादन और वितरण का निजीकरण

*3. **श्री रामनारायण मीणा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत उत्पादन और वितरण निजी क्षेत्र को सौंपे जाने के संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 1997-98 तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उठाई गई हानियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1991 में एक नीति की घोषणा की थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 2363 मे.वा. की कुल क्षमता वाली 16 निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को अभी तक चालू किया गया है। इसके अलावा, लगभग 4565 मे.वा. की कुल क्षमता वाली 18 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिनमें से 731.5 मे.वा. की 3 परियोजनाओं को आंशिक रूप से चालू कर दिया गया है। उड़ीसा और हरियाणा की राज्य सरकारों ने विद्युत के वितरण के निजीकरण की ओर कदम उठाए हैं।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र की लाइसेंसधारी कंपनियां पहले से ही महाराष्ट्र गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के लेखों को संबंधित वर्ष के समापन के छः माह के भीतर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) को अग्रेषित करना आवश्यक होता है। तथापि, वर्ष 1997-98 के लिए अधिकांश रा.वि.बो. से लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं तथा चालू वित्तीय वर्ष हेतु लेखें अभी राज्यों से देय नहीं हैं। वर्ष 1996-97 के लिए रा.वि.बो. की लाभ/हानि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1996-97 के दौरान लेखों में दर्शायी गई आर्थिक सहायता सहित राज्य बिजली बोर्डों के लाभ/हानि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड	लाभ एवं हानि (करोड़ रुपये)	
1	2	3	
1.	आन्ध्र प्रदेश	129.19	(ए)
2.	बिहार	-27.52	(पी)
3.	गुजरात	109.90	(ए)
4.	हरियाणा	47.75	(ए)
5.	हिमाचल प्रदेश	24.80	(ए)
6.	कर्नाटक	58.45	(यू)
7.	केरल	23.99	(यू)
8.	मध्य प्रदेश	126.62	(यू)
9.	महाराष्ट्र	346.58	(ए)
10.	उड़ीसा	26.94	(पी)
11.	पंजाब	107.87	(ए)
12.	राजस्थान	63.22	(ए)

1	2	3	
13.	तमिलनाडु	329.63	(ए)
14.	उत्तर प्रदेश	170.80	(ए)
15.	पश्चिम बंगाल	18.25	(ए)
16.	असम	–358.72	(यू)
17.	मेघालय	–33.52	(ए)
	कुल	1164.23	

नोट : ए- लेखा परीक्षित

यू- गैर-लेखा परीक्षित

पी- अनन्तिम।

[अनुवाद]

तटीय विनियमन क्षेत्र में मत्स्य पालन पर प्रतिबंध

*4. **श्री के॰एस॰ राव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों पर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के असंतोष की जानकारी है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कारण तटीय विनियमन क्षेत्र में मत्स्य पालन/झींगा मछली पालन पर रोक लगाने पर कुछ संसद सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की है;

(ग) क्या सरकार ने विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तटीय विनियमन क्षेत्र में मत्स्य पालन पर प्रतिबंध के कारण प्रभावित हुए मछुआरों की क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, हां। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने के कारण हो रही कठिनाइयों के बारे में आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी, हां। कुछ सांसदों ने जलकृषि के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बारे में चिंता व्यक्त की है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

विवरण

(ग) और (घ) जी, हां। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को लागू करने में विभिन्न तटीय राज्यों के सामने जो विशेष मामले आए हैं उन पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है।

I. *तटीय क्षेत्रों में पर्यटन एवं होटल सुविधाओं से संबंधित तथा अन्य सम्बद्ध मुद्दों के लिए श्री बी बी वोहरा समिति*

विचारणीय विषय

1. पर्यटन एवं होटल सुविधाओं की स्थापना से संबंधित देश के तटीय क्षेत्रों में मौजूदा वास्तविक विनियमनों और मानकों की जांच करना।
2. इस संदर्भ में इन विनियमनों एवं मानकों की तर्काधार एवं व्यवहारिकता की जांच करना।
3. तटीय विनियमन क्षेत्र नीति संबंधी मामलों के साथ-साथ समुद्र के किनारे स्थित रिजार्ट की जांच करना।
4. यदि आवश्यक हों, तो इन विनियमनों/मानकों में सुधार के सुझाव देना।

II. *अंडमान एवं निकोबार के चुने क्षेत्रों में भूमिजल निकासी एवं रेत निकालने पर फादर सी जे सल्दान्हा समिति*

विचारणी विषय

1. चुने गए द्वीप समूहों, जिनका पता संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने लगाया है, के संबंध में जल की मांग और उपलब्ध रिजर्व का निर्धारण करना।
2. संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा चुने गए द्वीपसमूहों के संबंध में निर्माण कार्यों के लिए रेत की मांग और इसकी उपलब्धता का निर्धारण करना।
3. क्या जल एवं रेत की मांग को तटीय विनियमन क्षेत्र के बाहर के संसाधनों से पूरा किया जा सकता है या तटीय विनियमन क्षेत्र से भूमिजल निकासी और रेत की खुदाई करना नितांत आवश्यक है, के संबंध में सलाह देना।
4. क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर संभावित कुप्रभाव को दर्शाना यदि जल एवं रेत की मांग को तटीय विनियमन क्षेत्र से पूरा किया जाना है।
5. उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां से भूमि जल की निकासी एवं रेत की खुदाई करने से कम से कम बुरा असर पड़ता हो।
6. पता लगाए गए द्वीप समूहों के संबंध में मांग को पूरा करने के लिए जल एवं रेत के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में सुझाव देना।

III. तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना से संबंधित केरल राज्य के विशेष मामलों की जांच करने के लिए प्रो॰ एन॰ बाला कृष्णन नायर समिति

विचारणीय विषय

1. केरल सरकार के अभ्यावेदन की जांच करना कि तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के प्रावधानों को समान रूप से इस राज्य पर लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसकी तटरेखा, मुहानों एवं बैकवाटरों की समस्या अन्य राज्यों से बिल्कुल भिन्न है तथा इस संबंध में सिफारिशें देना।

2. इस बात की जांच करना कि क्या एच टी एल से 500 मीटर के भीतर मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार पर लगे प्रतिबंधों को संशोधित किया जा सकता है यदि हां, तो इस संबंध में सिफारिशें।

IV. तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना संबंधित मामलों की जांच के लिए फादर सी जे सल्दान्हा समिति

विचारणीय विषय

1. नदियों, क्रीकों एवं बैकवाटरों के किनारे 50 मीटर अथवा नदियों, क्रीकों एवं बैकवाटरों की चौड़ाई जो भी कम हो, के साथ तटीय विनियमन क्षेत्रों में कमी की अनुमति के तरीके सुझाना।

2. तटीय विनियमन क्षेत्र III क्षेत्र के 200 मीटर के अंदर स्थानीय निवासियों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति देने के लिए मापदंडों का पता लगाना तथा पद्धति का सुझाव देना। पद्धति अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र की परिपाचक क्षमता को ध्यान में रखेंगी जैसे कि पेयजल की उपलब्धता, जलमल निकासी तथा अन्य घरेलू अपशेष का निपटान।

दिल्ली और अन्य शहरों में प्रदूषण

*5. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य शहरों में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास वायु प्रदूषण का घनत्व मापने के लिए कोई यंत्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ाने वाले घटक कौन से हैं और वे प्रदूषण में अनुमानतः कितनी वृद्धि करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक बढ़े घनत्व से कैंसर और श्वास संबंधी समस्याओं जैसे प्राणघातक रोग होने और उनमें वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राजधानी में सड़कों से पुराने वाहनों को हटाकर किये गए प्रयासों से प्रदूषण को कम करने में कोई सफलता मिली है;

(ङ) यदि हां, तो क्या दिल्ली में भीड़भाड़ को जल्द से जल्द कम करने की दिशा में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा प्रदूषण और प्रदूषण जनित रोगों के निराकरण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) से (ग) आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि तथा वाहनों की संख्या से बढ़ोतरी की वजह से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा मॉनीटर किए जा रहे प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी की प्रवृति पाई गई है। निलम्बित विविक्त धूलकण, सल्फर डाई आक्साइड, कार्बन मॉनोआक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे मुख्य प्रदूषक अधिकतर शहरों में निर्धारित सीमाओं के भीतर पाए गए हैं। तथापि, दिल्ली तथा कलकत्ता में उच्च यातायात सघनता वाले क्षेत्रों तथा कुछ व्यस्त यातायात चौराहों पर कुछ समय के लिए इनका सान्द्र निर्धारित सीमाओं से ज्यादा होता है। दिल्ली में सीसा रहित पैट्रोल की शुरूआत से परिवेशी वायु में सीसे के स्तर में काफी हद तक कमी आई है। रोग-विज्ञान अध्ययन, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण नहीं देते।

(घ) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाणिज्यिक वाहनों को हटाया जाना मुख्य प्रस्तावित उपायों में से एक है। चूंकि यह उपाय अभी-अभी अपनाया गया है। अतः प्रदूषण कम करने में इसका प्रभाव मापनीय नहीं है।

(ङ) और (च) जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए तथा एक संतुलित सुव्यवस्थित विकास की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने "सैटेलाइट टाऊनशिप्स" को उन्नत करने के लिए एक योजना तैयार की है।

(छ) सरकार द्वारा प्रदूषण से बचाव हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम निम्नलिखित हैं :-

1. सरकार ने प्रदूषण के उपशमन हेतु एक विस्तृत "पॉलिसी स्टेटमेंट" तैयार किया है जिसमें विकास संबंधी योजना के पर्यावरणीय तथा आर्थिक पहलू के निवारक पहलुओं पर जोर देना तथा औद्योगिक प्रदूषण में कमी लाने के लिए प्रौद्योगिकीय निवेश का संवर्द्धन शामिल है।

2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों के स्थानांतरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।

3. चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई में जून, 1994 से सीसे की कम मात्रा वाले पैट्रोल की शुरूआत की गई थी। इसके पश्चात् उपरोक्त 4 शहरों में 1 अप्रैल, 1995 से सीसा रहित पैट्रोल की शुरूआत की गई। 1 सितम्बर, 1998 से दिल्ली में केवल सीसा रहित पैट्रोल की आपूर्ति की जा रही है।

4. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत चलित वाहनों के लिए ठोस उत्सर्जन मानक तथा नए वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं तथा विभिन्न राज्यों के यातायात विभागों द्वारा इन्हें लागू किया जा रहा है।

5. वाहन जनित प्रदूषण को कम करने के लिए पैट्रोल तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए विनिर्माण की अवस्था में उत्सर्जन मानक 1990 में पहली बार स्थापित किए गए थे तथा 1996 में उन्हें और अधिक कठोर बना दिया गया और अधिक कठोर उत्सर्जन मानक भी अधिसूचित किए जा चुके हैं तथा ये 1.4.2000 से प्रभावी होंगे।

6. 2-स्ट्रोक इंजन ऑयल की विनिर्दिष्टता भी अधिसूचित की गई है जो 1.4.1999 से प्रभावी होगी।

7. देश के मुख्य शहरों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वाहन जनित उत्सर्जनों पर सर्वेक्षण किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों के परिणामों को न्यूनीकरण उपायों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

8. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग कार्यक्रम के तहत 290 मॉनीटरिंग स्टेशनों के एक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न शहरों तथा कस्बों की परिवेशी वायु गुणवत्ता को नियमित तौर पर मॉनीटर किया जा रहा है।

9. उच्च प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों तथा ताप ऊर्जा प्लांटों द्वारा छोड़े गए उत्सर्जनों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा नियमित तौर पर मॉनीटर किया जा रहा है तथा दोषी इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

10. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के तहत उत्सर्जन तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

11. सात महत्वपूर्ण प्रदूषित क्षेत्रों नामशः वापी (गुजरात), अंगुल-तलचर (उड़ीसा), चेम्बूर (बम्बई), कोचीन (केरल), कानपुर (उ.प्र.) मण्डी-गोबिन्दगढ़ (पंजाब) तथा दिल्ली में मंत्रालय ने पर्यावरणीय रोग विज्ञान अध्ययन शुरू किया है। अध्ययनों के प्रारंभिक पुनर्निवेश से पता चलता है कि रोग सूचक अस्वस्थता दर आंखों में जलन, श्वसन समस्याएं तथा त्वचा घाव/जलन औद्योगिक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में ज्यादा हैं।

12. लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों के समूहों से निकलने वाले बहिस्रावों के उपचार के लिए दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों तथा सम्पदाओं में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है।

13. पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव, नियंत्रण तथा उपशमन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण बचाव तथा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

14. दिल्ली के अनुरूप नॉन कॉनफोरमिंग क्षेत्रों में स्थित कई प्रदूषक उद्योगों को बन्द कर दिया गया है या अनुरूप कॉनफोरमिंग क्षेत्रों में पुनः स्थापित किया गया।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

***6. श्री दिलीप संघाणी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 30 अक्टूबर, 1998 तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस संबंध में आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं और विद्युत संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया और क्या वह प्राप्त हो गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वीकृति के लिए कितनी परियोजनाएं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास विचाराधीन हैं और उन्हें कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) 47 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं तथा 30 सार्वजनिक क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 31 अक्टूबर, 1998 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा निम्नवत है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	विदेशी निवेश हिस्सा (यदि कोई है)
1	2	3	4
निजी क्षेत्र परियोजनाएं			
1.	वास्पा एचईपी चरण-2	300	नहीं
2.	मलाना एचईपी	86	नहीं

1	2	3	4
3.	विष्णुप्रयाग एचईपी	400	नहीं
4.	महेश्वर एचईपी	400	हां
5.	रोजा टीपीपी	567	हां
6.	धौलपुर सीसीजीटी	702.7	हां
7.	बरसिंहसर लिग्नाइट टीपीपी	500	हां
8.	पगुथन सीसीजीटी	654.7	हां
9.	हजीरा सीसीजीटी	515	हां
10.	बड़ौदा सीसीजीटी	167	हां
11.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी	250	हां
12.	कोरबा टीपीएस	1070	हां
13.	बीना टीपीएस	578	हां
14.	नरसिंहपुर सीसीपीपी	166	हां
15.	कोरबा (वेस्ट) टीपीपी	420	हां
16.	पेंच टीपीएस	500	हां
17.	गुना सीसीजीटी	347.25	हां
18.	भिलाई टीपीपी	574	हां
19.	रायगढ़ टीपीपी	550	हां
20.	भाण्डेर सीसीजीटी	342	हां
21.	पीठमपुर डीजीपीपी	119.7	हां
22.	रतलाम डीजीपीपी	118.63	हां
23.	खंडवा नापथा सीसीजीटी	171.17	हां
24.	डाभोल सीसीजीटी	2015	हां
25.	भद्रावती टीपीएस	1072	हां
26.	पातालगंगा सीसीजीटी	447.1	हां
27.	जेगरूपाडु सीसीजीटी	216	हां
28.	गोदावरी सीसीजीटी	208	हां
29.	विशाखापट्टनम टीपीपी	1040	हां
30.	रामागुण्डम टीपीपी	520	हां
31.	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	हां
32.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीपी	520	हां
33.	तोरांगल्लू टीपीएस	260	हां
34.	मंगलौर टीपीएस	1000	हां
35.	विप्पीन सीसीजीटी	679.2	नहीं
36.	नैवेली टीपीएस	250	हां
37.	पिल्लाईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी	330.5	हां
38.	उत्तरी मद्रास टीपीएस चरण-2	1050	हां
39.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी	200	हां
40.	तूतीकोरिन टीपीपी	525	हां
41.	समयानल्लूर डीजीपीपी	106	हां
42.	समलपट्टी डीजीपीपी	106	हां
43.	उत्तरी मद्रास टीपीपी-3	525	हां
44.	इब वैली टीपीएस	420	हां
45.	जोजोबेरा टीपीएस	240	नहीं
46.	बालागढ़ टीपीएस	500	हां
47.	बक्रेश्वर टीपीपी	420	हां
	सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएं		
1.	कोल बांध एचईपी	800	लागू नहीं
2.	पारबती चरण-2 एचईपी	800	लागू नहीं
3.	परनाई एचईपी	37.5	लागू नहीं
4.	सावलकोट एचईपी	600	लागू नहीं
5.	एस.वाई.एल.	50	लागू नहीं
6.	बगलीहार एचईपी	450	लागू नहीं
7.	चमेरा चरण-2 एचईपी	300	लागू नहीं
8.	टिहरी बांध चरण-2 एचईपी	1000	लागू नहीं
9.	मारीखेड़ा एचईपी	40	लागू नहीं
10.	ओंकारेश्वर एचईपी	520	लागू नहीं
11.	प्रियदर्शनी जुराला एचईपी	221.4	लागू नहीं
12.	नागार्जुनसागर	50	लागू नहीं
13.	सरपदी एचईपी	90	लागू नहीं
14.	अदीरापल्ली एचईपी	160	लागू नहीं
15.	तीस्ता चरण-5 एचईपी	1200	लागू नहीं
16.	फरक्का बैराज	125	लागू नहीं
17.	तीस्ता चरण-5 एचईपी	510	लागू नहीं
18.	कामेंग एचईपी	600	लागू नहीं
19.	धालेश्वरी एचईपी	120	लागू नहीं
20.	लोकतक निचली धारा एचईपी	90	लागू नहीं

1	2	3	4
21.	अनपरा "सी" टीपीएस	1000	लागू नहीं
22.	औरेया सीसीपीपी चरण-2	650	लागू नहीं
23.	अन्ता सीसीजीटी चरण-2	650	लागू नहीं
24.	गांधी नगर टीपीपी	210	लागू नहीं
25.	वनाकबोरी विस्तार टीपीपी	210	लागू नहीं
26.	कवास सीसीपीपी चरण-2	650	लागू नहीं
27.	झनोर-गांधार सीसीपीपी चरण-2	650	लागू नहीं
28.	रायचूर चरण-3 टीएपीपी	420	लागू नहीं
29.	तालचेर टीपीपी-2	2000	लागू नहीं
30.	लीमाखोंग डीजीपीपी	36	लागू नहीं

जिनमें से कई परियोजनाओं के मामले में विद्युत क्रय करार तथा आशय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

(ङ) 17 निजी क्षेत्र परियोजनाएं तथा 26 सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाएं तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत विचाराधीन हैं। इन परियोजनाओं के मामले में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विभिन्न निवेशों/स्वीकृतियों के संबंध में पूरी नहीं हैं। जैसे ही परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लम्बित निवेशों को सुनिश्चित कर लिया जाएगा वैसे ही तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु इन पर कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी।

प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध

***7. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**

डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ उत्पादों के लिए प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने और अन्य कार्यों के लिए उनके प्रयोग के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने के बारे में सोच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने पोलीथीन की थैलियों के निर्माण पर स्वयं प्रतिबंध लगाने के लिए प्लास्टिक उद्योग को निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर प्लास्टिक उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण के लिए किन्हीं मानकों की सिफारिश की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 20.11.98 को पुनः चक्रित प्लास्टिक्स उपयोग नियम, 1998 शीर्षक के प्रारूप नियम प्रकाशित किए हैं और इनके बारे में जनता से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपत्तियां मांगी हैं। इन प्रारूप नियमों के अनुसार खाद्य पदार्थों के भंडारण, लाने-ले जाने और पैक करने के लिए पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों अथवा पात्रों के उपयोग पर प्रतिबंध है। नियमों में यह भी विहित है कि पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों की न्यूनतम मोटाई 25 माइक्रोन से कम नहीं होगी और मूल प्लास्टिक से बने कैरी बैगों की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होगी।

(ग) और (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बल ने प्लास्टिक उद्योग के परामर्श से एक कार्रवाई कार्यक्रम बनाया है जिसमें प्लास्टिक विनिर्माताओं द्वारा इनके प्रयोग पर स्वतः नियंत्रण भी शामिल है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा अधिसूचित प्रारूप नियमों में विहित है कि प्लास्टिक का पुनः प्रसंस्करण या पुनः चक्रण भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित "प्लास्टिक के पुनः चक्रण के लिए दिशानिर्देश" शीर्षक वाले भारतीय मानक 14534 : 1998 के अनुसार ही किया जायेगा और पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने अंतिम उत्पाद पर "पुनः चक्रित" पदार्थ के उपयोग के प्रतिशत सहित पुनः चक्रित चिन्हांकित किया जाता है।

[हिन्दी]

दामोदर नदी में प्रदूषण

***8. प्रो. रीता वर्मा :**

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी फैक्ट्रियां बिहार और पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी को प्रदूषित कर रही हैं;

(ख) दामोदर नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ये उपाय किस हद तक प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं;

(घ) इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में जन चेतना जागृत करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) बिहार में 3 औद्योगिक इकाइयां और पश्चिम बंगाल में एक औद्योगिक इकाई दामोदर नदी को प्रदूषित कर रही है।

(ख) से (घ) दामोदर नदी के प्रदूषण को केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से जल (संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करके काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। नगरपालिका सीवेज से होने वाले नदी प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने अक्टूबर, 1996 को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत दामोदर नदी संरक्षण योजना का अनुमोदन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य योजना को अभी शुरू किया जाना है।

(ङ) और (च) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य पर्यावरण विभाग नदियों के औद्योगिक प्रदूषण, उनके प्रभाव और उन्हें कम करने के उपायों के बारे में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का नियमित आयोजन करते हैं।

[अनुवाद]

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक

*9. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री दिनांक 6 जुलाई, 1998 के तारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर सर्वसम्मति बनाने के लिए इस बीच सभी राजनैतिक दलों की कोई बैठक बुलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सरकार का कब तक बैठक बुलाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 22.5.98 को हुई राजनैतिक दलों की बैठक में किए गए विनिश्चय के अनुसरण में, निर्वाचनों के सरकारी वित्तपोषण और अन्य संबद्ध मुद्दों की बाबत सिफारिशें करने के लिए, संसद सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही, राजनैतिक दलों के साथ असली बैठक की तारीख विनिश्चित की जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने से रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रस्तावों को भी उस बैठक में विचार-विमर्श के लिए रखा जाएगा।

चुनाव सुधार

*10. ***श्री तथागत सत्पथी :***

श्री सी॰डी॰ गामीत :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग और चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनाव सुधारों से संबंधित कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न राजनैतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) विधि आयोग ने, अभी तक निर्वाचन संबंधी सुधारों के बारे में कोई भी सिफारिश नहीं की है, सरकार, इस समय, निर्वाचन संबंधी सुधारों के प्रस्तावों के एक सेट पर राजजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श कर रही है और इन प्रस्तावों की बाबत निर्वाचन आयोग की राय सरकार के पास उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग के कतिपय अन्य प्रस्ताव भी किए हैं, इस संबंध में निर्वाचन आयोग की राय। सिफारिशें संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(घ) इनमें से कुछ प्रस्तावों पर 22 मई, 1998 को आयोजित बैठक में राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और उस बैठक में किए गए विनिश्चियों का सार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (ङ) सरकार ने, अभी तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर कोई अंतिम विनिश्चय नहीं किया है। तथापि, सरकार निर्वाचन आयोग के ऐसे प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए विचार करेगी जिनकी बाबत राजनीतिक दलों के मध्य सर्वसम्मति हो जाती है। फिर भी, इस समय यह बताना संभव नहीं है कि इस निमित्त अंतिम विनिश्चय कब तक किया जाएगा।

विवरण-I

क. सरकार द्वारा राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के लिए अभिज्ञात निर्वाचन संबंधी सुधारों के प्रस्तावों के एक सेट पर निर्वाचन आयोग के अभिमत।

(i) निर्वाचन आयोग संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए आयु, अर्हता कम करने के पक्ष में नही है।

(ii) निर्वाचन आयोग किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही वर्ग के दो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने की विद्यमान प्रतिबंध सीमा के पक्ष में है और इसे आगे केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र तक निर्बंधित करने के पक्ष में नहीं है।

(iii) निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(क) को उसकी 1975 पूर्व की स्थिति में पुनः लाए जाने के पक्ष में नहीं है, तथापि, वह इस पक्ष में है कि उसे उस धारा के अधीन निरर्हता के मामलों को उसकी सलाह के साथ राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

(iv) निर्वाचन आयोग प्रतिभूति निक्षेप को बचाने के लिए डाले गए वैद्य मतपत्रों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या को "एक बटा छह" से बढ़ाकर "एक बटा चार" को प्रवर्तित करने के पक्ष में है।

(v) निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों द्वारा लेखाओं के अनिवार्य रूप से रखरखाव और उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अभिकरणों द्वारा उनकी संपरीक्षा कराए जाने के पक्ष में है।

(vi) निर्वाचन आयोग कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान पर पूर्ण रोक के पक्ष में नहीं है, तथापि, वह ऐसे योगदान को उचित स्तर तक और इस निमित्त पारदर्शी संव्यवहारों में सीमित करने के पक्ष में है।

(vii) निर्वाचन अयोग ने सुझाव दिया है कि उसे राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रीकरण और अरजिस्ट्रीकरण विनियमित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

(viii) निर्वाचन आयोग, ससंद की विधि द्वारा निर्वाचन प्रतीकों का आरक्षण और आबंटन विनियमित किए जाने के पक्ष में नहीं है।

(ix) निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम के पक्ष में है। उसने यह भी सुझाव दिया है कि निर्वाचम क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य उसे समनुदेशित किया जाए।

(x) निर्वाचन आयोग, इस प्रस्ताव के पक्ष में है कि निर्वाचन व्ययों की परिसीमा के प्रयोजनों के लिए किसी राजनीतिक दल द्वारा उपगत व्यय किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाए।

(xi) निर्वाचन आयोग, प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन व्ययों की परिसीमा नियत करने के लिए आयोग को सशक्त किए जाने के पक्ष में है।

(xii) निर्वाचन आयोग, वर्तमान निर्वाचन पद्धति में परिवर्तन पर राष्ट्रीय वाद विवाद प्रारंभ किए जाने के पक्ष में है ताकि इस मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त की जा सके।

(xiii) निर्वाचन आयोग, मतदान अनिवार्य बनाए जाने के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है।

(xiv) निर्वाचन आयोग, आदर्श आचार संहिता के उपबंधों को कानूनी पोषण प्रदान करने के पक्ष में नहीं है।

(xv) आयोग, संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता के मामलों को उसी रीति से निपटाए जाने के पक्ष में है जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) में उल्लिखित आधारों पर अन्य निर्वाचन निरर्हता के मामले निपटाए जाते हैं।

(xvi) निर्वाचन आयोग, किसी निर्वाचन को, रिटर्निंग आफिसर प्रेक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रत्यादिष्ट किए जाने से अन्यथा अभी उसे प्रत्यादिष्ट करने के लिए सशक्त किए जाने के पक्ष में है।

(xvii) निर्वाचन आयोग, निर्वाचनों के संचालन के संबंध में, किसी अधिकारी को अनुदेश जारी करने और अन्वेषण के किसी विषय को किसी अभिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए कतिपय सिफारिशें करने के लिए उसे सशक्त बनाए जाने के प्रस्ताव के पक्ष में है। और वह ऐसी सिफारिशों को आबद्धकर बनाए जाने के पक्ष में है।

(xviii) निर्वाचन आयोग, आयोग के एक निश्चित गठन के पक्ष में है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त हों। वह इस बात के पक्ष में भी है कि नियुक्ति की पद्धति और नियुक्ति के पश्चात् सांविधानिक संरक्षण मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए एक समान होना चाहिए।

(xix) निर्वाचन आयोग, उसके लिए एक स्वतंत्र सचिवालय के पक्ष में है।

(xx) निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आफिसर के अन्यतः निर्वाचन कार्य के लिए होने के, पक्ष में नहीं है।

ख. निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए अन्य प्रस्ताव

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 को यह उपबंध करके सशक्त बनाना कि किसी अपराध के दोषसिद्ध और छह मास या उससे अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट व्यक्ति को उस पर अधिरोपित दंड और अतिरिक्त छह वर्ष की कुल अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से विवर्जित कर दिया जाना चाहिए। उसने यह और सुझाव दिया है कि छह वर्ष या उससे

अधिक के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को, सक्षम न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् निरर्हित कर दिया जाना चाहिए।

2. निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ व्यक्तियों की बाबत अनुशासनात्मक नियम विरचित करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।

3. निर्वाचन की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आफिसरों के स्थानांतरण पर कानूनी रोक।

4. सेवा मतदाताओं के लिए परोक्षी मतदान।

5. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण आफिसर के विरुद्ध जिलों में अपील प्राधिकारी की नियुक्ति।

6. निर्वाचनों के दौरान, पुलिस इंतजाम के लिए निर्वाचन आफिसरों से परामर्श करना अनिवार्य बनाना।

7. निर्वाचनों के संबंध में मिथ्या घोषणा करना एक अपराध मानना।

8. नियम बनाने का प्राधिकार निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना।

विवरण-II

निर्वाचन संबंधी सुधारों के प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए 22 मई, 1998 को हुई राजनीतिक दलों की बैठक में किए गए विनिश्चयों का सार

1. संसदीय और सभा निर्वाचन क्षेत्रों की विद्यमान सीमा, विद्यमान सांविधानिक उपबंधों के अनुसार, तब तक बनी रहे जब तक कि नए परिसीमन न हो जाए।

2. लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन लड़ने के लिए आयु घटाकर 21 वर्ष कर दी जाए और विधान परिषदों तथा राज्य सभा के निर्वाचनों के लिए आयु घटाकर 25 वर्ष कर दी जाए।

3. दो निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने के लिए किसी अभ्यर्थी को अनुज्ञात करने की विद्यमान स्थिति बनी रहे और इस समय उसे एक निर्वाचन क्षेत्र तक निर्बंधित करने की जरूरत नहीं है।

4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(क) की बाबत यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाए।

5. प्रतिभूति निक्षेपों को बचाने के लिए डाले गए मतों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या की बाबत यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाए।

6. मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के सरकारी वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए ठोस प्रस्तावों का सुझाव देने और राजनीतिक दलों द्वारा लेखाओं के रखरखाव और उनकी संपरीक्षा से संबंधित अन्य संगत प्रस्तावों की बाबत सिफारिशें करने, राजनीतिक दलों को कंपनियों द्वारा दान पर रोक, निर्वाचन व्यय परिसीमन के प्रयोजनों के लिए अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में राजनीतिक दलों के व्यय का समावेश करने और प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व निर्वाचन व्यय की परिसीमा नियत करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाने की बाबत सिफारिशें करने के लिए संसद सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त की अध्यक्षता में समिति का गठन।

7. भारत निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता का पुनर्विलोकन करने और राजनीतिक दलों के परामर्श से उसे पुनः तैयार करने का अनुरोध किया जाए।

8. निर्वाचन आयोग से, प्रतीकों के आरक्षण और आबंटन से संबंधित उसके आदेश का, राजनीतिक दलों के परामर्श से पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया जाए।

9. मतदान अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।

प्रमुख पत्तनों का विकास

*11. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख पत्तनों के विकास हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के पत्तनों विशेषकर उड़ीसा के प्रमुख पत्तन पारादीप के विकास तथा विस्तार में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों का पत्तनवार योगदान कितना है;

(ग) उड़ीसा सहित देश के पत्तनों के विकास हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र के निवेश के संबंध में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक पत्तन में सृजित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) जी हां। 8वीं योजना के दौरान महापत्तन न्यासों ने पत्तनों के विकास पर 1758.33 करोड़ रु. की राशि खर्च की थी। 8वीं योजना के दौरान महापत्तनों के विकास के लिए कोई बड़ा निजी निवेश नहीं किया गया था। महापत्तनों के विकास पर खर्च की गई सरकारी क्षेत्र की निधियों

का पत्तनवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	पत्तन का नाम	8वीं योजना में खर्च की गई राशि (करोड़ रु.)
1.	कलकत्ता/हल्दिया	171.78
2.	पारादीप	249.73
3.	विजाग	157.36
4.	मद्रास	222.89
5.	तुतीकोरिन	89.46
6.	कोचीन	194.67
7.	नव मंगलूर	65.97
8.	मुरगांव	84.93
9.	मुम्बई	233.58
10.	कांडला	211.63
11.	जवाहरलाल नेहरू	76.33
	जोड़	1758.33

(ग) सरकार ने उड़ीसा राज्य में स्थित पारादीप पत्तन सहित सभी महापत्तनों में पत्तन सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता को आकर्षित करने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। महापत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता की नई सुविधाओं के सृजन जैसे कंटेनर टर्मिनलों के निर्माण और प्रचालन, वेयर हाउसिंग, हैंडलिंग उपस्कर, ड्राइडाकिंग और जहाज मरम्मत सुविधाओं और पत्तन की मौजूदा परिसम्पत्तियो को अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर पट्टे पर देने की अनुमति है। निजी पक्षकार का चयन प्रतियोगी बोली और निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर पत्तन को अधिकतम लाभ पर आधारित होगा। आबद्ध सुविधाओं के मामले में विकास और प्रचालन के लिए कुछ शर्तों के अध्यधीन निविदा प्रक्रिया को अपनाए बगैर अनुमति है। नीति में अयाचित/नवीकरणीय प्रस्तावों पर विचार करने की भी अनुमति है। निविदा के आधार पर महापत्तनों और कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति है।

(घ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8वीं योजना से आगे लाई गई 37 मिलियन टन क्षमता की परियोजनाओं के अतिरिक्त महापत्तनों में 122.4 मिलियन टन की और क्षमता सृजित करने की नई स्कीमें शुरू करने की परिकल्पना की गई है जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	पत्तन का नाम	अतिरिक्त क्षमता (मिलियन टन)
1	2	3
1.	हल्दिया	7.5
2.	पारादीप	4.0
3.	विजाग	0.5
4.	मद्रास	9.5
5.	तुतीकोरिन	3.1
6.	कोचीन	4.5
7.	नव मंगलूर	13.0
8.	मुरगांव	18.0
9.	मुम्बई	11.0
10.	कांडला	36.0
11.	जवाहरलाल नेहरू	15.3
	जोड़	122.4

जड़ी-बूटियों पर प्रतिबंध

*12. **श्री नृपेन गोस्वामी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेदिक डाक्टरों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कुछ जड़ी-बूटियों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस तरह के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप आयुर्वेदिक दवाओं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या आयुर्वेदिक औषधि निर्माता एसोसिएशन द्वारा इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक डाक्टरों द्वारा मूल रूप से वनों में पाए जाने वाले "साउसुरेया कॉस्ट्स" के अलावा औषधीय पौधों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले में बड़े पैमाने पर इस प्रजाति की खेती की जा रही है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शिपयार्ड

*13. **श्री रवि सीताराम नायक :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्ष तक सुविचारित शर्तों के आधार

पर हमारी पोत आवश्यकता का दस प्रतिशत हमारे शिपयार्डों को आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) हमारे देश के शिपयार्डों को विदेशी शिपयार्डों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) पोतों की 10 प्रतिशत आवश्यकता, भारतीय शिपयार्डों को आबंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है यद्यपि विद्यमान समरूप अनुबंध के तहत भारतीय नौवहन कंपनियों के लिए विदेश से खरीदे गए प्रत्येक तीन जलयानों पर एक जलयान के लिए भारतीय शिपयार्डों को आर्डर देना अपेक्षित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के कारण इस अनुबंध को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है।

विदेशी शिपयार्डों के मुकाबले में सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय शिपयार्डों को प्रतियोगी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(i) घरेलू और स्वदेशी दोनों आर्डरों के लिए विदेशगामी जलयानों के मामले में किसी विदेशी यार्ड द्वारा उद्धृत न्यूनतम अंतराष्ट्रीय मूल्य पर 30 प्रतिशत तक जहाज निर्माण सब्सिडी का प्रावधान,

(ii) भारतीय नौवहन कंपनियों को पोत खरीद हेतु विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से निधियां जुटाने की अनुमति प्रदान करना,

(iii) विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभाव से शिपयार्डों की सुरक्षा के लिए अमरीकी डालर/जापानी येन में जलयानों का मूल्य निर्धारण, और

(iv) भारतीय शिपयार्डों द्वारा जलयानों के निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों और सामग्री का शुल्क मुक्त आयात।

प्रौढ़ शिक्षा योजना की समीक्षा

*14. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 20 जुलाई, 1998 के तारांकित प्र.सं.477 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए इस बीच किसी समिति का गठन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सांस्कृतिक नीति

*15. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटील :**

डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक नीति की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) ललित कला अकादेमी, राष्ट्रीय कला दीर्घा और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परषिद जैसे सांस्कृतिक संस्थानों का पुनर्गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। ललित कला अकादेमी को सरकार द्वारा ललित कला अकादेमी (प्रबंधन अधिग्रहण) अधिनियम, 1997 के तहत अधिकार में लिया गया था। सरकार द्वारा ललित कला अकादेमी के संगम-ज्ञापन में उपयुक्त संशोधन करने तथा ललित कला अकादेमी के प्रबंधन को विधिवत गठित शासी निकाय को पुनः सौंपने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान राशि का उपयोग

*16. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार और विश्वविद्यालयवार कितना केन्द्रीय अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) राज्यवार और विश्वविद्यालयवार वास्तव में कितनी राशि जारी की गई और उपयोग की गई;

(ग) क्या वर्ष 1997-98 के दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का उपयोग नहीं कर सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा की जाती है और उनके रख-रखाव तथा विकास का खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य के विधान मण्डलों के अधिनियमों द्वारा की जाती है और उनके रख-रखाव तथा विकास का खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता के केवल एक भाग तक ही विकास अनुदान प्रदान करता है। विकास अनुदान का आबंटन वर्ष दर वर्ष करने की बजाय समूची योजना अवधि के लिए किया जाता है। किन्तु ऐसे अनुदानों को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का कार्यान्वयन होने और व्यय की गई राशि की प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण-पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर वार्षिक आधार पर रिलीज किया जाता है। नौवीं योजना के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को नियत अनुदानों तथा 1997-98 के दौरान रिलीज किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। योजनागत निधियों के उपयोग तथा निधियों के उपयोग न करने के कारणों संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

नौवीं योजना विकास योजनाओं के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा मांगी गई राशि, किया गया आबंटन तथा 1997-98 के दौरान मुक्त अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

राज्य	क्र. सं.	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय द्वारा मांगी गई राशि	नौवीं योजना के लिए वि.अ.आ. द्वारा अनुमोदित राशि	1997-98 में मुक्त राशि
1	2	3	4	5	
आन्ध्र प्रदेश	1.	आंध्र विश्वविद्यालय	1395.39	260.00	52.00
	2.	केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद (स.वि.)	6549.00	325.00	65.00
	3.	हैदराबाद विश्वविद्यालय (के.वि.)	3595.30	1400.00	280.00
	4.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	770.00	221.00	44.20
	5.	मौ.आ.रा. उर्दू विश्वविद्यालय (के.वि.)	525.38*	2500.00	100.00
	6.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	257.00	247.00	49.40
	7.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	410.00	270.00	54.00
	8.	पी.एस. तेलुगु विश्वविद्यालय	220.62	162.50	32.50
	9.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति (स.वि.)	1882.00	100.00	20.00
	10.	एस.के.डी. विश्वविद्यालय	234.00	234.00	46.80
	11.	एस.पी.एम.वी. विश्वविद्यालय	1645.12	225.00	45.00
	12.	श्री सत्य इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, पारस नार्थ विलयम (स.वि.)	320.00	200.00	40.00
	13.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	843.75	255.00	51.00
अरूणाचल प्रदेश	1.	अरूणाचल विश्वविद्यालय	712.50	220.00	44.00

* (उर्दू) नया विश्वविद्यालय-केवल 1998-99 के लिए मांग

1	2	3	4	5	
असम	1.	असम विश्वविद्यालय (स.वि.)	15236.66	1600.00	320.00
	2.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	4916.27	273.00	54.60
	3.	गौहाटी विश्वविद्यालय	1649.00 + स्टाफ	270.00	54.00
	4.	तेजपुर विश्वविद्यालय (के.वि.)	13985.45	1800.00	360.00
बिहार	1.	बिहार विश्वविद्यालय	लागू नहीं	234.00	46.80
	2.	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय	लागू नहीं	142.00	28.40
	3.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय	214.75	212.00	42.40
	4.	मगध विश्वविद्यालय	668.00	208.00	41.60
	5.	पटना विश्वविद्यालय	591.00	270.00	54.00
	6.	रांची विश्वविद्यालय	लागू नहीं	247.00	49.40
	7.	टी.एन.भागलपुर विश्वविद्यालय	279.53	210.00	42.00
दिल्ली	1.	दिल्ली विश्वविद्यालय (के.वि.)	2800.48	1700.00	340.00
	1क.	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ मेडिकल साइन्स (दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन)	768.29	517.00	103.40
	2.	जामिया मिलिया इस्लामिया (के.वि.)	1881.19	1400.00	280.00
	3.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	6169.00	1700.00	340.00
	4.	जामिया हमदर्द (स.वि.)	717.50	350.00	70.00
	5.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (स.वि.)	892.36	125.00	25.00
गुजरात	1.	भावनगर विश्वविद्यालय	620.30	225.00	45.00
	2.	गुजरात विश्वविद्यालय	286.00	286.00	57.20
	3.	गुजरात विद्यापीठ (स.वि.)	988.00	300.00	60.00
	4.	एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा	280.00	280.00	56.00
	5.	पूर्वी गुजरात विश्वविद्यालय	137.00	137.00	27.40
	6.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	436.00	221.00	44.20
	7.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	260.00	260.00	52.00
	8.	दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय	338.00	286.00	57.20
गोवा	1.	गोवा विश्वविद्यालय	1175.00	187.00	37.40
हरियाणा	1.	गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार	253.00	137.00	27.40
	2.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	450.00	290.00	58.00
	3.	एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक	300.00	286.00	57.20
हिमाचल प्रदेश	1.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	1987.00	260.00	52.00
जम्मू और कश्मीर	1.	जम्मू विश्वविद्यालय	4118.00	273.00	54.60
	2.	कश्मीर विश्वविद्यालय	447.00	270.00	54.00

1	2	3	4	5	
कर्नाटक	1.	बंगलूर विश्वविद्यालय	1283.40	270.00	54.00
	2.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	221.00	221.00	44.20
	3.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	300.00	270.00	54.00
	4.	मंगलूर विश्वविद्यालय	5385.35	260.00	52.00
	5.	मैसूर विश्वविद्यालय	3623.35	285.00	57.00
	6.	नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी	150.00	150.00	30.00
	7.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय	484.75	187.50	37.50
केरल	1.	कालीकट विश्वविद्यालय	998.00	247.00	49.40
	2.	कोचीन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1296.00	272.00	54.40
	3.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	681.00	234.00	46.80
	4.	केरल विश्वविद्यालय	964.00	270.00	54.00
मध्य प्रदेश	1.	अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय	138.00	212.00	42.40
	2.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय	197.00	250.00	50.00
	3.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	70.00	212.00	42.40
	4.	डा. एच एस गौड विश्वविद्यालय	163.00	270.00	54.00
	5.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	157.00	205.00	41.00
	6.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	96.00	150.00	30.00
	7.	जीवाजी विश्वविद्यालय	153.00	210.00	42.00
	8.	महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय	137.00	137.00	27.40
	9.	पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	151.00	212.00	42.40
	10.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	211.00	273.00	54.60
	11.	विक्रम विश्वविद्यालय	201.00	273.00	54.60
मेघालय	1.	उत्तर - पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, (शिलांग)	5062.88	1700.00	340.00
महाराष्ट्र	1.	अमरावती विश्वविद्यालय	757.27	221.00	44.20
	2.	डक्कन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे (डी.यू.)	202.00	150.00	30.00
	3.	डा. बी.ए. मराठवाडा विश्वविद्यालय	231.95	236.00	47.20
	4.	गोखले राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे (डी.यू.)	384.50	200.00	40.00
	5.	*एम एस अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय (सी.यू.)	129.00*	2500.00	29.00
	6.	मुम्बई विश्वविद्यालय	300.00	300.00	60.00
	7.	नागपुर विश्वविद्यालय	475.00	234.00	46.80

* (हिन्दी विश्वविद्यालय) नया विश्वविद्यालय - केवल वर्ष 1998-99 के लिए मांग

1	2	3	4	5	
	8.	उत्तरांचल महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	187.50	187.50	37.50
	9.	पुणे विश्वविद्यालय	275.00	275.00	55.00
	10.	शिवाजी विश्वविद्यालय	260.00	260.00	52.00
	11.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	635.00	270.00	54.00
	12.	स्वामी रामानन्द तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय	150.00	150.00	
	13.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई (डी.यू.)	2726.00	425.00	85.00
	14.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे (डी.यू.)	706.67	155.00	31.00
मणिपुर	1.	मणिपुर विश्वविद्यालय	710.00	273.00	54.60
नागालैंड	1.	नागालैंड विश्वविद्यालय (सी.यू.)	7500.00	1600.00	320.00
उड़ीसा	1.	बरहामपुर विश्वविद्यालय	3011.50	260.00	52.00
	2.	सम्बलपुर विश्वविद्यालय	1972.00	286.00	57.20
	3.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	162.00	162.00	32.40
	4.	उत्कल विश्वविद्यालय	3698.25 + कर्मचारी	270.00	54.00
पंजाब	1.	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	2220.00 + कर्मचारी	286.00	57.20
	2.	पंजाब विश्वविद्यालय	7719.00 + कर्मचारी	270.00	54.00
	3.	पंजाबी विश्वविद्यालय	210.00 + कर्मचारी + वैन	247.00	49.00
पांडिचेरी	1.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय (सी.यू.)	5377.00	1500.00	300.00
राजस्थान	1.	बनस्थली विद्यापीठ (डी.यू.)	957.57	300.00	60.00
	2.	जैन विश्वभारती संस्थान लादनुन (डी.यू.)	211.00	100.00	20.00
	3.	जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय	8663.00 + कर्मचारी	234.00	46.80
	4.	एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	4879.00 + कर्मचारी	187.00	37.40
	5.	एम.एल. सुखाडिया विश्वविद्यालय	293.00	208.00	41.60
	6.	राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर (डी.यू.)	546.12	200.00	40.00
	7.	राजस्थान विश्वविद्यालय	1314.00 + कर्मचारी	280.00	56.00
तमिलनाडु	1.	अन्ना विश्वविद्यालय	225.00	225.00	45.00
	2.	अन्नामलाई विश्वविद्यालय	300.00	264.00	52.80

* पिछले अनुदान के लेखों का निपटान नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	
	3.	अलगप्पा विश्वविद्यालय	212.00	212.00	42.40
	4.	अविनाशीलिंगम गृह विज्ञान और उच्चतर शिक्षा महिला संस्थान, कोयम्बतूर (डी.यू.)	3006.56	250.00	50.00
	5.	भारतीयार विश्वविद्यालय	300.00	234.00	46.80
	6.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	350.00	221.00	44.20
	7.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (डी.यू.)	2087.85	325.00	65.00
	8.	मद्रास विश्वविद्यालय	300.00	300.00	60.00
	9.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय	540.00	260.00	52.00
	10.	मदरटेरेसा महिला विश्वविद्यालय	200.00	162.50	32.50
	11.	मनोमन्नियम सुन्दरानार विश्वविद्यालय	565.00	187.00	37.40
	12.	श्री चन्द्रशेखर सरस्वती विश्वविद्यालय (डी.यू.)	166.50	150.00	30.00
	13.	तमिल विश्वविद्यालय	240.00	150.00	30.00
त्रिपुरा	1.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	2921.00	270.00	52.00
उत्तर प्रदेश	1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (सी.यू.)	8685.41	1400.00	280.00
	1क.	जे.एन. मेडिकल कालेज (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अन्तर्गत)	696.00	696.00	139.20
	2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	987.50	270.00	*
	3.	अवध विश्वविद्यालय	987.50		
	4.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	21000.00	1500.00	300.00
	4क.	आयुर्विज्ञान संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधीन)	800.00	690.00	138.00
	5.	बी.बी. अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	21054.00	1800.00	360.00
	6.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान सारनाथ (सम विश्वविद्यालय)	1180.00	100.00	20.00
	7.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	394.15	299.00	*
	8.	बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	2289.19	208.00	41.60
	9.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय	363.00	236.00	47.20
	10.	दयालबाग शैक्षिक संस्थान, आगरा (सम विश्वविद्यालय)	275.00	275.00	55.00
	11.	गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार (सम विश्वविद्यालय)	1473.75	200.00	40.00
	12.	एच.एन. बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय	8186.94	260.00	52.00
	13.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	350.00	247.00	49.40

* पिछले अनुदान के लेखों का निपटान नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	
	14.	लखनऊ विश्वविद्यालय	923.00	290.00	58.00
	15.	एम.जी. काशी विद्यापीठ	407.00	170.00	34.00
	16.	रूहेलखंड विश्वविद्यालय	338.00	187.00	37.40
	17.	रुड़की विश्वविद्यालय	1006.00	240.00	48.00
	18.	संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	209.00	140.00	28.00
	19.	श्री साहू जय महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	666.00	137.00	27.40
पश्चिम बंगाल	1.	वर्दवान विश्वविद्यालय	262.00	262.00	52.40
	2.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	413.00	300.00	60.00
	3.	जादवपुर विश्वविद्यालय	6628.35	205.50	41.10
	4.	कल्याणी विश्वविद्यालय	553.55	234.00	46.80
	5.	उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय	1439.00	260.00	52.00
	6.	रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय	205.00	262.00	52.40
	7.	विश्व भारती विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)	3500.00	1300.00	260.00
कुल	140	विश्वविद्यालय	258089.95	56339.50	10250.70

सी.यू. - केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कुल 15)
डी.यू. - सम विश्वविद्यालय (कुल 19)
एस.यू. - राज्य विश्वविद्यालय (कुल 106)

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*17. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री वी॰वी॰ राघवन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हाल में आयोजित किया गया शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन विवादों में घिर गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए;

(घ) उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने उक्त सम्मेलन का बहिष्कार किया था;

(च) यदि हां, तो बहिष्कार के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) सम्मेलन से पहले राज्यों को भेजे गए प्रस्तावों, सुझावों और अनुबंधों सहित कार्यसूची की मदों का ब्यौरा क्या है; और

(झ) उन पर उठाई गई आपत्ति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (झ) दिल्ली में 22 और 23 अक्टूबर, 1998 को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में सूचीबद्ध शिक्षा से जुड़े विषयों अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के प्रारंभिक चरण के रूप में प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, निरक्षरता उन्मूलन, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की शैक्षिक तरक्की, खेल-कूद के विकास के लिए युवा शक्ति का सदुपयोग, क्रीड़ा स्कूलों की स्थापना, देशी खेलकूद, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार पर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विचार-विमर्श शुरू करने पर सम्मेलन में मुख्य रूप से बल दिया गया। विवरणों में से एक में शैक्षिक सुधार, प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, पाठ्यचर्या सुधार, शिक्षक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा का प्रबंध और प्रशासन तथा कतिपय संवैधानिक प्रावधान और उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त

स्वायत्त राष्ट्रीय मिशन की स्थापना पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशें शामिल हैं।

सम्मेलन में लिए गए निर्णय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन्हें लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

सरस्वती वंदना, एजेंडा में एक विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को शामिल किए जाने तथा बैठक को संबोधित करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन – "फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसायटी" के अध्यक्ष को आमंत्रित करने के मुद्दे पर कुछ मंत्रियों ने उद्घाटन सत्र के दौरान बहिर्गमन किया। विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को चर्चा के लिए निर्धारित एजेंडा मदों से हटा लिया गया। गैर-सरकारी संगठन के अध्यक्ष को दिया गया आमंत्रण भी वापस ले लिया गया।

विवरण

1. इस बात पर आम सहमति थी कि सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एक अनिवार्य कदम के रूप में मिशन स्वरूप में लेना पड़ेगा। शिक्षा की सुलभता, सभी बच्चों का विद्यालयों में बने रहने एवं गुणात्मक पहलू इसके मुख्य घटक होंगे। इसे समुदायों की सहभागिता से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच पूर्ण सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन की रूपरेखा एवं ढांचा तैयार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति, जिसमें असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री सदस्य के रूप में होंगे, का गठन किया गया है।

2. यह संकल्प व्यक्त किया गया कि शिक्षा के लिए जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है वह इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तथा यह स्वीकार किया गया कि सरकारी एवं निजी दोनों ही स्रोतों से और अधिक साधन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास के रूप में शिक्षा के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। शिक्षा के सभी क्षेत्रकों – प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को इसमें शामिल करने की जरूरत है।

3. इस बात पर सहमति हुई कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सूचना के इस युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी को, जनशक्ति प्रशिक्षण तथा उपयुक्त हार्डवेयर व साफ्टवेयर की आपूर्ति, दोनों ही दृष्टियों से शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप में सम्मिलित करना होगा। यह शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल एजेंडा का अंग होगा।

4. इस बात पर सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि शिक्षा प्रणाली सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति और अधिक जवाबदेह हो। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यावसायीकरण पर और अधिक बल देने की जरूरत है।

5. खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की अपेक्षाकृत अधिक पहुंच, इसकी लागत के अनुपात में दीर्घकालिक प्रभावकारिता को देखते हुए यह संकल्प व्यक्त किया गया कि इन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़कर और सुदृढ़ किया जाएगा। सामाजिक रूप से लाभवंचित वर्गों तक पहुंच में खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया गया है।

6. शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में पहले से ही सम्मिलित लड़कियों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने का स्वागत किया गया। इस संदर्भ में यह कहा गया कि इस कार्य के लिए केन्द्रीय बजट में कुछ धनराशि पहले से ही उपलब्ध कराई गई है। तथापि इस बात पर और अधिक चर्चा तथा विचार-विमर्श की जरूरत है कि "निःशुल्क शिक्षा" की परिधि में क्या-क्या शामिल हो तथा यह किस स्तर तक प्रदान की जाए। संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से इस पर केन्द्रीय शिक्षा सचिव के साथ राज्यों के शिक्षा सचिवों द्वारा और चर्चा की जाएगी।

7. संकल्प व्यक्त किया गया कि शिक्षा नीति में सामान्यतया लाभवंचित वर्गों तथा खासतौर पर अ.जा./अ.ज. जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों पर बल दिया जाना चाहिए।

8. यह माना गया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर पठन-पाठन तथा पाठ्येतर कार्यकलापों के जरिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

9. यह भी नोट किया गया कि सभी शैक्षिणिक प्रयासों के लिए आधार तैयार करने हेतु देश में साक्षरता के स्तर को काफी ऊंचा उठाने की जरूरत है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा राज्य साक्षरता मिशनों को पूरे जोश व उत्साह के साथ काम करना होगा ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

[अनुवाद]

भद्रावती विद्युत परियोजना को प्रति गारंटी

***18. श्री नरेश पुगलीया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में इस्पात ग्रुप की भद्रावती विद्युत परियोजना को प्रति गारंटी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य मंत्रालयों द्वारा भी परियोजना को स्वीकृति दे दी गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो किस आधार पर परियोजना को प्रति गारंटी दी गई थी;

(घ) क्या प्रति गारंटी पाने के लिए कुछ और निजी विद्युत परियोजनाएं राज्य तथा केन्द्र स्तर पर सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) 1082 मे.वा. की भद्रावती विद्युत परियोजना द्वारा अधिकांश आवश्यक स्वीकृतियां/निवेश सुनिश्चित कर लिए गए हैं। प्रमुख लम्बित निवेशों में कैप्टिव कोयला खनन से संबंधित मुद्दों का समाधान तथा वित्तीय समापन करना शामिल है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने 1994 में आठ विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी जारी किए जाने को अनुमति प्रदान कर दी है। इनमें से, मैसर्स मंगलौर विद्युत कंपनी की 1000 मे.वा. की मंगलौर विद्युत परियोजना को प्रति गारंटी जारी नहीं की गई है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इस परियोजना को प्रति गारंटी जारी किए जाने हेतु और कदम तभी उठाए जायेंगे जब सार्वजनिक हित याचिका संख्या 10696/97 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कर्नाटक सरकार द्वारा दायर एसएलपी पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध होगा। इसके अलावा, उड़ीसा में मै. एईएस ट्रांसपावर की इब घाटी विद्युत परियोजना को प्रति गारंटी दिए जाने पर, जिसके लिए पहले प्रति गारंटी जारी की गई थी, नये सिरे से विचार करना होगा क्योंकि परियोजना मानदंडों में परिवर्तन किए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

*19. **श्री दिन्शा पटेल :**

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले 10 वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र में निवेश की आवश्यकताओं का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में विद्युत क्षेत्र में 2000 करोड़ रु. मूल्य के डालर का विदेशी निवेश किए जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन परियोजनाओं में उक्त निवेश किए जाने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत संबंधी कार्यदल ने वर्ष 1997–2002 की नौवीं योजनावधि के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन कर लिया है। केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के लिए कुल आवश्यकता 264167 करोड़ रुपये आंकी गई है। ब्यौर निम्नवत हैं :-

(करोड़ रुपये में)

(i) विद्युत उत्पादन (न्यूक्लीय परियोजना समेत) – केवल सार्वजनिक क्षेत्र	117205
(ii) पारेषण एवं वितरण	113970
(iii) नवीकरण एवं आधुनिकीरण	10045
(iv) ग्रामीण विद्युतीकरण	20400
(v) अन्य	2547
जोड़	264167

यह मूल्यांकन किया गया है कि निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 86845 करोड़ रुपये अपेक्षित होंगे।

(ग) से (ङ) 31.10.98 की स्थितिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने 47 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान करते समय अंतरिम वित्तीय पैकेज के अनुसार के.वि.प्रा. की स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी इक्विटी और विदेशी ऋण की धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृति प्रदत्त निजी क्षेत्र की स्कीमों के लिए विदेशी निवेशों का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	पूंजीगत लागत (करोड़ रुपये में)	विदेशी इक्विटी	विदेशी ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	बासपा एचईपी चरण–II	300	949.23	–	–
2.	मलाना एचईपी	86	341.911	–	–

1	2	3	4	5	6
3.	विष्णु प्रयाग एचईपी	400	यू.एस. डालर 107.35 एम + रुपये 1233.57 करोड़	–	यू.एस. डालर 122.89 मिलियन
4.	महेश्वर एचईपी	400	यू.एस. डालर 213.24 एम + रुपये 812.09 करोड़	यू.एस. डालर 107.90 मिलियन	यू.एस. डालर 254 मिलियन
5.	रोजा टीपीपी (चरण-I)	567.0	यू.एस. डालर 280.7267 एम + रुपये 1435.53 करोड़	(यू.एस. डालर) एम 53.4376	(यू.एस. डालर) एम 261.354
6.	धौलपुर सीसीजीटी	702.7	यू.एस. डालर 364.29 एम + रुपये 855.133 करोड़	105.42	313.49
7.	बरसिंगसर लिग्नाइट टीपीपी	500	यू.एस. डालर 322.716 एम + रुपये 1090.08 करोड़	114.36	343.08
8.	पगुथन सीसीजीटी	654.7	2298.14	–	–
9.	हजीरा सीसीजीटी	515	यू.एस. डालर 284.35 एम + रुपये 770.87 करोड़	–	–
10.	बड़ौदा सीसीजीटी	167	368.22		–
11.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी	250	यू.एस. डालर 44.538 एम +डीएम 4.92 एम + रुपये 999.99 करोड़	19.05	42.81
12.	डाभोल सीसीजीटी	2015	9051.27	738	1321
13.	भद्रावती टीपीएस	1072	5187	रुपये 611 करोड़	2884.80 करोड़
14.	पातालगंगा सीसीजीटी	447	यू.एस. डालर 319.02 एम + रुपये 246.66 करोड़	50.75	268.27
15.	कोरबा (पूर्वी) टीपीएस	2×535	यू.एस. डालर 863.95 एम + रुपये 1623.04 करोड़	396.36	653.84
16.	बीना टीपीएस	2×289	यू.एस. डालर 175.412 एम + रुपये 1820.627 करोड़	83.685	175.854
17.	नरसिंहपुर सीसीपीपी	166	यू.एस. डालर 77.74 एम रुपये 253.697 करोड़	41.75	44.894

1	2	3	4	5	6
18.	कोरबा (पश्चिमी) टीपीपी	2×210	यू.एस. डालर 164.643 एम + डीईएम 169.73 एम + रुपये 834.351 करोड़	149.324	यू.एस. डालर 112.473 एम + डी एम 147.838 एम
19.	पेंच टीपीएस	2×250	यू.एस. डालर 284.908 एम + रुपये 1172.155 करोड़	184.528	311.188
20.	गुना सीसीजीटी	330	यू.एस. डालर 152.37 एम + रुपये 484.86 करोड़	78.02	147.75
21.	भिलाई टीपीपी	2×287	यू.एस. डालर 419.699 एम + रुपये 999.781 करोड़	76.10	348.9
22.	रायगढ़ टीपीपी	2×275	यू.एस. डालर 85.17 एम + डीईएम 240.676 एम करोड़	150.831	76.95 + डीएम 495.29 एम
23.	भाण्डेर सीसीजीटी	342	यू.एस. डालर 197.622 एम + रुपये 346.514 करोड़	79.85	207.012
24.	पीठमपुर डीजीपीपी	119.7	यू.एस. डालर 68.729 एम + रुपये 174.053 करोड़	25.165	56.679
25.	रतलाम डीजीपीपी	118.63	यू.एस. डालर 73.88 एम + रुपये 163.162 करोड़	34.72	62.5
26.	खण्डवा नैपथा सीसीजीटी	171.17	यू.एस. डालर 76.0345 एम + रुपये 250.3315 करोड़	40.986 एम	86.462
27.	जेगरूपाडु सीसीजीटी	216	रु. 827.00 करोड़	रु. 52.00 करोड़	रु. 306 करोड़
28.	विप्पीन सीसीजीटी	679.2	यू.एस. डालर 6.9 एम + 439.84 एम + रुपये 771.475 करोड़	एम.एफ.आर. 209.1 एम	एस एफ आर 409.5 एम
29.	उत्तरी मद्रास टीपीएस	525	यू.एस. डालर 98.813 एम + जीबीपी 122.927 एम + एसएफआर	यू.एस. डालर 189.875 एम	यू.एस. डालर 141.324 एम + जीबीपी 117.0 एम

1	2	3	4	5	6
			458.023 + यू.एस. डालर 49.102 एम + रु. 736.56 करोड़		एफ एफआर 430 227 एम
30.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीपी	520	यू.एस. डालर 355.131 एम + रुपये 960.614 करोड़	यू.एस. डालर 205.442 एम	यू.एस. डालर 359.523 एम
31.	पिल्लई पेरूमल-नैल्लूर-सीसीजीटी	330.5	यू.एस. डालर 206.549 एम + रुपये 429.80 करोड़	यू.एस. डालर 73.4519 एम	यू.एस. डालर 98.464 एम
32.	मंगलौर टीपीएस	1000	यू.एस. डालर 751.574 एम + रु. 1580.89 करोड़	यू.एस. डालर 329.367 एम	यू.एस. डालर 658.725 एम
33.	समयानल्लूर डीजीपीपी	106	यू.एस. डालर 59.840 + रुपये 150.845 करोड़	यू.एस. डालर 17.73 एम	यू.एस. डालर 29.55 एम
34.	समलपट्टी डीजीपीपी	106	यू.एस. डालर 612.222 + रुपये 153.098 करोड़	यू.एस. डालर 22.3062 एम	यू.एस. डालर 30.1435 एम
35.	फोंडापल्ली सीसीपीपी	350	यू.एस. डालर 180.616 एम + रु. 385.25 करोड़	यू.एस. डालर 78.74 एम	यू.एस. डालर 122.07 एम
36.	तूतीकोरिन टीपीएस चरण-IV	525	यू.एस. डालर 321.779 एम + डीईएम 145.893 एम + रु. 875.389 करोड़	यू.एस. डालर 145.4 एम	यू.एस. डालर 240.9 एम + डीईएम 168.3 एम
37.	रामागुडमटीपीपी	520	यू.एस. डालर 369.30 एम + रु. 1073.56 करोड़	यू.एस. डालर 134.34 एम	यू.एस. डालर 403.03 एम
38.	विशाखापट्टनम टीपीएस	1040	यू.एस. डालर 943.75 एम + रु. 1324.993 करोड़	यू.एस. डालर 354.35 एम	यू.एस. डालर 818.75 एम
39.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी	200	यू.एस. डालर 125.82 एम + रु. 328.90 करोड़	यू.एस. डालर 60.12 एम	यू.एस. डालर 66.79 एम

1	2	3	4	5	6
40.	उत्तरी मद्रास	1050	यू.एस. डालर 585.96 एम + रु. 2402.24	रु. 292.20 करोड़	रु. 1362.56 करोड़
41.	तोरोंग्लू टीपीएस	260	यू.एस. डालर 106.87 एम + रु. 725.16 करोड़	यू.एस. डालर 47.9 एम	यू.एस. डालर 94.9 एम
42.	गोदावरी सीसीजीटी	208	रु. 748.43 करोड़	रु. 10451 करोड़	रु. 477.00 करोड़
43.	नैवेली टीपीएस	250	यू.एस. डालर 261.59 एम + रु. 501.10 करोड़	यू.एस. डालर 114.28 एम	यू.एस. डालर 211.92 एम
44.	इब वैली टीपीएस	2×210	यू.एस. डालर 362.67 एम + रु. 851.22 करोड़	यू.एस. डालर 155 एम	यू.एस. डालर 351.48 एम
45.	जोजोबेरा टीपीएस	2×120	रु. 1025.19 करोड़	शून्य	शून्य
46.	बालागढ़	2×250	यू.एस. डालर 227.96 एम + रु. 1517.02 करोड़	यू.एस. डालर 91.0 एम	यू.एस. डालर 360.4 एम
47.	ब्रकेश्वर टीपीपी	2×210	यू.एस. डालर 23.4 एम + जे. येन 20544.27 एम + रु. 925.157 करोड़	यू.एस. डालर 96.75 एम	यू.एस. डालर 73 एम जे. येन 16190.50 एम

विद्युत संयंत्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति

***20. श्री फ्रांसिस्को सारदीना :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ताप विद्युत संयंत्रों के प्रबंधन ने सरकार का ध्यान घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति की ओर दिलाया है और जिससे बेहतर किस्म के कोयले के मुकाबले अधिक राख निकलती है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत संयंत्रों में प्रति टन बेहतर किस्म के कोयले से कितनी राख निकलती है;

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों को बेहतर किस्म के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; आर

(घ) विभिन्न विद्युत संयंत्रों में कुल कितने क्षेत्रफल में राख डाली जाती है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बची हुई राख पर कोयले की गुणवत्ता के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों को आपूर्ति किए गए कोयले की श्रेणी का निर्धारण राख के अंश तथा उष्मा दर पर निर्भर करता है। सामान्यतः विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों पर प्राप्त किया जाने वाला कोयला (ई) से (जी) कोटि का होता है जिसमें राख का प्रतिशत 30 से 55 होता है जो उड़न राख तथा तलहटी के बचे हुए राख के रूप में रह जाता है।

(ग) कोल-वाशरीज की स्थापना करने तथा बेहतर खनन पद्धतियों को अपनाए जाने के अलावा ताप विद्युत केन्द्रों की आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :-

(i) फीडर ब्रेकर तथा कोयला हैंडलिंग संयंत्रों की अधिष्ठापना के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन।

(ii) कोयले की ढुलाई के समय पत्थरों को अलग करना।

(iii) स्लेटी-पत्थर तथा पत्थरों के टुकड़ों को हाथ से चुनने के लिए कोयला हैंडलिंग संयंत्रों में धीरे चलने वाली पीकिंग बेल्टों का प्रावधान करना।

(iv) ढुलाई के समय बेहतर पर्यवेक्षण करना ताकि कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके तथा रेलवे साइडिंग पर कार्य कर रहे कार्मिकों, पर्यवेक्षकों तथा कार्य-पालकों के मध्य गुणवत्ता संबंधी जागरूकता उत्पन्न करना।

(v) उपभोक्ताओं को ढुलाई के स्थानों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना जिससे कोयला आपूर्तियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

(vi) किसी तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा लदाई और उतराई दोनों तरफ कोयले का नमूना लेना एवं विश्लेषण।

(vii) कोयले की गुणवत्ता और अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति हेतु आवश्यक बोनस/दंड खंडों का निगमन करते हुए कोयला कंपनियों के साथ दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षरार्थ विद्युत यूटिलिटियों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

(viii) दिनांक 1 जून, 2001 को और उसके बाद से उन कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा 34 प्रतिशत तक राख तत्व सीमित करते हुए अच्छी गुणवत्ता के कोयले का प्रयोग अनिवार्य करना जो (क) गड्ढे के शीर्ष से 1000 कि.मी. दूरी पर हो, और (ख) शहरी क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र अथवा गंभीर क्षेत्र से प्रदूषित क्षेत्र में हो चाहे गड्ढे के शीर्ष से दूरी कितनी भी हो, केवल गड्ढे के शीर्ष वाले विद्युत संयंत्र को छोड़ते हुए इस आशय की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।

(ix) भारतीय कोयले के साथ मिश्रण हेतु पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के विद्युत केन्द्रों (टीएनईबी, एमएसईबी, जीईबी इत्यादि) द्वारा कोयले का आयात ताकि विद्युत संयंत्रों के पोषण हेतु कोयले की व्यापक गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

(घ) कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पादित राख इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित राख तालाबों में संचित की जाती है। इन तालाबों को लगभग 25 वर्ष की संयंत्र अवधि के लिए अनुमानतः 0.8 से 1.0 एकड़ भूमि प्रति मे.वा. की आवश्यकता होती है।

निजी कम्पनियों को दी गई छोटी सड़क परियोजनाएं

1. **श्री एस॰एस॰ ओवेसी :**

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **जल–भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपमार्ग (बाई–पास) और सड़क ऊपरि पुलों के निर्माण हेतु कितनी छोटी परियोजनाएं निजी कम्पनियों को आबंटित की गई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास इस समय में निजी कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) निजी कम्पनियों को ये परियोजनाएं दिए जाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान बी ओ टी (निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण) के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने के लिए महाराष्ट्र में 333 करोड़ रु. लागत के 7 कार्यों और आंध्र प्रदेश में 123 करोड़ रु. की लागत के 2 कार्यों का अनुमोदन किया गया था।

(ग) अन्य राज्यों के संबंध में 3 बी ओ टी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) पहले चरण में निजी कंपनियों की वित्तीय सक्षमता और उसी प्रकार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभव के आधार पर चयन किया जाता है, दूसरे चरण में चयन की गई निजी कंपनियों द्वारा प्रतियोगी बोली में प्रस्तुत न्यूनतम रियायत अवधि के मानदंड को अपनाते हुए परियोजना को सौंपा जाता है।

महिलाओं के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना

2. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :**

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) इस योजना अवधि के दौरान महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) प्रत्येक राज्य में सिर्फ महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास नहीं है।

(घ) अभिशासन के राष्ट्रीय एजेन्डा में परिकल्पना की गई है कि लड़कियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कालेज स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। राज्य सरकारों के साथ परामर्श से इस संबंध में विस्तृत विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

एशियाई खेलों में भाग न लेने की धमकी

3. **श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अक्तूबर, 1998 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "जसपाल थ्रेट्स टू स्टे अवे फ्रॉम एशियन गेम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) इसमें उल्लेख किए गए मामले के क्या तथ्य हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। 24 अक्तूबर, 1998 के हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली में "जसपाल ने एशियाई खेलों का बहिष्कार करने की धमकी दी है" शीर्षक के अंतर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

यह समाचार सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज जसपाल राणा के बारे में है जिन्होंने 6 दिसंबर से बैंकाक में होने वाले एशियाई खेलों का बहिष्कार करने की धमकी दी है, यदि उन्हें दो रिवाल्वरों का आयात लाइसेंस नहीं दिया गया जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इसका प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं के साथ कोई संबंध नहीं है। यह बताया गया है कि श्री राणा सरकार की न्यायसंगत हथियार आयात नीति न होने के कारण उसकी आलोचना कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे देश में जा कर बसने की धमकी दी है जहां उनके साथ बेहतर व्यवहार किया जाएगा। यह बताया गया है कि श्री राणा ने चार हथियारों के आयात के लिए अनुरोध किया था: .177 मोरिनी एयर पिस्टल दो सिलिंडरों के साथ, .32 कैलिबर की कोर्थ मैच रिवाल्वर, .22 कैलिबर स्मिथ और वैसन रिवाल्वर और .357 कोल्ट पायथन रिवाल्वर, इनमें से केवल दो प्रथम हथियारों के आयात की अनुमति दे दी गई है।

(ग) श्री जसपाल राणा हमारे देश के एक सर्वोत्कृट निशानेबाज हैं। निशानेबाजी के खेल में अपना भविष्य संवारने के लिए उन्हें वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत, स्वीकार्य सहायता प्रदान की जा रही है। खेलों के संवर्धन के लिए अपेक्षित हथियारों के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के अतिरिक्त, उन्हें प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटो इत्यादि में भाग लेने के लिए भी सहायता दी जा रही है।

निशानेबाजी के खेल का संवर्धन करने के लिए निशानेबाजों द्वारा हथियारों और गोला बारूद का आयात करने के संबंध में सरकार की एक नीति है। यह नीति निशानेबाजी को बढ़ावा देने के कार्य में लगी हुई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खेल परिसंघ के परामर्श से कार्यान्वित की जा रही है। चूंकि हथियारों के आयात में सुरक्षा संबंधी अड़चनें होती हैं, अतः इसके आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। तथापि, निशानेबाजों को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार हथियारों का आयात करने की अनुमति दी जाती है। राणा ने निम्नलिखित चार हथियार आयात करने का अनुरोध किया है अर्थात् :-

(1) .32 कैलिबर कोर्थ मैच रिवाल्वर।

(2) .357 कैलिबर कोल्ट पाइथन टार्गेट रिवाल्वर

(3) .22 कैलिबर स्मिथ एण्ड वैसन टार्गेट रिवाल्वर

(4) .177 कैलिबर मोरिनी एयर पिस्टल माडल सी.एम. 162

इस अनुरोध पर राष्ट्रीय कोच, प्रोफेसर सनी थोमाम तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के परामर्श से विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि श्री राणा को दो हथियारों अर्थात (1) .32 कैलिबर कोर्थ मैच रिवाल्वर, और (2) दो सिलेंडरों के साथ .177 कैलिबर मोरिनी एयर पिस्टल माडल सी.एम. 162 का आयात करने की अनुमति दी जाए।

इस बारे में न तो श्री जसपाल राणा अथवा निशानेबाजी के राष्ट्रीय कोच अथवा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है।

एशियाई खेल, 1998 में भाग लेने के लिए भारतीय दल में शामिल करने हेतु श्री राणा का चयन कर लिया गया है और इसके लिए सरकार द्वारा पूरा खर्च वहन किया जाएगा। श्री राणा ने खेलों से पूर्व आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में सरकारी खर्चे पर भाग लिया था।

तेजपुर विश्वविद्यालय में वित्तीय संकट

4. **डा॰ जयन्त रंगपी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1998 के "असम ट्रिब्यून" में "तेजपुर यूनिवर्सिटी फेसिंग सिवियर फंड क्रंच" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कौन से तथ्य सामने आए हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) विश्वविद्यालय ने निधियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त निधियों के लिए इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाया जा रहा है।

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत विकास परियोजनाएं

5. **श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित तटीय

विनियमन क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली विकासात्मक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव प्राप्त किए गए; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक मंजूरी दी गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार से चार विकासात्मक परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिन्हें तटीय विनियमन अधिसूचना 1991, बाद में यथा संशोधित, के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें थंगासेरी कयामुकुलम और मुथलापोजी के मत्स्य बंदरगाह तथा बेपोर पत्तन पर एल पी जी भण्डारण सुविधाएं शामिल हैं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

6. **श्री जयसिंह जी चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किन-किन विश्वविद्यालयों को तथा किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत अनुदान मंजूर किए गए हैं;

(ख) किन-किन विश्वविद्यालयों ने स्वीकृत अनुदान का उपयोग किया है;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों द्वारा अनुदान का दुरूपयोग किए जाने अथवा इसका उपयोग कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में जल-भूतल परिवहन की स्थिति

7. **श्री अशोक प्रधान** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त केन्द्रीय सहायता के अभाव में उत्तर प्रदेश में जल-भूतल परिवहन की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान जल-भूतल परिवहन के लिए उत्तर प्रदेश को धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महाविद्यालयों की स्थापना

8. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में कितने महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने महाविद्यालय स्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेजों की स्थापना नहीं करते हैं। कॉलेजों की स्थापना आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षा की जरूरत और इस उद्देश्य हेतु अवसंरचनाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/निजी प्रबंधकों द्वारा की जाती है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन कॉलेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के विनियमों के अनुसार केन्द्रीय स्रोतों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किए गए। विकास अनुदान शिक्षण और सहायक स्टाफ की नियुक्ति; पुस्तकों; पत्रिकाओं और उपस्करों की खरीद; महिला छात्रावासों; स्टाफ क्वार्टरों आदि के निर्माण हेतु प्रदान की जाती है।

वर्ष 1996-97 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31.3.1996 तक कुल 9703 कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है, जिसमें से 4815 कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के अन्तर्गत मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

काकीनाडा गहरे समुद्री पत्तन का निजीकरण

9. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने काकीनाड़ा गहरे समुद्री पत्तन के निजीकरण के संबंध में श्वेत-पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गहरे समुद्री पत्तन के निर्माण के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक से 79 मिलियन डालर का ऋण प्राप्त किया है;

(घ) गहरे समुद्री पत्तन के लिए राज्य सरकार ने कुल कितना खर्च किया है; और

(ङ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया जा रहा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्थापित क्षमता और विद्युत उत्पादन के बीच अंतर

10. **श्री मोइनुल हसन अहमद :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में योजना-वार विद्युत संयंत्रों में विद्युत के वास्तविक उत्पादन और स्थापित क्षमता के बीच कितना अंतर है; और

(ख) इस अंतर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) देश में अप्रैल-अक्तूबर, 1998 की अवधि में कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों के लिए संयंत्र भार अनुपात (प्रतिशत) के रूप में अधिष्ठापित क्षमता तथा विद्युत के वास्तविक उत्पादन के मध्य अंतर विवरण में दिया गया है।

(ख) इस अंतर को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

- नवीकरण एवं आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान विद्युत संयंत्रों में उत्पादन को अधिकतम करना।
- पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना।
- जल विद्युत, ताप विद्युत, न्यूक्लीय और गैस टरबाईन विद्युत केन्द्रों का समन्वित प्रचालन।
- अंतः राज्यीय/अंतः क्षेत्रीय विद्युत अंतरणों को प्रोत्साहित करना।
- मांग पक्ष प्रबंधन।
- ऊर्जा का संवर्धन करना।

विवरण

अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान देश में संयंत्रवार पी.एल.एफ. (प्रतिशत)

ताप विद्युत केन्द्र का नाम	पी.एल.एफ. (प्रतिशत) (अप्रैल-अक्तूबर, 1998)
1	2
दिल्ली	
बदरपुर (एनटीपीसी)	43.6
ई.प्र. स्टेशन	76.6
राजघाट	33.0
हरियाणा	
फरीदाबाद विस्तार	55.7
पानीपत	42.3
राजस्थान	
कोटा	66.8
पंजाब	
भटिंडा	61.7
रोपड़	64.7
उत्तर प्रदेश	
ओबरा	29.0
पनकी	33.2
हरदुआगंज	20.1
परीछा	41.7
अनपारा	73.8
टांडा	28.8
सिंगरौली (एनटीपीसी)	88.2
रिहन्द (एनटीपीसी)	66.7
दादरी ताप (एनटीपीसी)	87.6
ऊंचाहार (एनटीपीसी)	72.5
गुजरात	
धुवरण	44.0

1	2
उकाई	67.2
गांधी नगर	68.8
वनाकबोरी	67.5
सिक्का	43.5
कच्छ लिग्नाइट	53.4
आर.ई.कं.	69.5
साबरमती (ए.ई.कं.)	84.1
महाराष्ट्र	
नासिक	64.1
कोराडी	63.3
पारस	50.4
भुसावल	62.1
परली	69.8
चन्द्रपुर	60.6
खापरखेड़ा	75.6
ट्राम्बे (टी.ई.सी.)	65.6
दहानू	74.3
मध्य प्रदेश	
सतपुडा	68.3
कोरबा-2	52.3
कोरबा-3	45.7
अमरकंटक	43.6
कोरबा-वेस्ट	64.9
संजय गांधी	64.6
कोरबा एसटीपीएस (एनटीपीसी)	81.9
विन्ध्याचल एसटीपीएस (एनटीपीसी)	81.7
आन्ध्र प्रदेश	
कोठागुडम	50.8
विजयवाड़ा	82.9
रामागुंडम	77.9
नैल्लोर	51.3
रायलसीमा	88.3
रामागुंडम एसटीपीएस (एनटीपीसी)	79.5

1	2
कर्नाटक	
रायचूर	76.2
तमिलनाडु	
एन्नौर	44.3
तूतीकोरिन	75.5
मेत्तूर	65.3
उत्तरी-मद्रास	71.6
नैवेली-1	72.1
नैवेली-2	77.3
बिहार	
पतरातू	23.8
बरौनी	19.7
मुजफ्फरपुर	14.1
तेनुघाट (टीवीएनएल)	44.4
कहलगांव एसटीपीएस (एनटीपीसी)	53.3
उड़ीसा	
ईब वैली (ओपीजीपीसी)	80.3
जालचेर एसटीपीएस (एनटीपीसी)	43.6
तालचेर ओल्ड (एनटीपीसी)	46.8
पश्चिम बंगाल	
बाण्डेल	44.7
संथालडीह	53.3
कोलाघाट	60.9
डी.पी.एल.	17.7
एन. कोजियर (सीईएससी)	59.3
दक्षिणी रियोल (सीईएससी)	74.0
तीतागढ़ (सीईएससी)	88.8
फरक्का एसटीपीएस (एनटीपीसी)	36.7
डी.वी.सी.	
चन्द्रपुर.	29.4
दुर्गापुर	43.8
बोकारो	35.4
मेजिया	54.1

1	2
असम	
चन्द्रपुर	17.5
नामरूप	31.8
बोंगाईगांव	1.9
गैस टरबाईन	32.7

चंडीगढ़ में विद्युत संयंत्र की स्थापना

11. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ ने सरकार को चंडीगढ़ में एक विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में विद्युत केन्द्र की स्थापना के मामले पर जुलाई 1998 में चड़ीगढ़ प्रशासन के साथ विचार-विमर्श किया गया था। चड़ीगढ़ प्रशासन को चड़ीगढ़ की भार्गावी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक केप्टिव विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु परामर्श सेवा प्राप्त करने के लिए एनटीपीसी से सम्पर्क करने की सलाह दी गई थी।

कोचीन शिपयार्ड

12. **श्री ए॰सी॰ जोस :** क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का कोचीन शिपयार्ड में पोतों की मरम्मत के लिए पोत खड़ा करने की सुविधाएं आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का "बिल्ड आनॅ ट्रांसफर" संयुक्त उद्यम आधारित पोत निर्माण सुविधाओं की सम्भावनाएं खोजने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) कोचीन शिपयार्ड लि. (सी एस एल) में दो शुष्क गोदियां हैं। जिसमें से एक जहाज निर्माण और दूसरी जहाज मरम्मत के लिए है। जहाज निर्माण/जहाज मरम्मत सुविधाओं की वृद्धि करना, स्तर बढ़ाना और आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है और इन कार्यों को योजना स्कीमों के जरिए किया जाता है। शिपयार्ड ने अपनी 9वीं योजना-प्रस्तावों में एक अतिरिक्त जहाज मरम्मत गोदी के निर्माण के लिए 240 करोड़ रु. के प्रावधान का प्रस्ताव किया था। तथापि, सरकार द्वारा उदार बनाई गई नीति और देश की समग्र अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उन्हें जहाज निर्माण/जहाज मरम्मत कार्य में बी ओ टी/संयुक्त उद्यम की संभावनाओं का पता लगाने की सलाह दी गई है। कोचीन शिपयार्ड लि. ने जहाज मरम्मत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की संभावना का पता लगाया परन्तु उन्हें अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति की दृष्टि से सफलता प्राप्त नहीं हुई। यार्ड ने अलग-अलग परियोजनाओं के आधार पर विदेशी भागीदारों के साथ अनुकूल गठबंधन करने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

समाधान केन्द्रों की स्थापना

13. **श्री विजय कुमार विजय :** क्या विधि, न्यायि और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयी मामलों की अधिकता के बोझ को कम करने के लिए गुजरात में कई समाधान केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का न्यायालयी मामलों की अधिकता के बोझ को कम करने के लिए अन्य राज्यों में भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों को इस हेतु कोई निदेश दिये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰तम्बी दुरई) : (क) से (ङ) पक्षकारों के बीच विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए, गुजरात राज्य में गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनेक सुलह केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब, लोक अदालतें, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशों के अधीन पूरे देश में, सुलह केन्द्रों के कृत्यों को और उनकी भूमिका को ग्रहण कर रही हैं। उक्त अधिनियम के प्रवर्तन और उसके अध्याय 3 के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों पर विस्तार के साथ लोक अदालतों को एक कानूनी आधार दे दिया गया है। अब लोक अदालतों में सिविल न्यायालय की शक्ति निहित है और लोक अदालतों द्वारा पारित अधिनिर्णय अंतिम हैं; पक्षकारों पर अबद्धकर हैं और वे अपीलीय भी नहीं हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा, 13 सितम्बर, 1997 को आयोजित उसकी पहली बैठक में लिए गए विनिश्चय के अनुसरण में, नियमित न्यायालयों से कुछ भार कम करने

के लिए वादकारों के विवादों के सुलहकारी समाधान के लिए उनके हेतु एक अतिरिक्त न्याय मंच का उपबंध करने के लिए देश के सभी जिलों में स्थायी और अनवरत लोक अदालतें स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। स्थायी और अनवरत लोक अदालतें कानूनी आधार सहित सुलहकारी मंच होंगी। ऐसे सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में, जिनमें विधिक मामलों की बड़ी संख्या अंतर्विष्ट है, स्थायी और अनवरत लोक अदालतें स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी विभागों को एम.आर.टी.पी. एक्ट के अन्तर्गत लाना

14. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या विधि, न्यायि और कम्पनी कार्य मंत्री** सरकारी विभागों को एम.आर.टी.पी. एक्ट के अन्तर्गत लाने के बारे में 30 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3510 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस फैसले की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उन विभागों की श्रेणी में आता है जो सेवा के लिए धन लेते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम-तम्बी दुरई) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 की प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा जांच संख्या 241 में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के 1 जुलाई, 1996 के निर्णय के विरोध में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

(2) चूंकि किसी निर्णय का लागू होना प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और तथ्यों पर निर्भर करेगा, अतः सभी तथ्यों को प्राप्त किए बिना अन्य विभागों के बारे में कोई राय दे पाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम

15. **श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के बारे में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खेल-कूद में युवाओं की भागीदारी

16. **श्री रूपचंद मुर्मू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल कूद में युवाओं की भागेदारी के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्कूल और कालेज स्तर पर प्रतिभावान युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या खेल कूद में प्रतिभावान व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने और उन्हें पुरस्कार देने के लिए कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है नामतः (1) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों का संवर्धन, (2) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान, (3) स्कूलों में खेल-कूद के संवर्धन की योजना, और (4) छात्रवृति योजना ताकि स्कूलों और कालेजों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का विकास किया जा सके।

इन योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जा रही है :-

(1) स्कूल स्तर पर टूर्नामेंट आयोजित करना तथा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देना,

(2) अंतर-कालेज टूर्नामेंट आयोजित करना,

(3) (क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों, और (ख) सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में अवस्थापना का सृजन करना,

(4) स्कूलों और कालेज स्तर पर खिलाड़ियों को क्रमश : 600 रुपये और 750 रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति।

(घ) और (ङ) सरकार ने एक मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया है जिसके अंतर्गत समूह "ग" और "घ" के पदों में 5 प्रतिशत तक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्तियां करने का प्रावधान है। खिलाड़ियों को खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक

अवकाश, यात्रा भत्ता तथा मंहगाई भत्ता तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विशेष वेतनवृद्धि जैसे अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, उन खिलाड़ियों को जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतते हैं, उन्हें नकद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए उनको अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

आर॰ओ॰सी॰ कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

17. **श्री के॰पी॰ नायडू :** क्या विधि, न्यायि और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.आई.सी. द्वारा आर.ओ.सी. परियोजना के अन्तर्गत कम्पनी कार्य विभाग और आर.ओ.सी. कार्यालय के कम्प्यूटीकरण के लिए प्रतिवर्ष भारी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो एन.आई.सी. को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है और गत तीन वर्षों के दौराम और अब तक हार्डवेयर और सोफ्टवेयर की खरीद एवं एन.आई.सी. के कर्मचारियों के वेतन के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या कम्प्यूटरीकरण के लिए भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद एन.आई.सी. के माध्यम से कम्पनी कार्य विभाग द्वारा वांछित परिणाम उपलब्ध न होने के क्या कारण है;

(घ) यदि हां, तो क्या कई कार्यालयों/अनुभागों का अभी भी कम्प्यूटरीकरण किया जाना शेष है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि धनराशि का उपयोग स्वीकृत किए गए कार्य के प्रयोजनार्थ ही किया जाये और आर.ओ.सी. परियोजना की आड़ में धनराशि का व्यय अन्य प्रयोजनों के लिए न किया जाए तथा इस संबंध में विशेष लेखा परीक्षा कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का भी विचार इस परियोजना का सी एम सी लिमिटेड, ईटी एंड टी जैसी अन्य विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों को सौंपने अथवा इसके लिए एन.आई.सी. के नए कर्मचारियों को तैनात करने का है ताकि आर.ओ.सी. परियोजना में तेजी लायी जा सके; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰तम्बी दुरई) : (क) और (ख) एन आई सी ने 1997-98 के अन्त तक 811.07 लाख रुपये खर्च किए हैं जबकि इसी अवधि तक विभिन्न वार्षिक प्राधिकृत कुल राशि 850.69 लाख रु. है। पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय लाख रु. में नीचे दिया गया है:

वर्ष	वास्तविक व्यय (लाख रु. में)		कुल
	अनावर्ती	आवर्ती	
1995-96	27.4	52.6	80.0
1996-97	15.5	85.0	100.5
1997-98	100.9	101.9	202.8

कम्पनी रजिस्ट्रार परियोजना के साथ सम्बद्ध एन.आई.सी. कर्मचारियों का वेतन कम्पनी कार्य विभाग के कम्प्यूटरीकरण बजट के साथ बुक नहीं है।

(ग) परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप मुख्यतः टाइटल क्लियरेंस, रोकड़ काउंटर के प्रचालन तथा कम्पनी से संबंधित सूचना के डाटा बेस के सृजन की प्रक्रिया सरल और कारगर हो गई है।

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रार के सभी कार्यालय पहले से ही कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल हैं।

(ङ) से (ज) ऊपर (ग) व (घ) के सामने दिए गए उत्तर को देखते हुए इस स्तर पर विशेष लेखा परीक्षा कराने का या किसी अन्य एजेंसी को इस परियोजना को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस परियोजना के लिए तैनात एन आई सी के कार्मिक पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

दिल्ली में मतदान प्रभारियों की नियुक्ति संबंधी शर्तें

18. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या विधि, न्यायि और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तैनात मतदान प्रभारियों को उनके कार्य संबंधी आवश्यक सामग्री किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती है तथा इससे जुड़ी अन्य शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में गत लोक सभा चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर तैनात किए गए प्रभारी अधिकारियों को अब तक उनके पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सामान्य कार्य घंटों के बाद भी दूर-दराज क्षेत्रों में तैनात किए गए कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाने वाली परिवहन सुविधा मुहैय्या नहीं कराए जाने के कारण क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰तम्बी दुरई) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में सड़कों की जर्जर हालत

19. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में सड़कों की जर्जर हालत की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में बिहार सरकार को कोई आदेश अथवा निदेश जारी किए हैं;

(ग) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और किन-किन स्थानों पर यह धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच कराई गई है कि इस प्रयोजनार्थ धनराशि का उचित उपयोग किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर सामान्यतया यातायात-योग्य स्थिति में रखा जाता है। तथापि, हाल ही की बाढ़ के कारण कुछ खंडों में भारी क्षति हुई है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है और इस संबंध में 3 करोड़ रु. पहले ही तदर्थ रूप से जारी कर दिए गए हैं।

(ग) 1998-99 के दौरान, बिहार राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण/मरम्मत पर राज्य सरकार ने सितम्बर 1998 तक 952.99 लाख रु. के व्यय की सूचना दी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संवैधानिक संशोधनों की अधिसूचना

20. **श्री जोगेन्द्र कवाडे :** क्या विधि, न्यायि और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी संवैधानिक संशोधनों और अन्यथा को सरकारी भारत के राजपत्र में इन्हें लागू किए जाने से पूर्व अधिसूचित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या 77वें संशोधन की अभी तक भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰तम्बी दुरई) : (क) जी हां, जैसे ही किसी विधेयक, जिसके अंतर्गत सांविधानिक संशोधन विधेयक भी है, की अनुमत प्रति राष्ट्रपति सचिवालय से विधायी विभाग में प्राप्त होती है, उसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 1, में प्रकाशित किया जाता है, भले ही उक्त अधिनियमिति में कोई प्रवर्तन खंड भी हो।

(ख) और (ग) संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 1, तारीख 10 जून, 1995 को प्रकाशित कर दिया है। उक्त अधिनियम में कोई प्रवर्तन खंड नहीं है।

[हिन्दी]

जैव मंडल संरक्षण कार्यक्रम

21. **श्री रामशकल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जैव मंडल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत क्या गतिविधियां हुई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जैव विविधता के संरक्षण और निर्दिष्ट क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा एक जीवमंडल रिजर्व कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के सहयोग से प्रबंधन कार्रवाई योजना तैयार करना भी शामिल है।

(ग) वर्ष 1996-97 में शुरू की गई गतिविधियों में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में पारि-विकास, पारि-पुनरुद्धार, डाटा-बेस का विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण, जागरूकता पैदा करना तथा अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

भारतीय हाकी टीम द्वारा दौरा

22. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री दिनांक 13 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3646 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाकी टीम द्वारा किए गए विदेश दौरों, इन दौरों के प्रयोजनों और किए गए व्यय के बारे में ब्यौर-वार सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सभा पटल पर कब तक सूचना प्रस्तुत किए जाने की आशा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लोक सभा के दिनांक 13.7.98 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3646 के संबंध में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए 13 जनवरी, 1999 तक समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्थानांतरण

23. **श्री एच॰जी॰ रामुलू :**

श्री के॰सी॰ कोंडय्या :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर में कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया;

(ग) क्या उक्त कार्यालय को बंगलौर से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का क्षेत्रीय संसाधन-सह-शोध केन्द्र बंगलौर में कार्य कर रहा है।

(ख) केन्द्र ने मार्च, 1994 के मध्य से कार्य करना शुरू कर दिया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कांडला पत्तन में बुनियादी सुविधाएं

24. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कांडला पत्तन पर अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित और अधिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) क्या कतिपय बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा अनिवासी भारतीय इस पत्तन पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक इच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कुल कितना विदेशी निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में विदेशी निवेश आमंत्रित किया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकार का महापत्तन से कोई संबंध नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नौवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी परिव्यय

25. **श्री मगन्ती वेंकटेश्वर राव :**

श्री के॰पी॰ मोहन :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उनके मंत्रालय के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय परिव्यय की जानकारी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को क्षेत्रवार परिव्यय परिकलित करने और योजना आयोग को तदनुसार परिषित करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय पूर्व पंचवर्षीय योजना के आबंटन के अनुरूप है;

(च) क्या मंत्रालय ने निगम बोर्डों के ढांचे को तैयार किया है और उन्हें यह कहा है कि वे पत्तन न्यास आधार पर पत्तन न्यास के संयुक्त उद्यम में शामिल हों, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

		(करोड़ रु.)
(I) सकल बजट सहायता	-	10883.04
(i) घरेलू बजट सहायता	-	7599.00
(ii) बजट के माध्यम से प्राप्त विदेशी सहायता	-	3383.04
(II) आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन	-	13696.60
(III) कुल परिव्यय (I) + (II)	-	24579.64

(ग) जी हां।

(घ) सैक्टर-वार वितरण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जी हां।

(च) जी नहीं।

(छ) नौवीं पांचवर्षीय योजना के दौरान महापत्तनों के विकास हेतु विभिन्न महापत्तनों पर 133 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिए एक कार्य-योजना तैयार की गई है। इस बारे में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :-

(i) पत्तन न्यासों को अधिक वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। अब पत्तन न्यास 50 करोड़ रु. लागत की नई स्कीम और 100 करोड़ रु. तक लागत की प्रतिस्थापन्न स्कीम को मंजूरी दे सकते हैं।

(ii) परामर्शदाताओं की नियुक्ति और उपस्करों की खरीद हेतु प्रक्रिया भी सरल बनाई जा रही है।

विवरण

नौवीं योजना परिव्यय का वितरण

योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय का वितरण

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	सैक्टर	बजट संसाधन			आई ई बी रु.			जोड़
		एन बी एस	ई ए	जी बी एस	आई रु.	आईसीएल/ईसीबी	अन्य	
1.	सड़क	5946.00	1983.04	7929.04				7929.04
2.	रोड ट्रासंपोर्ट	77.15		77.15				77.15
3.	आई डब्ल्यू टी	408.00		408.00				408.00
4.	शिपिंग	139.05	100.00	239.05	2033.00	3634.00	0.00	5906.05
	क. एस सी आई	85.00		85.00	2033.00	3634.00		5752.00
	ख. पाल पोत	0.05		0.05				0.05
	ग. महानिदेशक (नौ.)	54.00	100.00	154.00				154.00
5.	जहाज निर्माण	161.80	0.00	161.80	0.00	0.00	0.00	161.80
	क. एच एस एल	77.50		77.50				77.50
	ख. सी एस एल	65.00		65.00				65.00
	ग. एच डी पी ई	17.60		17.60				17.60
	घ. केन्द्रीय सैक्टर	1.70		1.70				1.70
6.	क. पत्तन	700.00	1300.00	2000.00	6435.00	1529.00	65.60	10029.60
	ख. अन्य			0.00				0.00
7.	दीपघर	68.00		68.00				68.00
	कुल जोड़	7500.00	3383.04	10883.04	8468.00	5163.00	65.60	24579.64

[हिन्दी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

26. **श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिवर्तन का मुद्दा सरकार के पास विचाराधीन था। इस मुद्दे पर विचार करते समय सरकार को अन्य विश्वविद्यालयों की इसी प्रकार की मांग पर भी विचार करना पड़ा था। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी विद्यमान विश्वविद्यालय जो 100 वर्ष से पुराने हैं उन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के लिए लिया जाये बशर्ते कि व्यय का एक हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संबंध में उस समय अनुबद्ध शर्तों पर राज्य सरकार की ओर से कोई पक्की वचनबद्धता नहीं थी। तथापि, सम्पूर्ण नीति समीक्षाधीन है तथा एक बार अन्तिम निर्णय लिये जाने के बाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मामले को उसी नीति-निर्णय के आधार पर लिया जायेगा।

स्कूल भवनों का निर्माण

27. **श्री भेरूलाल मीणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए धन प्रदान करती है/प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धन के आवंटन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं/निर्धारित करने का विचार है; और

(ग) उक्त निधियों के उपयोग पर किस प्रकार निगरानी रखी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) आपरेशन ब्लैकबोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित योजना ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच निर्धारित अंशदान के आधार पर प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करती रही है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्राप्त परियोजना, जिसे 149 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत परियोजना लागत का 24 प्रतिशत हिस्सा सिविल कार्य (निर्माण) के लिए है जिसमें प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण कार्य भी शामिल है। इसी तरह कुछ अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, बिहार शिक्षा परियोजना, आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना, राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना जैसी विशेष विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत भी स्कूल भवनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से समीक्षा बैठकों तथा संयुक्त पर्यवेक्षण मिशनों में निधियों के उपयोग की निगरानी की जाती है।

उत्तर प्रदेश में स्टेडियम

28. **श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अभी तक केन्द्र सरकार की सहायता से कितने स्टेडियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1998-99 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ और स्टेडियम निर्मित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश में दो स्टेडियमों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त होने वाले व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों के निर्माण के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता मंजूर की जाएगी।

[अनुवाद]

बालिकाओं के लिए शिक्षा

29. **डा॰ प्रभा ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कतिपय धनराशि अलग रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अन्तर्गत तकनीकी और कालेज स्तर की शिक्षा भी शामिल होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ङ) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित कालिज स्तर तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की एक नयी योजना तैयार की जा रही है। वर्ष 1998-99 में योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का योजनागत आबंटन किया गया है।

डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का संयुक्त अध्ययन

30. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "यूनिसेफ के वर्ल्ड वाइड फंड फौर नेचर" (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) के उस संयुक्त अध्ययन से अवगत है जिसमें भारत में भीषण जल संकट की चेतावनी दी गई है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अध्ययन में बताई गई समस्याओं से निपटने के लिए सरकार किन-किन कदमों को उठाने पर विचार कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) इस अध्ययन में विकासात्मक गतिविधियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को एकीकृत करने के महत्व तथा देश की जैव-विविधता को समृद्ध करने पर प्रकाश डाला गया है।

(ग) सरकार विभिन्न नदियों के आवाह क्षेत्रों के भीतर वनीकरण कार्यक्रमों और अन्य मृदा संरक्षण कार्यों को करने के लिए कार्रवाई कर रही है। आवाह-क्षेत्रों के भीतर आने वाले वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

जैव विविधता संबंधी परियोजना

31. **श्रीमती रानी नरह** :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे जीव वर्ग को संरक्षित रखने तथा जैव विविधता की निरंतरता में सहायता करने हेतु एक महत्वाकांक्षी विभाजन संबंधी अनुसंधान परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में लुप्त हो रहे वन्य जीवों को रोकने हेतु किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है तथा वन्य जीव प्रबंधन हेतु क्या प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है;

(घ) चालू वर्ष तथा नौवीं योजना के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य इस योजना में परिवर्तन किए जाने के इच्छुक हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) सरकार ने वर्गीकरण कार्य के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अंतरालों का पता लगाकर विभाजन क्षमता को बढ़ने के लिए एक अखिल भारतीय समन्वित परियोजना तैयार की है। इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. पारिस्थितिकीय और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वनस्पतियों और जीवजन्तुओं के समूहों तथा प्रजातियों के अन्वेषण रहित तथा कम अन्वेषित समूहों का सर्वेक्षण किया है और उनका पता लगाना है।
2. वर्गीकृत विशेषज्ञता और क्षमता का सृजन/संवर्धन
3. वर्गीकृत कार्य में सूचना के नये और वांछनीय क्षेत्रों की शुरूआत।

(ग) और (घ) वन्य जीव सहित जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण हेतु देश भर में लगभग 520 राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण स्थापित किए गए हैं। प्रजाति विशिष्ट परियोजनाएं जैसे बाघ परियोजना, हाथी परियोजना और समुद्री कच्छप परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिविकास कार्यकलापों को हाथ में लिया जा रहा है। वन्य जीव आधारभूत ढांचे के विकास की सुरक्षा, रहने के स्थान का विकास, बेहतर संचार सुविधाएं जिसमें वायरलैस नेटवर्क आदि शामिल हैं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नौवीं योजना के दौरान वन्यजीव संरक्षण के लिए जो प्राथमिकताएं दी गई हैं उनमें वन्य जीव तथा वन्यजीव उत्पादों की चोरी तथा अवैध व्यापार पर नियंत्रण, सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विकास, सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास परिविकास, वन्यजीव के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, पारि-पर्यटन, सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव क्षति की रोकथाम तथा न्यूनीकरण एवं एशिकाई क्षेत्रों के लिए सेंकेंड क्षेत्र की व्यवस्था।

नौवीं योजना में वन्यजीव क्षेत्र के लिए 520 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है और चालू वर्ष में 120.08 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि का गठन किया जाना

32. **श्री रामपाल सिंह :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक राष्ट्रीय शहरी परिवहन विकास निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विकास निधि को स्थापित करने के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

साक्षरता मिशन का कार्य निष्पादन

33. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री विट्ठल तुपे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत प्राप्त की गई सफलता का प्रतिशत क्या है; और

(ख) इस मिशन के अंतर्गत किन-किन राज्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) देश में दस वर्षीय जनगणना कार्यों के माध्यम से साक्षरता संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। केवल वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में राज्य-वार साक्षरता दर उपलब्ध है। साक्षरता दर में बाद की बढ़ी दर का पता तो उस समय चलेगा जब अगली जनगणना कराई जाएगी। तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा 1 अप्रैल, 1998 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरूआत से साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षर बनाए गए व्यक्ति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	82,86,918
2.	अरुणाचल प्रदेश	79,612
3.	असम	12,40,193
4.	बिहार	52,31,334
5.	गोआ	71,237
6.	गुजरात	61,16,818
7.	हरियाणा	3,27,272
8.	हिमाचल प्रदेश	5,39,501
9.	जम्मू और कश्मीर	2,70,052
10.	कर्नाटक	44,13,040
11.	केरल	15,60,152
12.	मध्य प्रदेश	57,78,677
13.	महाराष्ट्र	58,50,799
14.	मणिपुर	90,051
15.	मेघालय	96,016
16.	मिजोरम	63,919
17.	नागालैंड	63,123
18.	उड़ीसा	24,39,825
19.	पंजाब	6,09,224
20.	राजस्थान	40,92,809
21.	सिक्किम	26,604
22.	तमिलनाडु	67,04,561
23.	त्रिपुरा	4,36,686
24.	उत्तर प्रदेश	80,37,557
25.	पश्चिम बंगाल	89,72,424
26.	अंडमान और निकोबार	14,492
27.	चंडीगढ़	41,404
28.	दादरा और नगर हवेली	7,662
29.	दमन और दीव	3,451

1	2	3
30.	दिल्ली	3,90,878
31.	लक्षद्वीप	986
32.	पांडिचेरी	99,965
	कुल	7,25,57,242

राष्ट्रीय राजमार्ग-31क का वैकल्पिक मार्ग

34. **श्री नादेन्दला भास्कर राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 31क का वैकल्पिक मार्ग बनाने की कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में 1976 में एक अध्ययन दल का गठन किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां। अध्ययन दल ने सिफारिश की थी कि वैकल्पिक मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

उ॰प्र॰ में मध्याह्न भोजन योजना

35. **श्री चेतन चौहान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना को केन्द्र सरकार शत-प्रतिशत राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना हेतु गेहूं और चावल की आपूर्ति रोक दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इस बाबत केन्द्र सरकार को सूचित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न की लागत तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्कूलों/गांवों तक खाद्यान्न ले आने तथा ले जाने के लिए परिवहन खर्चों की प्रतिपूर्ति करती है।

(ख) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न उठाने की मात्रा तथा उसे प्रदान न की गई निधियों से संबंधित समस्याओं का समाधान न होने के कारण भारतीय खाद्यान्न निगम द्वारा जुलाई से सितम्बर, 1998 के दौरान उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अस्थायी तौर पर खाद्यान्नों की आपूर्ति बन्द कर दी गई थी। भारतीय खाद्यान्न निगम को देय राशि का भुगतान होने के बाद अक्तूबर, 1998 से खाद्यान्न की आपूर्ति पुनः आरंभ कर दी गई है।

स्वीकृत तकनीकी शब्दावली का प्रयोग न किया जाना

36. **श्री आदित्यनाथ** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सन् 2000 के लिए अंग्रेजी में नमूना प्रश्न पत्रों के साथ-साथ 10वीं और 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम प्रकाशित कर दिया है;

(ख) क्या सन् 2000 के लिए पाठ्यक्रम और नमूना प्रश्न पत्रों को हिन्दी में उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए गत वर्ष के पाठ्यक्रम और हिन्दी के नमूना प्रश्न पत्रों में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है;

(ङ) क्या विभिन्न संस्थानों द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्यान ऐसी विसंगतियों की ओर दिलाया गया है;

(च) यदि हां, तो इन विसंगतियों को दूर नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(छ) इन विसंगतियों को कब तक दूर कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000 के लिए कक्षा X और कक्षा XII के पाठ्य विवरण की अंग्रेजी प्रति प्रकाशित हो चुकी है। कक्षा X के पाठ्य विवरण की हिन्दी प्रति भी मुद्रित हो चुकी है तथा खरीदने पर उपलब्ध है। लेकिन कक्षा XII के पाठ्य विवरण की हिन्दी प्रति अभी मुद्रित हो रही है। कक्षा XII के पाठ्य विवरण की हिन्दी प्रति के मुद्रण में विलंब पाठ्य विवरण के कुछ भागों में संशोधन हो जाने से उसके अनुवाद में लग रहे समय के कारण हो रहा है।

(घ) से (छ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर रहा है जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण द्वारा

प्रकाशित पाठ्य-सामग्री में प्रयुक्त है क्योंकि उनका अध्ययन-अध्यापन में प्रयोग हो रहा है।

[अनुवाद]

ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

37. **श्री संदीपान थोरात** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष और नौवीं योजना के दौरान प्रभावी ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार विवरण सहित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऊर्जा की बचत करने वाले बिजली के उपकरणों का व्यापक उपयोग करने के बारे में सार्वजनिक जागरूकता तथा मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) देश में निर्मित बिजली के उपकरणों पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उचित नियामक व्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा संबंधी लेबल लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सरकार, उपस्करों और उपकरणों के ऊर्जा उपभोग संबंधी मानकों और मानदण्डों के निर्धारण, उपस्करों और उपकरणों पर ऊर्जा लेबल लगाने और ऊर्जा संरक्षण के कुशल प्रयोग के संवर्धन तथा ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए शीर्ष स्तरीय केंद्रीय निकाय की स्थापना हेतु विधिक स्वरूप तैयार कर रही है। सरकार उन विभिन्न कार्यक्रमों का संवर्धन करती है और उन्हें प्रोत्साहन देती है जो ऊर्जा संरक्षण पर जन जागरूकता का प्रवर्तन करते हैं। सरकार ऊर्जा संरक्षण पर प्रस्तावित कानून से संबंधित एक सदस्यीय समिति से प्राप्त की गई प्रारूप रिपोर्ट के मसौदे की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

स्काउट और गाईड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना

38. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान भारतीय स्काउट और गाइड के प्रतिनिधि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों ने किन-किन देशों का दौरा किया;

(ग) इन सम्मेलनों में भाग लेने के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) समाज सेवा के कार्य में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, हां। भारत स्काउट्स और गाइड्स के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा समारोहों आदि में भाग लेते हैं। उक्त सदस्यों ने विगत दो वर्षों के दौरान जिन देशों का दौरा किया था उनके नाम निम्नानुसार हैं :-

1996-97	भूटान, नार्वे, कनाडा, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर।
1997-98	मलेशिया, जापान, भूटान, कोरिया, ब्रूनेई, दारूसलम, नेपाल, बंगलादेश, थाईलैण्ड, श्रीलंका, यूनाईटेड किंगडम, मैक्सिको, हांगकांग, मालदीव।

(ग) सम्मेलन, कार्यशालाएं, सेमिनार, समारोह तथा अन्य शिविर आदि स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन (डब्ल्यू.ओ.एस.एम.) तथा बालिका गाइड्स एवं स्काउट्स के विश्वसंघ (डब्ल्यू.ए.जी.जी.जी एस.) द्वारा उनके क्षेत्रीय मुख्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। इन बैठकों में बहुत से मुद्दों पर चर्चा की जाती है जो देश में स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियों के स्तर को बढ़ाने में लाभदायक होते हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के प्रशिक्षक भी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं में अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन बनाने के लिए भाग लेते हैं। ऐसे आयोजनों से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियों में गुणात्मक सुधार के लिए विचारों का आदान-प्रदान भी होता है।

(घ) समाज सेवा पहले ही भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का एक अभिन्न अंग है। ओरल रिहाईड्रेशन थेरेपी, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण, नमक में आयोडीन की कमी, साक्षरता अभियान, कुष्ठ निवारण, स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्काउट्स एवं गाइड्स पूर्णतया भाग लेते हैं।

शिक्षा का हिन्दुत्वकरण

39. **श्री मोहन सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1998 के 'दि संडे टाइम्स", दिल्ली संस्करण में "आर.एस.एस. प्रोपेगेटिंग हिन्दुत्व थ्रू टेक्स्ट बुक्स" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित खबर के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाई किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों की केन्द्रीय प्रणाली की पाठ्य पुस्तकों के मौजूदा पाठ्य विवरण तथा विषय वस्तु में संशोधन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत धनराशि का प्रयोग नहीं करना

40. **श्री के॰पी॰ मोहन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन ब्लैकबोर्ड जैसे महत्वपूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत धनराशि का किन राज्यों ने उपयोग नहीं किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में तमिलनाडु के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसमें से कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई; और

(ग) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों के प्राप्त होने तथा संबंधित राज्यों के पास बची बकाया निधियों का समायोजन होने पर राज्यों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। इस समय गोवा, मेघालय, सिक्किम राज्य तथा चड़ीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों के पास आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत जारी की गई निधियां अनुप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत तमिलनाडु को 725.00 लाख रु. की धनराशि जारी की गई थी। सूचना दी गई है कि इस राशि का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए, समीक्षा बैठकों तथा निरीक्षणों में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है।

पांडुलिपियों की उपेक्षा

41. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 30 मिलियन पांडुलिपियां उपेक्षा तथा बिना किसी रख-रखाव की अवस्था में पूरे देश में बिखरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) पांडुलिपियों की सही संख्या एवं उनकी अवस्थिति ज्ञात नहीं है। देश भर में लाखों पांडुलिपियां बिखरी पड़ी हैं, पांडुलिपियां विभिन्न प्रकार की जीर्ण-शीर्ण दशाओं में भी पड़ी हैं। ये राज्य और केन्द्रीय सरकारों तथा संग्रहालयों द्वारा संरक्षित और सुरक्षित किये जाने के अतिरिक्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं के अधिकार में हैं।

(ग) से (ङ) पांडुलिपियों के परिरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक स्कीम है। इस स्कीम का विस्तार कर इसमें संरक्षण और परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पांडुलिपियों पर एक राष्ट्रीय मिशन की परिकल्पना करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस परिकल्पना से विशेषज्ञों का एक समूह जुड़ा है।

हाथियों का अवैध शिकार

42. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार हाथियों का अवैध शिकार करने के कितने मामले सामने आए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथियों का अनधिकृत शिकार रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से हाथियों के अवैध शिकार के बारे में प्राप्त सूचनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) हाथियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) हाथियों को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत वन्य प्राणियों के शिकार और उनके व्यावसायिक प्रयोग से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) हाथी दांत के प्रयोजनार्थ उनके अवैध शिकार को निरुत्साहित करने के लिए हाथी दांत के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(3) एशियाई हाथियों को भी "कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना" के परिशिष्ट-1 में शामिल किया गया है, जिसके तहत एशियाई हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(4) सरकार ने भारत में जंगली हाथियों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए 1992 में एक हाथी परियोजना प्रारम्भ की थी। इस परियोजना के तहत 12 राज्यों को उनके सुरक्षा तथा संचार संबंधी ढांचे को मजबूत करने, वास स्थलों के विकास, मानव-हाथी संघर्षों की घटनाओं को रोकने और उन्हें कम करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

जंगली हाथियों के अवैध शिकार की घटनाओं में कमी आई है जिससे सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों की प्रभावकारिता परिलक्षित होती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से सूचित किए गए हाथियों के चोरी छिपे शिकार का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	अरूणाचल प्रदेश	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं
3.	असम	6	4	6
4.	बिहार	1	2	3
5.	कर्नाटक	10	18	15
6.	केरल	3	7	2
7.	मेघालय	10	लागू नहीं	लागू नहीं
8.	नागालैंड	8	5	1
9.	उड़ीसा	10	11	7
10.	तमिलनाडु	7	15	6
11.	उत्तर प्रदेश	19	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	पश्चिम बंगाल	3	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल	77	63	40

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में तथाकथित भ्रष्टाचार की जांच

43. **श्री पी॰एस॰ गढवी :**

श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में वर्ष 1991-97 के दौरान हुए अनेक भ्रष्टाचारों के मामलों की चांज के लिए किसी तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आरोपित भ्रष्टाचार समिति के निदेश पद और इसके गठन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच के तरीकों के बारे में समिति के सदस्यों में मतभेद हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) कथित भ्रष्टाचार और समिति के विचारार्थ विषय तथा गठन का ब्यौरा संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राधिकारियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) तथा अधिकारियों का (I) 1991-96 और (II) 1996-97 के दौरान कथित प्रशासनिक और वित्तीय भ्रष्टाचार में लिप्त होना

क्रम सं.	1991-96 घटना	क्रम सं.	1996-97 घटना
1	2	3	4
1.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन में 1500 जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की एक ब्रिगेड बनाना तथा उसका पोषण करना	1.	श्री एस॰बी॰ चव्हाण की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास स्थाई समिति द्वारा बताई गई कंप्यूटरों की निंदनीय खरीद।

1	2	3	4
	जिनके लिए रिक्तियां नहीं थी और उससे जून, 1991 से लगभग 15 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान हुआ।		
2.	"विशेष छूट के दाखिले" जो वस्तुतः 5000 प्रति वर्ष की दर से बिक्री के आधार पर और पात्र श्रेणियों के बच्चों को दरकिनार करके किसी सक्षमता के बिना तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमों इत्यादि का उल्लंघन करके किए जाते हैं।	2.	आवश्यकता से अधिक शिक्षकों की परंपरा को पोषित करना और इस तरह की नई किस्में तैयार करना।
3.	संगत दिशा-निर्देशों की परवाह किए बिना मनमाने स्थानांतरण, पदोन्नति पर तैनातियां तथा भर्ती की घटनाएं बड़ी संख्या में हैं।	3.	ऐसे पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को 1996-97 के सत्र के दौरान गृह नगर अथवा निकटवर्ती स्थान पर तैनाती किये जाने से वंचित रखना जिनकी पात्रता हेतु सेवा 3 वर्षों से कम है।
4.	उन लोगों को सताना जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी॰वी॰ नरसिंहराव को खुले पत्र लिखे थे, जिनमें उपर्युक्त गलत कार्यों की जांच करने के लिए जांच के गठन के लिए प्रार्थना की थी।	4.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, के दोषी अधिकारियों को बचाना और यहां तक कि राज्य सभा में आश्वासन दिये जाने के बाद भी किसी जांच के आदेश न देना।

विवरण-II

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक एव वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने के लिए समिति के विचारार्थ विषय और उसका गठन

समिति के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :-

1. 1991 से 1997 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्राधिकारियों (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन) और अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर विचार करना।

2. उपर्युक्त जांच श्री शिवचरण सिंह, संसद सदस्य द्वारा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को प्रस्तुत दिनांक 2.4.98 के उनके नोट में लगाए गए आरोपों तक सीमित होनी चाहिए।

समिति का गठन

1.	डा॰ कृष्ण गोपाल रस्तोगी पूर्व प्रोफेसर, रा.शै.अ.प्र.परि.	अध्यक्ष
2.	कमोडोर सतबीर (सेवानिवृत्त) पूर्व आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन	सदस्य
3.	श्री डी॰एम॰ गौतम निदेशक (संघ राज्य क्षेत्र) शिक्षा विभाग	संयोजक

मैसूर महल अधिग्रहण विधेयक, 1998

44. श्री के॰सी॰ कोंडय्या : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर महल अधिग्रहण विधेयक, 1998 संवैधानिक वैद्यता की जांच हेतु सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके क्रियान्वयन का कर्नाटक में व्यापक विरोध हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त विधेयक की संवैधानिक वैद्यता की जांच करने और राष्ट्रपति को अपनी सहमति न देने की सिफारिश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰तम्बी दुरई) : (क) मैसूर पैलेस (अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1998, संविधान के अनुच्छेद 200 और 254(2) के अधीन राष्ट्रपति के विचारार्थ और उनकी अनुमति के लिए निर्देशित किया गया था।

(ख) ऐसी कोई जानकारी भारत सरकार की सूचना में नहीं लाई गई है;

(ग) राष्ट्रपति की अनुमति 27 नवम्बर, 1998 को राज्य सरकार को भेज दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रमुख पत्तनों पर यातायात में भारी गिरावट

45. **श्री माधवराव पाटील :**

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

श्री अभयसिंह एस॰ भोंसले :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान देश के प्रमुख पत्तनों पर यातायात में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पत्तनों की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार कौन से उपाय कर रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) इस वर्ष के प्रथम 4 महीनों के दौरान देश के महापत्तनों पर हैंडल किए गए यातायात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ख) यातायात में यह गिरावट पेट्रोलियम उत्पादों, तैयार उर्वरक, कोकिंग कोयला और सामान्य कार्गो के संबंध में क्रमशः लगभग 6.70 प्रतिशत, 39.80 प्रतिशत, 5.40 प्रतिशत और 6.40 प्रतिशत है। इसी अवधि के दौरान देश के महापत्तनों से लौह अयस्क के निर्यात में भी 16.70 प्रतिशत की कमी आई है।

(ग) पत्तन उपस्करों का आधुनिकीकरण करके श्रम और मशीनरी की उत्पादकता बढ़ाकर तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के 7215 करोड़ रु. के परिव्यय से 9वीं योजना-अवधि के दौरान 159 मिलियन टन की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करके महापत्तनों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है। लगभग 8000 करोड़ रु. के गैर-सरकारी निवेश का अनुमान है।

[अनुवाद]

अनुसंधान उन्मुख शिक्षा

46. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छात्रों को अनुसंधान उन्मुख शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार शिक्षा उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग हैं। पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक प्रबोधन विश्वविद्यालयों द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं, जो कि स्वायत्त निकाय होते हैं। केन्द्रीय, सम विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों सहित ज्यादातर विश्वविद्यालयों के पास शिक्षण कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में छात्रों के लिए शोध सुविधाएं होती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सरकार मानविकी, समाज विज्ञानों, विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षण, शोध और विस्तार गतिविधियों के संवर्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती रही है। विशेष सहायता कार्यक्रम और कोसिस्ट कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं।

विशेष सहायता कार्यक्रम में सृजित मौजूदा अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा कोसिस्ट सहायता प्राप्त विभागों से शिक्षण और एम. एस.सी. तथा पी.एच.डी. स्तर के शिक्षण संबंधी अनुदेशों में, विशेषकर पठ्यक्रमों के प्रायोगिक भाग में, सुधार हुआ है।

संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के संवर्धन के लिए यह निर्णय लिया गया था कि अनुसंधान एवं विकास प्रणाली के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं तथा अवसंरचनाओं, जो शिक्षा प्रणाली के बाहर हैं, जैसे भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, डी.आर.डी.ओ., इलै. विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आ. ऊर्जा विभाग का उपयोग न सिर्फ संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए बल्कि इसका उपयोग इन संस्थाओं के प्रयोगशालाओं तथा वैज्ञानिक मानव संसाधनों को काम में लाते हुए विशेष शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने में भी किया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय प्रणाली के अन्दर ही स्वायत्त केन्द्रों की स्थापना की है ताकि विश्वविद्यालयों को वे सामान्य सुविधाएं, सेवाएं तथा कार्यक्रम प्रदान किये जा सकें जिसे पृथक विश्वविद्यालय में बनाया नहीं जा सके। ये आई.यू.सी. विभिन्न विभागों के बीच घनिष्ठ तालमेल के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करने हेतु छात्रों तथा शिक्षकों को सुविधाएं प्रदान करते हैं।

शिक्षा के गिरते स्तर के बारे में सेमिनार

47. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा के गिरते स्तर में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु राज्य शिक्षा मंत्रियों का कोई सेमिनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेमिनार में क्या सिफारिशें की गई थी; और

(ग) उक्त सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) दिल्ली में 22 और 23 अक्तूबर, 1998 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में उल्लिखित गुणात्मक सुधार पर चर्चा की गई तथा उन पर सिफारिशें की गई।

सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है तथा इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

विवरण

1. इस बात पर आम सहमति थी कि सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को एक अनिवार्य कदम के रूप में मिशन स्वरूप में लेना पड़ेगा। शिक्षा की सुलभता, सभी बच्चों का विद्यालयों में बने रहने एवं गुणात्मक पहलू इसके मुख्य घटक होंगे। इसे समुदायों की सहभागिता से केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच पूर्ण सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा। इस मिशन की रूप रेखा एवं ढांचा तैयार करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति, जिसमें असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री सदस्य के रूप में होंगे, का गठन किया गया है।

2. यह संकल्प व्यक्त किया गया कि शिक्षा के लिए जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है वह इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तथा यह स्वीकार किया गया कि सरकारी एवं निजी दोनों ही स्रोतों से और अधिक साधन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास के रूप में शिक्षा के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। शिक्षा के सभी क्षेत्रकों - प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा को इसमें शामिल करने की जरूरत है।

3. इस बात पर सहमति हुई कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा सूचना के इस युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी को, जनशक्ति प्रशिक्षण तथा उपयुक्त हार्डवेयर व साफ्टवेयर की आपूर्ति, दोनों ही दृष्टियों से शिक्षा प्रणाली में व्यापक रूप में सम्मिलित करना होगा। यह शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यबल एजेंडा का अंग होगा।

4. इस बात पर सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि शिक्षा प्रणाली सामाजिक आश्यकताओं के प्रति और अधिक जबावदेह हो। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा तथा व्यावसायीकरण पर और अधिक बल देने की जरूरत है।

5. खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की अपेक्षाकृत अधिक पहुंच, इसकी लागत के अनुपात में दीर्घकालिक प्रभावकारित को देखते हुए यह संकल्प व्यक्त किया गया कि इन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़कर और सुदृढ़ किया जाएगा। सामाजिक रूप से लाभवंचित वर्गों तक पहुंच में खुली शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की भूमिका पर बल दिया गया है।

6. शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में पहले से ही सम्मिलित लड़कियों को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने का स्वागत किया गया। इस संदर्भ में यह कहा गया कि इस कार्य के लिए केन्द्रीय बजट में कुछ धनराशि पहले से ही उपलब्ध कराई गई है। तथापि इस बात पर और अधिक चर्चा तथा विचार-वि र्श की जरूरत है कि "निःशुल्क शिक्षा" की परिधि में क्या-क्या शामिल हो तथा यह किस स्तर तक प्रदान की जाए। संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से इस पर केन्द्रीय शिक्षा सचिव के साथ राज्यों के शिक्षा सचिवों द्वारा और चर्चा की जाएगी।

7. संकल्प व्यक्त किया गया कि शिक्षा नीति में सामान्यतया लाभवंचित वर्गों तथा खासतौर पर अ.जा./अ.ज.जाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों पर बल दिया जाना चाहिए।

8. यह माना गया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर पठन - पाठन तथा पाठ्येतर कार्यकलापों के जरिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

9. यह भी नोट किया गया कि सभी शैक्षणिक प्रयासों के लिए आधार तैयार करने हेतु देश में साक्षरता के स्तर को काफी ऊंचा उठाने की जरूरत है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तथा राज्य साक्षरता मिशनों को पूरे जोश व उत्साह के साथ काम करना होगा ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

सतपुड़ा विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति

48. **श्री मोतीलाल वोरा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 अगस्त, 1998 को 'राष्ट्रीय सहारा' में "कोयले की कमी से सतपुड़ा ताप विद्युत गृह का उत्पादन गिरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विद्युत गृह को कितने कोयले की आवश्यकता है और उसे कितना कोयला उपलब्ध कराया गया है;

(ग) कोयले की कम आपूर्ति के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं; और

(घ) सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) सतपुड़ा ताप-विद्युत केन्द्र में 1992-93 से 1996-97 (अक्तूबर, 1998) के दौरान कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में हानि, एस एल सी लिकेंज, प्राप्तियां, खपत, कोयले का अंतिम स्टॉक इत्यादि को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :-

(हजार टनों में मात्रा)

वर्ष	कोयला लिंकेज	प्राप्तियां	खपत	अंतिम स्टॉक	उत्पादन हानि (मि.यू.)
1992-93	4860	4454	4361	123	18
1993-94	4860	4528	4543	105	0
1994-95	5190	5323	5170	206	0
1995-96	4800	5250	5366	57	39
1996-97	5085	5901	5714	208	0

(ग) और (घ) इस अवधि के दौरान विद्युत यूटिलिटियों की मांग की तुलना में विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा कोयले का कम उत्पादन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सतपुड़ा टीपीएस सहित कुछ विद्युत केन्द्रों को कोयले की कम आपूर्ति की गई। तथापि इस समय सभी ताप-विद्युत केन्द्रों में कोयला आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक है।

भाखड़ा बांध से विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

49. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध से विस्थापित लोगों का अब तक पूरी तरह से पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिमाचल में भाखड़ा बांध से विस्थापित व्यक्तियों जिनका राजस्थान में पुनर्वास किया गया, को भूमि आबंटित नहीं की गई है; और

(घ) विस्थापित व्यक्तियों को उचित मुआवजे के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/किन कदमों को उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अनुसार भाखड़ा बांध के विस्थापित लोगों का पुनर्वास कर लिया गया है।

(ग) और (घ) भाखड़ा पुनर्वास समिति की मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भाखड़ा बांध के विस्थापित लोगों की भूमि का आबंटन किया गया था। विस्थापित लोगों का पुनर्वास हरियाणा के सिरसा और हिसार जिलों में किया गया है। भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजे का पहले ही भुगतान कर चुका है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के लिए वित्तीय सहायता

50. **श्रीमती कमल रानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने कितने पुलों के मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इनमें से प्रतिवर्ष अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) इस संबंध में अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन पुलों की संख्या नीचे दी गई है जिनकी मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निधियां उपलब्ध कराई गई हैं :-

वर्ष	पुलों की संख्या	संस्वीकृत लागत (लाख रु.)
1995-96	3	12.87
1996-97	1	14.21
1997-98	10	417.80

(ख) अब तक खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :-

वर्ष	खर्च की गई राशि (लाख रु.)
1995-96	8.10
1996-97	2.72
1997-98	71.61
1998-99	87.71

(ग) पैरा (क) में उल्लिखित 14 पुलों में से 11 पुल पूरे किये जा चुके हैं।

सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि

51. **श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई :**

श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों तथा कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।

विद्यालय शिक्षकों की अधिवर्षिता की आयु बढ़ाने की मांग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग में विचारार्थ है।

राष्ट्रीय पुनर्गठन कोर का गठन

52. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्गठन कोर गठित करने संबंधी योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जैसा कि सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में निर्धारित किया गया है और राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों, संसद सदस्यों, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों इत्यादि के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी के सृजन संबंधी एक योजना तैयार की जा रही है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को, कृषि और ग्रामीण विकास, साक्षरता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, कला, खेल और संस्कृति के उन्नयन आदि जैसे क्षेत्रों में समुदाय आधारित विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में स्वैच्छिक आधार पर भाग लेने का सुअवसर प्रदान करना है।

(ग) इस योजना का शुभारंभ प्रायोगिक तौर पर 12 जनवरी, 1999 को स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म दिवस पर किये जाने का प्रस्ताव है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

[हिन्दी]

हरियाणा में आंगनवाड़ी केन्द्र

53. **श्री अमन कुमार नागरा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अम्बाला में कुछ आंगनवाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे हैं;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान वहां अन्य केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों में कब तक कार्य शुरू किये जाने की सम्भावना हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

शैक्षणिक ढांचे/पाठ्यक्रम में परिवर्तन

54. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**

श्री एन॰एन॰ कृष्णदास :

डा॰ रवि मल्लू :

श्री के॰पी॰ मुनूसामी :

श्री एन्सी॰ जोस :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में प्राथमिक स्तर से आगे तक वर्तमान शैक्षणिक ढांचे की पुनरीक्षा करने और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछेक राज्य सरकारों ने पहले ही पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर दिया है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) पाठ्यचर्या का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि कोई भी पाठ्यचर्या काफी समय अपरिवर्तनीय नहीं रह सकती। राष्ट्रीय स्तर पर साथ ही व्यक्तिगत स्तर भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के चलते समय-समय पर पाठ्यचर्या की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 1986 की घोषणा के परिणामस्वरूप पाठ्चर्या नवीकरण का जो प्रयास किया गया वह इस दिशा में प्रमुख प्रयासों में सबसे अंतिम है तथा सुझाए गए परिवर्तनों के मद्देनजर कई सारे कार्यक्रम/प्रयोग शुरू किए गए।

प्राथमिक स्तर पर एक प्रमुख कार्यक्रम या न्यूनतम अध्ययन स्तरों की पहचान तथा उनका कार्यान्वयन। गत कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम को देश के विभिन्न भागों में अलग-अलग मात्रा में सफलता तो मिली है लेकिन इसके कार्यान्वयन से अनेक चिंताएं भी उभरी हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद देश में पाठ्यचर्या विकास तथा इसके कार्यान्वयन से विभिन्न स्तरों पर जुड़े व्यक्तियों के साथ अनुसंधान अध्ययन आदान-प्रदान के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर फीड बैक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। व्यापक विचार-विमर्श के इसी संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. ने अक्तूबर, 1998 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया था।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं खासकर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत छोटे पैमाने पर प्रयोग किया है तथा अपने राज्य के प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कुछ संशोधन किया है। इस प्रकार के प्रयोग से पाठ्यचर्या में गुणात्मक सुधार के लिए निवेश प्राप्त होते हैं जिन्हें राज्य स्तर पर भी अपनाया जा सकता है। हांलाकि राज्यों को अपनी पाठ्यचर्या में संशोधन करने की पूरी आजादी है फिर भी उनको राष्ट्रीय स्तर पर विकसित ढांचे के प्रमुख पैरामीटरों को ध्यान में रखना होता है।

[हिन्दी]

तकनीकी शब्दावली में विसंगतियां

55. **डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने "राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली" और "आर्थिक सिद्धान्त का परिचय" नामक प्रकाशनों में तकनीकी संकल्पनाओं के हिन्दी अनुवाद में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी विसंगतियों के बारे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान का ध्यान आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन विसंगतियों को कब तक दूर किए जाने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दो प्रकाशन एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों में हिंदी में प्रयुक्त तकनीकी शब्द हर मामले में अनिवार्यतः वही नहीं है जैसा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार किए गए हैं। आयोग द्वारा बनाए गए शब्दों के पर्याप्त रूप में या बिल्कुल ही लोकप्रिय न होने के कारण ऐसा किया गया है। तथापि एन.सी.ई.आर.टी. ने विभिन्न लोगों द्वारा बनाई गई विसंगतियों को ध्यान में रख लिया है तथा जब भी इन संशोधनों को आवश्यकता समझा जाएगा तब पाठ्य पुस्तकों के नए संस्करणों में ये संशोधन कर दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक एंजेसियों के लिए निधियों का आबंटन

56. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** :

श्री डी॰एस॰ अहिरे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य और एजेंसी-वार "प्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता" योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एंजेसियों को कितनी धनराशि आबंटित/स्वीकृत की गई;

(ख) क्या साक्षरता कार्यक्रम चलाने में इन स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इस समय कार्य कर रही ऐसी स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम और पते क्या-क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) एक सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) एक सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1993-94

अभिकरण का नाम और पता	मुक्त की गई राशि (रुपयों में)
1	2
आंध्र प्रदेश	
1. श्री वीर ब्राह्मण एज्यूकेशन सोसायटी डाक-गोरानटोला, जिला-अनन्तपुर आंध्र प्रदेश - 515231	67,645
2. सेवा मन्दिर हिन्दुपुर जिला अनन्तपुर आंध्र प्रदेश - 515212	62,530
3. हरिजन इन्टिगरेटिड डेवलपमेन्ट सोसायटी पेरारेड्डी कोट्टालु, भूमायी पल्ली पोस्ट काजीपेट मण्डलम कुड्डाप जिला आंध्र प्रदेश	23,000
4. झांसी महिला मण्डली मणिपुरम, गुंटूर - 522001, आंध्र प्रदेश	4,982
5. प्राच्य भाषा विद्यापीठ, राजेन्द्र नगर, छठी लेन, बगुडीवाला - 521301, कृष्ण जिला आंध्र प्रदेश	14,213
6. आंध्र महिला सभा, कालेज परिसर, यूनिवर्सिटी रोड, हैदराबाद - 500007	1,86,308
असम	
7. बकियातारी महिला समिति, डाकखाना-बकियातारी, जिला गोलपाडा, असम - 783125	34,693
बिहार	
8. बुन्द्रासमाज कल्याण परिषद, डाकखाना - भालूइघट्टी, गया (बिहार)	2,35,248
9. लोहरदगा ग्राम स्वराज्य संस्थान, कालेज रोड, बशबहोली, लोहरदगा (बिहार)	1,30,045
10. जन जागरण संस्थान, कागाजी मोहल्ला डाकखाना-मागलकौन, ब्लाक बिहार शरीफ, नालन्दा बिहार	31,500
11. भरतीय जन उत्थान परिषद, बिहार शरीफ	21,000
12. शर्मिला ग्रामीण शिल्प कला केन्द्र पैठाना, डाकखाना, भागन बीघा, पटना, बिहार	1,20,522
13. महिला मण्डल, ग्राम और डाकखाना, बानमनखी जिला पूर्णिया, बिहार	18,890
14. जे.पी. सरिसा सेवाश्रम, कौआ चौक, डाकखाना जोरपुरा, जिला समस्तीपुर, बिहार	1,97,360
15. समस्तीपुर विकास मण्डल, नवीन पर्वत विद्यास्थली, पूसा रोड, डाकखाना - वानी, जिला समस्तीपुर (बिहार)	78,426
16. शिशुनारी प्रशिक्षण संस्थान, जलालपुर डाकखाना - मोइयुद्दीनगर, जिला - समस्तीपुर, बिहार	1,06,142
17. समता ग्राम विकास समिति, स्थान/डाकखाना रामपुर कुमार कोल, वाया महागर रोड जिला - वैशाली (बिहार)	11,580
गुजरात	
18. गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेन्शन ट्रस्ट आशीर्वाद 9/बी, केशव नगर सोसायटी सुभाष ब्रिज के पास, अहमदाबाद - 380027	5,74,000
19. दलित प्रगति युवक मण्डल जिला बनासकंठा, भरूच, गुजरात	19,384
20. ग्राम निर्माण केलवानी मण्डल, जिला भरूच, गुजरात	3,717
21. श्रीमती बी.के. बालजोशी एज्यूकेशन ट्रस्ट जिला मेहसाणा, गुजरात	1,98,000
22. बडोदरा जिला पंचायत वर्ग सेवा मण्डल सरदार भवन, रायपुरा रोड, बडोदरा गुजरात	2,10,155

1	2
23. आनन्द निकेतन आश्रम, रंगपुर, छोटा उदयपुर, गुजरात	78,266
कर्नाटक	
24. केनरा बैंक प्लेटिनम जुबली रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, केनरा बैंक भवन, 112-जे.सी. रोड, बंगलौर रोड, कर्नाटक	11,557
25. दी रूरल डवलपमेंट सोसायटी, जिला बीजापुर, कर्नाटक	36,203
मध्य प्रदेश	
26. स्टेट रिसार्स सेन्टर फोर एडल्ट एज्यूकेशन, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर, मध्य प्रदेश	2,00,000
27. श्री मालवा महिला विकास समिति, रायसेन, जिला भड़ुच, मध्य प्रदेश	4,55,000
महाराष्ट्र	
28. आधुनिक किसान शिक्षण संस्थान जिला - चन्द्रपुर, महाराष्ट्र	52,154
29. पंचशील रेडियो टी.वी. ट्रेनिंग संस्थान पुलिस स्टेशन रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	5,012
30. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एज्यूकेशन, 128/21, जे.पी. नायक रोड, कोथुई, पूना - 411029	1,28,000
31. चेतना विकास, वरधागंज, वर्धा महाराष्ट्र	29,750
32. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिन्दी नगर, वर्धा, महाराष्ट्र	1,52,000
33. चेतना विकास गोपुरी, वर्धा महाराष्ट्र	89,000
34. ग्राम विकास तंत्र निकेतन, वर्धा, महाराष्ट्र	8,750
35. कमैटी ऑफ रिसार्स आर्गेनाइजेशन फार मास प्रोग्राम आफ फंक्शनल लिटरेसी मार्फत माधव चवन, रसायन प्रौद्योगिकी विभाग बम्बई विश्वविद्यालय, मातुंगा, बम्बई	2,72,797

1	2
उड़ीसा	
36. नेताजी युवक संघ बालीपोखरी स्थान/डाकखाना पदमानन्दपुर द्वारा अखुआपाडा, जिला बालसोर, उड़ीसा	35,867
37. जयन्ती पथागार, स्थान शाहपाडा कटक, उड़ीसा	1,54,269
38. ज्वाय भारती साथी समाज जिला कटक, उड़ीसा	9,96,902
39. प्रदीप साक्षरता समिति प्रदीप पोर्ट कटक, उड़ीसा	1,47,551
40. युवा ग्रामीण पुनर्निर्माण संघ स्थान/डाकखाना-बोइन्दा, अथमलिक, जिला धेनकनाल, उड़ीसा	50,843
41. दि डिवाईन लाइफ सोसायटी जिला - गन्जम, उड़ीसा	9,060
42. विश्वास जिला कालाहांडी, उड़ीसा	3,00,000
43. भारतीय जन कल्याण केन्द्र, डाकखाना भंजपुर जिला मयूरभंज, उड़ीसा	4,63,824
44. अन्त्योदय चेतना मंडल, जिला मयूरभंज उड़ीसा	5,00,000
45. बापूजी युवा परिषद, जिला मयूरभंज उड़ीसा	2,67,715
46. विद्युत क्लब, जिला पुरी, उड़ीसा	1,81,798
47. नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, जिला पुरी, उड़ीसा	3,09,009
48. ग्राम उन्नयन समिति, जिला पुरी, उड़ीसा	2,14,217
49. भारत सेवा परिषद, कल्याण नगर, जिला पुरी, उड़ीसा	1,94,742
50. श्री श्रीबली कपिलेश्वर युवा संघ और पथागार, जिला पुरी, उड़ीसा	1,79,430
51. स्व-रोजगार और ग्रामीण विकास संस्थान, जिला पुरी, उड़ीसा	1,45,406

1	2
52. एन.आई.आई.आर.डी., डाकखाना कलाकल, जिला कटक, उड़ीसा	1,71,521
53. बी ए आर आर एस ए, डाकखाना रामकृष्णपुर, जिला भद्रक, उड़ीसा	1,16,030
राजस्थान	
54. श्री हरिकृष्ण शिक्षा एवम् सेवा समिति महल चौक, अलवर	94,480
55. भीलवाड़ा जिला प्रौढ शिक्षा संघ 8/199, सिन्धु नगर, भीलवाडा	1,57,500
56. प्रयास जिला चित्तौडगढ़	50,000
57. रोक शिक्षण संस्थान, महागोरी बाजार, जयपुर	98,908
58. राधा बाल मन्दिर विद्यालय समिति, पीपर सदर, जोधपुर	26,624
59. नव युवक मंडल, हिन्डन शहर, जिला सवाई माधोपुर	2,23,714
तमिलनाडु	
60. ग्रामीण पददलित शिक्षा और उत्थान सोसायटी, गांधी नगर, जिला चंगलपट्टु	3,28,410
61. भारतीय विकास विकल्प, अट्यापन्थामत, मद्रास	3,60,823
62. दुरैस्वामी उदार सामाजिक शिक्षा संघ जिला चेंगलपट्टु	34,591
63. राष्ट्रीय सेवा संघ एन.जी.ओ. कालोनी चेंगलपट्टु	6,24,249
64. गांधी निकेतन आश्रम मदुरै	18,056
65. कन्डस्वामी केन्द्र ट्रस्ट बोर्ड वेलुर, जिला – सलेत	3,43,000
66. चवानोड क्रास भागिनी महासंघ तिरूचिरापल्ली	8,37,752
67. अरनाड वेलालर संगम तिरूचिरापल्ली	1,04,520
68. खाजामलै महिला संघ, तिरूचिरापल्ली	18,40,254
69. सेवाई रायलपेठ चेन्नई	2,00,000
70. मंजाब संघ, लाजपत राय भवन, रायलपेठ	3,11,627
71. युवा महिला क्रिश्चियन संघ, मद्रास	68,900
72. तमिलनाडु महिला स्वैच्छिक सेवा, चेटपेट, मद्रास	2,17,000
73. वूमेन्स इण्डियन एसोसियेशन, 43, ग्रीनवेज रोड, मद्रास	12,37,450
74. तमिलनाडु बोर्ड ऑफ काम्टन्यूइंग एज्यूकेशन मार्फत एस.आर.सी.टी.एन. (अध्यार)	4,50,000
75. जयप्रकाश यूथ रिसर्च सेन्टर, मद्रास	85,594
उत्तर प्रदेश	
76. भागम्बरी आवास शिक्षा समिति, किदवाई नगर, इलाहाबाद	21,000
77. महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, मुथीगंज, इलाहाबाद	48,250
78. दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान, टैगोर टाऊन, इलाहाबाद	1,13,750
79. श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान, बदायूं	2,83,600
80. सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर सिविल लाइन्स, बदायूं	3,62,000
81. सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, भोंदहद्, बांदा	3,71,500
82. युवा प्रशिक्षण एवं विकास केन्द्र, बंगालीपुरा, बांदा	92,655
83. खादी ग्रामोद्योग समिति, बस्ती	35,151
84. मैना ग्रामोद्योग सेवा संस्था, खुर्जा	1,01,533
85. रूरल लिटिगेशन और इंटाइटलमेंट केंद्र, देहरादून	6,58,129
86. महिला कल्याण समिति खजुरिया, देवरिया	32,120
87. युवा एवम् बाल विकास समिति, देवरिया	2,40,500

1	2
88. मानव सेवा संस्थान अथरहा, देवरिया	6,17,435
89. किसान आदर्श शिक्षा समिति, रामकोला, देवरिया	1,19,620
90. मानव हितकारी सोसायटी, जतमालपुर, देवरिया	1,90,125
91. सुमन टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, एटा	1,64,110
92. श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान नौरंगाबाद, इटावा	49,000
93. सघन विकास क्षेत्र समिति, फैजाबाद	5,250
94. सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण विकास और शिक्षा सोसायटी, फैजाबाद	3,89,475
95. रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, फैजाबाद	1,09,305
96. विवेकानन्द संस्थान, अकबरपुर, फैजाबाद	6,30,419
97. जे.पी. सेवा समिति, फर्रूखाबाद	29,061
98. शान्ति समाज सेवा समिति, फर्रूखाबाद	26,250
99. राष्ट्रीय हरिजन विद्यालय, भरीवाद, गाजीपुर	3,20,330
100. अशोक संस्थान, कुण्डेसर, गाजीपुर	2,65,927
101. आर.वी. असहाय महिला गृह उद्योग संस्थान, गौण्डा	2,94,218
102. उर्मिला ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, गौण्डा	17,195
103. आदर्श जन कल्याण परिषद, बिलग्राम, हरदोई	1,42,000
104. सार्वजनिक शिक्षान्नोयन संस्थान, हरदोई	1,73,425
105. न्यू पब्लिक स्कूल समिति, डालीगंज, लखनऊ	2,35,270
106. वनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुरा, मिर्जापुर	21,18,097

1	2
107. महिला पुनरोत्थान समिति, मिर्जापुर	2,26,638
108. स्वामी विवेकामन्द शिक्षा समिति, मिर्जापुर	1,42,594
109. सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र, मुरादाबाद	97,982
110. भारतीय महिला विकास केन्द्र संस्थान, मुरादाबाद	34,470
111. आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फर नगर	6,93,650
112. आजाद सेवा समिति, शामली	4,77,500
113. खादी ग्रामोद्योग निकेतन, नैनीताल	3,00,000
114. देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, नैनीताल	1,96,500
115. निशात शिक्षा समिति, नैनीताल	3,00,622
116. पिथोरा सांस्कृतिक परिषद, पिथोरागढ	78,000
117. उत्तर प्रदेश रान बेनी माधव जन कल्याण समिति, रायबरेली	5,35,530
118. ग्रामीण समाज कल्याण समिति संस्था, मुजफ्फर नगर	2,81,163
119. दिशा सामाजिक संगठन, सुल्तानपुर, सहारनपुर	3,24,385
120. नवचेतना विकास समिति, सीतापुर	1,90,125
121. अमेठी महिला स्वैच्छिक सेवा समिति	25,769
122. ग्राम विकास सेवा संस्थान, सुल्तानपुर	1,15,500
123. माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सरेसर संस्थान, सुल्तानपुर	1,42,950
124. मानव सेवा केन्द्र, वाराणसी	1,34,700
125. बैरागी शिक्षा संस्थान, वाराणसी	1,50,000
126. चन्द्रगुप्त मौर्य विद्यानिकेतन, वाराणसी	98,548
127. लोक शिक्षण संस्थान, वाराणसी	73,000
128. मदर टेरेसा माडर्न चिल्ड्रन स्कूल, वाराणसी	1,40,926

1	2
129. सर्वोदय शिक्षा सदन समिति, फीरोजाबाद	1,42,600
पश्चिम बंगाल	
130. बर्दवान जिला साक्षरता समिति	1,50,00,000
131. रामकृष्ण मिशन जनशिक्षा मन्दिर, बेलूरमठ, हावरा	8,925
132. आल इंडिया काउंसिल फार मास एजूकेशन एंण्ड डेवलेपमेंट कलकत्ता	1,24,357
133. कलकत्ता अरबन सर्विस कन्सोर्टियम कलकत्ता	1,77,573
नई दिल्ली	
134. अखिल भारतीय प्रौढ शिक्षा संघ	99,869
135. पटेल एजूकेशन सोसाइटी	17,650
136. सेवाग्राम विकास संस्थान	4,01,148
137. डा॰ ए॰वी॰ बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट	4,64,000
138. जामिया मिलिया इस्लामिया	3,93,200
139. सेन्टर फार मीडिया स्टडीज	13,98,975
140. श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन	2,27,104

वर्ष 1994-95 का व्यय विवरण

1	2
आंध्र प्रदेश	
1. राज्य संसाधन केन्द्र, हैदराबाद	9,00,000
	20,00,000
	3,00,000
	7,11,988
2. आंध्र महिला सभा	11,250
असम	
3. ग्राम स्वराज परिषद	3,78,740
4. ज्ञान विज्ञान समिति, असम	2,92,500
बिहार	
5. अल्टानेटिव आफ इंडिया डवलेपमेंट	52,500
6. एशियन डवलपमेंट रिसर्च इंस्टीच्यूट	5,44,500
	5,00,000
	3,00,000
7. बनवासी सेवा केन्द्र	42,000
	2,47,000
8. भारतीय जन उत्थान परिषद	31,500
	10,500
9. दरौगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र	1,50,150
10. ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान	1,05,000
11. जन जागरण संस्थान	20,090
12. जय प्रकाश युथ रिसर्च सेंटर	17,500
13. महिला शुशी कल्याण संस्थान एवं हस्थ शिल्पकला प्रशिक्षण केन्द्र	9,56,635
	1,57,500
14. निर्माण भारती	3,99,300
15. पुस्तकालय सेवा संस्थान	1,27,000
16. राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ	3,30,038
17. समस्तीपुर विकास मंडल	1,50,000
18. संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति	1,28,700
19. सेवा आश्रम	2,97,000
20. शिल्प उद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	2,70,000
21. शिशु नारी प्रशिक्षण संस्थान	80,000
22. वैशाली समाज कल्याण संस्थान	2,45,700
23. वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान	1,01,644
24. जयवियर इंस्टीट्यूट आफ सोसल सर्विस	1,71,351
25. राज्य संसाधन केन्द्र दीपायतन	10,00,000
	15,00,000
	11,00,000
	3,86,301
26. ए॰एन॰ सिन्हा इंस्टीट्यूट आफ सोसल स्टेडिज	1,50,000
गुजरात	
27. गुजरात राज्य क्राईम प्रिवेन्शन ट्रस्ट	9,110
	2,12,000

1	2
28. नवभारत महिलाट्रस्ट केन्द्र	16,429
29. श्रीमती वी॰के॰ बाला जोशी एजूकेशन ट्रस्ट	22,983
	1,98,000
	66,000
30. डा॰ आर॰सी॰, गुजरात विद्यापीठ	7,00,000
	14,52,540
हरियाणा	
31. साइंस एजूकेशन एवं आर्ट सिसोर्स सेंटर	3,00,000
हिमाचल प्रदेश	
32. राज्या ज्ञान विज्ञान केन्द्र (एस.आर.सी.)	1,85,000
जम्मू एवं कश्मीर	
33. सोसल वेलफेयर आफ इंडिया	2,05,000
कर्नाटक	
34. एस.आर.सी. मैसूर	7,00,000
	10,00,000
	6,24,100
	6,97,785
केरल	
35. हरिजन सेवा संघ	1,20,782
36. राज्य संसाधन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम	9,00,000
	16,60,645
मध्य प्रदेश	
37. आल इंडिया फेडरेशन आफ एजूकेशनल एसोशिएशन	56,705
38. ज्ञान उदय एजूकेशन सोसायटी	1,42,031
39. मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी	3,99,375
40. माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	72,000
41. श्री मालवा महिला विकास समिति	98,599
	1,57,500
	9,10,432

1	2
42. रवि शंकर विश्वविद्यालय	1,25,000
43. विद्या सागर कल्याण समिति	58,614
44. इंदौर स्कूल आफ सोसल वर्क	1,38,250
45. विवेचना	1,65,000
46. एस.आर.सी. इंदौर	8,00,000
	15,000
	15,00,000
	11,05,720
47. एस.आर.सी. भोपाल	4,78,533
48. जेड एस.एस. रतलाम	1,43,000
महाराष्ट्र	
49. कोरो	4,24,000
50. गौतम शिक्षण संस्थान अमरावती	21,125
51. ग्राम सुधार योजना	36,350
52. इंडियन इंस्टीच्यूट आफ एजूकेशन	2,32,000
	3,50,000
	9,00,000
	3,49,020
	19,71,839
53. इंडियन इंस्टीच्यूट आफ रूरल वर्क्स, खंडेशवन	20,768
54. राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति	4,27,121
55. सार्वजनिक मैत्रिया वाचनालय	17,684
56. महाराष्ट्र स्टेट आफ इंस्टीच्यूट आफ एडल्ट एजूकेशन	7,50,000
	10.00,000
	4,74,000
मणिपुर	
57. मणिपुर स्डूलकास्ट वेलफेयर एशोसिएशन	3,80,205
मेघालय	
58. एस.आर.सी नेहू	5,00,000
उड़ीसा	
59. जन विकास केन्द्र	7,11,292

1	2
60. जैयानली पथागर	1,23,415
61. कस्तूरीबाई महिला समिति	22,800
62. प्रदीप साक्शरता समिति	1,18,043
63. रामजी युवक संघ	3,169
64. श्रीराम युवक संघ	9,429
65. उड़ीसा स्टेट भारत स्काउट एंड गाईड	5,00,000
66. एस.आर.सी. भुवनेश्वर	10,00,000
	12,00,000
	3,00,000
67. सी.वाई.एस.डी.	1,04,000
पंजाब	
68. पंजाब बैकवर्ड क्लास डवलपमेंट बोर्ड	3,28,193
	3,99,000
69. पंजाब विश्वविद्यालय	1,00,000
70. एस.आर.सी. चंडीगढ़	5,00,000
	3,00,000
राजस्थान	
71. भिलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति	31,915
72. ग्रामीण बालविकास संस्था	43,627
73. नव युवक मंडल	1,78,974
74. सेवा मन्दिर	6,29,670
75. एस.आर.सी. राजस्थान	5,00,000
	17,18,890
तमिलनाडु	
76. अरनाद विलालर संगम	5,250
	1,99,714
77. कोंगरीगेशन आफ सिसटर आफ दा क्रोश आफ बवनुड	17,500
	17,500
	1,70,000
78. एजूकेशन एंड अपलिफट सोसायटी आफ रूरल डाउनटरोडन	1,72,250
	2,53,470
79. कनडास्वामी केन्द्र ट्रस्ट	2,57,250
	77,175

1	2
80. खवाजामलाई लेडिज एशोसिएशन	52,500
	68,250
	19,914
	6,53,000
	2,70,000
	15,750
	2,76,343
81. कुंडराकुडी थिरूवनामलाई अधीनम ट्रस्ट	4,432
82. माधर नाला ठोन्डु नीरूवनम	21,000
	35,000
83. पंजाब एशोशिएशन	8,000
	80,000
	5,688
	17,500
	17,500
	1,12,500
	1,12,500
	17,500
84. रूरल डवलेपमेंट सेवा केन्द्र	24,412
	32,184
	9,185
	6,950
85. सोसायटी फार एजूकेशन विलेज	3,83,850
86. तमिलनाडु साइंस फोरम	3,96,150
87. त्रिरूपुटर रूरल अपलिफट	6,620
88. वैमन्स वालंटरी आफ तमिलनाडु	1,62,750
	27,390
	3,14,000
	4,72,500
89. यंग विमेन क्रशचन एसोशिएशन	9,000
	1,449
	66,000
90. एस.आर.सी. मद्रास	9,00,000
	11,000
	3,92,784
	10,84,196
91. मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डिवलपमेंट स्टेडीज़	1,62,525
92. वूमेन इंडियन एसोसियेशन	4,72,500
	3,14,000

1	2
उत्तर प्रदेश	
93. अभियान	65,276
94. आदर्श सेवा समिति	1,81,000
	2,36,900
	93,651
	3,29,525
95. अखिल भारतीय महिला सेवा संस्थान	4,02,000
96. अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान	14,000
97. अखिल भारतीय निर्बल विकास संस्थान	5,950
98. अमेठी महिला स्वैच्छिक सेवा समिति	15,750
	5,250
99. आशा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय	5,371
100. आजाद सेवा समिति	3,82,000
	1,83,750
101. बैरागी शिक्षा संस्थान	1,19,217
102. बनवासी सेवा आश्रम	10,51,600
	2,81,910
103. बनवासी विकास आश्रम	5,950
104. भारतीय शिक्षणसेवा संस्थान	6,88,886
105. चन्द्रगुप्त मौर्य विद्या निकेतन	78,848
106. दलित मानव उत्थान संस्थान	4,49,134
107. दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	1,18,900
108. देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान	1,97,245
109. डा॰ अम्बेडकर समाज सेवा मण्डल	8,33,000
110. ग्रामीण सेवा मंडल	3,48,000
111. ग्रामीण समाज कल्याण समिति	2,50,000
112. ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान	1,90,125
	1,52,000
	75,860
113. ग्रामीण विकास एवं शिक्षासंस्थान	5,16,200
114. ग्रामीण विकास समिति	4,85,940
115. इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हैल्थ वेलफैयर रूरल डिवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल सोसायटी	15,332
	18,750
	1,99,700

1	2
116. जन शिक्षण अकादमी	23,693
117. कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान	2,69,000
118. खादी ग्रामोद्योग निकेतन नैनीताल (उ.प्र.) पिन-244712	3,00,000
119. किशन आदर्श शिक्षा समिति	1,19,620
120. माध्यमिक विद्यालय परब गांव सारेसर संस्थान	9,464
121. महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	8,100
122. मदर टेरेसा माडर्न चिल्ड्रन स्कूल	1,12,740
123. मैना ग्रामोद्योग सेवा संस्था	63,000
	18,981
124. नव चेतन विकास समिति	1,52,000
125. न्यू पब्लिक स्कूल समिति	1,26,700
	2,78,494
	2,47,400
126. निशात शिक्षण समिति	17,500
	1,84,500
	1,11,956
	43,398
	83,800
127. प्रियदर्शिनी खादी ग्रामोद्योग	4,85,062
128. रूरल लिटिगेशन एण्ड एनलाइटमेंट केंद्र	3,67,500
	6,00,000
129. सघन क्षेत्र विकास समिति	3,34,600
130. समाज उत्थान एंव अनुसंधान संस्थान	4,77,750
131. सर्वदलीय मानव विकास केंद्र	14,000
132. सार्वजनिक शिक्षान्नोयन संस्थान	2,50,000
133. श्री हरि ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	36,750
134. श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति	30,000
135. श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान	2,27,000
136. श्री संस्कृत शिक्षा प्रसार समिति	1,00,000
137. सुजन उत्तर प्रदेश नेकपुर सिविल लाइन्स	2,89,600
138. सुमन टैक्निल इंस्टीट्यूट	1,31,200
	66,490

1	2
139. यू.पी. राना बेनी माधव जन	1,57,500
कल्याण समिति	1,55,448
	52,500
	1,30,631
140. विवेकानंद संस्थान	3,20,800
141. लिटरेसी हाउस लखनऊ	10,00,000
पश्चिम बंगाल	
142. बर्द्धवान जिला साक्षरता समिति (बीजेडएस एस)	13,00,000
143. दक्षिण छब्बीस परगना जेडएसएम	5,01,750
144. रामकृष्ण मिशन लोकशिक्षा परिषद्	37,00,000
145. टेगौर सोसायटी फॉर रूरल डिवलपमेंट	10,500
	588
	36,321
	30,385
146. एसआरसी कलकत्ता	15,81,754
(बंगाल सोशल सर्विस लीग)	8,00,000
दिल्ली	
147. अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ	22,500
148. डा॰ ए.वी. बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट	1,56,000
	2,15,200
	14,006
149. इण्डिया विज़न फाउण्डेशन	2,58,000
150. इण्डियन एडल्ट एजुकेशन एसोसियेशन	78,750
	13,125
	58,875
	33,750
151. जिज्ञासा	67,500
152. पटेल एजुकेशन सोसायटी	17,650
	2,28,000
153. प्रेरणा एसोसिएट सैन्टर फार	1,837
डिवेलपमेंट एण्ड पापुलेशन एक्टिविटि	4,197
154. राजीव गांधी फाउन्डेशन	8,47,500
	150,00,000
155. सेवाग्राम विकास संस्थान	3,27,825
	2,50,186

1	2
156. राज्य संसाधन केन्द्र	1,01,719
जामिया मिलिया इस्लामिया	10,00,000
	12,76,453
	13,500
157. मिडिया अध्ययन केन्द्र	4,47,454

वर्ष 1995-96 का व्यय विवरण

आंध्र प्रदेश	
1. आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसायटी (रा.शै.अ.प्र. परिषद)	85,83,750
2. सेवा मंदिर	2,59,000
हिन्दूपुर जिला	2,59,000
3. प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता के लिए राज्य संसाधन केन्द्र कैम्पस विश्वविद्यालय रोड	18,00,000
असम	
4. सदाओं असम ग्राम्य पुथीभरल संस्था	3,25,000
5. राज्य संसाधन केन्द्र असम ज्ञान विज्ञान	12,50,000
समिति, कार्यालय : असम	58,500
	12,50,000
बिहार	
6. ए॰एन॰ सिन्हा	20,000
सामाजिक अध्ययन संस्थान	30,820
7. अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान, ग्राम : कटरा	80,300
8. एशियाई विकास अनुसंधान	5,00,000
संस्थान	14,89,000
	15,00,000
	3,94,352
	2,59,558
9. वनवासी सेवा केन्द्र, पोस्ट - अधौरा	2,562
10. ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान	36,180
11. हरिशक्ति दतव्य स्वैच्छिक सेवा संस्थान	1,13,100
12. जन जागरण संस्थान	9,960

1	2
13. जन कल्याण विकास परिषद	88,920
14. जयप्रकाश सेवा संस्थान	70,290
15. निर्माण भारती, चाक बिजगनी	79,900
16. पं. श्री राम शर्मा सेवा संस्थान	1,12,000
17. समता ग्राम सेवा संस्थान	1,03,000
18. दीपायनन बुद्ध कालोनी	6,00,000 10,00,000
19. वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान	20,300
20. विवेक विहार सेवा संस्थान	1,00,685
गुजरात	
21. गुजरात राज्य अपराध निवारण न्यास	2,71,184 1,06,000
22. लोक कल्याण सोसाइटी, दुबयानी	6,921
23. श्रीमती बी॰के॰ बालजोशी शिक्षा न्यास	1,50,072 66,000
24. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ	4,50,000 12,50,000 3,60,000
हरियाणा	
25. भारत ज्ञान विज्ञान समिति (राज्य संसाधन केन्द्र)	5,00,000
हिमाचल प्रदेश	
26. राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र (राज्य संसाधन केन्द्र)	5,31,600
जम्मू-कश्मीर	
27. भारतीय समाज कल्याण, प्रधान कार्यालय-शाहदरा शरीफ	69,010
28. राज्य संसाधन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	5,00,000 5,00,000 6,00,921 10,00,000
कर्नाटक	
29. अमृत शैक्षिक सांस्कृतिक सोसाइटी	7,110

1	2
30. मैसूर जिला स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संघ	1,08,512
31. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, कर्नाटक	4,00,000 15,00,000
केरल	
32. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, केरल अनौपचारिक शिक्षा संघ	7,00,000
मध्य प्रदेश	
33. अभिव्यक्ति जन-शिक्षा एवं संस्कृति समिति	10,00,000
34. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, मध्य प्रदेश, इंदौर (बी.जी.एम.एस.)	1,72,512 14,00,000 12,00,000
महाराष्ट्र	
35. जन कार्यात्मक साक्षरता जन कार्यक्रम हेतु संसाधन संगठन समिति	3,18,000
36. भारतीय शिक्षा संस्थान	3,48,000 3,84,000
37. गैर औपचारिक शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र	7,50,000 10,00,000
38. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	76,760
मेघालय	
39. राज्य संसाधन केन्द्र, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	7,06,913 8,28,000
उड़ीसा	
40. जातीय चेतना विकास मधुबन, वार्ड सं. 7, बारीपद	8,99,340
41. जय भारती साथी समाज डा. घ. - सबालोंग	4,98,450
42. एन.आई.आई.आर.डी., छेलिया पाड़ा, डा.घ. - कालाकाला	85,775
43. प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र	17,62,500

1	2
राजस्थान	
44. प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, राजस्थान	6,00,000
तमिलनाडु	
45. राष्ट्रीय सेवा संघ	4,56,361
46. कांग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द क्रॉस	17,500 16,902
47. कंदास्वामी केन्द्र न्यास बोर्ड वेलूर, जिला-सालेम	5,747
48. खाजामलाई महिला संघ, डा.घ. - खाजामलाई	1,31,760
49. पंजाब एसोसिएशन लाजपत राज धवन	33,750 33,750
50. अनौपचारिक शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, (तमिलनाडु अनवरत शिक्षा बोर्ड)	5,00,000 25,00,000 6,00,000
51. तमिलनाडु महिला स्वैच्छिक सेवा	8,560
52. भारतीय महिला एसोसिएशन	4,23,675
उत्तर प्रदेश	
53. आदर्श सेवा समिति	77,900 47,383 42,597
54. अशोक संस्थान, कुंदेसर, गाजीपुर	1,06,560 1,61,492 2,64,845 3,80,160 2,18,118
55. आजाद सेवा समिति वी॰पी॰ इंटर कालेज	36,750 1,21,880 69,832
56. बाल कल्याण केन्द्र पिदेरा, डाक दयोरिया	1,86,892
57. बनवासी विकास आश्रम गांव एवं डाक मेज़ाखान	9,474
58. दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	41,370

1	2
59. देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, गांव कहाल कबीरा	1,00,800 50,645
60. जी.बी. पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट	1,51,525
61. गिरी विकास अध्ययन संस्थान	1,02,800
62. ग्रामीण समाज कल्याण समिति, ग्राम-खेड़ा	31,146 80,930 38,000
63. समाज स्वास्थ्य कल्याण ग्रामीण विकास एवं शैक्षिक समिति संस्थान	1,75,000
64. खादी ग्रामोद्योग निकेतन, महुआडाबरा	2,36,985 15,00,000
65. साक्षरता भवन, लखनऊ	5,00,000 1,99,777
66. लोकहित ट्रस्ट	5,94,600
67. महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	4,212 4,865
68. राष्ट्रीय हरिजन विद्यालय, बाहरियाबाद	38,125
69. नव चेतना विकास समिति	1,44,375
70. निशात शिक्षा समिति	51,715 16,918
71. पर्वतीय आदिम जाति कमजोर वर्ग समिति	23,000
72. आर.वी. असहाय महिला गृह उद्योग संस्थान	2,35,000
73. रूरल लिटीगेशन एण्ड एनलाइटमेंट केन्द्र	74,000 1,22,500 1,26,198
74. सरदार पटेल लोक कल्याण समिति	2,97,000 91,840
75. श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान	1,732
76. श्री शरण स्मारक सेवा संस्थान	1,34,790
77. श्री संस्कृत शिक्षा प्रसार समिति	99,376 1,25,800
78. सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर, सिविल लाइन्स	86,670
79. सुमन टेक्नीकल इंस्टीटयूट, चांदी	31,351 46,300 13,300

1	2
80. उत्तर प्रदेश राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति	37,578
	4,88,295
	1,62,765
81. युवा एवं बाल विकास समिति देवरिया, उत्तर प्रदेश	83,816

पश्चिम बंगाल

1	2
82. उत्तर 24 परगना जिला साक्षरता समिति	5,01,000
83. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र द्वारा बंगाल: समाज सेवा संघ	18,00,000
	65,855
	8,03,066

पंजाब

1	2
84. क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चण्डीगढ़	5,00,000
	10,00,000
	10,87,327

दिल्ली

1	2
85. डा॰ ए॰वी॰ बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट	1,72,463
86. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ	4,850
	6,155
	4,161
87. भारतीय कार्यरत पत्रकार संघ	1,50,000
88. जिज्ञासा द्वारा 70-बी, सी.पी. डब्ल्यू.डी. काम्पलेक्स	22,500
89. कथा बिल्डिंग सैन्टर	5,49,974
90. राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिक एवं विकास अध्ययन संस्थान	1,61,000
91. सेवा ग्राम विकास संस्थान	2,90,200
92. राज्य संसाधन केन्द्र जामिया मिलिया इस्लामिया	4,00,000

वर्ष 1996-97 का व्यय विवरण

आंध्र प्रदेश

1	2
1. आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल	16,35,000
	73,300
	5,00,000
2. राज्य संसाधन केन्द्र, हैदराबाद	13,82,909
	15,49,499

असम

1	2
3. राज्य संसाधन केन्द्र, गुवाहाटी	6,99,727
असम शिक्षा विज्ञान और कला सम्पद केन्द्र	12,49,000

बिहार

1	2
4. एशियन विकास अनुसंधान संस्थान (ए.डी.आर.आई)	3,75,000
	3,68,000
	1,10,724
	10,00,000
	4,00,000
	2,36,842
	3,00,000
	3,61,431
	8,00,000
	10,77,000
5. जयप्रकाश सेवा सदन, पटना	56,200
6. पुस्तकालय सेवा सदन	25,510
7. वैशाली समाज कल्याण	49,140
	27,405
8. बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान	2,78,300
9. शिल्प उद्योग शिक्षा प्रतिष्ठान संस्थान	54,000
10. ग्राम स्वराज अभियान संस्थान	42,680
11. राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन	15,00,000
	12,54,157
12. ए.एल.पी. संख्याक कल्याण संस्थान	25,251
13. दरोगा प्रसाद राय महिला प्रकाशन उद्योग केन्द्र	1,20,120
14. राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ	66,000
15. पूर्व एवं पश्चिम शिक्षा संस्थान	1,00,000
16. आर्य समाज बामनगामा	1,69,680
17. वैशाली शान्ति समाज कल्याण संस्थान	13,300
18. निर्माण भारती	46,776
19. संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति	25,800

1	2
20. सेवाश्रम	94,900
21. समता ग्राम सेवा संस्थान	1,44,000
पंजाब	
22. क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चंडीगढ़	5,00,000
	4,00,000
दिल्ली	
23. राज्य संसाधन केन्द्र	7,99,636
जामिय मिलिया इस्लामिया	64,079
	19,20,000
	5,00,000
24. विजन इंडिया चैरीटेबल ट्रस्ट	24,98,400
25. जागौरी	4,35,160
26. सदभावना न्यास	13,04,050
27. साउथ एशियन नेटवर्क फार	21,45,420
अल्टरनेटिव मीडिया (एस.ए.एन.ए.एम.)	21,45,420
28. एन.आई.ए.ई. नई दिल्ली	4,37,074
29. आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप	4,80,000
30. सेन्टर फार मीडिया स्टडीज	3,96,750
गुजरात	
31. श्रीमती बी॰के॰ बालजोगी शिक्षा ट्रस्ट	1,30,000
32. गुजरात स्टेट क्राइमपरीवेशन ट्रस्ट	2,77,677
	63,600
33. गुजरात विद्यापीठ	7,31,987
हरियाणा	
34. सांईस एजुकेशन एडं आर्ट	2,00,000
रिसोर्स सैन्टर	2,00,000
हिमाचल प्रदेश	
35. राज्य संसाधन केन्द्र	3,02,198
राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र	3,00,000
जम्मू एवं कश्मीर	
36. जम्मू एवं कश्मीर इंस्टीच्यूट एण्ड हैण्डीकैप्ड वैल्फेयर एसोसिएशन	8,00,000
37. राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर	4,87,607
विश्वविद्यालय	90,660
कर्नाटक	
38. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन	2,88095
केन्द्र कर्नाटक	18,00,000
39. भारतीय विकास सेवा (अंतर्राष्ट्रीय)	31,368
केरल	
40. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र,	9,55,535
केरल	15,00,000
	10,00,000
मध्य प्रदेश	
41. अभिव्यक्ति जन शिक्षा एवं	6,00,000
संस्कृत समिति	11,40,000
	2,30,000
42. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य	17,63,668
संसाधन केन्द्र, इंदौर भारतीय ग्रामीण महिला संघ	5,00,000
43. अक्षर यात्रा अभियान समिति,	2,25,000
44. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल समिति	5,00,000
महाराष्ट्र	
45. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	30,00,000
46. राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय शिक्षा	14,50,000
संस्थान	13,76,700
	4,39,705
	1,00,000
47. साक्षरता हक समिति साहस, ग्रेटर बम्बई	2,39,400
48. महाराष्ट्र प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	10,00,000
	17,71,988
मेघालय	
49. राज्य संसाधन केन्द्र	5,85,000
उत्तर-पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय	3,50,000

1	2
उड़ीसा	
50. ग्राम मंगल पाथागर	1,70,722
51. ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए युवा संघ	5,08,918
52. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन	11,18,164
केन्द्र उड़ीसा	10,00,000
	3,32,343
	2,39,986
राजस्थान	
53. राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ	13,77,343
(राज्य संसाधन केन्द्र)	5,00,000
	14,49,083
तमिलनाडु	
54. सोसाइटी फार एजुकेशन विलेज एक्शन एण्ड इम्प्रूवमेंट	1,49,549
55. पंजाब एसोसिएशन	17,795
	17,651
56. वूमैन इंडिया एसोसिएशन	2,50,636
	1,99,097
57. तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड	2,13,806
	1,12,088
	8,98,853
	4,56,838
	18,00,000
58. आनन्द वेलालार संगम	51,614
	66,259
59. कांग्रेगेशन ऑफ सिस्टर ऑफ द क्रॉस,	28,333
छौनाद	1,57,592
60. वाई.डब्ल्यू.सी.ए.	8,733
61. तमिलनाडु साईंस फोरम	1,32,050
त्रिपुरा	
62. भारत ज्ञान-विज्ञान समिति	4,73,000
पश्चिम बंगाल	
63. प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन	18,00,000
केन्द्र द्वारा बंगाल सोशल सर्विस लीग	5,93,096
	1,26,283
	15,00,000

1	2
64. भारतीय प्रबन्ध संस्थान	4,38,750
उत्तर प्रदेश	
65. न्यू पब्लिक स्कूल समिति	2,33,690
	31,030
	1,21,500
	1,92,430
	82,480
	1,92,430
	97,200
66. दरियागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	1,86,200
	26,355
67. सुमन तकनीकी संस्थान	8,712
	44,300
	37,000
	35,440
68. आदर्श सेवा समिति	45,275
	29,671
	1,84,200
	1,47,400
69. निशात शिक्षा समिति	27,955
	37,319
	74,600
	54,900
70. ग्रामीण सेवा मंडल	77,140
71. आजाद सेवा समिति	1,30,585
	23,492
	97,500
	1,04,000
	24,395
	1,21,880
72. विवेकानन्द संस्थान	23,583
	1,06,970
	3,47,500
73. महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	1,25,925
74. ग्रामीण समाज कल्याण समिति	20,585
	64,750
	12,823
	68,500
75. कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान	3,76,000

1	2
76. सृजन उत्तर प्रदेश	17,350
77. श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान	26,965
78. खादी ग्रामोद्योग निकेतन	77,715
79. सरदार पटेल लोक कल्याण समिति	1,13,300
	73,400
	90,600
80. अशोक संस्थान	3,04,000
81. यसंघन क्षेत्र विकास समिति	1,76,300
82. बनवासी सेवा आश्रम	9,641
83. नव चेतना विकास समिति	28,875
84. ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान	35,406
85. क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	3,00,000
86. राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस	17,41,152
87. अभियान लोधु थोक, आत्रा बांदा	52,200
88. ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान	1,00,000
89. गोविंद बल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान	1,21,000
90. सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा सोसाइटी संस्थान	28,745
91. दलित मानव उत्थान संस्थान	58,263
92. ग्रामीण मुकद्देबाजी तथा पात्रता केन्द्र	2,45,000
	1,22,500
	1,22,500
	48,500
93. देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	40,500

वर्ष 1997-98 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को दी गई धनराशि का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	निर्मुक्त की गई राशि (रुपयों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, हैदराबाद	5,00,000
2.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस, हैदराबाद	35,01,185
असम		
3.	राज्य संसाधन केन्द्र, नव साक्षरता केन्द्र असम, गुवाहाटी	19,12,000
4.	सदाउ असम ग्राम्य पुथीभराल संस्था, असम	2,12,000
5.	अलकनंदा मानव कल्याण एसोसिएशन, असम	32,500
6.	बरखेत्री उन्नयन समिति, कुमुकलमुआ, असम	6,87,355
7.	राज्य संसाधन केन्द्र ज्ञान-विज्ञान, असम	2,00,000
8.	जालूगुति अग्रगामी महिला समिति, मोरीगांव, असम	1,50,000
बिहार		
9.	विवेक विहार सेवा संस्थान, पटना, बिहार	80,500
10.	दीपायतन, बिहार राज्य संसा संस्थान, पटना	32,95,376
11.	एशिया विकास अनुसंधान संस्थान, पटना	61,60,990
12.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान, वैशाली	42,685
13.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान, वैशाली, बिहार	1,78,295
दिल्ली		
14.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	25,88,858
15.	दक्षिण एशियाई वैकल्पिक मीडिया नेटवर्क, मुनीरका, नई दिल्ली	7,50,000
16.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	26,75,197
17.	डा. ए.वी. बलिगा स्मारक न्यास, नई दिल्ली	2,20,000
18.	प्रौढ़ निरंतर शिक्षा और विस्तार इकाई, समाज विज्ञान स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	66,000

1	2	3
19.	विजन इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	20,00,000
20.	पटेल शिक्षा सोसाइटी, नई दिल्ली	76,000
21.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन, नई दिल्ली	8,48,029
22.	सदभावना ट्रस्ट, दिल्ली	7,00,000
23.	जगोरी साउथ एक्टेन्सन-II, नई दिल्ली	2,00,000
गुजरात		
24.	श्रीमति बी॰के॰ बाल जोशी शिक्षा न्यास, मेहसाना	1,64,671
25.	गुजरात राज्य अपराध निवारण न्यास	3,78,074
26.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	4,00,000
27.	भारतीय प्रबंधन संसाधन, अहमदाबाद	1,25,000
हरियाणा		
28.	राज्य संसाधन केन्द्र, रोहतक	9,00,000
हिमाचल प्रदेश		
29.	राज्य ज्ञान-विज्ञान केन्द्र, राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	10,40,884
जम्मू व कश्मीर		
30.	जम्मू-कश्मीर राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,90,660
कर्नाटक		
31.	मैसूर राज्य संसाधन केन्द्र, कर्नाटक	35,35,834
केरल		
32.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	4,00,000
मध्य प्रदेश		
33.	राज्य संसाधन केन्द्र अभिव्यक्ति, भोपाल	21,85,000
34.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	41,00,000

1	2	3
35.	मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल समिति, भोपाल	5,00,000
36.	इंदौर सामाजिक कार्य स्कूल, इन्दौर	39,625
37.	इन्नोवेटिव इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट आफ टी.एल.सी. पी.एल.सी. और सी.ई. बाय जेड एस.एस. बिलासपुर	2,25,000
महाराष्ट्र		
38.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुम्बई	20,000
39.	भारतीय शिक्षा संस्थान (रा.सं.के.), पुणे	43,88,950
40.	आर.आर.सी. औरंगाबाद, (महाराष्ट्र प्रौढ़ शिक्षा राज्य संस्थान)	12,50,000
41.	टाटा प्रबंधन संस्थान, मुम्बई	82,500
42.	कोरो फार लिट्रासिम, मुम्बई	2,12,000
43.	जन प्रयोगात्मक साक्षरता कार्यक्रम हेतु संसाधन संगठन समिति, मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई	1,04,153
44.	जिला साक्षरता इकाई, पुणे	2,32,000
45.	जिला साक्षरता इकाई, उत्तर मुम्बई	2,32,000
मणिपुर		
46.	दक्षिण पूर्वी ग्रामीण विकास संगठन, मणिपुर	33,000
मेघालय		
47.	राज्य संसाधन केन्द्र शिलांग, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	16,50,000
उड़ीसा		
48.	युवा और सामाजिक विकास केन्द्र, भुवनेश्वर	31,170
49.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा, भुवनेश्वर	26,10,618

1	2	3
50.	बी.जी.वी.एस. उड़ीसा, भुवनेश्वर	1,40,500
पंजाब		
51.	प्रौढ़ तथा निरंतर शिक्षा हेतु क्षेत्रीय, संसाधन केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंड़ीगढ़	21,74,750
राजस्थान		
52.	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	25,00,000
तमिलनाडु		
53.	अनौपचारिक शिक्षा हेतु राज्य संसाधन केन्द्र, तमिलनाडु अनवरत शिक्षा बोर्ड, मद्रास	22,19,947
54.	प्रबंधन स्कूल, भारतीय विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	60,000
उत्तर प्रदेश		
55.	ग्रामीण विकास समिति, इलाहाबाद	3,36,420
56.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	1,52,430
57.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्था, मुजफ्फरनगर	25,290
58.	नव चेतना विकास समिति, सीतापुर	2,11,750
59.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	2,25,212
60.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, नैनीताल	78,995
61.	राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ, लिटरेसी हाउस	36,85,868
62.	आर.आर.सी. लखनऊ	2,00,000
63.	श्री रामशरण स्मारक सेवा संस्थान वदाऊँ	1,67,156
64.	सुमन तकनीकी संस्थान, जिला-एटा	18,206
65.	अशोक संस्थान, गाजीपुर, जिला उ॰प्र॰	5,77,977
66.	आजाद सेवा समिति, शामली, उ॰प्र॰	1,48,469
67.	आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फर नगर	36,655
68.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	2,79,387
69.	ग्रामीण सेवा मण्डल सरेमानसुर, इलाहाबाद	1,58,240
70.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, कहल कविरा, जिला नैनीताल, उ॰प्र॰	44,350
71.	समाज उत्थान एवम् अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	2,94,000
71क.	रूरल लिटिगेशन एण्ड एनटाइटलमेंट केन्द्र, देहरादून, उ॰प्र॰	2,94,000
72.	समाज उत्थान एवम अनुसंधान संस्थान,	3,14,982
73.	सराजन उत्तर प्रदेश नेकपुर सिविल लाइन्स बदायूं, उ॰प्र॰	41,029
74.	दलित मानव उत्थान संस्थान, इलाहाबाद, उ॰प्र॰	90,722
75.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बीकानेर, फैजाबाद	1,36,682
76.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान जिला इलाहाबाद	2,61,419
77.	निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी, नैनीताल	43,979
78.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	24,300
79.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, भाडेहाडु, जिला बांदा, उ॰प्र॰	22,493
80.	डा॰ अम्बेडकर समाज सेवा मण्डल, गांव बेसकी, जिला इलाहाबाद, उ॰प्र॰	2,59,614
81.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति वृदावन जिला मथुरा, उ॰प्र॰	36,815
त्रिपुरा		
82.	एस.आर.सी. ज्ञान विज्ञान समिति मेलारमठ, अगरतला पश्चिम त्रिपुरा	4,00,000
पश्चिम बंगाल		
83.	एस.आर.सी. फार ए.ई., बंगाल सोशल सर्विस लीग कलकत्ता	34,50,000
84.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता	2,71,250

विवरण-II

स्वैच्छिक संगठनों को संस्वीकृत साक्षरता कार्यक्रमों की समीक्षा

साक्षरता कार्यक्रम प्रदान करने में स्वैच्छिक संगठनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए मानीटरिंग तथा मूल्यांकन का प्रावधान योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रत्येक तीन माह के बाद तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रोफार्मा निर्धारित कर लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ प्रबंधन सूचना प्रणाली आधारित विशिष्ट प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया है। परियोजना पूरी होने पर स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्येक परियोजना के लेखाओं का लेखा-परीक्षा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

परियोजना पूरी होने के बाद संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा लेखों का लेखा-परीक्षा विवरण के साथ-साथ अन्तिम प्रगति रिपोर्ट की मंत्रालय में विधिवत जांच की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के भाग पर कोई कमी यदि एम.आई.एस. प्रोफार्मा/लेखा-परीक्षा विवरण में देखने को मिलती है तो अशुद्धिशोधन के लिए संबंधित स्वैच्छिक एजेंसी को सूचित कर दिया जाता है।

चूंकि परियोजनाओं की जांच तथा सिफारिश राज्य सरकारों द्वारा की जाती है, साक्षरता कार्यक्रमों की प्रगति संबंधी मानीटरिंग का उत्तरदायित्व राज्य स्तरीय प्राधिकारियों का है। राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा जिला स्तरीय प्रौढ़ प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे साक्षरता परियोजनाओं का क्षेत्र निरीक्षण नियमित रूप से करें। परियोजना की प्रगति का मानीटरिंग करने के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकारियों की टिप्पणियों पर विचार किया जाता है जो उनके क्षेत्र दौरे पर आधारित होती है।

इसके अलावा, स्वयं सेवी एजेंसियों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन बाहरी मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा भी परियोजना के पूरा होने पर किया जाता है। जिन स्वयं सेवी एजेंसियों ने अनुवर्ती कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है उन्हें बाह्य मूल्यांकन के लिए चुना जाता है।

मूल्यांकन के परिणामों से स्वयं सेवी एजेंसियों को अवगत कराया जाता है ताकि वे अनुवर्ती परियोजनाओं में उपचारी कदम उठा सकें। गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न स्वयं सेवी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित 59 साक्षरता परियोजनाओं का बाहर से मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन का परिणाम संतोषप्रद न होने की स्थिति में उन स्वयं सेवी एजेंसियों को दुबारा से परियोजनाएं संस्वीकृत नहीं जाती हैं।

विवरण-III

इस समय कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम तथा पते

आंध्र प्रदेश

1. राज्य संसाधन केन्द्र
साक्षरता गृह
आंध्र महिला सभा
एम.एस. कालेज परिसर
विश्वविद्यालय रोड, हैदराबाद
2. आंध्र प्रदेश मुक्त स्कूल सोसायटी
लाल बहादुर स्टेडियम के पास, हैदराबाद

असम

3. राज्य संसाधन केंद्र
ज्ञान विज्ञान समिति असम
एफ.सी. रोड उजम बाजार, गुवाहाटी
असम - 781001
4. सदायू असम ग्राम्य पुथीभराल संस्था
हैवर गांव, डाकघर - नैगांव, असम

बिहार

5. आर्य समाज वाभंगमा
डाकघर - रजनी वाभंगमा
जिला - मधेपुरा
6. एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान
बी.एस.आई.डी.सी. कालोनी, बोरिंग रोड के सामने,
पाटलीपुत्र रोड, पटना, बिहार - 800013
7. बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान
फतेह मुबारक, महुआ ब्लाक,
जिला - वैशाली, बिहार
8. संवासी सेवा केन्द्र
ग्राम एवं डाकघर - अधौरा
जिला - रोहतास, बिहार - 821116
9. राज्य संसाधन केन्द्र,
दीपायतन बुद्ध कालोनी, पटना - 800001
10. ग्राम स्वराज अभियान संस्थान
ग्राम - करिहॉल, डाकघर - विष्णुपुर
वेश्या, थाने महुआ, जिला - वैशाली, बिहार
11. जन कल्याण विकास परिषद
क्वाटर नं॰ - 819/डी॰ लंका कालोनी
डाकघर - खगौल, जिला - पटना, बिहार

12. महिला शिशु कल्याण संस्थान एवं हस्त शिल्प
कला प्रतिष्ठान केन्द्र
ग्राम - मण्छिापर, डाकघर - हथुआ
जिला - गोपालगंज, बिहार- 841436

13. निर्माण भारती
ग्राम - चक विजगनी, डाकघर - वलवा कौरी
जिला - वैशाली, बिहार - 844101

14. शिल्प औद्योगिक शिक्षण प्रतिष्ठान संस्थान
ग्राम - दहियावान (सघनपुरी)
जिला - सारण (छपरा) बिहार

15. शिशु नारी प्रतिष्ठान संस्थान
जलालपुर, डाकघर - मोहिबुद्दीन नगर
जिला - समस्तीपुर, बिहार

16. वैशाली समाज कल्याण संस्थान
ग्राम एवं डाकघर-विदुपुर बाजार
जिला - वैशाली, बिहार - 844503

17. वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान
एस.डी.ओ. रोड, हाजीपुर
जिला - वैशाली, बिहार

गुजरात

18. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र
गुजरात विद्यापीठ
आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380014

हरियाणा

19. राज्य संसाधन केन्द्र
भारत ज्ञान विज्ञान समिति
शीला सिनेमा हाल के पास
रोहतक, हरियाणा - 124001

हिमाचल प्रदेश

20. राज्य संसाधन केंद्र
राज्य ज्ञनविज्ञान केंद्र
सेवा शक्ति भवन, वनजौली
शिमला - 171000

जम्मू एवं कश्मीर

21. सोशल वेलफेयर ऑफ इंडिया
मुख्य कार्यालय : शहादरा शरीफ स्नौरी,
जिला - उधमपुर, जम्मू एवं कश्मीर

22. राज्य संसाधन केंद्र
कश्मीर विश्वविद्यालय
1/17, नसीम बाग परिसर
हजरत बल, श्रीनगर

23. जम्मू एवं कश्मीर असहाय एवं विकलांग कल्याण संघ
राम नगर, जिला - उधमपुर

कर्नाटक

24. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र
कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा
चित्रभानु रोड ए-बी. ब्लाक कुवेंपुनगर
मैसूर - 570023

केरल

25. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केंद्र
केरल अनौपचारिक शिक्षा संघ
साक्षरता भवन, त्रिवेंद्रम - 695014

मध्य प्रदेश

26. अक्षर यात्रा अभियान समिति
विलासपुर साक्षरता सदन
मनपट्टी नाका, विलासपुर

27. ज्ञानोदय शिक्षा सोसायटी
बुधवाड़ा भोपाल, जिला - भोपाल
मध्य प्रदेश - 462002

28. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल समिति
माध्यमिक शिक्षा मंडल
शिवाजी नगर, भोपाल

29. मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी
वाण गंगा रोड, भोपाल - 462003

30. श्री मान्नवा महिला विकास समिति
गव्वोर्ड पुरा, रायसेन जिला शाखा
सिरोंज, मध्य प्रदेश

31. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केंद्र
भारतीय ग्रामीण महिला संघ
स्कीम नं॰ -71, चंदन नगर के पीछे
पुलिस स्टेशन, इंदौर

महाराष्ट्र

32. कार्य साधक साक्षरता संबंधी जन कार्यक्रम के लिये
संसाधन संगठन समिति मार्फत डा॰ माधव चव्हाण,
रसायण प्रौद्योगिकी विभाग
बंबई विश्वविद्यालय, मतुंग
बंबई - 400019

33. भारतीय शिक्षा संस्थान
128/2 जे.पी. नाइक रोड
कोथुड पूणे - 411029

34. साक्षरता हक समिति
ग्रेटर मुंबई, महाराष्ट्र

35. राज्य संसाधन केंद्र
महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान
औरंगाबाद, महाराष्ट्र

36. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान
सियोन - ट्रांबे रोड
देवनार, मुबंई

मणिपुर

37. मणिपुर अनुसूचित जन जाति कल्याण संघ
बाबुपाड़ा, जिला - इम्फाल
मणिपुर- 795001

38. ग्रामीण विकास सोसायटी
बांणजियांग बाजार, वांगजियांग
मणिपुर

39. वांगजियांग महिला एवं बालिका सोसायटी
मणिपुर

मेघालय

40. राज्य संसाधन केंद्र
उत्तर-पूर्वी पर्वत्तीय विश्वविद्यालय
लाल दुम खारन, शिलांग,
मेघालय

उड़ीसा

41. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केंद्र
भुवनेश्वर, उड़ीसा

पंजाब

42. पंजाब बेकवार्ड क्लासेज डेवलपमेंट बोर्ड,
1070, 15-बी, चंडीगढ़, पंजाब

43. क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र,
पंजाब सरकार, चंडीगढ़

राजस्थान

44. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र
राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ,
7 ए., झलाना दोनगरी,
संस्थागत क्षेत्र, जयपुर

तमिलनाडु

45. पंजाब एसोसिएशन,
लाजपत राज धवन,
पोस्ट बाक्स नं. - 416, 170, 171, 172
पीटर्स रोड, रोयापेट्टा,
मद्रास - 600014

46. तिरूपुत्तर रूरल अपलिफ्ट
प्रोजेक्ट एशोसिएशन (तरूप्पा)
सिरकुंडलपट्टी, तिरूपत्तूर तालुक पासुमपोन,
जिला - मुथुरामलिंगम, तमिलनाडु - 623215

47. वोमेनस इंडियन एसोसिएशन,
43, ग्रीनवेयस रोड,
मद्रास - 600028, तमिलनाडु

48. राज्य गैर-औपचारिक शिक्षा संसाधन केन्द्र
(तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड)
प्लाट सं. 10, द्वार सं.-4 II स्ट्रीट,
वेंकटेश्वर नगर, अदयार, मद्रास

त्रिपुरा

49. भारत ज्ञान विज्ञान समिति
त्रिपुरा शाखा,
माहेम सदन, 76
एच.जी. बासक रोड,
अगरतला

उत्तर प्रदेश

50. अशोक संस्थान
कुंडेसर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

51. आजाद सेवा समिति,
बी.पी. इन्टर कालेज रोड,
शामली - 247776, उत्तर प्रदेश

52. देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान,
ग्राम - काहल कबीरा,
डाक - भवाली, जिला - नैनीताल,
उत्तर प्रदेश - 263001

53. डा॰अम्बेडकर समाज सेवा मनडाल्फ
ग्राम - वेसकी, डाक - साइदाबाद
जिला - इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश - 221508

54. ग्रामीण सेवा मंडल
सरायमंसूर (धोकरी), डाक - साइदाबाद,
जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 221508

55. ग्रामीण समाज कल्याण समिति,
ग्राम – खेरा अफगान,
ब्लाक – नकुल सहारनपुर जिला,
उत्तर प्रदेश

56. ग्रामीण समाज कल्याण संस्था,
ग्राम – खेरी तगन, डाक – नवला,
मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

57. ग्रामीण विकास अवाम शिक्षण संस्थान,
खजीपुर, तहसील – सरायमम्रेज,
जिला – हान्दिया, इलाहाबाद – 212403

58. ग्रामीण विकास समिति,
तिवरन, खापारिहन,
साइदाबाद, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश

59. जी.बी. पंत समाज विज्ञान संस्थान,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

60. सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण ग्रामीण विकास
और शैक्षिक सोसाइटी संस्थान,
रसूलपुर (दियारा) दोस्तपुर
साइजाबाद, उत्तर प्रदेश

61. जन शिक्षण अकादमी,
801 पार्क रोड, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश – 211002

62. सनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान,
सनकपुर, डाक – दुम दुमा

63. खादी ग्रामोद्योग निकेतन,
महुवादाबरा, डाक – जसपुर,
जिला – नैनीताल, उत्तर प्रदेश
पिन – 244712

64. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र,
साक्षरता सदन (लिटरेसी हाउस)
आलमबाग, लखनऊ

65. महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र,
350 ए./1, सालिक गंज रोड,
मुथीगंज, इलाहाबाद

66. नव चेतना विकास समिति
ग्राम और डाक – मेनासी सरांय
जिला – सीतापुर, उत्तर प्रदेश

67. न्यू पब्लिक स्कूल समिति,
504/63, टेगौर मार्ग,
बंदी माता मन्दिर के पास,
डालीगंज, लखनऊ

68. निशात शिक्षा समिति,
अस्थाना नई बस्ती,
हल्द्वानी, जिला – नैनीताल,
उत्तर प्रदेश – 263139

69. नेशनल हरिजन स्कूल,
बहरियाबाद, तहसील – सैदपुर,
जिला – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश

70. प्रियदर्शनी खादी ग्रामोद्योग,
जन सेवा संस्थान,
10ए., शिव कुटी, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश

71. रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्लाइटमेंट केन्द्र
21, ई.सी. रोड़, देहरादून,
उत्तर प्रदेश

72. समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान,
61 – गरीवान तोला,
इलाहाबाद – 211003, उत्तर प्रदेश

73. श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान,
बिसौली, बदायूँ, पिन – 202520,
उत्तर प्रदेश

74. सराजन उत्तर प्रदेश,
नेकपुर सिविल लाइन्स,
जलनिगम कार्यालय के पास,
बदायूं – 243601

75. सुमन तकनीकी संस्थान,
चंडी, जंगढ़ुंदवारा, एटा
जिला – एटा, उत्तर प्रदेश

76. उत्तर प्रदेश राणा वेनी माधव जन कल्याण समिति,
गुलाब रोड, राय बरेली, उत्तर प्रदेश

77. क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, शिक्षा प्रसार विभाग,
41, महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

78. रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद,
रामकृष्ण मिशन आश्रम,
डाक – नरेन्द्रपुर – 24 परगना (दक्षिण)

79. भारतीय प्रबन्ध संस्थान,
कलकत्ता, जोका,
देहरादून रोड, कलकत्ता

नई दिल्ली

80. डा॰ ए॰वी॰ बालिग स्मारक न्यास लिंक हाउस,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110002

81. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17-बी., आई.पी. इस्टेट,
नई दिल्ली - 110002

82. पटेल शिक्षा समिति
स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड,
नई दिल्ली - 110008

83. राज्य संसाधन केन्द्र,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
जामिया नगर,
नई दिल्ली - 110025

84. कथा बिल्डिंग सेंटर
सराय काले खाँ,
निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली
कुल एजेंसियों की संख्या-192

विद्युत वित्त निगम

57. **श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं योजना के लिए विद्युत वित्त निगम, राज्य विद्युत बोर्डों और निजी विद्युत उत्पादक उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली कोई संचालनगत और वित्तीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विद्युत वित्त निगम और निजी उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित योजना की समीक्षा/आंकलन किया है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य उत्पादन निगमों, पारेषण और वितरण कंपनियों, नगर निगमों, राज्य विद्युत विभागों और संयुक्त क्षेत्र कंपनियों के लिए प्रचालनीय और वित्तीय कार्रवाई योजनाएं विद्युत वित्त निगम द्वारा तैयार की जाती हैं। प्रचालनीय और वित्तीय कार्रवाई योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित नहीं है किन्तु सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को अपने दायरे में लेती है। विद्युत क्षेत्र में 29 यूटिलिटियों के संबंध में प्रचालनीय एवं वित्तीय कार्रवाई योजनाएं सुस्थापित हैं, जैसा कि सलंग्न विवरण-I में देखा जा सकता है।

(ग) विद्युत वित्त निगम विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक वित्तीय संस्थान है। निगम वर्ष 1993-94 से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रहा है और इसका मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है। विद्युत वित्त निगम समझौता ज्ञापनों में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अच्छा निष्पादन करता आ रहा है और इसे वर्ष 1993-94 के बाद से "उत्कृष्ट" वर्गीकृत किया गया है। निगम के निष्पादन का अनुवीक्षण सरकार द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

(घ) चालू वर्ष (सितम्बर, 1998 तक) के दौरान विद्युत वित्त निगम द्वारा राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों इत्यादि को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) राज्य/केन्द्रीय एवं निजी क्षेत्रों में दिनांक 30.9.98 की स्थितिनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निरीक्षणाधीन विभिन्न परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

विद्युत क्षेत्र में उन 29 यूटिलिटियों के नाम दर्शाने वाला विवरण जिनके पास ओएफएपी है

क्र.सं.	यूटिलिटियों के नाम
1	2
राज्य विद्युत बोर्ड	
1.	एपीएसईबी
2.	एएसईबी
3.	जीईबी
4.	एचपीएसईबी
5.	एचएसईबी
6.	केईबी
7.	केएसईबी
8.	एमपीईबी
9.	एमएसईबी
10.	पीएसईबी
11.	आरएसईबी
12.	टीएनईबी

1	2
13.	यूपीएसईबी
14.	डब्ल्यू बीएसईबी
राज्य विद्युत उत्पादन निगम	
15.	बीएसएचपीसीएल
16.	डीपीएल
17.	केपीसीएल
18.	ओएचपीसीएल
19.	ओपीजीसी
20.	टीवीएनएल
21.	डब्ल्यू बीपीडीसीएल
22.	जीएसईसीएल
पारेषण एवं वितरण कम्पनी	
23.	जीआरआईडीसीओ
नगर निगम	
24.	बीईएसटी
विद्युत विभाग	
25.	मिजोरम
26.	नागालैंड
27.	मणिपुर
28.	गोवा
संयुक्त क्षेत्र	
29.	डीवीसी

विवरण-II

वर्ष 1998-99 के दौरान (सितंबर, 1998 तक) पी.एफ.सी. द्वारा राज्य सरकारों रा.वि.बो. को उपलब्ध कराए गए ऋण को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	ऋणी	ऋण के रूप में संवितरित राशि
1	2	3
1.	हरियाणा सरकार	1.63
2.	एच एस ई बी	8.23
3.	हिमाचल प्रदेश सरकार	0.10
4.	एचपीएसईबी	2.51
5.	पीएसईबी	102.87
6.	राजस्थान सरकार	0.72
7.	आर एस ईबी	125.53
8.	यूपीएसईबी	25.27
9.	गोवा सरकार	1.11
10.	जीईबी	9.89
11.	जीपीसीएल	0.08
12.	जीएसईसीएल	200.00
13.	एमपीईबी	100.00
14.	एमएसईबी	145.69
15.	एपीएसईबी	69.31
16.	केईबी	54.53
17.	केपीसीएल	42.21
18.	केएसईबी	20.08
19.	टीएचपीएल	54.44
20.	ओएचपीएल	46.13
21.	जीआरआईडीसीओ	21.12
22.	डब्ल्यू बी एस ई बी	13.08
23.	डब्ल्यू पी डी सी एल	0.06
24.	डी पी एल	0.95
25.	मिजोरम सरकार	9.08
26.	नागालैंड सरकार	5.81
	जोड़	1060.43

विवरण-III

30.9.98 की स्थितिनुसार के.वि.प्रा. के परीक्षाधीन राज्य/केन्द्रीय एवं निजी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम/राज्य
1	2
1.	नई दिल्ली टीपीएस (दिल्ली)
2.	हिरमा टीपीपी (उड़ीसा)

1	2
3.	बुद्धिल एचईपी (हिमाचल प्रदेश)
4.	नाथपा-झाकड़ी एचईपी (हिमाचल प्रदेश)
5.	धौलीगंगा एचईपी (उ.प्र.)
6.	गौरीगंगा एचईपी (उ.प्र.)
7.	किशाऊ बांध एमपीपी (उ.प्र.)
8.	मनेरी-भाली चरण-2 एचईपी (उ.प्र.)
9.	मुकेरियां चरण-2 एचईपी (पंजाब)
10.	मारा पीएसएस (म.प्र.)
11.	बिनौदा पीएसएस (म.प्र.)
12.	कान्हाएचईपी (म.प्र. एवं महाराष्ट्र)
13.	मलशेंज घाट पीएसएस (महाराष्ट्र)
14.	पुलिचिंटाला एचईपी (आंध्र प्रदेश)
15.	तट्टीहाला संवर्धन (कर्नाटक)
16.	बालीमेला एच.ई. (विस्तार) परियोजना चरण-2 (उड़ीसा)
17.	संख चरण-2 एचईपी (बिहार)
18.	तुईवई एचईपी (मिजोरम)
19.	लिश्का (मिंट्डु) एचईपी-1 (मेघालय)
20.	गुरू हरगोबिन्द टीपीपी-2 (पंजाब)
21.	सूरतगढ़ टीपीपी चरण-2 (राजस्थान)
22.	रिहन्द एसटीपीपी चरण-2 (उ.प्र.)
23.	झनोर-गांधार सीसीपीपी (गुजरात)
24.	सीपट एसटीपीपी (म.प्र.)
25.	संजय गांधी टीपीएस विस्तार चरण-1 (म.प्र.)
26.	भुसावल टीपीएस विस्तार (महाराष्ट्र)
27.	रायचूर टीपीपी (यूनिट-7) (कर्नाटक)
28.	मैथॉन दायां तट टीपीपी (म.प्र.)
29.	लकवा टीपीपी (चरण-2) डब्ल्यूएचआर परियोजना (असम)

कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल

58. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

श्री भर्तृहरि मेहताब :

श्री टी॰ गोविन्दन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चल रहे कामकाजी महिला होस्टलों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में कामकाजी महिलाओं के लिये कुछ और होस्टल बनाने/स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ आबंटित राशि कितनी है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) बच्चों के लिये दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता की महिला एवं बाल विकास विभाग की स्कीम के 1972-73 में प्रारम्भ से अब तक 57885 कामकाजी महिलाओं के लिये 817 होस्टल स्वीकृत किये गये हैं। इन होस्टलों के राज्यवार आवंटन के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) इस वर्ष विचाराधीन स्कीम के लिये 7.75 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। स्कीम के अन्तर्गत राशि अथवा होस्टलों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संस्तुत प्रस्तावों की आवश्यकता और व्यावहारिकता के आधार पर जांच की जाती है और परियोजना संस्वीकृति समिति द्वारा मंजूरी दी जाती है।

विवरण

15-11-98 तक कामकाजी महिला होस्टलों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटन संबंधी विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत होस्टल	
		होस्टलों की संख्या	कामकाजी महिलाओं की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	41	2592
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	341
3.	असम	11	657
4.	बिहार	8	482
5.	गोवा	2	120
6.	गुजरात	27	1268
7.	हरियाणा	16	1373
8.	हिमाचल प्रदेश	13	472
9.	जम्मू तथा कश्मीर	5	352
10.	कर्नाटक	78	6548

1	2	3	4
11.	केरल	129	11519
12.	मध्य प्रदेश	67	3481
13.	महाराष्ट्र	116	8331
14.	मणिपुर	11	479
15.	मेघालय	3	214
16.	मिजोरम	3	104
17.	नागालैंड	8	493
18.	उड़ीसा	27	1698
19.	पंजाब	13	1410
20.	राजस्थान	37	1709
21.	सिक्किम	2	144
22.	तमिलनाडु	87	5460
23.	त्रिपुरा	1	50
24.	उत्तर प्रदेश	37	2761
25.	पश्चिम बंगाल	37	2524
	कुल (राज्य)	788	54582
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	36
27.	चंडीगढ़	6	580
28.	दादरा और नगर हवेली	-	-
29.	दमन और दीव	-	-
30.	दिल्ली	18	2464
31.	लक्षद्वीप	-	-
32.	पांडिचेरी	4	223
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	29	3303
	योग (अखिल भारत)	817	57885

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

59. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और लिंगवार कितने बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु दाखिला दिया गया है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा हेतु राज्यवार कितनी राशि मंजूर की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1996-97 तक की वर्षवार यह सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। इसे संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा

60. **डा॰ विजय सोनकर शास्त्री :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में आज सड़क दुर्घटना के कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) इन मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए सरकार क्या कारवाई करने का विचार रखती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 168 और 169 के प्रावधानों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के संबंधित नियमों के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे हेतु दावों पर कार्यवाही की जाती है। संबंधित तथ्यों विशेषतः दावेदार की प्रामाणिकता का पता लगाने के बाद ही दावों का भुगतान किया जाता है। इन दावों के निपटारे में विलंब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि ये दावे विभिन्न अदालतों में दायर किए जाते हैं और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील भी की जाती हैं, ऐसे अनिर्णीत मामलों के बारे में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से समय-समय पर उचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

कच्छ में प्राचीन अवशेषों का संरक्षण

61. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के धोला विरा में प्राचीन अवशेषों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर हर वर्ष कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है;

(घ) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने धोला विरा के विकास एवं संरक्षण हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उनके द्वारा रख-रखाव की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) धोलावीरा, जिला कच्छ, गुजरात में हड़प्पा के अवशेषों का संरक्षण, जिसमें एक किला व मध्य नगर, निम्न नगर दो स्टेडिया, जलाशयों की श्रृंखला, नालियां, बाहरी और आंतरिक किलाबन्दी और कब्रिस्तान आदि शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) इस परिसर में संरक्षण कार्यों पर किया गया व्यय निम्न प्रकार से है :-

1994-95	1.50 लाख रु॰
1996-97	1.50 लाख रु॰
1997-98	3.33 लाख रु॰

चालू वर्ष के लिए धनराशि का आंबटन 2.20 लाख रु॰ है।

(घ) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात सरकार के सहयोग से इस परिसर के विकास और संरक्षण के लिए एक एकीकृत और व्यापक कार्यक्रम बनाया है। इसके अलावा पर्यटन के लिए अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गुजरात सरकार ने इस अध्ययन के लिए परामर्शी सेवाएं किराये पर ली हैं। उनकी रिपोर्टों के आधार पर निधियों की उपलब्धता पर विशेष परियोजनाओं के उत्खनन कार्य पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर निधि का अप्रयुक्त पड़ा रहना

62. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर साक्षरता के लिए आबंटित की गई धनराशि उपयुक्त योजनाओं के अभाव में बिना प्रयोग किए लौटा दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस स्थिति से किस प्रकार से निपटने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संगणक साक्षरता परियोजना को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक रूप में अनुदान नहीं रखा जाता। इस परियोजना के तहत जारी की गई निधियां उपयोग के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इसे अग्रेनीत किए जाने की अनुमति मांग रहे हैं।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर इस बात के लिए सतत रूप से दबाव डाला जा रहा है कि वे खर्च न की गई धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र उपयोग में लाएं ताकि उक्त योजना के तहत नए अनुदान जारी किए जा सकें।

[हिन्दी]

शिक्षा का वाणिज्यिकीकरण

63. **डा॰ सुशील इन्दौरा** :

डा॰ चिन्ता मोहन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के विकास और प्रसार में निजी क्षेत्र की प्रस्तावित भागीदारी से शिक्षा का वाणिज्यिकीकरण होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप शिक्षा को वाणिज्यिकीकरण से बचाने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) उच्चतर शिक्षा के प्रसार में सरकार वाणिज्यिकीकरण के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद हेतु कार्य योजना

*64. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा अपने शेयरों/स्टाक की भारतीय शेयर धारकों अथवा विदेशी शेयर धारकों से पुनर्खरीद किए जाने हेतु कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) कम्पनियों द्वारा शेयरों की वापिस खरीद से संबंधित मुख्य बातों का उल्लेख 31.10.98 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश में किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने 10 नवम्बर, 1998 को सेबी (प्रतिभूतियों की वापिस खरीद) विनियमन 1998 को अनुमोदित कर दिया है जो कम्पनियों की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर लागू होंगे।

(ख) सेबी (भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड) द्वारा निर्मित वापिस खरीद विनियमन की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :-

(i) विनियमन के क्षेत्र में कम्पनी की केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियां आती हैं। दूसरे शब्दों में प्राइवेट प्लेसमेंट या अन्यथा के माध्यम से जारी की गई गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां विनियमनों में नहीं आती हैं।

(ii) वर्तमान शेयरधारकों से वापिस खरीद आनुपातिक आधार पर तथा आडॅ लॉट धारकों से वापिस खरीद की अनुमति टेंडर ऑफर मोड के माध्यम से दी गई है। इसी प्रकार, बुक बिल्डिंग मोड, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रेक्टिस्ड डच ऑक्सन का संशोधित रूपान्तर है और स्टाकॅ एक्सचेंजेज के माध्यम से खुले बाजार व्यापार के लिए खरीद की अनुमति दे दी गई है।

(iii) स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से की गई खरीद में कम्पनी की वापिस खरीद योजना में की गई खरीद का ब्यौरा स्टाक एक्सचेंज में दैनिक आधार पर दिया जाएगा, जो बदले में जनता को नियमित आधार पर यह सूचना उपलब्ध कराएगा।

(iv) विनियमनों में प्रकटीकरण की भी अभिव्यक्ति है। इनमें साधारण बैठक तथा ऑफर पत्र के नोटिस के साथ संलग्न किए जाने वाले स्पष्टीकरण विवरण में विस्तृत प्रकटीकरण का प्रावधान है।

(v) संप्रवर्तकों की पूर्व तथा बाद की वापिस खरीद धारण (होल्डिंग) के प्रकटीकरण के लिए पर्याप्त ध्यान भी दिया गया है।

(vi) संप्रवर्तकों को स्टाक एक्सचेंज मोड के माध्यम से वापिस खरीद में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

(vii) बातचीत द्वारा सौदों, स्पॉट व्यापार या प्राइवेट प्रबन्धों के माध्यम से वापिस खरीद की अनुमति नहीं है।

(viii) विनियमनों के उपबन्धों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मर्चेंट बैंकर को वापिस खरीद के लिए प्रत्येक ऑफर में, जिसमें उन्हें यथोचित तत्परता प्रमाण पत्र देना होगा, सम्बद्ध किया गया है।

(ix) वापिस खरीद की प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विनियमनों में प्रत्येक तरीके (मोड) में समयबद्ध कदम उठाए जाने का प्रावधान है। उदाहरण के लिए केवल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की गई खरीद के मामलों को छोड़कर वापिस खरीद का ऑफर 30 दिन से अधिक के लिए खुला नहीं रहेगा। वापिस खरीद में प्राप्त शेयरों का सत्यापन ऑफर बन्द होने के 15 दिन के अन्दर पूरा करना होता है। स्वीकृत प्रतिभूतियों के लिए भुगतान सत्यापन पूरा होने के 7 दिनों के भीतर पूरा करना होता है तथा शेयरों को भुगतान की तारीख के 7 दिनों के भीतर समाप्त तथा वास्तविक रूप से नष्ट करना होता है। प्रमाण-पत्र के वास्तविक रूप से नष्ट करने के 7 दिनों के भीतर परिशमन प्रमाण-पत्र फाइल करना अपेक्षित होता है।

(x) इसके दायित्व के निष्पादन के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के वास्ते वापिस खरीद का ऑफर करने वाली कम्पनी को, जैसा कि अधिग्रहण विनियमनों में दिया गया है, उसी आधार पर एक निलम्ब लेख (एस्क्रो) खाता खोलना होगा।

कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का 19) का खंड 4 यह निर्धारित करता है कि कम्पनी, यदि अपने अनुच्छेद द्वारा प्राधिकृत है तो वह साधारण बैठक में पारित एक विशेष संकल्प के द्वारा अनुमोदन से अपने शेयरों की वापिस खरीद कर सकती है जो कुल प्रदत्त पूंजी तथा खुली आरक्षितियों के 25 प्रतिशत से अधिक राशि की नहीं होगी।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

65. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने नवोदय विद्यालय खोले गये हैं;

(ख) क्या इन विद्यालयों में शिक्षा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी जाती है;

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में पृथक रूप से कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम हो इस बात पर जोर दिये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) 397 जवाहर नवोदय विद्यालय।

(ख) जी, हां। नवोदय विद्यालय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सभी नवोदय विद्यालयों में कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम

मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा होगा और उसके बाद सामान्य माध्यम हिंदी/अंग्रेजी होगा।

(ग) और (घ) नवोदय विद्यालय में बच्चे तीन भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात् हिंदी/अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उनके लिए नियत एक अन्य भाषा नीति के अनुसार कक्षा IX से विज्ञान तथा गणित अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते हैं और सामाजिक अध्ययन हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

अलेप्पी राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्ग का निर्माण

66. श्री वी॰एम॰ सुधीरन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चेरथला अलेप्पी राष्ट्रीय राजमार्ग के कम चौड़ा होने की वजह से लोगों द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग के चेरथला-अलप्पी खंड को चौड़ा बनाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। तथापि, राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर और सड़क की स्थिति, यातायात सघनता, अखिल भारतीय स्तर पर पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य शुरू किया जाता है।

केन्द्रीय सड़क निधि की वर्तमान राशि

67. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि की वर्तमान राशि कितनी है;

(ख) क्या इस निधि में राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) केन्द्रीय सड़क निधि जो एक अव्ययगत होने वाली निधि है, को संसद के पुराने संकल्प द्वारा विनियामित किया जाता है जिसके तहत मोटर स्प्रिट पर लगाए गए सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में से एक राशि जो 3.5 पैसे से कम न हो, को अलग रखा जाता है और इससे संचित राशि को सड़क विकास के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जाता है। पैट्रोल के उपभोग की वर्तमान प्रवृत्ति के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रु. की राशि इस निधि के अन्तर्गत देय हो जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

"आक्सीजन बार" का बंद किया जाना

68. श्री आर॰एस॰ गवई :

डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा संगठन और चिकित्सक हाल ही में राजधानी में खुले "आक्सीजन बार" को बंद करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन शिपयार्ड पर पोत मरम्मत सुविधाओं का विस्तार

69. श्री जी॰एम॰ बनातवाला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार के कोचीन शिपयार्ड में पोतों की मरम्मत सुविधा का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने यह अनुरोध भी किया है कि पोत मरम्मत उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाये और इसे आधारभूत ढांचा प्रदान किया जाए ताकि यह सस्ता वित्त-पोषण प्राप्त कर सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। कोचीन शिपयार्ड लि॰ (को.शि. लि.) ने अपने 9वीं योजना प्रस्तावों में एक अतिरिक्त जहाज मरम्मत परिसर के निर्माण के लिए 240 करोड़ रु. के प्रावधान का प्रस्ताव किया था। केरल सरकार ने भी यार्ड की जहाज मरम्मत क्षमता के विस्तार के लिए अधिक निवेश हेतु उनके मामले का समर्थन किया था। तथापि, सरकार की उदार नीति और देश की समग्र अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए को.शि.लि. और राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। को.शि.लि. को बी ओ टी/संयुक्त उद्यम के आधार पर यह कार्य कराने की संभावनाओं का पता लगाने का परामर्श दिया गया। उन्हें अतिरिक्त जहाज मरम्मत परिसर के निर्माण के लिए साध्यता अध्ययन करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 करोड़ रु. का प्रावधान रखने का भी परामर्श दिया गया। को.शि.लि. ने 70 लाख रु. की अनुमानित लागत से साध्यता अध्ययन करने का कार्य पहले ही मै॰ डी॰ वेगर, नीदरलैंड को प्रदान कर दिया है और यह लागत उनके आंतरिक संसाधनों से पूरी की जानी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फोटो पहचान-पत्र

70. **श्री तारिक अनवर : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना में कई करोड़ रुपए की हेराफेरी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक स्थानों पर न्यूनतम दर पर निविदाकर्ता ठेकेदारों को ठेके नहीं दिए गए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने, वर्ष 1997 (मार्च) की अपनी रिपोर्ट के खंड 3 में मतदाता फोटो पहचान-पत्रों की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित निधियों के कम उपभोग और निर्वाचन आयोग आदि, द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन के कारण कुछ राज्यों में अधिक/परिहार्य व्यय के बारे में कतिपय संप्रेक्षण किए हैं।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू करना

71. **श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कोई बी.टेक./एम.टेक. पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध पाठ्यक्रमों के उन्नयन के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इस समय दस संस्थान खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक. पाठ्यक्रम चला रहे हैं जिनमें से तीन 1996-97 के दौरान संस्वीकृत किए गए; पांच संस्थान खाद्य प्रौद्योगिकी में एम.टेक पाठ्यक्रम चला रहे हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.टेक स्तर के पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को निम्नलिखित संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुए हैं :-

(1) जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

(2) गुरूनानक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक न्यास, मुजफ्फरपुर, बिहार,

(3) प्रसाद शिक्षा न्यास, बोरीविले पश्चिम, मुम्बई

(ग) सभी संस्थान, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथा-अनुमोदित खाद्य प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वे निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने पर, समय-समय पर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा चलाई गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता की सुविधाओं का लाभ स्वयं उठा सकते हैं।

विवरण

देश में खाद्य प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं की सूची

बी.टेक

एच.बी.टी.आई. कानपुर, उत्तर प्रदेश

आई.ई.टी.आर.बी.एस. कालेज, आगरा

अविनाश लिन्गम संस्थान, तमिलनाडु

रसायन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय विभाग, बम्बई

रसायन प्रौद्योगिकी विभाग, अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती

उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव

गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार

गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

प्रौद्योगिकी एवं कृषि इंजीनियरी कालेज, उदयपुर

प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कालेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद

एम.टेक

इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संकाय, जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता

गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर

लक्ष्मीनारायण प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

जी.बी. पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला-ऊधमसिंह नगर।

साक्षरता तथा मध्याह्न भोजन योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

72. **कर्नल सोनाराम चौधरी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित धनराशि कुछ राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह से खर्च नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार उक्त योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार अलग-अलग राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी कमियां थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राज्यों और संघशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रमों कि कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत जिला परियोजनाओं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियां संस्वीकृत की जाती हैं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए इस विभाग द्वारा निधियों का राज्यवार और वर्षवार आबंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा दिए गए अनुदान संलग्न विवरण-I में दिया गया है। चूंकि अनुदान, परियोजनावार दिए गए हैं न कि वर्षवार। इसलिए विभाग द्वारा अनुदानों के वास्तविक उपयोग का संकलन नहीं किया गया है और उपयोग न की गई निधियों को तब तक अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है जब तक परियोजनाएं पूरी नहीं हो जाती है।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को खाद्यान्न आबंटित किया जाता है और उठाए गए खाद्यान्न के आधार पर फूड कारपोरेशन आफ इंडिया को प्रतिपूर्ति की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, योजना के अन्तर्गत दी गई निधियां निम्नलिखित हैं :

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	व्यय
1995-96	441.21
1996-97	800.00
1997-98	1070.38

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों को उठाने और आबंटन को दर्शाने वाला संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) इस विभाग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल ने वर्ष 1993-94 में कुल साक्षरता अभियान के मूल्यांकन का राष्ट्र व्यापी बीड़ा उठाया है। इस रिपोर्ट ने इन अभियानों की अनेक क्षमताओं और कमजोरियों का पता लगाया है। इन क्षमताओं में शामिल हैं :

- यह कार्यक्रम की अपेक्षा एक आन्दोलन अधिक है।
- इसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- साक्षरता आन्दोलन से प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई है।
- अभियानों ने नौकरशाही को सुग्राही बनाया है।

कमजोरियों में शामिल हैं :

- कुछ अभियान अपर्याप्त तैयारियों के शुरू किए गए हैं।
- शिक्षण की गुणवत्ता को ऐसे स्थानों पर क्षति पहुंची है जहां केवल साक्षरता कौशल सहित अत्यधिक पूर्व व्यवसाय हैं।
- साक्षरता की प्रगति, शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम है।

शैक्षिक अवसंरचना और स्वैच्छिक सहायता कम और अपर्याप्त होने से कमजोरियां बनी हुई हैं।

इस कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिसमें कुछ राज्यों में शामिल न किए गए जिलों के लिए समयबद्ध

कार्रवाई योजना, पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय और स्वैच्छिक संगठनों को अधिकाधिक शामिल करना, साक्षरता कार्यक्रमों और अन्य विकास कार्यक्रमों के बीच आपसी तालमेल बिठाना शामिल है।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कमियों में अधिकांश राज्यों का पका पकाया भोजन उपलब्ध न करा पाना, इस विभाग द्वारा कई राज्यों में आवंटित खाद्यान्नों के वितरण तथा अपर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों को उठाने के लिए अपेक्षित निधियों का उपलब्ध न होना है। इस संबंध में जो सुधारात्मक उपाय किए गए हैं उनमें इस योजना की राज्यवार प्रगति की नियमितता को मानिटरिंग करना और समीक्षा करना तथा मौजूदा बजटीय आबंटन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्यों को जारी की गई निधियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	884.21	1081.06	922.55
अरूणाचल प्रदेश	25.63	20.72	3.67
असम	361.09	194.29	86.97
बिहार	1977.84	1062.52	446.98
गोवा	5.95	3.32	0.56
गुजरात	262.98	458.78	112.34
हरियाणा	175.31	57.12	77.50
हिमाचल प्रदेश	26.43	49.18	112.82
जम्मू और कश्मीर	132.70	50.47	38.02
कर्नाटक	319.58	350.16	303.29
केरल	17.00	537.97	15.35
मध्य प्रदेश	977.67	548.58	459.47
महाराष्ट्र	1153.63	432.83	746.29
मणिपुर	17.62	20.63	17.94
मेघालय	127.74	112.46	16.85
मिजोरम	2.29	0.57	34.23
नागालैंड	47.81	56.90	32.34
उड़ीसा	801.36	310.13	196.62
पंजाब	370.34	135.00	211.14
राजस्थान	1681.76	1304.62	820.35
सिक्किम	-	11.22	-
तमिलनाडु	1212.48	261.21	554.00
त्रिपुरा	0.10	4.73	27.00
उत्तर प्रदेश	1888.01	943.27	537.23
पश्चिम बंगाल	308.40	728.11	502.82
चंडीगढ़	20.12	41.37	20.00
दिल्ली	322.58	158.57	173.87
पांडिचेरी	-	-	18.24
दमन और दीव	0.50	-	-
अंडमान और निकोबार	8.12	12.56	-
दादरा और नगर हवेली	-	-	-
लक्षद्वीप	1.62	4.32	-
कुल	13120.87	8952.66	6488.44

विवरण-II

प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अन्तर्गत आवंटित किए गए तथा उठाए गए खाद्यान्नों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96 आवंटित खाद्यान्न	1995-96 उठाया गया खाद्यान्न	1995-96 प्रतिशत	1996-97 आवंटित खाद्यान्न	1996-97 उठाया गया खाद्यान्न	1996-97 प्रतिशत	1997-98 आवंटित खाद्यान्न	1997-98 उठाया गया खाद्यान्न	1997-98 प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	63664.22	527347.00	82.22	147415.00	129164.00	87.62	217229.00	188652.00	86.84
2.	अरूणाचल प्रदेश	2126.69	1098.00	51.63	2908.00	0.00	0.00	2908.00	489.00	16.82
3.	असम	44115.93	29648.00	67.20	62815.00	17653.00	28.10	70042.00	27801.00	39.69
4.	बिहार	61214.46	28193.00	46.06	183767.00	53726.00	29.34	241412.00	76443.00	31.66
5.	गोवा	66.20	66.20	100.00	105.00	101.00	96.19	2973.00	1470.00	49.45
6.	गुजरात	31532.83	22001.00	69.77	42088.00	26929.00	63.98	107481.00	24356.00	22.66
7.	हरियाणा	10342.78	10334.00	99.92	35172.00	33296.00	94.67	51634.00	38622.00	74.80
8.	हिमाचल प्रदेश	3549.47	3151.00	88.77	9117.00	8584.00	85.25	19742.00	17098.00	86.61
9.	जम्मू व कश्मीर	7520.64	3232.00	42.98	14889.00	5988.00	40.20	18611.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	65588.23	50485.00	76.97	111053.00	70786.00	63.72	164804.00	135767.00	82.48
11.	केरल	5127.59	5127.00	89.99	7550.00	7567.00	100.23	62797.00	53795.00	85.66
12.	मध्य प्रदेश	81238.75	78996.00	97.24	178317.00	141549.00	79.38	221545.00	161140.00	72.73
13.	महाराष्ट्र	84478.61	50903.00	60.26	128932.00	100730.00	78.13	251552.00	215278.00	85.58
14.	मणिपुर	2361.80	1367.00	57.88	4129.00	1430.00	34.63	6488.00	5650.00	86.94
15.	मेघालय	4918.07	4396.00	89.38	6557.00	4363.00	66.54	8691.00	6218.00	71.55
16.	मिजोरम	2030.92	1917.00	94.39	2902.00	2684.00	91.80	2899.00	2900.00	100.03
17.	नागालैंड	2190.05	1460.00	66.67	2920.00	3212.00	110.00	2920.00	2608.00	89.32
18.	उड़ीसा	25992.95	25767.00	99.13	53297.00	32881.00	61.70	96105.00	77049.00	80.17
19.	पंजाब	11150.98	5502.00	49.34	16359.00	6908.00	42.23	52992.00	15416.00	29.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	राजस्थान	62096.93	54965.00	88.51	109096.00	60130.00	55.12	123594.00	92585.00	74.91
21.	सिक्किम	1397.75	1651.00	118.12	1864.00	1145.00	61.43	1864.00	1077.00	57.78
22.	तमिलनाडु	18929.17	18737.00	98.98	27915.00	26373.00	94.48	163848.00	108225.00	66.05
23.	त्रिपुरा	8085.94	8085.00	99.99	11371.00	11082.00	97.46	14012.00	11728.00	83.70
24.	उत्तर प्रदेश	57179.20	48390.00	84.63	297289.00	285768.00	96.12	393881.00	367483.00	93.30
25.	पं॰ बंगाल	39995.73	25193.00	62.99	108134.00	70892.00	65.05	235206.00	164028.00	69.74
26.	अ॰ और नि॰	122.03	106.00	86.86	165.00	66.00	40.00	1211.00	0.00	0.00
27.	चंडीगढ़	1457.35	69.00	4.73	1943.00	357.00	18.37	585.00	145.00	24.79
28.	दा॰ और न॰ ह॰	399.98	399.00	99.75	734.00	292.00	38.78	594.00	484.00	81.48
29.	द॰ और द्वीव	169.07	142.00	83.99	245.00	211.00	86.12	430.00	285.00	61.63
30.	दिल्ली	13500.00	2150.00	15.83	14400.00	7540.00	52.36	28150.00	12055.00	42.82
31.	लक्षद्वीप	124.41	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	677.42	139.00	20.52	940.00	719.00	76.49	1351.00	0.00	0.00
	भारत	713347.15	536016.20	75.14	1585652.00	1112489.00	70.16	2567636.00	1808827.00	70.45

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं में शिक्षण

73. **डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक विषयों की पढ़ाई हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नई भर्ती करते समय उन उम्मीदवारों को अधिमान दिया जाएगा जो हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ा सकते हैं; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषाओं में अध्ययन और अध्यापन के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत आयोग ने विनियम तैयार किए हैं जिनमें विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। शिक्षकों की नियुक्ति विनियमों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। तथापि, विनियमों में उन शिक्षकों को कोई वरीयता प्रदान नहीं की गई है जो हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ा सकते हैं।

(ग) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के माध्यम का निर्णय विश्वविद्यालय के संबद्ध अध्यादेश के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालयों अर्थात शैक्षिक परिषद् आदि के संबद्ध निकायों द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता तथा शैक्षिक स्वतन्त्रता की भावना को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार नियमानुसार ऐसे निकायों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में विषय पैनल का गठन किया है और पैनल की सिफारिशें उचित कार्रवाई के लिए सभी विश्वविद्यालयों के पास भेजी जाती है।

[अनुवाद]

विद्युत वितरण शुल्क संग्रह का कार्य निजी क्षेत्र को देना

74. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री बलराम सिंह यादव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत वितरण शुल्क के संग्रह का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने के बारे में कोई नीति संबंधी निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1998 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में 'डी.वी.बी. टू अपाइंट लोकल दादाज एज सप्लाई एजेन्टस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह पद्धति विद्युत पारेषण और वितरण के निजीकरण के लिए सरकार की नीति संबंधी निर्णय के साथ किस सीमा तक समायोजित होती है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सरकार द्वारा 1991 में घोषित नीति में विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया है। यद्यपि उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों से टैरिफ के वितरण और उगाही संबंधी निजीकरण के मामलों में निर्णय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ही लिया जाएगा। दिल्ली बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके पास एकल बिन्दु आपूर्ति के आधार पर झुग्गी-झोपड़ी को विद्युत आपूर्ति करने का एक प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत दिल्ली विद्युत बोर्ड के घरेलू टैरिफ पर और दिल्ली विद्युत बोर्ड को थोक में भुगतान करने के लिए झुग्गी-झोपड़ी बस्ती के निवासियों से राजस्व एकत्र करने के लिए उपयुक्त एजेंसियां नियुक्त की जाएंगी। एजेंसी को इस प्रकार की सेवाओं के लिए एकत्रित राजस्व पर 15 प्रतिशत की दर से कमीशन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रस्ताव को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली विद्युत बोर्ड ने यह भी कहा है कि झुग्गी झोंपड़ी के निवासियों को विद्युत आपूर्ति के लिए स्थानीय दादाओं और पहलवानों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विद्युत के पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्रस्ताव और भारत सरकार की नीति में कोई विरोधाभास नहीं हैं।

[हिन्दी]

नर्मदा में प्रदूषण

75. **श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नर्मदा तथा इसकी सहायक नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें प्रदूषण से मुक्त रखने में कितनी सफलता मिली है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत जबलपुर में नर्मदा के प्रदूषण निवारण के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर 14.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सरकार द्वारा स्कीमें अनुमोदित की गई हैं।

(ग) और (घ) अब तक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन स्कीमें स्वीकृत की गई हैं :-

(लागत लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम	स्वीकृत लागत	अनुमोदन की तारीख
1.	वनीकरण	17.46	19.3.98
2.	नदी तटाग्र विकास	46.442	24.11.97
3.	शवदाहगृह	3.219	3.12.97
	कुल	67.121	

(ङ) सभी अनुमोदित स्कीमों के पूरा होने और इनके लागू होने के पश्चात ही नदी जल गुणता पर योजना का प्रभाव देखा जा सकेगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में बिजली की कमी

76. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य में एक नई पन बिजली परियोजना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में स्थापित किये जाने के लिए नई जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	टिप्पणियां
1.	सरापदी एचईपी	330	दिसम्बर, 1990 में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति (टीईसी) प्रदान की गई।
2.	तट्टीहाला संवर्धन	410	अगस्त, 1998 में सीईए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की गई।

कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

77. डा॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, मुम्बई को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस कंसलटेंसी लिमिटेड के विरूद्ध कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करके जनता के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से अप्रैल, 1990 से अक्तूबर, 1995 के बीच डुप्लीकेट शेयर जारी करने के लिए मुकदमा दायर करने की कार्रवाई करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन की पुष्टि की है और दोषियों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की है;

(ग) यदि हां, तो क्या मुम्बई में मेट्रोपोलिटन न्यायालय में कोई अपराधिक शिकायत दर्ज की गई है;

(घ) क्या कम्पनी लॉ बोर्ड ने इस मामले पर स्वतंत्र रूप से विचार कर लिया है और दोषी कम्पनियों पर जुर्माना किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) कम्पनी कार्य विभाग ने 6.6.96 को कम्पनी रजिस्ट्रार मुम्बई को रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस कंसल्टेंसी लिमिटेड और इसके दोषी निदेशकों/अधिकारियों के खिलाफ धारा 108(1), 113(1), 84(2), 84(3) और 84(4) के अन्तर्गत अभियोजन दायर करने के निर्देश दिए।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन की पुष्टि की तथा कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कम्पनियों के विरूद्ध अभियोजन दायर किये जाने की सिफारिश की।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108(1), 113(1), 84(2), 84(3), और 84(4) के उल्लंघन के लिए 12.7.96 को कम्पनी और इसके निदेशकों/अधिकारियों के विरूद्ध कुल 29 मामले दायर किए गए। ये मामले अतिरिक्त चीफ मेट्रोपोलिटन कोर्ट, मुम्बई में दायर किए गए थे।

(घ) और (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 621क के अन्तर्गत मामले पर कम्पनी विधि बोर्ड तथा प्रादेशिक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र के द्वारा विचार किया गया और कम्पनी विधि बोर्ड तथा प्रादेशिक निदेशक के आदेश के आधार पर कम्पनियों और इसके निदेशकों/अधिकारियों ने कुल 77.29 लाख रुपये की राशि का कम्पाउन्डिंग फी के रूप में भुगतान किया।

गंगा कार्य योजना

78. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.) के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है तथा पूरी परियोजना की एक विशेषज्ञ दल से समीक्षा कराने का आदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण और ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) और (ख) माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा कार्य योजना चरण-II के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की परियोजना का परीक्षण जांच पड़ताल और अनुमोदन करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन करने का निर्देश दिया है क्योंकि गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत जो कार्य पहले हाथ में लिया गया था उसे तकनीकी विशेषज्ञों की समिति के साथ परामर्श करके तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही शुरू कर दिया गया था।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने माननीय इलाहाबाद उच्च नयायालय के इस आदेश को भारतीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है जिसने उपर्युक्त आदेश को अगले आदेशों तक स्थगित रखने संबंधी निर्णय दिया है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क

79. श्री महेश्वर सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कुलु जिले के रोला में ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क स्थापित किए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या पार्क बनाए जाने से विस्थापित होने वाले ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले पार्क हेतु कुल कितनी रकम आबंटित की गई है तथा योजना वार इसका किस प्रकार उपयोग किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) और (ख) 620 वर्ग कि.मी. क्षेत्र वाले ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 1984 में अधिसूचित किया गया था। यद्यपि, वर्ष 1994 में 90 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सैंज वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था तथा 235 वर्ग कि.मी. क्षेत्र नेशनल पार्क में जोड़ा गया था। इस प्रकार पार्क का कुल क्षेत्र 765 वर्ग कि.मी. हो गया। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 21 के तहत उद्घोषणा कुल्लू के वन कलेक्टर द्वारा जारी की जा चुकी है। अधिकारों तथा अधिग्रहण के निपटान संबंधी प्रक्रिया जारी है। अधिग्रहण के लिए धनराशि "राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों का विकास" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम से प्रदान की गई है।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को इस प्रक्रिया को 22 अगस्त, 1998 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया था, चूंकि उस समय तक प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी अतः राज्य सरकारों ने एक वर्ष का और अधिक समय दिए जाने के लिए शपथ पत्र दायर किया है।

(घ) दि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल पार्कों तथा अभयारण्यों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत, विश्व बैंक, वानिकी अनुसंधान शिक्षा तथा विस्तार परियोजना तथा राज्य योजना से निधियां प्रदान की जा रही हैं। पार्क पर अब तक 555.78 लाख रुपए का कुल खर्च हो चुका है।

विद्युत की मांग और उत्पादन

80. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य-वार प्रतिदिन कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) देश में राज्य-वार विद्युत की प्रतिदिन मांग कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सभी स्रोतों से राज्य-वार विद्युत की आवश्यकता एवं उपलब्धता तथा प्रतिदिन व्यस्ततमकालीन मांग तथा आपूर्ति

राज्य/प्रणाली का नाम	ऊर्जा आवश्यकता (मि.यू.)	ऊर्जा उपलब्धता (मि.यू.)	व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मे.वा.)
1	2	3	4	5
दिल्ली	38.50	38.32	2002.0	1999.0
जम्मू व कश्मीर	13.21	13.21	896	840

1	2	3	4	5
हरियाणा	29.12	29.07	1691	1691
हिमाचल प्रदेश	7.61	7.61	491	491
चड़ीगढ़ समेत पंजाब	51.19	59.89	2970	2870
राजस्थान	62.67	62.67	2926	2926
उत्तर प्रदेश	106.54	100.51	6094	5444
गुजरात	140.55	135.69	6288	5728
मध्य प्रदेश	105.29	100.38	5697	4952
महाराष्ट्र गोवा समेत	182.24	182.08	9151	8995
आंध्र प्रदेश	113.40	100.70	6534	4889
कनार्टक	70.91	61.28	3943	3148
केरल	35.39	31.17	2000	1753
तमिलनाडु	100.20	91.17	5635	4544
बिहार	25.76	22.20	1150	1019
डीवीसी	27.81	23.61	1200	1075
उड़ीसा	31.50	31.41	1260	1711
पं॰ बंगाल	43.80	44.43	2304	2441
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	14.19	13.63	814	914

[अनुवाद]

नगरों में राष्ट्रीय राजमार्ग

81. **डा॰ वल्लभभाई कथीरिया :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 तक प्रत्येक राज्य के नगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है तथा अब तक हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों को जापान की सहायता

82. **श्री के॰ येरननायडू :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम तथा विजयवाड़ा स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए जापान से धन उपलब्ध कराने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्रों में जापान की कितनी भागीदारी होने का अनुमान है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं।

(ख). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजना जो कि जापानी येन ऋण द्वारा वित्तपोषित की गई है, के आंकड़े निम्न

प्रकार हैं :-

(मिलियन येन)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण राशि
1.	श्रीसेलम बायां तट विद्युत केन्द्र चरण-1	26101
2.	श्रीसेलम बायां तट विद्युत केन्द्र परियोजना-2	22567
3.	कोठागुडम-क टीपीएस परियोजना	5092
4.	श्रीसेलम बायां तट विद्युत केन्द्र-3 परियोजना	14499

गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय सड़क निधि

83. **श्री हरिन पाठक :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया आवंटन राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं के समानुपातिक रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्योगों की आधारभूत आवश्यकताओं को विकसित करने के मद्देनजर इस निधि से राज्यों को किये जाने वाले आवंटन के मानदण्डों की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) राज्यों के लिए केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) से निधियों का आबंटन संबंधित राज्यों में पेट्रोल की खपत के आधार पर जमा राशि, स्वीकृत स्कीमों तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त आधार पर किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बड़े पत्तनों पर मूलभूत सुविधाएं

84. **श्री अरविन्द कांबले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश के सभी बड़े पत्तनों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इनके विकास के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार ने इन पत्तनों के विकास हेतु लागत का आकलन कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो कांडला और मुम्बई पत्तनों सहित, पत्तन-वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने विश्व बैंक से बात की है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) जी हां। कांडला और मुम्बई सहित महापत्तनों के विकास के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना में 7215 करोड़ रु॰ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्रम सं.	पत्तन का नाम	9वीं योजना परिव्यय (करोड़ रु.)
1.	कलकत्ता/हल्दिया	545.00
2.	मुम्बई	980.00
3.	जे.एल. नेहरू	500.00
4.	चेन्नई	1700.00
5.	कोचीन	330.00
6.	विजाग	850.00
7.	कांडला	360.00
8.	मुरगांव	260.00
9.	पारादीप	900.00
10.	नव मंगलूर	340.00
11.	तुतीकोरिन	450.00
	जोड़	7215.00

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सहायता

85. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन और संस्कृत विद्यालयों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संस्कृत के विकास के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) बिहार की भारतीय शिक्षा संस्कृत परिषद को सहायता स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने सूचित किया है कि स्वैच्छिक संगठनों नें विभिन्न कक्षाओं में संस्कृत शिक्षण कार्य आरंभ कर दिया है।

(ग) योजना के शासी नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले अनुरोध पत्रों के लिए आवश्यक है कि वे संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से उनकी सिफारिशों के साथ भेजे जाएं। भारतीय शिक्षा संस्कृत परिषद के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया क्योंकि इसका प्रस्ताव बिहार सरकार के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ था।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰–4 की दशा

86. **श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰–4 में खमबटकी घाट की वर्तमान दो लेन वाली सड़क कि.मी. 773/0 से 781/0 तक की दशा बहुत खराब है;

(ख) यदि हां, तो क्या 1994 में महाराष्ट्र ने घाट खंड में अतिरिक्त दो लेन के लिए सरकार से संपर्क किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, मगर आज की तारीख तक इस प्रयोजन हेतु कोई निधि जारी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव हेतु राज्य सरकार को कब तक निधि जारी किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार ने रा.रा.सं. 4 पर पुणे और सतारा (731/0 से 834/0 कि.मी. तक) के बीच अतिरिक्त दो लेनों की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। नई सड़क के संरेखण का नवम्बर, 1994 में अनुमोदन किया गया था परंतु भूमि अधिग्रहण का प्राक्कलन निधियों की कमियों के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका। तथापि, रा.रा. 4 पर खम्बातकी घाट में 773/0 और 781/0 कि.मी. के बीच मौजूदा दो लेनों को मजबूत करने और अतिरिक्त दो लेन उपलब्ध कराने का कार्य अब बी ओ टी (निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण) के आधार पर शुरू किया जा रहा है। त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

[हिन्दी]

पर्यावरण सुरक्षा योजनाएं

87. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पर्यावरण सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग) कितने राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) ताप विद्युत संयंत्र द्वारा कोयले में प्रयुक्त राख तत्व के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

(iii) उद्योगों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए हैं तथा दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(iv) केटेलेटिक कनवर्टरयुक्त कारों में प्रयोग के लिए मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई के चार महानगरों में 1.4.1995 से सीसा रहित पेट्रोल प्रारंभ किया गया है।

(v) सरकार सीसा रहित पेट्रोल और कैटेलेटिक कन्वर्टरयुक्त वाहनों को शुरू करने के लिए तथा अधिक साफ डीजल वाहनों में कम सल्फरयुक्त डीजल के प्रयोग के लिए चरण बद्ध तरीके से एक मुख्य योजना कार्यान्वित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(vi) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत चलित वाहनों के लिए सकल उत्सर्जन मानक तथा नए वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और इन मानकों को विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है।

(vii) वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1990 में पहली बार विनिर्माण स्तर पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए उत्सर्जन मानक शुरू किए गए थे और इन मानकों को 1996 में अधिक कठोर बनाया गया था। अधिक कठोर उत्सर्जन मानक

भी अधिसूचित किए गए हैं और ये 01-04-2000 से लागू होंगे।

(viii) दो स्ट्रोक ईंधन आयॅल के लिए विनिर्देश अधिसूचित किए गए हैं जो 01.04.1999 से लागू होंगे।

(ix) कुछ जिलों के लिए "जोनिंग एटलस" सहित उद्योगों के स्थल निर्धारण और परिचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए है।

(x) उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहमति अपेक्षाओं का पालन करें।

(xi) छोटी औद्योगिक इकाईयों के समूहों ने अनेक साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र मंजूर किए गए हैं और मे क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(xii) गंगा कार्य योजना, चरण-1 पूरा होने की प्रक्रिया में है। तथा सरकार ने गंगा कार्य योजना चरण-2 के तहत यमुना और गोमती योजनाएं भी अनुमोदित की हैं। सरकार ने राष्ट्रीय नदी कार्य योजना भी मंजूर की है, जिसमें गंगा कार्य योजना चरण-1 तथा 2 के तहत शामिल न किए गए अभिनिर्धारित प्रदूषित नदी भागों को शामिल किए जाएगा।

(xiii) इस मंत्रालय ने सात अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों अर्थात वापी (गुजरात), अंगुल-तल्चर (उड़ीसा) चेम्बूर (मुम्बई), कोचीन (केरल), कानपुर (उ.प्र.), मंडी-गोबिन्दगढ़ (पंजाब) तथा दिल्ली में पर्यावरणीय रोग विज्ञान अध्ययन शुरू किए हैं।

(xiv) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उद्योगों तथा ऑटोमोबाइल्स से भिन्न अन्य स्रोतों से शोर नियंत्रण के लिए प्रक्रिया संहिताएं बनाई हैं। इसमें जन सम्बोधन प्रणाली, एयरक्राफ्ट आपरेशन, रेलवे आपरेशन, निर्माण गतिविधियां पटाखे फोड़ना शामिल है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे संबंधित स्थानीय अधिनियमों के अंतर्गत इन प्रक्रिया संहिताओं को अमल में लाएं।

(xv) ऑटोमोबाइल्स, घरेलू उपकरणों तथा निर्माण उपकरणों के लिए शोर सीमाएं अधिसूचित की गई हैं।

(xvi) प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(xvii) एक कार्य योजना सहित दिल्ली में प्रदूषण के बारे में एक श्वेत पत्र तैयार किया गया है और उसे अमल में लाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है जो कार्य योजना के कार्यान्वयन को देखेगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान लगभग 26 पर्यावरण सुरक्षा स्कीमों/परियोजनाओं के लिए तकरीबन 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(ग) 25 राज्यों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए हैं और केन्द्र शासित प्रदेशों में छः प्रदूषण नियंत्रण समितियों की स्थापना की गई हैं।

[अनुवाद]

राजमार्गों के साथ-साथ आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयों का विकास

88. **श्री चंदू लाल अजमीरा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमार्ग परियोजनाओं के भाग के रूप में राजमार्गों के साथ-साथ आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयों का विकास किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़क क्षेत्र में निजी निवेशकों को कौन-कौन सी कानूनी, वित्तीय और अन्य रियायतें दी जाएंगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। प्रस्ताव संकल्पना स्तर पर है, अतः इस स्तर पर कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

विद्युत परियोजनाओं को कांउटर गारंटी

89. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 3800 करोड़ रुपये का संस्थागत ऋण एवं सार्वजनिक निवेश प्राप्त करने के बावजूद इस्पात समूह की विद्युत परियोजना को 850 मिलियन डालर की काउंटर गारंटी देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंदन स्थित प्रतिष्ठान एवं समूह को दी गई निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु क्या निगरानी/विनियामक व्यवस्था की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) भद्रावती विद्युत परियोजना के लिए जारी की गई भारत सरकार की प्रति गारंटी विद्युत क्रय समझौते के समाप्त होने की स्थिति में 332 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग और 1480 मिलियन फ्रेंच फ्रेंक के बराबर बकाया विदेशी ऋण के भुगतान के लिए है। यह प्रति गारंटी परियोजना के वित्तीय समापन पर लागू होगी। इस परियोजना के लिए

भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा अभी तक कोई ऋण वितरित नहीं किया गया है। परियोजना प्रवर्तकों से अपेक्षा है कि वे परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करेंगे। ऋणदाता, ऋण के उचित समुपयोजन और भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट करेंगे।

[हिन्दी]

अंतर-क्षेत्रीय विद्युत पारेषण

90. श्री प्रेमसिंह चन्दूमाजरा :

डा॰ चिंता मोहन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय विद्युत पारेषण की व्यवस्था अपर्याप्त है; और

(ख) इस संबंध में कितनी कमी का अनुमान है और उन क्षेत्रों के राज्य-वार नाम क्या-क्या हैं जहां स्थानीय आवश्यकता से अधिक विद्युत उत्पादन होता है और अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) विद्युत के अंतर-क्षेत्रीय अंतरण की व्यवस्था को हाल ही में बेहतर कर दिया गया हैं और अंतर-क्षेत्रीय अतरणों की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे है ताकि देश में अतिरिक्त विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में कुशलता से समुपयोजन हो सके। विभिन्न क्षेत्रों के बीच विद्युत के आदान-प्रदान के लिए प्रमुख विद्यमान लिंग निम्नानुसार हैं :-

- पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच 2×500 मे.वा. का चंद्रपुर एचवीडीसी बैक टु बैक लिंक।
- उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच 2×250 मे.वा. की विंध्याचल एच.वी.डी.सी. बैक टु बैक लिंक।
- इसके अतिरिक्त पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच 500 मे. वा. की जैपोर एच.वी.डी.सी. बैक टु बैक लिंक निर्माणाधीन है।
- उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के बीच 500 मे.वा.की ससाराम एच.वी.डी.सी. लिंक भी अनुमोदित की गई है।

इस समय पूर्वी क्षेत्र के पास लगभग 1000-1500 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत है। जिसमें से मौजूदा लिंकों के माध्यम से अन्य कमी वाले क्षेत्रों को 750 मे.वा. तक का अंतरण किया जा रहा है। 500 मे.वा. जैपोर एच.वी.डी.सी. अंतर-क्षेत्रीय लिंक को आरम्भ किये जाने से बची हुई अतिरिक्त विद्युत का अंतरण पूर्वी क्षेत्र से दक्षिण क्षेत्र में करना संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा से छूट

91. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रस्तोगी आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार उन उम्मीदवारों को, जिनके पास पी.एच.डी. की डिग्री है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (ई.) के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के शिक्षण स्टाफ में नियुक्त किये जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए सामान्य तौर पर अपेक्षित उन अर्हताओं को परिभाषित करने संबंधी विनियमों को तैयार करने में सक्षम है जिसमें शिक्षा की उस शाखा का ध्यान रखा जाता है जिसमें उससे अध्यापन कार्य करने की आशा की जाती है। सरकार ने 18 नवम्बर, 1998 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र भेजा जिसमें इस विषय पर विनियम तैयार करने को कहा है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण केन्द्र

92. **डा॰ सुशील इन्दौरा** :

डा॰ चिन्ता मोहन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक शीर्ष संस्था गठित की है जो उन्नत सूचना तकनीक को अपनाने के लिए दक्ष जन शक्ति उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था और अनुसंधान कार्य करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे स्थान कौन से हैं जहां इस तरह के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) इसकी प्रस्तावित वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता क्या होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) ऐसी कोई शीर्षस्थ संस्था स्थापित नहीं की गई है। किन्तु ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं जहां सूचना प्रौद्योगिकी समेत विषयों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए व्यवस्था है। इनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं भी शामिल हैं। ऐसी एक संस्था भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान की स्थापना ग्वालियर में हाल ही में की गई है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था है। इसमें बहु-विध कार्यक्रमों के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध के क्षेत्रों में शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने और अनुसंधान करने, परामर्श प्रदान करने और इन क्षेत्रों में अन्य सम्बंधित कार्यकलाप करने की अपेक्षा की गई है। इस समय इस संस्थान में प्रति वर्ष 30 छात्रों के दाखिले की क्षमता है और यह प्रबंध तथा सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी. एम.आई.टी.) प्रदान करता है।

एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध संस्थान को इलाहाबाद में स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो कि इस समय भारत सरकार के विचाराधीन है। इस संस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग के सभी क्षेत्रों में विकास की जरूरत पूरी किए जाने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान

93. **प्रो॰ चमन लाल गुप्त** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में पुरातत्व विभाग द्वारा पुरातात्विक महत्व के स्थानों तथा उनके विकास के कौन-कौन से स्थान पता लगाए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें सुधार के लिए कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जम्मू में मुलरिक मण्डी को विकास के लिए योजना में शामिल किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जम्मू व कश्मीर राज्य में ऐतिहासिक महत्व के 69 स्मारकों/स्थलों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षण किया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के चारों ओर बड़ी ढांचागत मरम्मत और वातावरणीय विकास करने केन्द्रीय स्मारकों के सुधार के लिए 42,14,127/- रुपये व्यय किये हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक नहीं है।

महाराष्ट्र में संरक्षित वन

94. **श्री अनन्त गंगाराम गीते** :

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वन/संरक्षित वन के रूप में कितने क्षेत्र की पहचान की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी भूमि पर वनरोपण किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस कार्य में किसी विदेशी संगठन को लगाया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार और विदेश से परियोजनावार कितनी सहायता प्राप्त की गई है;

(ङ) प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च हो जाने की संभावना है; और

(च) इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट 1997 के अनुसार 48,373 वर्ग कि.मी. आरक्षित वनों सहित महाराष्ट्र का रिकार्ड किया गया वन क्षेत्र 63842 वर्ग कि.मी. है।

(ख) 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान क्रमशः 1,20,139 है., 1,00,328 है. तथा 91,910 है. पर वनीकरण किया गया।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक की सहायता से महाराष्ट्र वानिकी परियोजना क्रियान्वयनाधीन है। विश्व बैंक द्वारा 108 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्रदान की गई है। महाराष्ट्र वानिकी परियोजना के संबंध में वर्ष 1998-99 के लिए राज्य सरकारा द्वारा 59.6 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, वनीकरण उद्देश्यों के लिए 1998-99 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा एकीकृत वनीकरण तथा पारि-विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम तथा गैर-इमारती वन उत्पाद स्कीम के तहत सहायता के तौर पर क्रमशः 149.67 लाख रु., 103.38 लाख रु. तथा 82.37 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

(च) महाराष्ट्र वानिकी परियोजना के तहत सितम्बर, 98 तक 24 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं जबकि, केन्द्रीय सहायता के तौर पर एकीकृत वनीकरण तथा पारि-विकास परियोजना स्कीम, क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम तथा गैर-इमारती वन उत्पाद स्कीम के तहत क्रमशः 48.58 लाख रु., 27.91 लाख रु. तथा 40.95 लाख रु. जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार सृजन

95. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापक रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1998-99 के दौरान इस योजना के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) लाभार्थियों को अपने लघु-उद्यम प्रारंभ करने अथवा दिहाड़ी पर रोजगार प्राप्त कराने की दृष्टि से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम प्रशिक्षण संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उनको सीधे निधियां मुहैया करवाते हुए कार्यान्वित की जा रही है। दिशा-निर्देशों में तकनीकी, गैर-सरकारी संगठनों अथवा उद्यमवृत्ति विकास संस्थानों से प्राप्त होने वाले परियोजना प्रस्तावों सहित उद्देश्यों, समयावधि, संस्थानों की पात्रता के मानदण्डों, प्रशिक्षण के संभावित क्षेत्र, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन-तंत्र शामिल हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को 140.00 लाख रुपये की धनराशि मुहैया करायी गयी है और इससे लगभग 4500 व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में कॉसामीना की कटाई

96. **श्री खारबेल स्वाई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में तटीय क्षेत्र के साथ-साथ कॉसमीना पौधों की कटाई बड़े पैमाने पर हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इरादा उन क्षेत्रों में यह पौधे लगाने का है, जिन क्षेत्रों मे पौधों की कटाई हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लक्ष्य तिथि क्या रखी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तहसील स्तर पर न्यायालयों की स्थापना

97. **श्री बीर सिंह महतो : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तहसील स्तर पर न्यायालयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) तहसील स्तर पर न्यायालयों को स्थापित करने से संबंधित विषय संविधान के अनुच्छेद 234 के उपबंधों के अनुसार, संबद्ध राज्य सरकार और उच्च न्यायालय का विषय है।

टिंडिवणम में उपरि पुल का निर्माण करने संबंधी प्रस्ताव

98. **श्री टी॰आर॰ बालू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिंडिवणम, तमिलनाडु में उपरि पुल का निर्माण करने संबंधी कार्य में कोई प्रगति की है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त कार्य को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी कर ली जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस परियोजना को फरवरी, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

बारीपाड़ा और बहरामपुर के बीच चार लेन वाले राजमार्ग का निर्माण

99. **श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा में बारीपाड़ा और बहरामपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर चार लेन वाले राजमार्गों का निर्माण करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कटक और भुवनेश्वर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर चार लेन वाले राजमार्ग के निर्माण कार्य में अनावश्यक विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) उड़ीसा में बारीपाड़ा और बहरामपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 को चार लेन का बनाने के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर खंड	चार-लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है।
2.	जगतपुर-चांदीखोल खंड	भा.रा.रा.प्रा. ने निविदाएं प्राप्त कर ली हैं और इनकी जांच की जा रही है।
3.	चांदीखोल-बारीपाड़ा खंड	भा.रा.रा.प्रा. ने साध्यता अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है।
4.	भुवनेश्वर-बहरामपुर खंड	चार लेन बनाने के लिए साध्यता अध्ययन करने संबंधी प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य निधियों की कमी के कारण डॉवाडोल है।

(ग) और (घ) खाली भूमि की अनुपलब्धता, पेड़ों की कटाई, मंदिरों को हटाने पर न्यायालय के स्थगन आदेश, कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण, सेवा सड़कों/भूमिगत मार्ग/मार्ग के बीच में निकलने की जगह के लिए स्थानीय लोगों की मांग, पुरानी अज्ञात भूमिगत उपयोगी संरचनाओं की मौजूदगी, पर्याप्त निर्माण सामग्री की उपलब्धता में कमी, अप्रत्याशित बाढ़/वर्षा, ठेकेदार के अपर्याप्त संसाधन के कारण परियोजना नियत समय के मुकाबले पिछड़ रही है।

(ङ) ठेके की शर्त के अनुसार ठेकेदारों को मूल्य-वृद्धि देय होगी।

[हिन्दी]

पर्यावरण न्यायालय

100. **डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन संबंधी मामलों के निपटान हेतु पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करने के बारे में उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों पर कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) क्या सरकार का राज्य स्तर पर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कानूनों को कार्यान्वित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वाली इकाईयों के प्रमुखों को व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) से (ग) श्रीराम फूड तथा फर्टिलाइजर इण्डस्ट्रीज में ओलियम गैस रिसाव के मामले में उच्चतम न्यायालय के अवलोकन के उपरान्त पर्यावरणीय कोर्टों की स्थापना के सुझाव को देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 नामक कानून निर्मित किया है कि जोकि किसी भी खतरनाक पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए घटित दुर्घटना से हुए नुकसानों के लिए कड़े उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम इन दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों के प्रभावी तथा तुरन्त निपटान के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना हेतु प्रबंध करता है।

केन्द्रीय और राज्य स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा समितियों को शक्तियां सौंपी हैं। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जहां अपराध हुआ है उन इकाइयों के प्रधानों पर अपराध साबित होने के उपरान्त मुकदमा चलाया जायेगा।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

101. **श्री रामपाल उपाध्याय** :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्यवार कितने नए केन्द्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान स्वीकृत नए केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य	वर्ष में खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या		
		1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	असम	02	01	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	01	-	01
3.	अरूणाचल प्रदेश	01	02	-

1	2	3	4	5
4.	बिहार	01	02	01
5.	दिल्ली	-	01	01
6.	हरियाणा	02	-	01
7.	हिमाचल प्रदेश	-	01	-
8.	जम्मू एवं कश्मीर	-	01**	-
9.	कर्नाटक	01	-	04
10.	केरल	02	-	01
11.	मध्य प्रदेश	04*	-	01
12.	नागालैंड	02*	-	01
13.	महाराष्ट्र	-	03***	-
14.	उड़ीसा	01	02	-
15.	पंजाब	-	-	03
16.	राजस्थान	01	04	03
17.	तमिलनाडु	01	01	-
18.	उत्तर प्रदेश	01	02	02
19.	पश्चिम बंगाल	02	-	01
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	01	-	-
		23	20	20

* केन्द्रीय विद्यालय नेपानगर (म.प्र.) और तुली (नागालैंड) को, जो परियोजना क्षेत्र के तहत थे, सिविल क्षेत्र के विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं और उन्हें 1996-97 के दौरान खोले जाने वाले 20 केन्द्रीय विद्यालयों में समायोजित किया गया है।

** वर्ष 1996-97 के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय, ऊधमपुर को खोलने के लिए स्वीकृति आदेश को सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण वापस ले लिया गया है।

*** 1996-97 के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय विद्यालय, बुलडाना, महाराष्ट्र के खोलने के लिए स्वीकृति आदेश सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण वापस ले लिए गए हैं।

परियोजना तंत्र के अंतर्गत 3 केन्द्रीय विद्यालय।

लोक अदालतें

102. **श्री राम चन्द्र मलिक :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में राज्यवार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई;

(ख) क्या लोक अदालतों के गठन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उदासीन रवैये के कारण विवादों के शीघ्र निपटान की उक्त योजना सफल नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने मामले निपटाए गए?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार, आयोजित की गई लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन और उक्त अधिनियम के अध्याय 3 के उपबंधों का सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को विस्तार किए जाने से, लोक अदालतों को, जो इसके पूर्व विश्वासोत्पाद और सुलहकारी पद्धति के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए स्वैच्छिक प्रयास था, कानूनी आधार दे दिया गया है। अब, लोक अदालतों में, सिविल न्यायालय की शक्ति निहित है।

विवरण

गत तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 में प्रत्येक के दौरान, आयोजित लोक अदालतों और उनमें निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों/राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों/राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों के नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान आयोजित लोक अदालतों की संख्या			निम्नलिखित वर्षों में निपटाए गए मामलों की संख्या		
		1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	122	462	310	7,091	26,656	18,050
2.	अरूणाचल प्रदेश	अभी तक कोई लोक अदालत आयोजित नहीं की गई है।					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	20	141	10	2,491	12,973	1,014
4.	बिहार	3	87	24	20	14,679	7,406
5.	गोवा	6	25	4	198	143	246
6.	गुजरात	165	353	205	22,035	34,464	65,218
7.	हरियाणा	51	157	85	17,108	35,800	18,301
8.	हिमाचल प्रदेश	66	67	118	3,444	3,420	5,235
9.	जम्मू-कश्मीर	3	4	30	168	313	714
10.	कर्नाटक	248	451	170	40,106	15,981	14,197
11.	केरल	226	209	312	4,253	19,664	26,206
12.	मध्य प्रदेश	146	554	658	118,404	116,138	51,803
13.	महाराष्ट्र	183	1,050	826	635	40,739	21,915
14.	मणिपुर	2	1	शून्य	678	191	शून्य
15.	मेघालय	2	12	शून्य	141	474	शून्य
16.	मिजोरम	18	34	46	38	83	102
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
18.	उड़ीसा	224	267	259	52,161	98,686	318,913
19.	पंजाब	19	127	205	2,188	7,893	7,704
20.	राजस्थान	4,322	4,868	5,017	58,340	69,355	67,870
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
22.	तमिलनाडु	379	992	634	8,102	10,904	11,690
23.	त्रिपुरा	3	5	1	432	165	78
24.	उत्तर प्रदेश	292	575	362	275,728	401,390	278,756
25.	*पं॰ बंगाल	5	12	12	316	898	571
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप	शून्य	शून्य	1	-	-	16
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	12	-	-	13,290
28.	दादरा और नागर हवेली		कोई लोक अदालत आयोजित नहीं की गई।				
29.	दमण और दीव		कोई लोक अदालत आयोजित नहीं की गई।				
30.	दिल्ली	11	28	39	5,785	30,979	12,566
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-
32.	पांडिचेरी	3	9	12	456	491	329
33.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति		कोई लोक अदालत आयोजित नहीं की गई।				

*क्रमशः, कैलेंडर वर्ष 1995, 1996 और 1997 के लिए।

वरिष्ठ श्रेणी में पदोन्नति

103. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय के व्याख्याता के लिए वेतनमान तथा पदोन्नति के संबंध में वर्तमान अधिसूचना के अनुसार कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को वरिष्ठ व्याख्याता श्रेणी में पदोन्नति हेतु अधिक लाभ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इसकी समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अध्यापकों की संख्या

104. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में कार्यरत नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है और उनमें कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है;

(ख) क्या इन विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विद्यालयों में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या कितनी है और विषयवार कितने अध्यापकों को नियुक्त किया गया है; और

(ङ) इन विद्यालयों में अध्यापकों की कम संख्या में नियुक्ति के क्या कारण हैं और रिक्त पदों को कब तक भर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) इस समय मध्य प्रदेश में 45 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। 1.7.98 की स्थिति के अनुसार इन विद्यालयों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 14251 है।

(ख) से (घ) 1.7.98 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत और भरे गए पदों की विषय-वार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) शिक्षकों के वर्तमान रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि कोई शेष रिक्त पद होंगे तो उन्हें अल्पकालिक संविदा आधार पर अर्हक व्यक्तियों को लेकर भरा जाएगा।

विवरण

मध्य प्रदेश में स्थित नवोदय विद्यालयों में कुल स्वीकृत पदों, स्टाफ स्थिति और कुल रिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण (1 जुलाई, 1998 की स्थिति)

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5
(क)	**स्नातकोत्तर शिक्षक**			
1.	हिन्दी	39	39	–
2.	अंग्रेजी	39	32	07
3.	गणित	42	28	14
4.	भौतिकी	22	2C	02
5.	रसायन शास्त्र	22	22	–
6.	जीव विज्ञान	42	31	11
7.	इतिहास	24	23	01
8.	भूगोल	24	24	–
9.	अर्थशास्त्र	08	08	–
10.	वाणिज्य शास्त्र	04	04	–
	जोड़	266	231	35
(ख)	**प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक**			
1.	हिन्दी	74	71	03
2.	अंग्रेजी	74	58	16
3.	गणित	67	58	09
4.	विज्ञान	45	36	09
5.	सामाजिक अध्ययन	45	40	05
6.	तीसरी भाषा	48	22	26
	जोड़	353	285	68
(ग)	**विविध श्रेणियां**			
1.	संगीत	45	44	01
2.	कला	45	37	08

1	2	3	4	5
3.	शारीरिक शिक्षा शिक्षक	81	77	04
4.	पुस्तकालय अध्यक्ष	45	36	09
5.	एस.यू.एफ. डब्ल्यू	29	18	11
6.	व्यावसायिक	03	-	03
	जोड़	248	212	36

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय की स्थिति

105. **श्री प्रभात कुमार सामन्तराय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रपाड़ा (उड़ीसा) में दो वर्ष पूर्व खोले गये नवोदय विद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस विद्यालय को कोई मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) उड़ीसा में केन्दरपाड़ा का नवोदय विद्यालय अक्तूबर, 1996 में स्वीकृत किया गया था। विद्यालय को खोलने के समय, राज्य सरकार ने विद्यालय के स्थाई परिसर का निर्माण करने के लिए 30 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का आश्वासन दिया था। किन्तु, विद्यालय को भूमि अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई है जिसके कारण स्थाई परिसर के निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। यह विद्यालय इस समय दीनबंधु विधि कालेज द्वारा दी गई अस्थाई बिल्डिंग में कार्य कर रहा है। विद्यालय को भूमि हस्तांतरित किए जाने और उसके लिए स्थाई भवन परिसर का निर्माण पूरा किए जाने के बाद उसे सभी आवश्यक अवंसरचना प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

विद्यालयों की इमारतें

106. **श्री राजवीर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कितने केन्द्रीय विद्यालय इमारतों के बिना चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन सभी विद्यालयों के लिए यथाशीघ्र विद्यालय की इमारतों का निर्माण करने और उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 12 केन्द्रीय विद्यालय बिना स्थाई विद्यालय भवनों के कार्य कर रहे हैं। इन 12 विद्यालयों में से एक विद्यालय के लिए विद्यालय भवन पूरा होने वाला है और अन्य दो अन्य विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 1998-99 के योजना बजट में नए विद्यालय भवनों और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 5.00 करोड़ रुपये रखे गए हैं। भूमि अंतरण की औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिए जाने, निर्माण अभिकरणों से आयोजना और आकलन प्राप्त होने के बाद, केन्द्रीय विद्यालय संगठन निधियों की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्यों को स्वीकृत करेगा।

विवरण

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	ए.एफ.एस. तुगलकाबाद	भवन निर्माण पूरा होने वाला है।
2.	प्रगति विहार	भवन निर्माण स्वीकृत कर दिया गया है। कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
3.	ए.एफ.एस. घोगा भवन	विद्यालय भवन स्वीकृत।
4.	ए.एफ.एस. अर्जुनगढ़	विद्यालय भवन की योजना बनाई जा रही है।
5.	ए.एफ.एस. रजोकरी	-तदैव-
6.	सी.आर.पी.एफ. झडौदाकलां	अभी तक प्रायोजक प्राधिकरण से भूमि अन्तरण नहीं हुआ है।
7.	एस.पी. मार्ग	-तदैव-
8.	बी.एस.एफ. छावला	-तदैव-
9.	दिल्ली छावनी नं. 4	-तदैव-
10.	रोहिणी सेक्टर-8	ये केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्मित अस्थाई भवन में कार्य कर रहे हैं। आयोजना कार्रवाई शुरू की जानी है।

1	2	3
11.	रोहिणी सेक्टर-3	ये केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्मित अस्थाई भवन में कार्य कर रहे हैं। आयोजना कार्रवाई शुरू की जानी है।
12.	पश्चिम विहार	-तदैव-

[अनुवाद]

परीक्षा परिणामों के प्रकाशन में विलम्ब

107. **श्री पी॰आर॰ किन्डिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय के एक छात्र ने परीक्षा परिणाम में हुए विलम्ब के परिणाम स्वरूप आत्मदाह कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मार्ग निर्देश तैयार करने और परीक्षाएं आयोजित करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने, समय पर परिणाम घोषित करने के लिए पक्की तारीख सुनिश्चित करने और इन मार्ग निर्देशों और समय की सुनिश्चितता का कड़ाई से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) सूचना मिली है कि परिणामों की घोषणा में हुए विलम्ब के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय के एक छात्र ने आत्महदाह कर लिया।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक कार्यकलाप जिसमें परीक्षाओं का संचालन, परिणामों की घोषणा, नये शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ आदि शामिल है, समय पर हों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक शैक्षणिक कैलेण्डर तैयार किया है तथा इसे सभी विश्वविद्यालयों में परिचालित किया है। विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेण्डर के कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की जाचं के लिए वि.अ.आ. ने एक समिति भी गठित की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में शैक्षणिक कैलेण्डर के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों को पुरस्कार देने का सुझाव दिया है। सिफारिशों पर आयोग द्वारा विचार किया गया तथा इन्हें सभी विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों में परिचालित किया गया जिसमें शैक्षणिक कैलेण्डर तथा समिति की मुख्य सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, नवीं योजना के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि अनुदान का एक तिहाई आवंटन विश्वविद्यालयों को उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर किया जाये। विश्वविद्यालयों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न पैरामीटर निर्धारित किये गये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समय पर परीक्षाओं का आयोजन, शैक्षणिक कैलेण्डर का कार्यान्वयन, परिणामों की घोषणा आदि शामिल हैं।

भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण

108. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (जूलोजिकल सर्वे आफ इंडिया) द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग पारिस्थितिकी व्यवस्था संबंधी राज्यवार कितने सर्वेक्षण किए गए;

(ख) इन सर्वेक्षणों के दौरान विभिन्न प्रजातियों के राज्यबार कितने नमूने इकट्ठे किए गए; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्राणी जगत के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या नए पहल किए हैं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसके लिए क्या प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) और (ख) 1995 से अक्तूबर, 1998 तक की अवधि के दौरान भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने कुल 224 सर्वेक्षण कराए थे जिनके अन्तर्गत अलग-अलग राज्यों की विभिन्न परि-प्रणालियों को शामिल किया गया था। इन सर्वेक्षणों के दौरान, विभिन्न प्रजातियों के 26180 नमूने एकत्र किए गए थे। इनका राज्वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए देश में 520 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का एक-एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इन संरक्षित क्षेत्रों की परिधि के चारों ओर परि-विकास गतिविधियां चलाई जा रही हैं। विशिष्ट परियोजनाएं, जैसे, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना तथा समुद्री कछुओं संबंधी परियोजना भी आरम्भ की गई है।

नौवीं योजना अवधि के दौरान वन्यजीव संरक्षण हेतु जिन बातों को प्राथमिकता दी गई है, उनमें अवैध शिकार तथा वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क का विकास, संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारि-विकास वन्यजीव कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय, अनुसंधान और प्रशिक्षण, पारि-पर्यटन, संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव संबंधी नुकसान को रोकना और उसे कम करना तथा एशियाई शेरों के लिए दूसरे गृह की सुस्थापना करना शामिल है।

विवरण

राज्य का नाम	सर्वेक्षणों की संख्या	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या
1	2	3
अंडमान व निकोबार	7	1536
आंध्र प्रदेश	25	1066

1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	9	912
बिहार	11	22
दिल्ली	5	1234
हिमाचल प्रदेश	3	560
केरल	16	1291
मध्य प्रदेश	6	1379
महाराष्ट्र	17	463
मणिपुर	7	1450
मेघालय	12	1550
मिजोरम	17	1341
नागालैंड	11	250
राजस्थान	19	545
तमिलनाडु	26	7584
उत्तर प्रदेश	33	3197
कुल	224	26180

विद्युत की मांग और आपूर्ति

109. **श्री टी॰ गोविन्दन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में विद्युत की मांग और आपूर्ति का अंतर अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1997-98 और अप्रैल-अक्टूबर, 1998 की अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों में व्याप्त विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है।

(सभी आकड़े मि.यू. में)

राज्य क्षेत्र	1997-98				अप्रैल 98-अक्टूबर 98			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	41599	35606	5993	14.4	23349	21221	2128	9.1
कर्नाटक	26577	21192	5385	20.3	14330	12180	2150	15.0
केरल	11611	9404	2207	19.0	7043	6336	707	10.0
तमिलनाडु (पांडिचेरी समेत)	37870	32550	5320	14.0	22057	19295	2762	12.5

(ग) दक्षिणी राज्यों में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इन राज्यों में विद्युत अधिशेष वाले पूर्वी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों/राज्यों से विद्युत का अंतरण किये जाने की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

गुजरात में प्राकृतिक आपदा प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग

110. **श्री जयसिंहजी चौहान :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि से लेकर आज तक इन राजमार्गों की मरम्मत पर कुछ पैसा खर्च किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, 8ए, 8बी, 8सी, 14 और 15 प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान गुजरात में बाढ़ से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर क्रमशः 174.75 लाख रु. और 1000.00 लाख रु. का व्यय किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

111. **श्री मोइनुल हसन अहमद :**
श्री राजो सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या कुछ और केन्द्रों के खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान, अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या तथा राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौवीं योजना की कार्यनीति में सीमित विस्तार के साथ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के समेकन की परिकल्पना की गई है। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को स्वीकृत करना राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1993-1994 से 1997-1998 के दौरान केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष				
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	39,275	40,455	41,630	41,245	43,170
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	100	100	100
3.	असम	13,833	14,113	14,213	14,263	14,363
4.	बिहार	51,900	52,040	52,550	53,530	53,640
5.	गुजरात	1,845	1,480	1,480	1,480	1,480
6.	जम्मू और कश्मीर	3,930	2,170	2,771	2,771	2,921
7.	मध्य प्रदेश	35,235	35,510	35,985	35,960	37,340
8.	मणिपुर	2,600	1,400	2,585	4,012	4,012
9.	मेघालय	-	-	-	-	500
10.	मिजोरम	200	200	200	200	200
11.	उड़ीसा	20,013	23,103	32,178	33,104	35,334
12.	राजस्थान	14,870	18,980	19,197	19,246	19,571
13.	तमिलनाडु	1,090	1,690	3,160	3,260	4,035
14.	त्रिपुरा	-	-	-	-	302
15.	उत्तर प्रदेश	63,995	64,025	65,231	65,181	66,256

1	2	3	4	5	6	7
16.	चंडीगढ़	100	100	105	105	105
17.	दा॰ और न॰ हवेली	-	-	100	100	100
18.	हरियाणा	500	725	750	640	615
19.	हिमाचल प्रदेश	450	450	450	350	350
20.	कर्नाटक	1,375	1,660	1,710	827	1,597
21.	महाराष्ट्र	2,225	1,825	1,900	2,165	3,136
22.	पं॰ बंगाल	860	810	910	1,010	1,010
23.	दिल्ली	225	225	250	250	250
24.	पंजाब	-	-	-	-	90
	कुल	2,54,521	2,60,961	2,77,455	2,79,799	2,90,477

विवरण-II

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम
वर्ष 1993-94 से 1997-98 के दौरान जारी किया गया अनुदान

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष				
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,101.30	2,738.24	690.07	546.25	3,128.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	7.84	0.00	0.00
3.	असम	506.25	919.65	753.03	1,012.15	528.53
4.	बिहार	1,447.81	927.12	2,007.59	2,790.74	3,793.24
5.	गुजरात	113.86	133.05	59.24	83.84	66.04
6.	जम्मू और कश्मीर	57.04	67.77	99.86	21.99	75.35
7.	मध्य प्रदेश	1,830.19	1,826.10	2,453.67	2,819.28	2,554.21
8.	मणिपुर	94.10	74.07	138.29	295.09	311.26
9.	मेघालय	-	-	-	-	17.35
10.	मिजोरम	8.58	10.48	6.55	8.70	8.70
11.	उड़ीसा	811.67	1,109,60	1,256.23	1,912.84	1,205.48
12.	राजस्थान	529.36	1,269.41	703.64	1,423.47	1,544.01
13.	तमिलनाडु	61.37	120.98	108.99	212.49	254.94
14.	त्रिपुरा	-	-	-	-	13.49
15.	उत्तर प्रदेश	2,798.81	3,573.87	3,895.81	4,303.46	4,252.50
16.	चंडीगढ़	4.79	6.12	3.52	5.65	0.14

1	2	3	4	5	6	7
17.	दा॰ और न॰ हवेली	0.67	9.53	3.17	4.55	5.06
18.	हरियाणा	41.74	63.81	36.89	48.01	54.69
19.	हिमाचल प्रदेश	23.52	25.54	6.70	12.00	22.16
20.	कर्नाटक	78.35	37.84	5.62	33.78	46.43
21.	महाराष्ट्र	101.91	98.01	57.38	153.84	163.38
22.	पश्चिम बंगाल	73.12	91.05	13.39	103.36	140.46
23.	दिल्ली	11.85	23.46	12.32	23.38	105.09
24.	पंजाब	–	–	–	–	–
	कुल	10,696.29	13,125.70	12,319.80	15,814.85	18,291.47

वकीलों का व्यवहार

112. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मई, 1998 के "दैनिक जागरण" में "वकीलों के रवैये से ज्यादातर न्यायाधीश नाराज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को वकीलों द्वारा अपने मुवक्किलों के साथ किए जाने वाले अभद्र व्यवहार की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे वकीलों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा इस व्यवहार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शारीरिक शिक्षा का प्रसार

113. **श्री रामशकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शारीरिक शिक्षा के प्रसार के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 द्वारा प्रभावित सिंचाई परियोजनाएं

114. **श्री रामानन्द सिंह :**

श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से देश में कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं राज्य-वार प्रभावित हुई हैं;

(ख) 31 अक्तूबर, 1998 तक सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत/नामंजूर की गई;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों को आपत्ति के साथ राज्य-वार कितनी परियोजनाएं वापस भेज दी गई; और

(घ) सरकार के पास कुल कितनी सिंचाई परियोजनाएं राज्य-वार अनुमोदन हेतु विचाराधीन हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे संबंधी अपेक्षित सूचना राज्यवार संकलित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

वानिकी योजना

115. **श्री रामनारायण मीणा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर राजस्थान में संरक्षित वनों हेतु कोई वानिकी योजना लागू की गई/प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई है और यह राशि देने वाली एजेंसियां कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम के मूल्यांकन के बाद इसे लागू करने में ढील और घटिया काम तथा अन्य अनियमितताओं के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो मूल्यांकन कर रही एजेंसी कौन सी है या क्या इसका कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान सहित राज्य सरकारों को वनीकरण के लिए निम्नलिखित स्कीमों हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है :-

1. समन्वित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम, आई॰ए॰ई॰पी॰एस॰
2. क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम, ए ओ एफ एफ पी एस
3. नान-टिम्बर वन उत्पाद स्कीम, एन टी एफ पी एस
4. भोगाधिकार में हिस्सेदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जनजातियों तथा निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना, ए एस टी आर पी

देश के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान रिलीज की गई निधियां तथा नौवीं योजना अवधि में अब तक जारी संस्वीकृतियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

लाख रुपयों में

स्कीम	8वीं योजना	9वीं योजना
आई ए ई पी एस	20312.00	18853.65
ए ओ एफ एफ पी	15419.00	20004.46
एन टी एफ पी	5648.00	5984.67
ए एस टी आर पी	736.00	×

× नौवीं योजना के लिए ए एस टी आर पी के अन्तर्गत प्राप्त परियोजनाओं पर वर्तमान वर्ष में स्वीकृति के लिए विचार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सभी परियोजनाओं की मानीटरी राज्य सरकारों के वन विभागों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, पर्यावरण और वन मंत्रालय भी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं का मूल्यांकन कहता है और मूल्यांकनों में पाई गई कमियों को राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के ध्यान में लाया जाता है ताकि उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जा सके।

मूल्यांकन में लगी कुछ एजेंसियां निम्नलिखित हैं :-

1. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइन्सेस, मुम्बई।
2. सोसायटी फार प्रमोशन आफ वेस्टलैंड डवलपमेंट, नई दिल्ली।
3. नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च, नई दिल्ली।
4. नेशनल सेंटर फार ह्यूमेन सेटलमेंट एण्ड इन्वायरनमेंट, भोपाल।
5. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन, नई दिल्ली आदि।

[अनुवाद]

कम्पनियों पर शिक्षा उपकर

116. **श्री के॰एस॰ राव :**
श्री सुरेश वरपुडकर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आईआईटी और आई आई एम सहित सरकारी वित्तपोषित संस्थानों से उत्तीर्ण स्नातकों को लेने वाली कम्पनियों पर शिक्षा उपकर/कर लगाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) इस समय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबन्ध संस्थानों सहित मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित सरकारी संस्थाओं के स्नातकों को नियुक्त करने वाली कम्पनियों पर शिक्षा उपकर की उगाही संबंधी कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान से विद्युत खरीदना

117. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री जी॰ गंगा रेड्डी :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री अमर पाल सिंह :
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :
श्री भगवान शंकर रावत :
श्री एम॰ राजैया :
श्री सी॰डी॰ गामीत :
श्री पंकज चौधरी :
श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री मदन पाटील :
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक :
श्री एस॰एस॰ ओवेसी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को 2000 मेगावाट विद्युत की बिक्री करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव के ब्यौरे की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा इस प्रस्ताव पर अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) तय की गई लागत और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक आधारभूत ढांचे का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) पाकिस्तान उच्च आयोग ने वाणिज्य मंत्रालय को लिखे दिनांक 12 मई, 1997 के नोट में कहा था कि पाकिस्तान सरकार भारत सरकार को विद्युत का निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। भारत ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव पर अपनी गहन रूचि प्रकट की कि विशेषज्ञों द्वारा वाणिज्यिक और तकनीकी ब्यौरों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इस मामले पर नई दिल्ली में दिनांक 10.11.98 को पाकिस्तान के साथ आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के समय विचार किया गया जब पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव के तकनीकी एवं वाणिज्यिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत से एक प्रतिनिधि मंडल के आगमन की अपनी इच्छा प्रकट की। तदुपरांत, पाकिस्तान सरकार ने भारत से एक तकनीकी दल के दौरे हेतु औपचारिक निमंत्रण भेजा। भारत सरकार ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तथा श्री प्रदीप बैजल, विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में सात सदस्यों के एक तकनीकी दल को नवम्बर, 24-27, 1998 को पाकिस्तान में विचार विमर्श आयोजित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में वनों का विनाश

118. **श्री दिलीप संघाणी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वनों का तेजी से विनाश हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कीमती वन संसाधनों और वन्यजीवों के विनाश को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) गुजरात में वनों का तेजी से विनाश होने के बारे में कोई सूचना नहीं है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित 1997 की स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 1995 के मूल्यांकन की तुलना में 1997 के मूल्यांकन में वन क्षेत्र में 258 वर्ग कि.मी. की मामूली वृद्धि का संकेत मिलता है। तथापि, सघन वन में 32 वर्ग कि.मी. की मामूली कमी और खुले वनों में 12 वर्ग कि.मी. की कमी नोट की गई है। कच्छ वनस्पतियों के वन क्षेत्र में 302 वर्ग कि.मी. वृद्धि हुई है।

(ख) मूल्यावान वन संसाधनों और वन्यजीवों के विनाश को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. वनीकरण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।
2. संयुक्त वन प्रबन्धन के माध्यम से अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्धार कार्य में ग्राम समुदायों को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
3. वन भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 बनाया गया है।
4. आग से वनों को बचाने और उनके संरक्षण के लिए एक केन्द्र प्रायोजित "आधुनिक अग्नि नियंत्रण पद्धतियां" कार्यान्वित की जा रही है।
5. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्य पशुओं के शिकार पर प्रतिबंध है।
6. शेरों तथा उनके रहने के स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं।
7. वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए 21 वन्यजीव अभयारण्यों और 4 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

8. वन्य जीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

9. वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के अन्तर्गत संकटापन्न प्रजातियों के पशुओं और उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जाता है।

सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

119. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
श्री एन॰के॰ प्रेमचन्दन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्ड का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में हाल ही में कुछ ग्रामीण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सड़क मार्ग के किसी खण्ड को राजमार्ग घोषित करने के लिए निर्धारित मानदण्डों का पूरी तरह से उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों का कड़ाई से पालन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देबेन्द्र प्रधान) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

सड़कों की नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा कुछेक कारकों पर निर्भर करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए विहित मानदंड शामिल हैं। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के चयन के लिए मानदंड के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(i) सड़कें जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं।

(ii) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iii) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।

(v) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) पर्याप्त लम्बाई तक अधिक यातायात वहन करने वाली सड़कें।

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में काफी कमी आए और उससे पर्याप्त आर्थिक किफायत हो।

(viii) सड़कें जो 100 कि.मी. स्क्वेयर ग्रिड पूरी करें।

[हिन्दी]

मैथन राइट बैंक थर्मल पावर प्लांट

120. **प्रो॰ रीता वर्मा :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैथन राइट बैंक थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त परियोजना को चालू करने हेतु सरकार की स्वीकृति लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (घ) मैथॉन दायां तट तापविद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1988 में लगभग 1300 करोड़ रुपये की लागत तथा रूस से वित्तीय सहायता सहित तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। तथापि परियोजना को रूस के विघटन के कारण हाथ में नहीं लिया जा सका। आईसीएफ सहायता प्राप्त करने के प्रयास में सफलता नहीं मिली थी। रूस के मै॰ टैक्नो प्रोम एक्सपोर्ट, कोरिया के मै॰ कैपको तथा इटली के मै॰ असाल्डो से प्राप्त प्रस्ताव भी पक्ष में नहीं पाए गए। डीवीसी द्वारा मै॰ बॉम्बे सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ एक संयुक्त उद्यम अवधारणा पर विचार किया गया और इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। मैथॉन दायां तट ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उद्यम कंपनी का पंजीकरण एवं विनियमन के उद्देश्य से बीएसईएस तथा डीवीसी के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम समझौते के पंजीकरण वित्तीय पैकेज को अंतिम रूप देने, भावी उपभोक्ताओं के साथ विद्युत क्रय समझौते के क्रियान्वयन करने तथा सरकार द्वारा अंतिम परियोजना स्वीकृति प्रदान करने के बाद ही स्थल पर वास्तविक कार्य शुरू किया जा सकता है।

[अनुवाद]

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना

121. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

श्री सीताराम यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में 6 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3032 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 1995 संबंधी समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी हाँ। विधेयक पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और आशा की जाती है कि इस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

पारादीप पत्तन तक जल परिवहन सुविधा

122. **श्री तथागत सत्पथी :**

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी और ब्राह्मणी नदियों से होते हुए पारादीप पत्तन तक जल परिवहन सुविधा शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन सा समय और तारीख निर्धारित की गयी है;

(ग) इसके लिए क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, महानदी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र के साथ-साथ पारादीप एवं हल्दिया को जोड़ने वाली पूर्वी तटीय नहर के लिए 1996-97 में एक अध्ययन किया गया है। इस पर आगे कार्रवाई संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

उड़ीसा के प्रसिद्ध मन्दिरों का रखरखाव और अनुरक्षण

123. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वप्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मन्दिर, पुरी का जगन्नाथ मन्दिर और भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मन्दिर की मरम्मत, रखरखाव और अनुरक्षण के लिए सरकार द्वारा तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में उड़ीसा स्थित केन्द्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या इन मन्दिरों के उचित रखरखाव और अनुरक्षण के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूर्य मन्दिर कोणार्क, जगन्नाथ मन्दिर पुरी और लिंगराज मन्दिर भुवनेश्वर परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है।

इन स्मारकों का रखरखाव, संरक्षण और परिरक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के लिए संरक्षण कार्यक्रम सहित आबंटित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन स्मारकों के रख-रखाव, संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए धनराशि का आबंटन निम्न प्रकार है :-

	स्मारकों का नाम	1998-99 के लिए धनराशि का आबंटन
1.	सूर्य मन्दिर कोणार्क	9.24 लाख रुपये
2.	जगन्नाथ मन्दिर पुरी	12.75 लाख रुपये
3.	भगवान लिंगराज मन्दिर भुवनेश्वर	5.90 लाख रुपये

गोवा में ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना

124. **श्री रवि सीताराम नायक : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा को एक ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) गोवा में ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

धमारा, उड़ीसा में पत्तन

125. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में धमारा में एक पत्तन बनाने के लिए सिंगापुर की किसी कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्र राज्य के प्रतिबंधित मगरमच्छ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित होने के कारण राज्य सरकार ने मंत्रालय से स्वीकृति मांगी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। धामरा पत्तन का एक संयुक्त उद्यम कम्पनी इंटरनेशनल सी पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पत्तन के चरण-1 के लिए 1200 करोड़ रु. के निवेश से निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट गुड्स एक्ट, 1993 में संशोधन

126. **श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :**

श्री आर॰एस॰ गवई:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट गुड्स एक्ट 1993 में संशोधन करने संबंधी कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में माल को बहुविधा प्रणाली से लाने-जाने के लिए एकल दस्तावेज निपटान प्रणाली की जांच के लिए गठित की गई समिति ने कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव बहुविध परिवहन प्रचालकों, बहुविध परिवहन दस्तावेज, बहुविध परिवहन प्रचालकों के दायित्व संबंधी परिभाषाओं, पंजीकरण से संबंधित धाराओं को संशोधित करने के लिए है तथा बहुविध परिवहन प्रचालकों की जिम्मेदारी की अवधि को परिभाषित करने के लिए एक नया प्रावधान शामिल किया जाना है।

(ग) और (घ) भारत में माल के बहुविध परिवहन से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री एस॰ सुन्दर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तथापि, इस समिति को अपनी सिफारिशें अभी पेश करनी हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा का विकास

127. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास हेतु तैयार किए गए या प्रस्तावित कार्यक्रम क्या हैं; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितना व्यय होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

लुप्तप्रायः जानवरों को मारना

128. **श्री नरेश पुगलिया :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री रामपाल सिंह :

श्री आदित्यनाथ :

श्री मोहन सिंह :

श्री कृष्ण लाल शर्मा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री चमन लाल गुप्तः

श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

श्री राज नारायण पासी :

श्री विजय गोयल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रति वर्ष अनेक लुप्तप्रायः जानवरों का शिकार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए गहन निगरानी रखी जाती है, क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के उल्लंघन के राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन लुप्तप्रायः जानवरों का शिकार करने में लिप्त लोगों को सजा देने के लिए नियमों को कड़ा बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जोधपुर में काले हिरणों का शिकार करने के लिए गिरफ्तार किए गए सिने कलाकारों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) संकटापन्न पशुओं के मारे जाने के मामले सरकार की जानकारी में समय-समय पर आए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्यों से सभी प्रवर्तन एजेंसियों की समन्वय समितियां स्थापित करने के लिए कहा गया है ताकि चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर काबू पाने के लिए कारगर सहयोग हो सके। राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के स्टाफ को आधुनिक हथियार, वायरलैस उपकरण तथा संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभिन्न राज्यों में पिछले दो वर्षों के दौरान रजिस्टर किए गए मामलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 यथा संशोधित 1991 एक व्यापक विस्थापन है जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं वन्यजीव प्रबंधन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए शक्तियां दी गई हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए दंड कोमोबेश उपयुक्त पाया गया है।

(च) जोधपुर अवैध शिकार मामले में शामिल सिने अभिनेता के विरूद्ध वन्यजीव अधिनियम 1972 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए रजिस्टर मामलों की सूची प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	1996-97	1997-98
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	1
2.	गुजरात	49	43
3.	गोवा	1	2
4.	हिमाचल प्रदेश	8	3
5.	कर्नाटक	9	20
6.	*केरल	28	5
7.	*मध्य प्रदेश	474	122
8.	मणिपुर	शून्य	1
9.	मेघालय	11	3
10.	मिजोरम	5	शून्य
11.	नागालैंड	1	शून्य
12.	*राजस्थान	25	10
13.	उत्तर प्रदेश	45	10
14.	पश्चिम बंगाल	30	7
15.	सिक्किम	1	शून्य
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	6	4

* कैलेन्डर वर्ष के अनुसार

कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना

129. डा॰ जयन्त रंगपी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण देश में उन जिलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जहां न्यायपालिका को कार्यपालिका से अब तक पृथक नहीं किया गया है; और

(ख) सरकार ने नियत समय सीमा में इन क्षेत्रों में पृथक न्यायपालिका की स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) संबद्ध राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग

130. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला :
श्री पंकज चौधरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजमार्गों की तर्ज पर राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(घ) उस पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रस्ताव संकल्पना स्तर पर है; अतः इस स्तर पर कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

[अनुवाद]

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दावे का निपटाया जाना

131. **श्री वी.वी. राघवन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु होने पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अन्तर्गत तीसरे पक्ष के दावों के निपटान में लगने वाला औसत समय बहुत अधिक है जबकि किसी परिवार के रोजी-रोटी कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या उसके अपाहिज होने पर पूरे परिवार पर तत्काल संकट छा जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995, 1996 तथा 1997 के अंत तक पंजीकृत, निपटाए गए तथा लंबित दावों की संख्या कितनी रही; और

(ग) दावों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 168 और 169 के प्रावधानों तथा विभिन्न राज्य सरकारों के संबंधित नियमों के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे हेतु दावों पर कार्यवाही की जाती है। संबंधित तथ्यों विशेषतः दावेदार की प्रामाणिकता का पता लगाने के बाद ही दावों का भुगतान किया जाता है। इन दावों के निपटारे में विलंब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि ये दावे विभिन्न अदालतों में दायर किए जाते हैं और निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील भी की जाती हैं, ऐसे अनिर्णीत मामलों के बारे में प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

दावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने राज्य सरकारों से समय-समय पर उचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

बाघ रिजर्व

132. **श्री दिन्शा पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने बाघ रिजर्व हैं और राज्य-वार वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार ने नौवीं योजनावधि के दौरान 6 नए बाघ रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या गुजरात में भी इस परियोजना के लिए एक संभावित केन्द्र बनाए जाने के लिए विचार किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) बाघ रिजर्वों की राज्यवार स्थान सूची विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) कर्नाटक में भादरा और महाराष्ट्र में पंच, इस वर्ष बाघ रिजर्व क्षेत्र के रुप में घोषणा हेतु चुने गये हैं। चार अन्य बाघ रिजर्व क्षेत्रों के संबंध में अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। गुजरात में बाघ रिजर्व क्षेत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

विवरण

क्र. सं.	सृजन का वर्ष	बाघ रिजर्व का नाम	राज्य	कुल क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)
1	2	3	4	5
1.	1973-74	बांदीपुर	कर्नाटक	866
2.	1973-74	कार्बेट	उत्तर प्रदेश	1316
3.	1973-74	कान्हा	मध्य प्रदेश	1945
4.	1973-74	मानस	असम	2840
5.	1973-74	मेलघाट	महाराष्ट्र	1677
6.	1973-74	पलामू	बिहार	1026
7.	1973-74	रणथम्भौर	राजस्थान	1334
8.	1973-74	सिग्लीपल	उड़ीसा	2750
9.	1973-74	सुन्दरवन	पश्चिम बंगाल	2585
10.	1978-79	पेरियार	केरल	777
11.	1978-79	सरिस्का	राजस्थान	866
12.	1982-83	बक्सा	पश्चिम बंगाल	759
13.	1982-83	इन्द्रावती	मध्य प्रदेश	2799
14.	1982-83	नागार्जुनसागर	आंध्र प्रदेश	3568
15.	1982-83	नम्पदाफा	अरूणाचल प्रदेश	1985
16.	1987-88	दुधवा	उत्तर प्रदेश	811

1	2	3	4	5
17.	1988-89	कलाकड़-मुन्दवराई	तमिलनाडु	800
18.	1989-90	बाल्मीक	बिहार	840
19.	1992-93	पेंच	मध्य प्रदेश	758
20.	1993-94	टडोबा-अंधेरी	महाराष्ट्र	620
21.	1993-94		मध्य प्रदेश	1162
22.	1994-95		मध्य प्रदेश	542
23.	1994-95		मिजोरम	500
			कुल	33126

पत्तनों को नियंत्रित करने वाले विद्यमान विधान की समीक्षा हेतु समिति का गठन

133. **डा॰ प्रभा ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी पूंजी के प्रवेश की अनुमति न देने वाले प्रतिबंधित प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पत्तनों को नियंत्रित करने वाले विद्यमान विधान की समीक्षा हेतु 10 सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पत्तन विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दि. 20.11.98 को मंत्रालय में पेश कर दी है।

(ग) महापत्तनों में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी सामान्य नीतिगत दिशानिर्देश पत्तन की वर्तमान परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने, अतिरिक्त परिसंपत्तियों का निर्माण और सृजन जैसे कि कंटेनर टर्मिनलों का निर्माण और प्रचालन, बल्क, ब्रेक बल्क, बहु-उद्देशीय एवं विशिष्ट कार्गो बर्थो, भंडारण, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों, संग्रहण सुविधाओं और टैंक फार्मों का निर्माण और प्रचालन, क्रेनेज/हैंडलिंग उपस्कर, आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाओं, पत्तन हैंडलिंग उपस्कर को पट्टे पर देने और गैर-सरकारी क्षेत्र से फ्लोटिंग क्राफ्ट पट्टे पर लेने, पत्तन आधारित उद्योगों के लिए पाइलटेज एवं आबद्ध सुविधाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देते हैं।

सरकार ने सभी महापत्तनों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पत्तन सुविधाओं के विकास में निजी निवेशकों की भागीदारी करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

सरकार ने पत्तनों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश करने के लिए वित्तीय संस्थाओं, निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक वित्तीय प्रोत्साहन और कर लाभ घोषित किए हैं।

गोवा को विद्युत आबंटन

134. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रिड से गोवा को कुल कितनी बिजली का आबंटन किया गया है;

(ख) आबंटित बिजली में से कुल कितनी बिजली की खपत हुई;

(ग) क्या यह आबंटन गोवा की आवश्यकताओं के अनुसार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार गोवा को किए जाने वाले विद्युत आबंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्र से गोवा को आबंटित कुल विद्युत 394 मे.वा. है।

(ख) अप्रैल-अक्तूबर, 1998 की अवधि के दौरान गोवा ने आबंटित हिस्से में से 980 मि.यू. की अपनी पात्रता की तुलना में 856.6 मि.यू. का आहरण किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) गोवा का निर्माणाधीन विन्ध्याचल केन्द्र-2 (100 मे.वा.) में हिस्सा है और वह पश्चिमी क्षेत्र अर्थात गांधार चरण-2 (650 मे.वा.) और कवास चरण-2 (650 मे.वा.) में भावी केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से विद्युत के आबंटन का भी भागीदार है।

राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए तेल उपकर से निधियों का सृजन

135. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए तेल उपकर

से निधियों का सृजन करने के बारे में विचार किया रहा है और उसमें विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार पहले से संगृहित किए गए करों का किस ढंग से वितरण करना चाहती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) 1998 के बजट में पेट्रोल पर एक रुपया प्रति लीटर कर का प्रावधान है। इससे प्राप्त होने वाली राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दी जाती है ताकि वह राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कर सकें।

(ग) सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं पर एकत्र पथकर, एक अलग निधि के रूप में रखा जाता है और विभिन्न राज्यों से प्राप्त जमा राशि के अनुपात में यह धनराशि उन्हीं राज्यों को आबंटित कर दी जाती है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु इसका उपयोग करते हैं।

विदेशी कम्पनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना

136. **श्रीमती रानी नरह :**

श्री तारिक अनवर :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप और अमरीका की कई कंपनियों ने देश की कुछ बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) देश में वृहद विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कम्पनियों सहित अनेक कम्पनियों ने इच्छा जाहिर की है। हाल ही में सरकार ने वृहद विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीतियों का पुनर्निधारण किया है। संशोधित नीतियों के अनुसार वृहद परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सार्वजनिक और गैर सरकारी क्षेत्रों के ऐसे परियोजना स्थलों की पहचान कर ली गई है जो कि एक से अधिक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। सरकार द्वारा गठित स्थायी स्वतन्त्र दल वृहद निजी विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के देखरेख के लिए आरम्भ में एक शीर्षस्थ निकाय होगा। जहां तक संभव हो, गैर सरकारी वृहद विद्युत परियोजनाओं से शुल्क प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों में प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के सिद्धांतों का पालन किया जायेगा।

निजी विद्युत परियोजनाएं

137. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री माधव राव पाटील :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री विट्ठल तुपे :

श्री अभयसिंह एस. भोंसले :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कई निजी विद्युत परियोजनाएं वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों की वैधता संबंधी कानूनी शर्तें तथा (एस करोविलीटी कलॉजेज) आदि बचाव के उपाय (एक्सपोजर कवर) ठुकरा दिए जाने के कारण बंद हो सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या वित्त तथा विद्युत मंत्रालय की हाल ही बैठक में (एसकरो कवर्स) संबंधी पुनर्गठन के प्रस्ताव ठुकरा दिए गए हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा (एसकरो कवर्स) यह गारंटी देता है कि विद्युत उत्पादकों को राज्य विद्युत बोर्डों को बेची जा रही विद्युत के बैदले पैसा दिया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो क्या विद्युत मंत्रालय ने भी यह विचार प्रकट किया है कि वित्तीय संस्थाओं को मंजूरी दर की अपेक्षा अदायगी दर पर विचार करना चाहिए?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए काउंटर गारंटी प्रदान करने के विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में भारतीय वित्तीय संस्थान (आईएफआई) ने स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को सहायता प्रदान करने के लिए एक त्रि-स्तरीय सुरक्षा पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में साख पत्र (एलसी), एस्क्रो सुविधा और राज्य बिजली बोर्डों (राबिबो) द्वारा उपयोग की गई विद्युत के लिए आईपीपी की बकाया देय राशियों का समय से भुगतान करने से संबंधित राज्य सरकार की गारंटी शामिल है।

आईएफआई और संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों के बीच एस्क्रो समझौतों को अंतिम रूप प्रदान करते समय कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। स्वीकार्य एस्क्रो समझौतों को अंतिम रूप प्रदान करने के उद्देश्य से मतभेदों को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने जहां भी आवश्यक हो, हस्तक्षेप किया है।

पर्यावरण और वन पर श्वेत पत्र

138. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण और वन संबंधी वर्तमान स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्वेत पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) वनों और पर्यावरण की वर्तमान स्थिति पर श्वेत-पत्र में वनों और पर्यावरण के सभी पहलुओं को शामिल किया जायेगा।

(ग) श्वेत-पत्र का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

विश्व बैंक की महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड के साथ संधि

139. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड के साथ कुछ विद्युत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के संबंध में हुए समझौतों को समाप्त करने जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक किसानों को बिजली देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) अभी तक, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) के तीन विश्व बैंक नामशः 3096-इन, 2544 इन तथा 3498-इन का समुपयोजन कर चुका है। आज तक की स्थिति के अनुसार यह सभी तीन ऋण बंद कर दिए गए हैं तथा इस समय कोई अन्य विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित/अग्रेषित नहीं है। तथापि, विश्व बैंक ने 306.98 के पश्चात् ऋण संख्या-3498-इन को रद्द कर दिया है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ऋण करार की कुछ प्रसंविदाओं की पूर्ति नहीं कर सकता।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने कृषकों को विद्युत प्रदान करने का विरोध नहीं किया हैं।

कांडला पत्तन न्यास हेतु कार्ययोजना

140. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने कांडला पत्तन न्यास की कार्ययोजना और इसके कार्यकरण की कोई अद्यतन समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पत्तन में गबन, वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में बड़े पैमाने पर लगातार वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या सरकार ने कांडला पत्तन न्यास के बोर्ड ऑफ गवर्नर/निदेशकों के काम करने की प्रणाली पर कोई विशेष टिप्पणियां की हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कांडला पत्तन न्यास में लाभ या हानि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) वर्ष 1994-95, 95-96, 96-97 व 98-99 के दौरान कांडला पत्तन न्यास का प्रचालन अधिशेष नीचे दिया गया है :-

वर्ष	प्रचालन अधिशेष
1994-95	63.06 करोड़
1995-96	71.84 करोड़
1996-97	80.77 करोड़
1997-98	100.95 करोड़

[हिन्दी]

साक्षरता के कार्य में प्रगति

141. **श्री ए. वेंकटेश नायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य साक्षरता के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन राज्यों में साक्षरता की दर क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सन् 2001 तक सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत से कम है उनमें बिहार (38.48 प्रतिशत), राजस्थान (38.55 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (41.59 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (46.61 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (44.09 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (44.20 प्रतिशत), उड़ीसा (49.09 प्रतिशत), मेघालय (49.10 प्रतिशत) तथा दादरा और नगर हवेली (40.71 प्रतिशत) है। अन्य बातों के साथ-साथ इन राज्यों में धीमी प्रगति के लिए जो कारण उत्तरदायी हैं उनमें तुलनात्मक दृष्टि से निरक्षरों का अधिक होना, समर्पित एवं निष्ठावान स्वयंसेवकों की कमी, साक्षरता परंपरा/आन्दोलन की कमी, महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह तथा विविध प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं।

(ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य साक्षरता अभियानों की अपनी प्रधान कार्यनीति के जरिए चरणबद्ध ढंग से 15-35 आयु वर्ग में 100 मिलियन व्यक्तियों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाना है।

[हिन्दी]

भूकम्प की भविष्यवाणी

142. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भूकम्प के स्वरूप के संबंध में कोई व्यापक अध्ययन किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या तब से भूकम्प के स्वरूप की भविष्यवाणी की बाबत कोई प्रगति हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) भारत और इसके आस-पड़ोस में भूकम्पों के विभाजन और प्रकृति पर अध्ययन कराये गये हैं। इन अध्ययनों और अन्य भूगर्भीय तथा जैव भौतिकी लक्षणों के आधार पर भारतीय मानव ब्यूरो द्वारा देश को पांच क्षेत्रों में विभाजित करते हुए भारत का भूकम्पीय क्षेत्र वाला नक्शा तैयार किया है। क्षेत्र V भूकम्पों का सबसे अधिक प्रहार्य क्षेत्र है जबकि क्षेत्र । सबसे कम प्रहार्य क्षेत्र है। व्यापक रूप से क्षेत्र V में भारत का सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू काश्मीर के कुछ भाग हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अण्डमान एवं निकोबार क्षेत्र आते हैं। क्षेत्र IV में जम्मू और काश्मीर का शेष भाग, बिहार और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के कुछ भाग, राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी तट का छोटा भाग शामिल हैं। क्षेत्र III में केरल, गोवा, पंजाब के शेष भाग, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के कुछ भाग आते हैं । क्षेत्र I और II में देश के शेष भाग शामिल हैं।

(ग) और (घ) भूकम्प आने के संबंध में स्थान, समय और परिमाण बाबत सटीक पूर्वानुमान लगाने की विश्व में कहीं भी कोई वैज्ञानिक तकनीक मौजूद नहीं हैं।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव

143. **श्रीमती कमल रानी :**
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र से वित्तपोषित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में सड़क विकास परियोजनाओं के कतिपय प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी

144. **श्री सुशील कुमार शिन्दे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवसंरचनात्मक क्षेत्र में निजी निवेश को काउंटर गारंटी देने के मामले में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में मार्च, 1998 से कई निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी दी है;

(ग) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा काउंटर गारंटी की क्या शर्त है;

(घ) क्या परियोजना संबंधी मूलभूत बातें तय किए बिना काउंटर गारंटी पर दस्तखत किए गए; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में निजी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 1991 में एक निजी विद्युत नीति तैयार की थी। ऐसा अन्य कारणों के साथ विद्युत क्षेत्र में अत्यधिक निवेश आवश्यकता के सम्मुख संसाधनों के अपर्याप्त उत्पादन और क्षीणमान बजटीय सहायता के कारण किया गया था। निजी विद्युत विकासकर्त्ताओं में विश्वास जागृत करने के लिए भारत सरकार उन निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी जारी करने पर विचार कर रही है जिन्हें शीघ्र विकास हेतु अभिज्ञात किया गया था। मई, 1998 में निजी विद्युत परियोजनाओं को काउंटर गारंटी जारी करने से संबंधित पद्धति को संशोधित किया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि काउंटर गारंटी समाप्ति की दशा में ही दी जाएगी और यह बकाया विदेशी ऋण मात्र तक ही सीमित होगी।

तदुपरांत सरकार ने आंध्र प्रदेश में मै. हिन्दुजा नेशनल पावर कंपनी लि. (एचएनपीसीएल) की विशाखापट्टनम ताप विद्युत परियोजना (1040 मे.वा.), महाराष्ट्र में मै. सैंट्रल इंडिया पावर कंपनी (सिपको) की भद्रावती ताप विद्युत परियोजना (1082 मे.वा.) और तमिलनाडु में मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी की 250 मे.वा. वाली लिग्नाइट आधारित सिंगल यूनिट नैवेली ताप विद्युत परियोजना के मामले में काउंटर गारंटी प्रदान की है।

(घ) और (ङ) सभी उपरोक्त परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की तकनीकी-आर्थिकी स्वीकृति जारी कर दी गई है और समझौतों में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा करने के बाद ही काउंटर गारंटी प्रभावी होगी।

मेगा विद्युत संयंत्र की स्थापना

145. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक से अधिक राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मेगा विद्युत संयंत्र की स्थापना किए जाने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन स्थापित करने का है जिसमें पावर ग्रिड कारपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सरकार ने अभी वृहद विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीतियों को पुनः निर्धारण किया है। संशोधित नीतियों के अनुसार वृहद विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु सार्वजनिक और गैर-सरकारी क्षेत्रों के ऐसे परियोजना स्थलों की पहचान कर ली गई है जो एक से अधिक राज्यों की आवश्यकताओं का प्रबन्ध कर सकें। आरंभ में सरकार द्वारा नियोजित स्थायी स्वतंत्र दल गैर-सरकारी वृहद् विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के निरीक्षण हेत, शीर्षस्थ स्तर पर कार्य करेगा। जहां तक सम्भव हो सका, गैर-सरकारी वृहद् परियोजनाओं से शुल्क प्राप्त करने संबंधी प्रस्तावों में प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के सिद्धांतों का पालन होता रहेगा। इन परियोजनाओं को कुछ छूट दी जा रही है और सुधारों से जोड़ा जा रहा है। यह आशा की जाती है कि ये परियोजनाएं अल्प शुल्क में निपट जाएगी और सुधार उत्प्रेरक में सहायक होगी और राज्यों और क्षेत्रों के मध्य विद्युत अंतरण प्रणाली को स्थापित करने में त्वरित गति प्रदान करेगी।

(ग) से (ङ) जी, हां। पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा इक्विटी बहुल के आधार पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, विद्युत वित्त निगम व अन्य वित्तीय संस्थानों सहित एक पावर ट्रेडिंग कंपनी स्थापित करेगी। यदि सम्भव हुआ, संबंधित राज्य सरकारें, राज्य विद्युत बोर्ड भी सहभागी होंगे। पावर ट्रेडिंग कंपनी अभिज्ञात निजी परियोजनाओं से बिजली की खरीद करेगी और अभिज्ञात राज्य विद्युत बोर्डों को विक्रय करेगी। इससे परियोजना का विकास करने में सहायता मिलेगी क्योंकि परियोजना विकासकर्ता को केवल एक एजेंसी के साथ कार्रवाई करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

तकनीकी संस्थानों की स्थापना

146. **श्री अमन कुमार नागरा :**
श्री अशोक प्रधान :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कितने तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए तकनीकी संस्थानों की राज्यवार तथा वर्षवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय व्यवहार्यता, जनशक्ति आवश्यकता, तकनीकी क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध तत्वों जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर विचार किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना हेतु अनुमोदन देने के आधार दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत संस्थानों की संख्या

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत संस्थाओं की संख्या		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
मध्य	1. मध्य प्रदेश	12	12	18
	2. उड़ीसा	6	12	16
	कुल	*18*	*24*	*34*

1	2		3	4	5
पूर्वी	1. मेघालय		1	–	–
	2. सिक्किम		1	–	2
	3. पश्चिम बंगाल		4	–	9
	4. मणिपुर		–	1	–
	5. असम		1	–	–
	6. मिजोरम		–	–	1
	7. त्रिपुरा		–	–	1
		कुल	*7*	*1*	*13*
उत्तरी	1. बिहार		2	–	–
	2. उत्तर प्रदेश		35	34	38
		कुल	*37*	*34*	*38*
उत्तर-पश्चिम	1. चंडीगढ़		1	–	–
	2. हरियाणा		14	9	8
	3. जम्मू व कश्मीर		6	2	1
	4. नई दिल्ली		8	2	1
	5. पंजाब		5	4	12
	6. राजस्थान		4	7	7
	7. हिमाचल प्रदेश		–	1	–
		कुल	*38*	*25*	*29*
दक्षिणी	1. आन्ध्र प्रदेश		48	90	65
	2. पांडिचेरी		–	1	–
	3. तमिलनाडु		66	68	73
		कुल	*114*	*159*	*138*
दक्षिण-पश्चिम	1. कर्नाटक		15	33	24
	2. केरल		5	–	3
		कुल	*20*	*33*	*27*
पश्चिमी	1. गुजरात		10	8	7
	2. महाराष्ट्र		29	22	15
	3. गोवा		–	2	–
		कुल	39	*32*	*22*

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

147. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा माहवार कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम को कतिपय निगमों द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या निगम उपरोक्त कारणों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) गत वर्ष के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा किया गया माहवार विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है :-

विद्युत उत्पादन (मि. यूनिट)

अप्रैल, 97	634.457
मई, 97	685.318
जून, 97	580.022
जुलाई, 97	528.218
अगस्त, 97	534.564
सितम्बर, 97	563.148
अक्टूबर, 97	618.641
नवम्बर, 97	554.223
दिसम्बर, 97	631.178
जनवरी, 98	673.255
फरवरी, 98	598.801
मार्च, 98	704.914
जोड़	7306.739

(ख) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र से विद्युत निकासी करने के लिए डीवीसी बाध्य है। केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से कार्यक्रमानुसार विद्युत की निकासी करने के कारण डीवीसी को अप्रैल, 97 से मार्च, 98 की अवधि के दौरान अपना लगभग 412.426 मि.यू. विद्युत उत्पादन कम करना पड़ा है उत्पादन कम करने का माहवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(उत्पादन में कटौती : मि.यू.)

अप्रैल, 97	90.684
मई, 97	59.840
जून, 97	19.496
जुलाई, 97	3.182
अगस्त, 97	1.578
सितम्बर, 97	0.548
अक्टूबर, 97	9.687
नवम्बर, 97	18.736
दिसम्बर, 97	17.513
जनवरी, 98	37.058
फरवरी, 98	28.744
मार्च, 98	125.360
जोड़	412.426

[हिन्दी]

बिहार में सामाजिक वानिकी परियोजनाएं

148. **श्री राजो सिंह :**
श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में शुरू की गई सामाजिक वानिकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ बिहार को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के अंतर्गत कोई उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत, वनों और गैर वन भूमियों पर वनीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्ष 1995-98 की अवधि में 1027.47 लाख रु. की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के तहत जिन गतिविधियों की अनुमति दी गई है, उनमें सामाजिक वानिकी भी एक है।

(ग) से (ङ) इन परियोजनाओं का मानीटरन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों की ओर से इस कार्य हेतु नियुक्त दलों/एजेंसियों द्वारा इन परियोजनाओं का मूल्यांकन भी किया जाता है। उक्त मूल्यांकनों के परिणामस्वरूप, पाई गई कमियों, यदि कोई हों, तथा उनके उपचारात्मक उपायों के लिए राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचित किया जाता है।

[अनुवाद]

निधियों का उपयोग

149. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान राज्यवार "महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी" संबंधी प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गंगावरम के पत्तन का विकास

150. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गंगावरम में एक पत्तन विकसित करने के केन्द्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में अनुषंगी पत्तन विकसित करने के लिए तीन वर्ष पूर्व 600 करोड़ रु॰ के निवेश का प्रस्ताव किया था; और

(घ) यदि हां, तो पत्तन विकसित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने गंगावरम पत्तन विकसित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) लघु पत्तनों के विकास के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में लघु पत्तनों के विकास हेतु निरन्तर प्रयास कर रही है।

राज्य के राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तन

151. **श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया :**
श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन :
श्री खारबेल स्वाईं :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित की गई सड़कों और राज्यों के राजमार्गों की लम्बाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) 1997-98 के दौरान विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 4219 कि.मी. लम्बाई के 18 राज्यीय राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि विवरण-III के अनुसार लगभग 11024 कि.मी. लम्बाई के 67 अन्य रूट राष्ट्रीय नेटवर्क में जोड़े जाएंगे।

विवरण-I

आठवीं योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कें

रा.रा.सं.	रूट	लम्बाई कि.मी.	शामिल राज्य (लम्बाई सहित)
18	कुरनूल-चित्तूर	369	आंध्र प्रदेश(369)
19	गाजीपुर-बलिया-हाजीपुर-पटना	240	उत्तर प्रदेश(120), बिहार(120)
	जोड़	609	

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कें

रा.रा.सं.	रूट नौवीं योजना के दौरान जोड़े गए	लम्बाई (कि.मी.)	शामिल राज्य(लम्बाई सहित)
57	मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज	310	बिहार(310)
58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-माणा	527	उत्तर प्रदेश(527)
59	अहमदाबाद-धार-इंदौर	350	गुजरात(211), मध्य प्रदेश(139)
60	बालासोर-खड़गपुर	125	उड़ीसा(57), पश्चिम बंगाल(68)
61	कोहिमा-वोखा-झांसी	240	नागालैंड(220), असम(20)
52का विस्तार	इटानगर-गोहपुर	32	अरूणाचल प्रदेश(22), असम(10)
52ख	कुलजान-डिब्रुगढ़	31	असम(31)
44का विस्तार	अगरतला-सबरूम	135	त्रिपुरा(135)
62	डामरा-बाघमरा	130	मेघालय(125), असम(5)
17ख	पोंडा-बोरिम-वर्ना-वास्को	40	गोवा(40)
63	अंकोला-हुबली-गूटी	432	कर्नाटक(370), आंध्र प्रदेश(62)
64	चंडीगढ़-पटियाला-भटिंडा	225	पंजाब(225)
65	अम्बाला-कैथल-हिसार-फतेहपुर	410	हरियाणा(240) राजस्थान(170)
66	पांडिचेरी-टिंडिवनम-कृष्णागिरी	244	पांडिचेरी(10) तमिलनाडु(234)
67	नागापट्टिनम-करूर	217	तमिलनाडु(217)
68	उलुंदुपेट-सलेम	134	तमिलनाडु(134)
69	नागपुर-ओबैदुल्लागंज	350	महाराष्ट्र(55) मध्य प्रदेश(295)
6का विस्तार	धुले-सूरत	287	महाराष्ट्र(127) गुजरात(160)
	जोड़	4219	

विवरण-III

राज्य	रूट	लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद-वारगंल-वेंकटपुरम (रा.रा.-16 को जोड़ने वाली)	280
	2. मछलीपट्टनम से विजयवाड़ा	50
	3. अनंत पुर-पिलुरू-तिरूपति-रेनुगोंडा-नागेरी (तिरूथानी-चेन्नई)	360
	उप जोड़	690
असम	1. डाबोका-लमडिंग-सिल्चर	290
	उप जोड़	290

1	2	3
बिहार	1. मोकाम-सहिबगंज-राजमहल-(फरक्का)	300
	2. हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा	142
	3. (कटनी-सहडोल-अम्बिकापुर-जसपुर-मध्य प्रदेश सीमा)-गुमला	25
	4. फतुहा-चंडी-हमाउत-सक्सोरा-बरह	65
	उप जोड़	532
गुजरात	1. कांडला से मांडवी बरास्ता मुंद्रा रा.रा.-8क का विस्तार	95
	2. धुले-सूरत रा.रा.-6 का हजीरा तक विस्तार	17
	3. जेतपुर-जुनागढ़-वेरावल-सोमनाथ सड़क	126.5
	उप जोड़	238.5
हरियाणा	1. इंजोर-(नालागढ-स्वरघाट)	16
	2. बावल-रिवाड़ी-झझझर-रोहतक-पानीपत	160
	3. चंडीगढ़ के निकट (रुढ़की (रा.रा.-58 पर) -सहारनपुर-कलानोर)-यमुना नगर-साहा-पंचकुला	108
	4. (जालंधर-नाकोदर-जगरांओ-रायकोट-संगरूर-पटरन) -नरवाना-रोहतक-दिल्ली	105
	5. अम्बाला-नारायण गढ़-(नाहन-पोंटा साहिब-हरिद्वार)	50
	उप जोड़	423
हिमाचल प्रदेश	1. (पिंजोर)-नालागढ़-स्वरघाट	49
	2. (जालंधर-होशियारपुर-गगरेत)-मुबारकपुर-अम्ब-हमीरपुर-टोनी देवी-अवह देवी-धाधरमपुर कोटली-मंडी	120
	3. (अम्बाला-नारायणगढ़)-नाहन-पोंटा सहिब-(हरिद्वार)	50
	उप जोड़	219
जम्मू एवं कश्मीर	1. जम्मू-डोमल-कटरा (रा.रा.-1क पर जम्मू-डोमल)	8
	2. किस्तवाड़-छतरी-सिमथन सड़क	82
	उप जोड़	90
कर्नाटक	1. तुमकुर-होन्नावर सड़क	363
	2. मंगलूर-तीर्थहल्ली-शिमोगा-चित्रदुर्ग	200
	3. बंगलोर रिंग रोड-होसुर (रा.रा.-7 पर)-बंगलोर-सुरजपुर-चिकतिरूपति-देवनहल्ली-डोडबालापुर-नीलमगेंला (रा.रा.-4 पर)	135
	4. कोयम्बटूर-अन्नूर-सत्यमंगलम-थिमबम-कोलेगल-कनकपुरा-बंगलौर (रा.रा.-47 और रा.रा.-7 के बीच लिंक)	170
	उप जोड़	868

1	2	3
केरल	1. कोलम-(तेनकासी-राजापलायम-श्रीविल्लीपुत्र-तिरूमंगलम)	70
	उप जोड़	70
मध्य प्रदेश	1. कटनी-शहडोल-अम्बिकापुर-जसपुर-नागोर-मध्य प्रदेश सीमा-(गुमला)	534
	2. (ग्वालियर-करारी-झांसी-छतरपुर-रेवा)	440
	3. रायपुर-बिलासपुर-रायगढ़-(कनकटोरा कुधिंडा-प्रवसून-देवगढ़-बुद्धपाल-तलचेर-धुबरी-चांदीखोल)	300
	4. (अजमेर-नसीराबाद)-नया गांव-नीमच-मंदसौर-रत्लाम-मऊ (इंदौरा के बरास्ता)	280
	5. अबू रोड-पिंडवारा-उदयपुर-मंगलवास-चित्तौड़गढ़-कोटा) बरन-शिवपुरी	60
	उप जोड़	1614
महाराष्ट्र	1. रत्नगिरि-कोल्हापुर	126
	2. शोलापुर-उस्मानाबाद-बीड़-औरंगाबाद-धुले	400
	उप जोड़	526
मणिपुर	1. (आइजोल-परबंग) चूराचंदपुर-इम्फाल-उखरूल-जसामी-(चजप्पी-कोहिमा)	523
	उप जोड़	523
मेघालय	1. बाघमरा-डालु (भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट)	65
	2. जोवाई-अमलारम-डाकी	55
	उप जोड़	120
मिजोरम	1. आईजोल तक साइरंग-मामिट-मनु	165
	2. आईजोल-परबंग-(चूराचंदपुर-इम्फाल-उखरूल-जसामी)-(चजप्पी-कोहिमा)	141
	उप जोड़	306
नागालैंड	1. (आईजोल-परबंग)-(चूराचंदपुर-इम्फाल-उखरूल-जसामी)-चजप्पी-कोहिमा	36
	उप जोड़	36
उड़ीसा	1. बोरीगुम्मा-बोलनगीर-बरगढ़	310
	2. भुवनेश्वर-पुरी	59
	3. (रायपुर-बिलासपुर-रायगढ़)-कनकटोरा-कुधिंडा-प्रवसून-देवगढ़-बुद्धपल-तालचेर-धुबरी-चांदीखोल	440
	उप जोड़	809
पांडिचेरी	1. (नागपट्टिनम-चिदमबरम)-पांडिचेरी	20
	उप जोड़	20
पंजाब	1. जालंधर-नकोदर-जगरांओ-रायकोट-सगंरूर-पटरन-(नरवाना-रोहतक-दिल्ली)	130
	2. भटिंडा-डबवाली	31

1	2	3
	3. जालंधर-होशियारपुर-गगरेत-(मुबारकपुर-अम्ब-हमीरपुर-टॉनी देवी-अवह देवी-धाधरमपुर-कोटली-मंडी)	50
	उप जोड़	211
राजस्थान	1. अबु रोड-पिंडवारा-उदयपुर-मंगलवास-चित्तौड़गढ़-कोटा-(बरन-शिवपुरी)	480
	2. अजमेर-नसीराबाद-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़-(नया गांव-रतलाम-इंदौर-मऊ)	220
	3. फतेहपुर-जोधपुर-पाली	280
	उप जोड़	980
तमिलनाडु	1. त्रिची-विरालीमलई-त्रुवानकुरीचि-मेलूर-मदुरै-अरप्पुकटई-तुतीकोरिन	257
	2. (पेलुरू-तिरूपति-नागेरी)-रेनुगोंडा-तिरूथानी-चेन्नई	82
	3. बंगलूर रिंग रोड़-होसूर (रा.रा.-7 पर)-बगलूर-सूरजपुर-चिकतिरूपति-देवनहल्ली-डोडबालपुर-नीलमंगला (रा.रा.4 पर)	20
	4. करूर से कोयम्बटूर तक	140
	5. कोयम्बटूर-अन्नूर-सत्यमंगलम-थिम्बम-कोलेगल-कनकपुरा-बंगलूर (रा.रा.-47 और रा.रा.-7 के बीच लिंक)	126
	6. नागपट्टिनम-चिदम्बरम-(पांडिचेरी)	130
	7. डिंडीगुल-पलानी-पोलाची-कोयम्बटूर	160
	8. त्रिची-पुडडुकोटई-करईकुडी-देवाकोट्टई-रामनाथपुरम (रामनाड)	160
	9. (कोल्लम)-तेनकाशी-राजापलायम-श्रीविल्लीपुत्र-तिरूमंगलम	125
	उप जोड़	1200
त्रिपुरा	1. आईजोल तक सैरंग-मामिट-मनु	65
	उप जोड़	65
उत्तर प्रदेश	1. झांसी-बांदा-इलाहाबाद	467
	2. लखनऊ के चारों ओर रिंग रोड	80
	3. रूड़की (रा.रा.-58 पर)-सहारनपुर-कलानौर-(चंडीगढ़ के नजदीक यमुना नगर-साहा-पंचकुला)	80
	4. (अम्बाला-नारायणगढ़-नाहन-पोंटा साहिब)-हरिद्वार	100
	5. हरिद्वार-नजीबाबाद-नगीना-फजलगढ़-काशीपुर-खिच्छा-जैनाबाद-पीलीभीत-बरेली	300
	6. (ग्वालियर)-करारी-झांसी-(छतरपुर-रेवा)	20
	उप जोड़	1047
पश्चिम बंगाल	1. खड़गपुर-असनसोल	180
	2. (मोकामा-साहिबगंज-राजमहल)-फरक्का	10
	उप जोड़	190

इंस्टीट्यूट ऑफ माडर्न मेनेजमेंट, कलकत्ता के कार्यों की जांच

152. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ माडर्न मैनेजमेंट, कलकत्ता के कार्यों की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कच्छ क्षेत्र में चक्रवात द्वारा हुई क्षति

153. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ क्षेत्र में चक्रवात द्वारा हुई भारी क्षति के लिए राज्य सरकार तथा मौसम विज्ञान विभाग बराबर रूप से जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार मौसम विज्ञान विभाग तथा कांडला पतन न्यास के बीच प्रशासनिक समन्वय नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) कच्छ क्षेत्र में चक्रवात के कारण हुई क्षति के लिए न तो भारत मौसम विज्ञान विभाग जिम्मेदार था, न ही गुजरात की सरकार।

अत्यंत भीषण चक्रवती आंधी, जिसने 9 जून, 1998 को गुजरात तट को पार किया, की अनुमानित वायु गति भू-क्षरण के समय 160-180 कि.मी./घंटे की थी। इसने उच्च खगोलीय ज्वार के समय कच्छ जिले के तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रहार किया। उच्च ज्वार के साथ मिली हवाओं की प्रचण्डता जान-माल की क्षति के प्रमुख कारण हैं। उष्ण प्रदेशीय चक्रवात, विशेष कर जो उच्च तीव्रता वाले हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं तथा इनमें जान-माल को नष्ट करने की अत्यंत प्रबल क्षमता है।

(ग) और (घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य सरकार, आम जनता तथा वरिष्ठ सरकारी कार्यकर्ताओं को 5 जून, 1998 से ही चेतावनी देना शुरू किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य सरका की विभिन्न एजेंसियों, काण्डला पत्तन न्यास सहित सभी पत्तन न्यासों को 1000 से अधिक चेतावनी संदेश जारी किए।

राज्य सरकार के अनुसार गुजरात प्रशासन 6 जून, 1998 को हरकत में आया। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी सभी चेतावनी संदेशों को जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों को अनुप्रसारित किया गया। राज्य सरकार ने संबंधित प्रशासन को पूरी तरह चौकस रहने को कहा तथा उन्हें तत्काल एहतियाती उपाय शुरू करने का सुझाव दिया साथ ही सरकार ने जिलों के विपदा प्रबंधन योजना को भी प्रचालन में रखा। जिलाधिकारियों को चक्रवात तथा भारी वर्षा की स्थिति में राहत तथा बचाव कार्य करने के लिए सतर्क रहने को कहा गया। संबंधित विभागों यथा गृह, पंचायत, शहरी विकास, कृषि, खाद्य तथा नागरिक आपूर्त्ति, सिंचाई, राजमार्ग और भवन तथा क्षेत्र संगठनों यथा स्वास्थ्य आयुक्त एवं गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को भी सभी संभव सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए कहा गया। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया है कि 8 जून को मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री तथा मुख्य सचिव द्वारा स्थिति की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। पुनः 9 जून को प्रातः मुख्य सचिव द्वारा थल एवं वायु सेना के प्रतिनिधियों सहित सभी संबद्ध अधिकारियों की बैठक बुलाई गई।

इस प्रकार परस्पर कार्य कर रही एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव बिल्कुल नहीं था।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

154. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार और राज्यवार केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पर्यावरण संबंधी कितनी परियोजनाएं आरम्भ की गईं;

(ख) आज की तिथि तक इनके अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और राज्यवार प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ग) विभिन्न राज्यों में वन क्षेत्र को बढ़ाने और इस प्रयोजनार्थ वृद्धित वित्तीय आंबटन प्राप्त करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(घ) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) और (ख) 10 राज्यों, 46 नगरों तथा 18 नदियों को

कवर करने वाली राष्ट्रीय नदी कार्य योजना (एन आर ए पी) 772.09 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत से 1995-96 के दौरान आरम्भ की गई थी। इसमें से अब तक 58.84 करोड़ रू॰ खर्च किए जा चुके है। राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजना के मार्च, 2005 में पूरा होने की संभावना है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वन आवरण को बढ़ाने के लिए किसी कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	राज्य	किया गया खर्च
राष्ट्रीय नदी कार्य योजना	आंध्र प्रदेश	7.59
	बिहार	0.43
	गुजरात	11.10
	कर्नाटक	3.37
	महाराष्ट्र	2.05
	मध्य प्रदेश	7.15
	पंजाब	24.24
	तमिलनाडु	2.91
	उड़ीसा	0.00
	राजस्थान	0.00
	कुल	58.84

[हिन्दी]

पर्यावरणीय अपक्षीणन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

155. **डा॰ सुशील इन्दौरा :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में ही जारी की गई तथा विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत पर्यावरणीय अपक्षीणन के कारण भारत को 80 बिलियन डालर का घाटा होता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने पर्यावरणीय अपक्षीणन के कारण देश को हो रही वित्तीय हानि का आकलन किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग

156. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थान-वार और राज्य-वार कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है;

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के संबंध में वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार के जर्जर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव के लिए कोई विशेष प्रबंध किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) यह मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव लो.नि.वि., सीमा सड़क संगठन और भा.रा.रा.प्रा. जैसी एजेंसियों के माध्यम से एजेंसी सिस्टम के तहत किया जाता है। नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हेतु मानदंड विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग संसाधनों की उपलब्धता के अधीन यातायात योग्य स्थिति में रखे जाते हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लम्बाई

क्रम सं.	रा.रा.सं.	रूट	किस राज्य से गुजरता है और लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	1	दिल्ली-अम्बाला-जालंधर-अमृतसर-भारत-पाक सीमा	दिल्ली(22), हरियाणा(180), पंजाब(254) जोड़: 456

1	2	3	4
2.	1क	जालंधर-माधोपुर-जम्मू-बनिहाल-श्रीनगर-बारामूला-उरी	पंजाब(108), हिमाचल प्रदेश(14), जम्मू एवं कश्मीर(541) जोड़: 663
3.	1ख	बटोटे-डोडा-किस्तवार	जम्मू एवं कश्मीर(107) जोड़: 107
4.	2	दिल्ली-मथुरा-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया-बरहीपल्सीट-बिद्यावती-बारा-कलकत्ता	दिल्ली(19), हरियाणा(74), उत्तर प्रदेश(777), बिहार(392), पश्चिम बंगाल(235) जोड़: 1,490
5.	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इंदौर-धूले-नासिक-थाणे-मुम्बई	उत्तर प्रदेश(26), राजस्थान(32), मध्य प्रदेश(712), महाराष्ट्र(391), जोड़: 1,161
6.	4	थाणे-पूणे-बैलगांव-हुबली-बंगलौर रानीपेट-चेन्नई रा.रा.-3 के साथ जंक्शन	महाराष्ट्र(371), कर्नाटक(658), आंध्र प्रदेश(83), तमिलनाडु(123) जोड़: 1,235
7.	4क	बैलगांव-अन्मोड-पांडा-पणजी	कर्नाटक(82), गोवा(71) जोड़: 153
8.	4ख	न्हावा शेवा-कलमबोली-पल्सपे	महाराष्ट्र(27) जोड़: 27
9.	5	बहारघोरा-कटक-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम-तमिलनाडु-विजयवाड़ा-चेन्नई के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	उड़ीसा(488), आंध्र प्रदेश(1,000), तमिलनाडु(45) जोड़: 1,533
10.	5क	हरिदासपुर-पारादीप पत्तन के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	उड़ीसा(77) जोड़: 77
11.	6	सूरत-धूले-नागपुर-रायपुर-सम्बलपुर-बहरागोड़ा-कलकत्ता	महाराष्ट्र(813), मध्य प्रदेश(314), उड़ीसा(462), बिहार(22), पश्चिम बंगाल(161), गुजरात(160) जोड़: 1,932
12.	7	वाराणसी-मंगवान-रीवा-जबलपुर-लखनादोन-नागपुर-हैदराबाद-करनूल-बंगलौर-कृष्णगिरी-सलेम-डिन्डीगुल-मदुरै-केप-कमोरिन(कन्याकुमारी)	उत्तर प्रदेश(128), मध्य प्रदेश(504), महाराष्ट्र(232), आंध्र प्रदेश(753), कर्नाटक(125), तमिलनाडु(627) जोड़: 2,369
13.	7क	पल्यानकोटी-तूतीकोरिन पत्तन	तमिलनाडु(51) जोड़: 51
14.	8	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर-अहमदाबाद-वदोदरा-मुम्बई	दिल्ली(13), हरियाणा(101), राजस्थान(688), गुजरात(498), महाराष्ट्र(128) जोड़: 1,428

1	2	3	4
15.	8क	अहमदाबाद-लिम्बडी-मोरवी-कांडला	गुजरात(378) जोड़: 378
16.	8ख	बमनबोर-राजकोट-पोरबंदर	गुजरात(206) जोड़: 206
17.	8ग	थिलोदा-गांधीनगर-सरखेज	गुजरात(46) जोड़: 46
18.	9	पूणे-सोलापुर-हैदराबाद-विजयवाड़ा	महाराष्ट्र(336), कर्नाटक(75), आंध्र प्रदेश(380) जोड़: 791
19.	10	दिल्ली-फजिल्का-भारत पाक सीमा	दिल्ली(18), हरियाणा(313), पंजाब(72) जोड़: 403
20.	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	उत्तर प्रदेश(51), राजस्थान(531) जोड़: 582
21.	11क	दौसा-मनोहापुर	राजस्थान(64) जोड़: 64
22.	12	जबलपुर-भोपाल-खिचिपुर- अकलेरा-झालवार-कोटा- बून्दी-देवली-टोंक-जयपुर	मध्य प्रदेश(490), राजस्थान(400) जोड़: 890
23.	13	सोलापुर-चित्रदुर्गा	महाराष्ट्र(43), कर्नाटक(448) जोड़: 491
24.	14	बैवार-सिरोही-राधापुर	राजस्थान(310), गुजरात(140) जोड़: 450
25.	15	पठानकोट-अमृतसर-भटिंडा- गंगानगर-बीकानेर-जैसलमेर- बारमेर-सम्माखेली (कांडला के निकट)	पंजाब(350), राजस्थान(906), गुजरात(270) जोड़: 1,526
26.	16	निजामाबाद-मनचेरल- जगदलपुर	आंध्र प्रदेश(220), महाराष्ट्र(30), मध्य प्रदेश(210) जोड़: 460
27.	17	पनवेल-महद-पणजी-करवाड़- मंगलौर-कन्नानौर-कालीकट (कोजीकोड)-फिरोख-कुट्टीपुरम- पुडु-पोनामी-चौघाट-क्रेंगानौर इडापल्ली के निकट रा.रा.47 के साथ जंक्शन	महाराष्ट्र(482), गोवा(139), कर्नाटक(280), केरल(368) जोड़: 1,269
28.	17क	कोर्टलाम-मुरगांव रा.रा.7 के साथ जंक्शन	गोवा(19) जोड़: 19

1	2	3	4
29.	17ख	पांडा-वर्णा-वास्को	गोवा(40) जोड़: 40
30.	18	करनूल-नांदयाल-कुड्डापा रा.रा.-7 के साथ जंक्शन चित्तूर के निकट रा.रा.-4 के साथ जंक्शन	आंध्र प्रदेश(369) जोड़: 369
31.	19	गाजीपुर-बलिया-पटना	बिहार(120), उत्तर प्रदेश(120) जोड़: 240
32.	20	पठानकोट-मंडी	पंजाब(10), हिमाचल प्रदेश(210) जोड़: 220
33.	21	चंडीगढ़-रोपड़-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मंडी रा.रा.-22 के साथ जंक्शन।	चंडीगढ़(24), पंजाब(67), हिमाचल प्रदेश(232) जोड़: 323
34.	22	अम्बाला-कालका-शिमला-नरकोंडा-रामपुर-चीन-भारत-पाक सीमा (शिपकिला के निकट)	हरियाणा(30), पंजाब(31), हिमाचल प्रदेश(398) जोड़: 459
35.	23	चास-रांची-राऊरकेला-तलचर-रा.रा.-42 के साथ जंक्शन	बिहार(250), उड़ीसा(209) जोड़: 459
36.	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	दिल्ली(7), उत्तर प्रदेश(431) जोड़: 438
37.	25	लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिवपुरी	उत्तर प्रदेश(237), मध्य प्रदेश(82) जोड़: 319
38.	26	झांसी-लखनदोन	उत्तर प्रदेश(128), मध्य प्रदेश(268) जोड़: 369
39.	27	इलाहाबाद-मंगवान	उत्तर प्रदेश(43), मध्य प्रदेश(50) जोड़: 93
40.	28	बरौनी-मुजफ्फरपुर-पिपरा-गोरखपुर-लखनऊ रा.रा.-31 के साथ जंक्शन	बिहार(259), उत्तर प्रदेश(311) जोड़: 570
41.	28क	पिपरा-सगौली-रक्सोल-भारत नेपाल सीमा रा.रा.28 के साथ जंक्शन	बिहार(68) जोड़: 68
42.	29	गोरखपुर-गाजीपुर-वाराणसी	उत्तर प्रदेश(196) जोड़: 196
43.	30	मोहनिया-तमिलनाडु-भक्तिपुर रा.रा.-2 के साथ जंक्शन	बिहार(230) जोड़: 230
44.	31	रा.रा. 37 के साथ जंक्शन	बिहार(437), पश्चिम बंगाल(366), असम(322) जोड़: 1.125

1	2	3	4
45.	31क	सिविक-गंगटोक	पश्चिम बंगाल(30), सिक्किम(62) जोड़: 92
46.	31ख	नार्थ सलमारा, जोगीघोपा के निकट रा.रा.-37 के साथ जंक्शन	असम(19) जोड़: 19
47.	31ग	गलगलिया-बगोगरा-छालसा-नगरकटा-गोयरकटा-डलगांव-हासीमारा-राजाभाट-खवा-कोचगांव-सिदली बिजनी के निकट रा.रा.-31 के साथ जंक्शन	पश्चिम बंगाल(142), असम(93) जोड़: 235
48.	32	गोविन्दपुर-धनबाद-जमशेदपुर के निकट रा.रा.-2 के साथ जंक्शन	बिहार(107), पश्चिम बंगाल(72) जोड़: 179
49.	33	बरही-रांची-रारा-2 के साथ जंक्शन। बहारघोड़ा के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	बिहार(352) जोड़: 352
50.	34	धलकोटा-बेहरामपुर-बरासट-कलकत्ता रा.रा.-31 के साथ जंक्शन	पश्चिम बंगाल(443) जोड़: 443
51.	35	बरासट-बंगाव-भारत बांगलादेश सीमा	पश्चिम बंगाल(61) जोड़: 61
52.	36	नौगांव-दीमापुर-(मणिपुर रोड)	असम(167), नागालैंड(3) जोड़: 170
53.	37	गोलपारा-गुवाहटी-जोरहाट-कमागांव-माकुम-सैकोघाट के निकट रा.रा. 31ख के साथ जंक्शन	असम(680) जोड़: 680
54.	37क	कोड़ीताल-तेजपुर के निकट रा.रा.-52 के साथ जंक्शन	असम(23) जोड़: 23
55.	38	मुकुम-लेडो-लेखपानी	असम(54) जोड़: 54
56.	39	नुमालीगढ़-इम्फाल-पटेल-भारत बर्मा सीमा	असम(115), नागालैंड(110), मणिपुर (211) जोड़: 436
57.	40	जोरहाट-शिलांग डॉकी के निकट बांग्लादेश सीमा	मेघालय(161) जोड़: 161
58.	41	कोलाघाट-हल्दिया पत्तन के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	पश्चिम बंगाल(51) जोड़: 51
59.	42	संबलपुर-अंगुल के निकट रा.रा. 6 के साथ जंक्शन। कटक के निकट रा.रा.-5 के साथ जंक्शन	उड़ीसा(261) जोड़: 261

1	2	3	4
60.	43	रायपुर-विजियनग्राम, रा.रा.-5 के साथ जंक्शन	मध्य प्रदेश(316), उड़ीसा(152), आंध्र प्रदेश(83) जोड़: 551
61.	44	शिलांग-पासीबदरपुर-अगरतला-सबरूम	मेघालय(184), असम(111), त्रिपुरा(335) जोड़: 630
62.	45	चेन्नई-तिरूचिरापल्ली-डुंडीगल	तमिलनाडु(387) जोड़: 387
63.	45क	पांडिचेरी के लिए सम्पर्क मार्ग (ल्लिुपुरम-पांडिचेरी)	तमिलनाडु(17), पांडिचेरी(23) जोड़: 40
64.	46	कृष्णागिरी-रानीपेठ	तमिलनाडु(132) जोड़: 132
65.	47	सलेम-कोयम्बतूर-त्रिचूर-इर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी	तमिलनाडु(224), केरल(416) जोड़: 640
66.	47क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 47 विलिंग्डन द्वीप	केरल(6) जोड़: 6
67.	48	बंगलौर-हासन-मंगलौर	कर्नाटक(328) जोड़: 328
68.	49	कोचीन-मदुरै-धनुषकोटि	तमिलनाडु(290), केरल(150) जोड़: 440
69.	50	पुणे के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 4 के साथ नासिक जंक्शन।	महाराष्ट्र(192) जोड़: 192
70.	51	पैकन-तुरा-डालू	असम(22), मेघालय(127) जोड़: 149
71.	52	सैखोघाट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰37 के साथ बैहोता चारली-तेजपुर-बंदरे देवा-उत्तरी लखीमपुर-पासीघाट-तेजू-सीतापानी जंक्शन।	असम(540), अरूणाचल प्रदेश(310) जोड़: 850
72.	52क	बंदेर देवा-इटानगर-गोहपुर	असम(15),अरूणाचल प्रदेश(42) जोड़: 57
73.	52ख	कालाजान-डिब्रूगढ़	असम(31) जोड़: 31
74.	53	राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰44 बदरपुर-जिरीघाट-इम्फाल-सिल्चर के साथ जंक्शन	असम(100),मणिपुर(220) जोड़: 320
75.	54	सिल्चर-आयजोल-तुईपंग	असम(45), मिजोरम(515) जोड़: 560

1	2	3	4
76.	54क	तेरियट लुंगले	मिजोरम(9) जोड़: 9
77.	54ख	वीनस सद्दल-सैहा	मिजोरम(27) जोड़: 27
78.	55	सिलीगुढ़ी-दा राजस्थानीलिंग	पश्चिम बंगाल(77) जोड़: 77
79.	56	लखनऊ-वाराणसी	उत्तर प्रदेश(285) जोड़: 285
80.	रा.ए.1	अहमदाबाद-बदोदरा	गुजरात(93) जोड़: 93
81.	57	मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज-पूर्णिया	बिहार(310) जोड़: 310
82.	58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-बद्रीनाथ-पाणा	उत्तर प्रदेश(527) जोड़: 527
83.	59	अहमदाबाद-गोधरा-धाड़-इंदौर	गुजरात(211), मध्य प्रदेश(139) जोड़: 350
84.	60	बैयासोर-खड़गपुर	उड़ीसा(57), पश्चिम बंगाल(68) जोड़: 125
85.	61	कोहिमा-वोखा-मकोकंचग-झांसी	नागालैंड(220), असम(20) जोड़: 240
86.	62	दामरा-बाघमारा	असम(5), मेघालय(125) जोड़: 130
87.	63	अंकोला-हुबली-होसपेठ-गूटी	कर्नाटक(370), आंध्र प्रदेश(62) जोड़: 432
88.	64	चंडीगढ़-राजपुरा-पटियाला-संगरूर-भटिंडा।	पंजाब(225) जोड़: 225
89.	65	अंबाला-कैथल-हिसार-फतहपुर	हरियाणा(240), राजस्थान(170) जोड़: 410
90.	66	पांडी-टिंडवनम-जिन्जी-तिरूअनमलै-कृष्णागिरी	पौंडे(10), मिलिनाडू(234) जोड़: 244
91.	67	नागपट्टीनम-त्रिची-करूर	तमिलनाडू(217) जोड़: 217
92.	68	उलूरनपेठ-सलेम	तमिलनाडू(134) जोड़: 134
93.	69	नागपुर-ओबैदुल्लागंज	महाराष्ट्र(55), मध्य प्रदेश(295)

विवरण-II

सड़कों की नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा कुछेक कारकों पर निर्भर करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए विहित मानदंड शामिल हैं। नए राष्ट्रीय राजमार्गों के चयन के लिए मानदंड के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(i) सड़कें जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं।

(ii) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iii) राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें।

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें।

(v) अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सड़कें।

(vi) पर्याप्त लम्बाई तक अधिक यातायात वहन करने वाली सड़कें।

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा दूरी में काफी कमी आए और उससे पर्याप्त आर्थिक किफायत हो।

(viii) सड़के जो 100 कि.मी. स्क्वेयर ग्रिड पूरी करें।

[अनुवाद]

केरल में ताप विद्युत संयंत्र

157. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कायमकुलम, केरल की ताप विद्युत संयंत्र की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च हो चुकी है तथा इससे कुल कितनी बिजली का उत्पादन होगा;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस परियोजना के चालू हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क), (ग) और (घ) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, केरल में नैपथा आधारित कायमकुलम संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना (350 मे.वा.) का कार्यान्वयन कर रहा है। परियोजना को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार चालू किया जाएगा :-

यूनिट	क्षमता	कार्यक्रम
गैस टर्बाइन-I	115 मे.वा.	मार्च, 1999
गैस टर्बाइन-II	115 मे.वा.	मई, 1999
भाप टर्बाइन-I	120 मे.वा.	मार्च, 2000

परियोजना के प्रथम गैस टर्बाइन को कार्यक्रम के पांच महीने पूर्व दिनांक 2.11.1998 को प्रायोगिक तौर पर समकालिक किया गया है। शेष यूनिटों पर कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

(ख) दिनांक 31.3.1998 तक लगभग 403.11 करोड़ रु. का कुल व्यय हुआ। यह परियोजना मार्च, 2000 तक अपनी पूर्ण शक्यता प्राप्त कर लेगी जबकि तीनों यूनिटें 350 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता के साथ स्थापित हो जाएं।

उच्च शिक्षा पर विश्व सम्मेलन

158. श्री आर॰एस॰ गवई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में पेरिस में आयोजित उच्च शिक्षा पर विश्व सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय शिष्टमण्डल का क्या योगदान था; और

(ग) इस सम्मेलन में स्वीकार किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय शिष्टमण्डल ने सम्मेलन में हुए अधिकांश विचार-विमर्शों में भाग लिया था। उच्चतर शिक्षा सम्बंधी विश्व घोषणा का प्रारूप तैयार करने में विशेष योगदान किया। शिष्टमण्डल द्वारा सुझाए गए संशोधनों और आशोधनों में से अधिकांश को घोषणा में शामिल कर लिया गया और उन पर सम्मेलन द्वारा स्वीकार अंतिम विश्व घोषणा में महत्व दिया गया जिसकी प्रतियां रिकार्ड और संदर्भ प्रयोजन के लिए संसदीय पुस्तकालय को उपलब्ध करा दी गई है। ऐसे संशोधन और आशोधन की एक सूची भी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

"उच्च शिक्षा पर विश्व घोषणा" विषय पर भारतीय शिष्ठ मंडल द्वारा सुझाए गये महत्वपूर्ण संशोधनों तथा आशोधनों जिनको शामिल किया गया था, नीचे दिये गये हैं :-

(1) भविष्य निर्माण पर बल देना जिसके लिए युवा पीढ़ी को नई दक्षताओं, ज्ञान तथा आदर्शों से सुसज्जित करने की जरूरत होगी।

(2) मूल्यों के गहन संकट से उत्पन्न हमारी चिंता जो हमारे समाज को आर्थिक हितों से ऊपर उठकर सोचने तथा नैतिकता और आध्यात्मिकता को आत्मसात करने के लिए बाध्य करती है।

(3) यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि शांति की संस्कृति के मूल्यों तथा आदर्शों की विजय होती है।

(4) ज्ञान जगत तथा कार्य जगत के बीच और निकट संबंध पर बल देना।

(5) उच्च शिक्षा को छात्रोन्मुख बनाने की जरूरत है।

(6) शिक्षा की नई प्रणालियों को शामिल करना जो नई प्रकार की शिक्षण अध्ययन सामग्रियों को भी शामिल करे।

(7) परीक्षण संबंधी नई पद्धतियां जो न केवल स्मरणशक्ति को बढ़ाएंगी अपितु जो बोधगम्यता, व्यावहारिक कार्य तथा सृजनात्मक दक्षताओं में भी वृद्धि करेंगी।

(8) "ज्ञानमय समाज" को विकसित करने की जरूरत ताकि उच्चकोटि सुनिश्चित की जा सके और उसे प्राप्त करने के समान विनिमय बन सकें।

(9) राज्य की भूमिका आवश्यक होने पर भी, उच्च शिक्षा के वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों स्त्रोतों से संसाधनों को जुटाने की जरूरत।

(10) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तथा विश्व घोषणा के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने में यूनेस्को की निर्णायक भूमिका; और

(11) यूनेस्को के अगले प्रास्प कार्यक्रम के विकास तथा बजट नें विश्व घोषणा के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने पर विचार करना।

चंडीगढ़ में फ्लाई-ओवरों को स्वीकृति

159. **श्री सत्यपाल जैन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में कुछ फ्लाई-ओवरों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। ट्रांसपोर्ट चौक, जंक्शन सं. 43 पर फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव तकनीकी अनुमोदन हेतु मंत्रालय में प्राप्त हुआ है।

(ग) कार्य शुरू होने के पश्चात् लगभग $3^1/_2$ वर्ष।

(घ) 19.63 करोड़ रु.।

वैज्ञानिक अकादमियों/केन्द्रों को उपस्कर न भेजना

160. **श्री तारिक अनवर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारतीय वैज्ञानिक अकादमियों/केन्द्रों को उपस्करों को भेजना बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) कुछेक शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक संस्थानों को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यू.एस. कॉमर्स कंट्रोल सूची तथा यू.एस. म्यूनिशन सूची में शामिल उपस्करों को भेजने से मना कर दिया गया है। जहां एक ओर हमारे संस्थान स्वदेशी उपस्करों के विकास तथा वैकल्पिक स्रोतों को उपलब्ध कराकर इन दिक्कतों का सामना करने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी इस मुद्दे को अमरीकी सरकार के समक्ष रखा है।

सीमा पर सड़कों का निर्माण

161. **कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमाओं पर विशेषरूप से पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अपराधों पर समुचित और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निर्मित की जाने वाली सीमा सड़कों की कुल लम्बाई के बारे में योजना तैयार कर ली है;

(ख) पश्चिमी सीमा पर जम्मू और कश्मीर से राजस्थान तक सीमा सड़क निर्माण कार्य के संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) इस मंत्रालय का संबंध मुख्य रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण से है। पंजाब राष्ट्रीय योजना के तहत गठित की गई एक उच्च स्तरीय अधिकार-प्राप्त समिति को सड़क के निर्माण के संरेखण के बारे में निर्णय करना है और यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील है, इस मंत्रालय को इसके ब्यौरे ज्ञात नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क का विस्तार

162. **डा॰ वल्लभभाई कथीरिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6

तथा गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जोड़ते हुए धूले से सूरत तक एक नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7क का निर्माण करने के संबंध में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7क को हाजीरा तक लगभग 25 कि.मी.तक बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) धुले से सूरत सड़क पहले ही रा. रा.-सं.-6 है।

(ख) और (ग) जी हां। धुले-सूरत सड़क का हजीरा तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रयोगशाला सहायकों की मांग

163. **श्री के॰ येरननायडू** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रयोगशाला सहायकों की मांग क्या हैं; और

(ख) उनसे बातचीत करने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) सरकार को प्रयोगशाला सहायक संघों से उनकी विभिन्न मांगों के संबंध में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं। उचित संशोधित वेतनमान उनको पहले ही दे दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 और 6 पर डिवाइडरों (विभाजक) की व्यवस्था

164. **श्री डी॰एस॰ अहिरे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 6 पर लेनों के बीच सड़क विभाजक की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सड़कों पर प्रतिदिन औसतन बीस दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर विभाजक का निर्माण करने के लिए राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों के अनुसार दो लेन वाली सड़क पर किसी लेन विभाजक की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी नहीं। तथापि सड़क सुरक्षा उपायों के रूप में उपयुक्त मध्य रेखा चिह्नों लेन रेखांककों आदि का प्रयोग इन राजमार्गों के साथ नेमी तौर पर किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी महिलाओं में निरक्षरता का उन्मूलन

165. **श्री हरिन पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में आदिवासी महिलाओं में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या आदिवासी महिलाओं में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए कोई समयबद्ध कार्य तैयार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आदिवासी महिलाओं में साक्षरता अभियान शुरू करने के लिए कौन-कौन सी सामाजिक और अन्य बाधाएं आड़े आ रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की महिला साक्षरता दर निम्नवत् है :-

अखिल भारत	18.19 प्रतिशत
गुजरात	24.20 प्रतिशत
मध्य प्रदेश	10.73
राजस्थान	4.42

(ख) से (घ) देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख कार्यनीति है। संपूर्ण साक्षरता अभियानों में 15-35 वर्ष की आयु वर्ग की संपूर्ण निरक्षर जनसंख्या को शामिल किया जाता है चाहे भले ही ये निरक्षर किसी जाति, धर्म अथवा लिंग के क्यों न हों। संसाधनों की कमी, दुर्गम क्षेत्र, बिखरी हुई जनसंख्या, स्कूलों का सुलभ न हो पाना, साक्षरता परंपरा की कमी तथा महिलाओं के प्रति स्त्री-पुरूष के बीच पूर्वाग्रह का व्याप्त होना महिलाओं में साक्षरता अभियान के लिए प्रमुख रूकावट बन सकती हैं। इसके बावजूद भी देश के विभिन्न भागों में जनजातीय जनसंख्या को शामिल करते हुए साक्षरता अभियान शुरू किए गए हैं।

साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किए गए शिक्षार्थियों में 60 प्रतिशत महिलाएं हैं।

[हिन्दी]

कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन संबंधी मामले

166. **श्री अरविन्द काम्बले : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड को किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और इन मामलों की अद्यतन स्थिति क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नए राष्ट्रीय राजमार्गों/पुलों हेतु महाराष्ट्र को ऋण

167. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक/एशिया विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा राजमार्गों/पुलों के निर्माण और सुधार हेतु महाराष्ट्र को उपलब्ध कराए गए ऋण और अग्रिमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋण की पूरी राशि सम्बद्ध परियोजनाओं पर व्यय की गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) महाराष्ट्र में रा.रा.-8 के बेसीन क्रीक-मनोर खंड को 4 लेन का बनाने जो विश्व बैंक सहायता के जरिए द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, के लिए गत तीन वर्षों के दौरान दी गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	करोड़ रु.
1995-96	शून्य
1996-97	0.20
1997-98	43.50

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वन संसाधनों का विकास

168. **श्री रंजीब बिस्वाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 13.7.1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 3844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रुप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के दोरान विभिन्न राज्यों में वन संसाधनों के विकास के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भेजे गए और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राज्य-वार प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हाँ।

(ख) नवीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसके अन्तर्गत 3172.46 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। नीचे दिए गए कुल परिव्ययों (स्कीमवार) की तुलना में विभिन्न स्कीमों के तहत अनन्तिम परिव्ययों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न है।

1. क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी तथा चारा रोपण स्कीम 20031.92 लाख रु.
2. एकीकृत वनीकरण और पारिविकास कार्यक्रम स्कीम 15243.96 लाख रु.
3. गैर-इमारती वनोत्पाद स्कीम 5899.02 लाख रु.
4. समान लाभ वितरण आधार पर अवक्रमित वनों के सुधार कार्य में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना 1500 लाख रु.

(ग) उपर विनिर्दिष्ट स्कीमों में अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण पर विचार किया गया है। जिसमें उपर स्कीम (2) के पारिविकास घटक के साथ ही ईंधन लकड़ी, चारा तथा गैर-इमारती वनोत्पाद आदि की आवश्यकता को पूरा करने के कार्य में क्षेत्र के स्थानीय लोगों की भागीदारी पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। उपर (1), (2) और (3) के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के विवरणों को मंत्रालय द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित कर दिया गया है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण (1) में दिया गया है।

जहां तक उपर (4) का संबंध है, मंत्रालय द्वारा अनन्तिम रूप से अनुमोदित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 नीचे दिया गया है; जिनके लिए माइक्रो योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों से अभी प्राप्त होनी शेष हैं।

समान लाभ वितरण आधार पर अवक्रमित वनों के सुधार कार्य में अनुसूचित जातियों के लोगों तथा ग्रामीण निर्धनों को शामिल करना।

राज्य	वास्तविक लक्ष्य	परिव्यय (लाख रु. में) (अनन्तिम)
आन्ध्र प्रदेश	550 हैक्ट.	65.63 (लगभग)
बिहार	1200 हैक्ट.	157.657
गुजरात	750 हैक्ट.	99.45
कर्नाटक	1000 हैक्ट.	132.602
मध्य प्रदेश	1650 हैक्ट.	219.376
महाराष्ट्र	1300 हैक्ट.	148.3
मणिपुर	750 हैक्ट.	89.21
मिजोरम	500 हैक्ट.	59.67
नागालैंड	500 हैक्ट.	59.67
राजस्थान	1180 हैक्ट.	107.64 (लगभग)
त्रिपुरा	420 हैक्ट.	48.73
जम्मू व काश्मीर	780 हैक्ट.	98.514

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वें "समान लाभ वितरण आधार पर" अवक्रमित वनों के सुधार कार्य में अनुसूचित जाति के लोगों तथा ग्रामीण निर्धनों को शामिल करने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के बारे में माइक्रो योजना शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें ताकि मंत्रालय द्वारा उसे अंतिम रूप दिया जा सके तथा प्रशासनिक अनुमोदन भेजा जा सके।

विवरण I

नौवीं योजना के लिये क्षेत्रोंन्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा रोपण स्कीम, एकीकृत वनीकरण तथा पारि-विकास कार्यक्रम स्कीम और गैर-इमारती वनोत्पाद स्कीम के संबंध में राज्य वार स्कीम परिव्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

	आई ए ई वी एस अनन्तिम आबंटन नवीं योजना	ए ओ एफ एफ पी सी अनन्तिम आबंटन नवीं योजना	एन टी एफ पी एस अनन्तिम आबंटन नवीं योजना
	1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	923.88	772.00	327.73
2. अरूणाचल प्रदेश	461.94	241.25	140.45
3. असम	461.94	820.25	163.86
4. बिहार	461.94	627.25	163.86
5. दिल्ली	46.19	0	70.23
6. गोवा	69.29	48.25	46.82
7. गुजरात	461.94	675.50	210.68
8. हरियाणा	461.94	772.00	140.45
9. हिमाचल प्रदेश	461.94	530.75	140.45
10. जम्मू व कश्मीर	808.39	434.25	280.91
11. कर्नाटक	923.88	1109.75	280.91
12. केरल	346.45	482.50	93.64
13. मध्य प्रदेश	1270.33	2653.75	468.18
14. महाराष्ट्र	808.39	675.50	304.32
15. मणिपुर	346.45	675.50	117.05
16. मेघालय	461.94	386.00	163.86
17. मिजोरम	346.45	1254.50	117.05
18. नागालैंड	346.45	241.25	117.05
19. उड़ीसा	923.88	1013.25	327.73
20. पंजाब	346.45	723.76	117.05
21. राजस्थान	1085.56	1013.25	327.73
22. सिक्किम	461.94	386.00	140.45
23. तमिलनाडु	461.94	820.25	187.27
24. त्रिपुरा	346.45	482.50	117.05
25. उत्तर प्रदेश	1154.85	1495.75	304.32
26. प॰ बंगाल	808.39	965.00	280.91
27. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	92.39	0	0
28. चंडीगढ़	46.19	0	0
29. दादर और नगर हवेली	46.19	0	0
कुल	15243.96	19300.00	5150.01

विवरण II

क्षेत्रोंन्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा रोपण स्कीम, एकीकृत वनीकरण तथा पारि-विकास कार्यक्रम स्कीम, और गैर-इमारती वनोत्पाद स्कीम के संबंध में अंनतिम रूप से राज्य-वार तथा स्कीम-वार अनुमोदित की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	आई ए ई पी एस नवीं योजना केन्द्रीय सहायता	ए ओ एफ एफ पी एस नवीं योजना केन्द्रीय सहायता	एन टी एफ पी नवीं योजना केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	696.90	311.38
2.	असम	468.14	858.31	167.80
3.	अरूणाचल प्रदेश	297.97	38.67	0.00
4.	बिहार	319.31	683.81	230.80
5.	गुजरात	271.94	37.92	376.26
6.	गोवा	0.00	913.68	57.42
7.	हरियाणा	437.82	1128.62	164.50
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	744.62	167.80
9.	जम्मू व कश्मीर	1535.68	797.79	782.55
10.	कनार्टक	791.85	870.67	249.51
11.	केरल	1387.52	517.63	66.85
12.	महाराष्ट्र	375.56	515.67	402.22
13.	मध्य प्रदेश	1911.23	2757.10	597.00
14.	मणिपुर	1679.17	975.22	194.36
15.	मेघालय	0.00	151.31	0.00
16.	मिजोरम	604.55	1109.14	136.10
17.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	0.00	565.47	492.00
19.	पंजाब	507.31	1204.11	158.75
20.	राजस्थान	1642.32	1610.63	504.45
21.	सिक्किम	791.17	346.65	208.25
22.	तमिलनाडु	0.00	663.55	0.00
23.	त्रिपुरा	407.71	515.42	64.70
24.	उत्तर प्रदेश	1696.87	1447.36	262.75
25.	पश्चिम बंगाल	769.05	881.67	303.57
	कुल	15895.17	20031.92	5899.02

केरल की संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजनाएं

169. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा संयुक्त उद्यम विद्युत परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि केरल सरकार/केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने केरल में लघु जल विद्युत के एकीकृत विकास की चीनी पद्धति के प्रदर्शन हेतु विश्व भर में लघु जल विद्युत के संवर्धन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन-इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन स्माल हाइड्रो पावर (आईएन-एस॰एच॰पी॰) के साथ दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कि जिसका कि मुख्यालय चीन में होगा। आईएन-एस॰एच॰पी॰ ने उपस्कर के लिए निर्यात ऋण जुटाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं

170. **प्रो॰ चमन लाल गुप्त :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राष्टीय जल विद्युत निगम के माध्यम से बघलियार और सियालकोट परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने का है ताकि सलाल परियोजना की मूलभूत सुविधाओं का उपयोग किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) 1998-99 की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा कोई भी नई जल विद्युत परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा बगलीहर और सावलकोट परियोजनाओं को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वित करने की इच्छुक है।

प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अधिनियमों में संशोधन

171. **श्री अनंत गंगाराम गीते :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अधिनियमों में संशोधन करने तथा प्रदूषण पर व्यापक कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इस मामले की क्या स्थिति है; और

(ग) इस मामले पर कब तक अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियमों को एकीकृत करने के लिए इस समय एक अध्ययन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी वर्तमान कानूनों को सरल बनाना तथा अस्पष्टता अतिव्याप्ति एवं अन्य कमियों को दूर करना।

[हिन्दी]

भागलपुर के प्रभावित लोगों को रोजगार

172. **श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में भागलपुर जिले के उन लोगों को रोजगार देने संबंधी कोई नीति तैयार की है जिनकी जमीन पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कहलगांव में एक बड़ी ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु अधिगृहित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने परिवारों को अभी तक रोजगार दिया जाना बाकी है; और

(घ) कब तक उन्हें रोजगार प्रदान कर दिया जायेगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) और (ख) बिहार में भागलपुर जिले में कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना के भू-विस्थापितों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने वर्ष 1986 में मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार किए थे जिसके अंतर्गत पद की अहर्ता पूरी करने के अध्याधीन उन्हें रोजगार में वरीयता प्रदान की जाएगी। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में एससी/एसटी के पदों पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अध्याधीन अकुशल श्रेणियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अर्धकुशल श्रेणियों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) इस परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहित होने के कारण 2062 परिवार प्रभावित हुए हैं। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के लिए आरंभ किए गए पुनर्वास उपाय निम्नवत् हैं :-

(i) कुल 300 परियोजना प्रभावित परिवारों को एनटीपीसी में रोजगार दिया जा चुका है।

(ii) लगभग 200-250 व्यक्ति विभिन्न ठेका एजेंसियों के साथ कार्यरत हैं।

(iii) अभी तक 951 छोटे-छोटे ठेके परियोजना प्रभावित परिवारों को दिए जा चुके हैं।

(iv) परियोजना प्रभावित परिवारों को 14 दुकानों का आबंटन किया गया है।

इसके अतिरिक्त एनटीपीसी परियोजना प्रभावित परिवारों को रोजगार हेतु अंक कौशल के सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है और सरकारी स्कीमों यथा जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि से लाभ उठाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करती है।

[अनुवाद]

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में लम्बित मामले

173. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त न्यायाधिकरण में लंबित लाखों मामलों के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके मंत्रालय और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार और न्यायाधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस समय न्यायाधिकरण में कुल कितने मामले लंबित हैं और उनके लंबित होने के क्या कारण हैं और वे कब से लंबित हैं;

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इन मामलों में कुल कितनी राशि अन्तग्रस्त/फंसी है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने, अपने समक्ष फाइल की गई एक रिट याचिका (लोकहित याचिका) में अन्य बातों के साथ, आयकर अपील

अधिकरण के समक्ष मामलों के लंबित होने का प्रश्न उठाए जाने पर, सरकार और अधिकरण को नोटिसें जारी की थी। तथापि, सरकार और अधिकरण की सुनवाई करने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने, 16.10.1998 को उक्त रिट याचिका का निपटान कर दिया है।

(ग) 1.10.1998 को अधिकरण में लंबित मामलों की संख्या 3,03,057 थी। इन मामलों का अवधि-वार ब्यौरा निम्नवत था :-

1 वर्ष तक	-	46,338
1 वर्ष से अधिक	-	45,212
2 वर्ष से अधिक	-	49,016
3 वर्ष से अधिक	-	46,544
4 वर्ष से अधिक	-	38,306
5 वर्ष से अधिक	-	77,641

लंबित होने का कारण यह है कि मामलों के संस्थित किए जाने की संख्या, उनके निपटाए जाने की संख्या से अधिक है।

(घ) अधिकरण के समक्ष बढ़ते हुए कार्यभार से निपटने के लिए हाल ही में, अधिकरण की 15 अतिरिक्त न्यायपीठें सृजित की गई हैं। अधिकरण के एकल सदस्य द्वारा सुने जाने वाले मामलों के लिए धनीय सीमा हाल ही में, एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है जिससे कि अधिक से अधिक मामले एकल सदस्य न्यायपीठों द्वारा विनिश्चित किए जा सकें। एक समान विवाद्यकों वाले मामलों का समूहन, त्वरित निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के प्रमाणिक निर्णयों के अंतर्गत आने वाले मामलों का अभिज्ञान, कैम्प न्यायपीठों का गठन और सदस्यों को उन स्थानों पर, जहां लंबित मामलों की संख्या अधिक हैं या नियमित न्यायपीठें कार्यरत नहीं हैं, दौरे पर भेजना, मामलों के त्वरित निपटान के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम हैं।

(ङ) अधिकरण, अपने समक्ष मामलों में अंतर्ग्रस्त रकम के संबंध में, कोई अभिलेख नहीं रखता है।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित सीटों पर दाखिला

174. **श्री जोगेन्द्र कवाडे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 के शैक्षिक सत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है;

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया;

(ग) क्या इन सभी आरक्षित सीटों को भर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में सभी आरक्षित सीटों पर दाखिला देने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में चल रही परियोजनाएं

175. **श्री भर्तृहरि मेहताब :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रही उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित हैं;

(ख) परियोजनावार इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) उड़ीसा में तीन ऐसी परियोजनाएं प्रगति पर हैं जो केन्द्रीय सड़क निधि (सी आर एफ) के तहत संस्वीकृत की गई हैं अर्थात् :-

	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु॰)
(1)	राज्यीय राजमार्ग-10 के 67 कि.मी. पर सफाई नदी पर पुल।	140.00
(2)	सारागढ़-नीलीगिरी-कप्तिपाड़ा-उडाला-हरिपाडा-मिदनापुर बार्डर और डी एम डी आर 5 के 74 कि.मी. पर क्षतिग्रस्त पुराने पुल को बदलना।	38.00
(3)	सम्बलपुर-सोनपुर सड़क (राज्यीय राजमार्ग) पर सोनपुर के निकट "महानदी" नदी पर एक एच एल पुल का निर्माण।	1109.38

(ग) सी आर एफ के तहत राज्यों को निधियां एकमुश्त जारी की जाती है न कि परियोजना-वार। पिछले पाँच वर्षों में उड़ीसा राज्य को 76.15 लाख रु॰ आबंटित किए गए।

(घ) मार्च, 1998 तक इन तीनों परियोजनाओं पर 118.00 लाख रु॰ व्यय हुए हैं।

एम॰फिल॰ और पी॰एच॰डी॰ डिग्रीधारकों को अतिरिक्त लाभ

176. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम॰फिल॰ और पी॰एच॰डी॰ दोनों डिग्रीधारक प्राध्यापकों को वरिष्ठ प्राध्यापक ग्रेड की पदोन्नति में कुछ अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन प्राध्यापकों की पर्याप्त पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं या जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों में आलेख प्रस्तुत किए हैं, उन्हें कुछ लाभ या प्रोत्साहन दिए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) 27.07.98 को सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित वेतनमानों के अनुसार लेक्चरर (वरिष्ठ वेतनमान) के ग्रेड हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम सेवाकाल पी॰एच॰डी॰ धारकों के लिए चार वर्ष तथा एम॰फिल॰ धारकों के लिए पांच वर्ष और लेक्चरर के रूप में अन्यों के लिए 6 वर्ष होगी।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा गया है कि सरकार के परामर्श से एक योजना तैयार करे जिससे ऐसे प्रतिभासम्पन्न शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया जा सके तथा उनकी पहचान बनायी जा सके जिन्होंने एम॰फिल॰ अथवा पी॰एच॰डी॰ नहीं की है परन्तु प्रकाशनों, सम्मेलनों में भाग लेने आदि के माध्यम से विशिष्ट योगदान देकर पर्याप्त योग्यता प्रदर्शित की है।

केन्द्रपाड़ा में नेहरू युवा केन्द्र

177. **श्री प्रभात कुमार सामन्तराय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रपाड़ा (उड़ीसा) जिले में नेहरू युवा केन्द्र का एक एकक स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां तो उक्त एकक की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित पदों की मंजूरी और धनराशि की उपलब्धता के अभाव में अभी तक यह केन्द्र खोला नहीं जा सका है।

एन॰टी॰पी॰सी और जल विद्युत उत्पादन

178. **श्री पी॰आर॰ किन्डिया** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के कार्यकरण को अतिक्रमण नहीं होगा;

(ग) क्या इस समय हाइड्रो-थर्मल में असंतलन के कारण विद्युत शुल्क में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम का विचार लघु जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने का है, ताकि इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन राज्यों का पता लगाया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, हॉ। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) को विद्युत मंत्रालय द्वारा जल-विद्युत और गैर-पारम्परिक उर्जा स्रोत्रों के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम (एनएचपीसी) अकेले ही देश में विद्यमान विशाल जल-विद्युत शक्यता का दोहन नहीं कर सकेगा। नई जल विद्युत नीति यह परिकल्पित करती है कि नई एजेंसियां केन्द्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर जल विद्युत विकास को प्रोत्साहित करेगी।

(ग) आदर्श जल विद्युत ताप विद्युत सम्मिश्रण 40:60 होना चाहिए। इस समय जल विद्युत का हिस्सा केवल 25 प्रतिशत है। ताप विद्युत जल विद्युत सम्मिश्रण के असंतुलन के कारण, विशेषतः पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में, कई ताप विद्युत केन्द्रों को गैर- व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान विद्युत उत्पादन कम करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र भार अनुपात में 4.5 प्रतिशत की हानि होती है। जल विद्युत केन्द्र व्यस्ततमकालीन विद्युत आवश्यकता की पूति करने के लिए आदर्श है। साथ ही, जल विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आई है क्योंकि ईंधन की कोई लागत नहीं है अपर्याप्त जल विद्युत शक्यता के साथ व्यस्तमकालीन मांग की पूर्ति के लिए आवश्यक ताप-विद्युत के परिणामस्वरूप उर्जा की हानि होती है तथा फ्रीकवेन्सी को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है।

(घ) एनटीपीसी निवेश एवं क्षमता अभिवृद्धि के उद्‌देश्य से निर्माणाधीन तथा प्रचालनाधीन मध्यम आकार की कुछ जल-विद्युत परियोजनाओं को अभिगत कर रहा है।

पावर प्लाट्स सेट अप विद फ्यूल

179. **श्री सुरेश वरपुडकर** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार और श्रेणीवार नेफ्था, फ्योल, ऑयल

(एफ॰ओ॰), तरल प्राकृतिक गैस (एल॰एन॰जी॰) और हाई सल्फर फ्यूल ऑयल (एच॰एस॰एफ॰ओ॰) आधारित विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन ईंधनों पर आधारित विद्युत संयंत्रों की मियाद और विद्युत उत्पादन को कोयला अथवा प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में उपयोग करने वाली इकाईयों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा इस संबंध में कराए गए अध्ययन के निष्कर्षों पर क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) विभिन्न प्रकार के तेलों से चल रहे विद्युत केन्द्रों का ब्यौरा निम्नवत् है :-

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	राज्य
1.	पाम्पोर जीटी	जम्मू व कश्मीर
2.	धुव्रण 5-6	गुजरात
3.	येलाहंका डी	कर्नाटक
4.	ब्रहमपुरा	केरल
5.	नरीमणम	तमिलनाडु
6.	मैथॉन जीटी	पश्चिम बंगाल
7.	पश्चिम बंगाल जी	पश्चिम बंगाल
8.	कस्बा जीटी	पश्चिम बंगाल
9.	चन्द्रपुर	असम

उपरोक्त विद्यमान विद्युत केन्द्रों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. केरल में कायमकुलम संयुक्त साईकल विद्युत परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है जो प्रमुख ईंधन के रूप में नाथपा पर आधारित हैं।

(ख) विद्युत संयंत्र की मियाद इस्तेमाल किए जा रहे ईंधन के प्रकार पर निर्भर नहीं करती है। यह अधिष्ठापित टरबाईन के प्रकार पर निर्भर करती है। टरबाईनों को चलाने के लिए तरल ईंधन को गैस अथवा भाप में बदला जा सकता है। गैस से चलने वाले टरबाईन की मियाद 15 वर्ष होती है जबकि भाप से चलने वाले टरबाईन की मियाद 25 वर्ष है जो कोयला आधारित विद्युत संयंत्र के बराबर है। तथापि, कोयला आधारित भाप टरबाईन की तुलना में गैस आधारित टरबाईन का उर्जा उत्पादन अधिक है।

(ग) योजना आयोग ने हाल ही में विभिन्न वैकल्पिक ईंधनों से विद्युत के उत्पादन की लागत के आंकलन के लिए एक अध्ययन आरंभ किया है। यह अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति

180. **श्री रामशकल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदंड क्या है; और

(ग) 1996-97 के दौरान ऐसी कितनी छात्रवृत्तियां दी गई तथा कुल कितनी राशि खर्च हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) शिक्षा विभाग छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए अपनी तरफ से छात्रवृति प्रदान नहीं करता। तथापि विभाग को सांस्कृतिक विनिमय तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत विदेशों में अध्ययन के लिए कुछेक देशों से छात्रवृति और अध्येतावृत्ति के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। दाता देशों से प्राप्त इन प्रस्तावों के लिए नामजदगी विभाग द्वारा की जा रही है। एवार्ड के लिए अंतिम चयन दाता देशों द्वारा किया जाता है। नामजदगी के लिए चयन इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क

181. **श्री के.एस. राव :**
श्रीमती रानी नरह :
श्री नादेन्दला भास्करराव :
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील :
श्री कमल नाथ :
श्री के॰ येरननायडू :
श्री सी॰डी॰ गामीत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आई बाढ़ों के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को कितनी क्षति पहुंची और कितने जानवर मारे गए;

(ख) बाढ़ आने से पूर्व पार्क में अनुमानित कितने जानवर थे;

(ग) सरकार ने बचाव कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की और आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या धन का सदुपयोग न किए जाने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पार्क की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन से कड़े कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) निदेशक काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हाल ही में आई बाढ़ों से 651 जानवरों की मृत्यु हुई है। बाढ़ों की वजह से संचार, लकड़ी के पुलों, बेतार नेटवर्क, नावों, उच्च भूमियों आदि जैसी ढांचागत सुविधाओं को भारी नुकसान हुआ है।

(ख) 1995 की गणना के अनुसार बाढ़ से पहले पार्क में गेंडों की अनुमानतः संख्या 1250 थी। 1993 की गणना के अनुसार काजीरंगा में लगभग 5483 जानवर थे।

(ग) बचाव कार्यों के लिए 58.05 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है तथा राज्य सरकार द्वारा धनराशि की उपयोगिता संबंधी विवरण नहीं भेजा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) पार्क में अवैध शिकार को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, अर्ध-सैनिक बलों को तैनात किया गया है तथा कार्य बहाली के लिए सेना की सहायता ली जा रही है।

[हिन्दी]

जाली अंक तालिकाएं

182. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जाली अंक तालिकाएं जारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले एक वर्ष के दौरान इस घोटाले में लिप्त किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

क्षेत्रपार राजमार्ग परियोजना का प्रस्ताव

183. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :**
श्री एस॰एस॰ ओवेसी :
श्री पी॰सी॰ थामस :
श्री टी॰आर॰ बालू :
श्री राजनारायण पासी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कश्मीर से कन्याकुमारी और सिल्चर से सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए एक क्षेत्र पार राजमार्ग परियोजना निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र पार सड़क के कितने राज्यों से होकर गुजरने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आएगा और इसे पूरा करने के लिए कितनी समय अवधि निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या इस परियोजना में कोई निजी भागीदारी तय की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (च) माननीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से कन्याकुमारी और सिल्चर से सौराष्ट्र को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गोंको चौड़ा करने के एक कार्यक्रम की घोषणा की है। तत्संबंधी रूट और तकनीकी मापदंडों के बारे में निर्णय लेने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया है। कार्यक्रम अभी वैचारिक स्तर पर है और इसलिए इस समय और अधिक ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

184. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :
श्री माधव राव पाटील :
श्री विट्ठल तुपे :
श्री ए॰ वेंकटेश नायक :
श्रीमती भावना देवराज भाई चिखलीया :
श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले :
श्री एम॰ बागा रेड्डी :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की सांविधानिक बाध्यता का नए सिरे से मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बाध्यता के क्रियान्वयन में कठिनाइयां अनुभव होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा किस नई रणनीति पर सोच-विचार किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) राज्य शिक्षा मंत्रियों के 22-23 अक्टूबर, 1998 को हुए सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने के स्तर पर चर्चा की गई। यह उल्लेखनीय है कि ठोस प्रयासों के बावजूद भी, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक बाध्यता को अभी तक पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है।

(ग) यद्यपि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है तथापि बहुत से परिवार शिक्षणः लागत को देने में असमर्थ है। अपर्याप्त स्कूल अवसंरचना शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त समुदाय सहभागिता और विकेन्द्रीकरण की कमी, विशेषकर महिलाओं में निरक्षरता के स्तर में प्रबलता, सामाजिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक बाधाएं, अपेक्षित वित्त की अनुपलब्धता जैसे कारणों ने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयां उत्पन्न कर दी है।

(घ) राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने समयबद्ध कार्य में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में मिशन की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव का समर्थन किया।

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा

185. **श्री तथागत सत्पथी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों के सरकारी/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्कूली बच्चों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सुविधा सभी राज्यों को दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) शिक्षा विभाग "स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन" (क्लास) नाम अपनी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद के लिए तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में संगणक साक्षरता परियोजना लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता देता है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के तहत शामिल स्कूलों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास) नामक योजना के तहत शामिल स्कूलों की राज्यवार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्लास योजना के तहत शामिल स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	172
2.	अरूणाचल प्रदेश	20
3.	असम	102
4.	बिहार	123
5.	गोवा	70
6.	गुजरात	171
7.	हरियाणा	127
8.	हिमाचल प्रदेश	214
9.	जम्मू और कश्मीर	53
10.	कर्नाटक	377
11.	केरल	177
12.	मध्य प्रदेश	422
13.	महाराष्ट्र	404
14.	मणिपुर	26
15.	मेघालय	42
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	17
18.	उड़ीसा	117
19.	पंजाब	137
20.	राजस्थान	239
21.	सिक्किम	22
22.	तमिलनाडु	195
23.	त्रिपुरा	46
24.	उत्तर प्रदेश	434
25.	पश्चिम बंगाल	257
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22
27.	चंडीगढ़	8
28.	दिल्ली	210

1	2	3
29.	दादरा एवं नगर हवेली	9
30.	दमन और दीव	4
31.	लक्षद्वीप	9
32.	पांडिचेरी	8

एन॰टी॰पी॰सी द्वारा संचालित विद्युत संयंत्र

186. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित विद्युत संयंत्रों ने कुल कितना विद्युत उत्पादन किया;

(ख) क्या एन.टी.पी.सी. द्वारा 1997-98 के दौरान अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एन.टी.पी.सी. का विचार चालू वर्ष के दौरान किसी नई विद्युत परियोजना की स्थापना करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) एन.टी.पी.सी. द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन का अनुमान है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) 31.3.1997 की स्थितिनुसार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित विद्युत संयंत्रों की कुल क्षमता 18795 मे.वा. है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 1997-98 के दौरान किसी क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना नहीं की गई हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। कायमकुलम संयुक्त साईकिल विद्युत परियोजना (350 मे.वा. की 115 मे.वा. क्षमता की प्रथम गैस टरबाईन विद्युत उत्पादन यूनिट को मार्च, 1999 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। इस यूनिट को कार्यक्रम से पांच माह पूर्व दिनांक 2.11.98 को परीक्षण के तौर पर समकालित कर दिया गया है।

(च) नौवीं योजना के दौरान एनटीपीसी 5770 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि करने की परिकल्पना की गई जैसे कि ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

परियोजना/स्थिति	जोड़ क्षमता (मे.वा.)
1	2
निर्माणाधीन परियोजनाएं	
विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण-2/मध्य प्रदेश	1000
फिरोजगांधी ऊंचाहार टीपीएस चरण-2/उत्तर प्रदेश	420
सिम्हाद्री एसटीपीपी	1000
कायमकुलम सीसीपीपी/केरल	350
फरीदाबाद जीपीपी/हरियाणा	400
जोड़	*3170*
नई परियोजनाएं	
कवास सीसीपीपी चरण-2/गुजरात	650
अन्ता सीसीपीपी चरण-2/राजस्थान	650
औरैया सीसीपीपी चरण-2/उत्तर प्रदेश	650
झनोर-गांधार सीसीपीपी चरण-2/गुजरात	650
जोड़	*2600*
कुल जोड़	5700

नोट : एसटीपीपी-सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
टीपीएस-थर्मल पावर स्टेशन।
सीसीपीपी-कम्बाइंड साईकल पावर प्रोजेक्ट।
जीपीपी-गैस पावर प्रोजेक्ट।

भारतीय नौ परिवहन निगम द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

187. श्री रवि सीता राम नायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौ परिवहन निगम द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय नौ परिवहन निगम द्वारा अपने पोतों की मरम्मत और रख-रखाव पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई; और

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान निगम को कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) भारतीय नौवहन निगम (भा॰नौ॰नि॰) के संबंध

में पिछले तीन वर्षों की अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :-

(करोड़ रु॰)

वर्ष	1995-96	1996-97	1997-98
(क) भा॰नौ॰नि॰ द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा (बचाई गई विदेशी मुद्रा सहित)	2126.56	2310.06	2420.05
(ख) भा॰नौ॰नि॰ के पोतों की मरम्मत और रख-रखाव पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	164.40	154.26	206.11
(ग) सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता	33.75	53.75	44.42

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चार लेनों वाला बनाया जाना

188. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में भुवनेश्वर, कटक तथा चांदीखोल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करने तथा चार लेनों वाला बनाने संबंधी चल रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) क्या निर्धारित कार्य इस प्रयोजनार्थ नियत धनराशि से समय पर पूरा कर लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)

खंड	संस्वीकृत लागत संस्वीकृति की तारीख (करोड़ रु॰)	9/98 तक प्रगति	9/98 तक व्यय (करोड़ रु॰)	पूरा होने की निर्धारित तारीख
(i) भुवनेश्वर-कटक जगतपुर (0 कि.मी. से 27.80 कि.मी. तक)	218.41 अगस्त, 95	52 प्रतिशत	133.27	03/2000
(ii) जगतपुर-चॉदीखोल (27.80 कि.मी. से 61.00 कि.मी. तक)	137.60 नवम्बर, 97	भा.रा.रा.प्रा. को निविदाएं प्राप्त हो चुकी है और इनकी जांच की जा रही है।	-	03/2002

कार्य पूरा होने और निधियों की आवश्यकता की वास्तविक तारीख की पुष्टि करना अभी संभव नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थलों पर फिल्म शुल्क में वृद्धि

189. **श्री अन्ना साहिब एम॰के॰ पाटील :**

श्री उल्हास वासुदेव पाटील :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थलों की फिल्म शूटिंग करने के लिए वसूले जाने वाले शुल्क में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शुल्क वृद्धि को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) इस सम्बन्ध में फिल्मकारों की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राप्त कितनी शिकायतें लम्बित पड़ी हुई हैं; और

(ङ) ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर फिल्म शूटिंग होने से पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितनी धनराशि अर्जित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हॉ।

(ख) और (ग) वर्तमान शुल्क ढांचा समीक्षाधीन है। प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की समय सीमा बताना सम्भव नहीं है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास फिल्म निर्माताओं का ऐसा कोई अनुरोध लम्बित नहीं है।

(ङ) वर्ष 1997-98 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दाय स्थलों में फिल्मों की शूटिंग करने की अनुमति देने से 14,00,000/- रुपये अर्जित किये हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा पर किया गया व्यय

190. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

डा॰ प्रभा ठाकुर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान समय में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3.5 प्रतिशत व्यय कर रही है जबकि सरकार ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की निजी दान और बंदोबस्त इत्यादि जैसे स्रोतों से प्राप्त अनुदानों को इस व्यय में शामिल करने की योजना है अथवा इसे अतिरिक्त व्यय के रूप में लिया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) शासन के लिए एजेंडा में इस बात की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है कि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही व्यय शामिल होंगे।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को चौड़ा करने का प्रस्ताव

191. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत/चौड़ा करने/मजबूत बनाने के लिए कितनी राशि स्वीकृत एवं खर्च की गई;

(ख) अभी तक कितनी परियोजनाओं का काम पूरा होना बाकी है;

(ग) क्या सरकार का विचार केरल से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 17 को चार लेनों वाली सड़क में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत/उनको चौड़ा करने/मजबूत बनाने के लिए संस्वीकृत और व्यय की गई राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	संस्वीकृत राशि (लाख रु॰)	व्यय (लाख रु॰)
1995-96	5173.88	5173.88
1996-97	3873.00	3873.00
1997-98	5568.00	5568.00

(ख) 75 (पचहत्तर)

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जाली शपथपत्र

192. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि न्यायालयों में जाली शपथपत्र का धंधा चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में जाली शपथपत्रों को जारी करने से रोकने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बड़े/छोटे पत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण

193. **श्री दिन्शा पटेल** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में बड़े और छोटे पत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ की गई और विशेष रूप से गुजरात के संदर्भ में तत्संबंधी पत्तनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस हेतु, पत्तनवार, वित्तीय आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पत्तनों के लिए आधारभूत क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों से निवेश आमंत्रित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार का संबंध देश में केवल महापत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास से है तथा लघु पत्तनों की संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। महापत्तनों का आधुनिकीकरण और विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास पर निम्नलिखित राशि व्यय की गई है :-

(करोड़ रु॰)

क्र. स.	पत्तन का नाम	व्यय की गई राशि		
		1995-96	1996-97	1997-98
1.	कलकत्ता/हल्दिया	20.51	26.61	27.92
2.	मुम्बई	42.53	89.95	73.69
3.	जे॰एल॰ नेहरू	40.19	49.88	106.08
4.	चेन्नई	54.44	96.57	116.10
5.	कोचीन	20.96	7.56	10.76
6.	विजाग	26.42	42.79	52.70
7.	कांडला	12.85	15.84	49.61
8.	मुरगांव	14.06	18.51	7.90
9.	पारादीप	66.51	62.01	117.62
10.	नव मंगलूर	124.03	56.61	16.86
11.	तुतीकोरिन	15.73	18.30	16.19
	जोड़	438.95	484.63	595.43

गुजरात में केवल एक महापत्तन है अर्थात् कांडला और इस पत्तन के विकास और आधुनिकीकरण पर व्यय की गई राशि ऊपर दर्शाई गई है।

(ग) और (घ) जी हां। 74 प्रतिशत तक एन आर आई निवेश सहित विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमति है जबकि 100 प्रतिशत तक निवेश के लिए अनुमति मामला-दर-मामला आधार पर दी जाती है। सरकार ने पत्तनों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश के लिए अनिवासी भारतीयों सहित विदेशी वित्तीय संस्थाओं, निवेशकर्त्ताओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों एवं कर लाभों की घोषणा की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बाल आयोग

194. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
श्रीमती शीला गौतम :
डा॰ रवि मल्लू :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों और विशेषकर बच्चियों के हितों की रक्षा के लिये एक राष्ट्रीय बाल आयोग बनाने का निर्णय लिया है जैसा कि अन्य आयोग बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाल आयोग की स्थापना संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपमार्गों का निर्माण करना

195. **श्री फ्रांसिस्को सारदीना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर उप-मार्गों के निर्माण के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण हेतु प्रस्तावित उपमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर राज्य-वार निर्मित किए गए उपमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन बाइपासों का निर्माण उन शहरों में किया जाता है जिनकी जनसंख्या 20,000 या इससे अधिक है, जहां सड़क की चौड़ाई 30 मीटर से कम है और शहरी संपर्क मार्ग को अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है।

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान 22 बाइपासों के निर्माण का प्रस्ताव है जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) और (घ) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए बाइपासों की स्थिति

वर्ष	राज्य	संख्या	आबंटन (लाख रु॰)
1995-96	गुजरात	एक	496.42
	हरियाणा	एक	146.32
	महाराष्ट्र	एक	24.79
1996-97	कर्नाटक	एक	183.84
	केरल	एक	425.65
	तमिलनाडु	एक	1441.78
1997-98	केरल	एक	141.33
	उड़ीसा	एक	188.62
	राजस्थान	एक	410.32

पार्टियों की मान्यता समाप्त करना

196. **श्रीमती रानी नरह :**

श्री तारिक अनवर :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन पार्टियों की मान्यता समाप्त करने का है जो राष्ट्रीय या राज्य चुनावों का बहिष्कार करेंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किया गया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

साक्षरता परियोजनाओं पर परमाणु परीक्षणों का प्रभाव

197. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :**

श्री ए.वेंकटेश नायक :

श्री विठ्ठल तुपे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशों की सहायता से चलाई जा रही साक्षरता परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पोखरन में किए गए परमाणु परीक्षण के कारण ये परियोजनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को सुगमता से चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत देश में कोई भी विदेशी सहायता प्राप्त साक्षरता परियोजनाएं संचालित नहीं की जा रही हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पोत प्राप्त करने को "बेयर बोट चार्टर कम डिमाइज" विधि

198. **श्री संदीपान थोरात** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोत प्राप्त करने की "बेयर बोट चार्टर कम डिमाइज" विधि की समीक्षा हेतु एससीआई और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त प्रणाली के संबंध में विविध विचारों और बताये गये दोषों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) एससीआई और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी और अन्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अनुवर्ती कार्रवाई की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) जी हां। भारतीय नौवहन निगम और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि "पूर्णत: विक्रय आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए पोतमात्र किराए पर देने की पद्धति (बी बी सी डी) से खरीदे गए जलयानों को, तटीय व्यापार में लगाने के लिए भारतीय ध्वज-जलयानों के समकक्ष मानना वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। चूंकि इसमें विधि की व्याख्या निहित है, विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

साक्षरता परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन

199. **श्री सुरेश चन्देल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान साक्षरता परियोजनाओं को चलाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस संबध में इस एजेंन्सियों द्वारा कितनी प्रगति की गई;

(ग) क्या इन एजेंन्सियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या साक्षरता कार्यक्रम के नाम पर इन एजेंसियों द्वारा सरकारी निधि हड़प की जा रही है तथा सरकार का साक्षरता कार्यक्रम पूरी तरह से विफल हो गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी एजेन्सियों पर प्रतिबंध लगाने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को आबंटित की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) से (घ) साक्षरता परियोजनाओं की समीक्षा संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) जी, नहीं।

विवरण-I

1995-96

आंध्र प्रदेश

1.	आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसायटी (एस.सी.ई.आर.टी.)	85,83,750
2.	सेवा मंदिर हिन्दुपुर, जिला	2,59,000 2,59,000
3.	प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता परिसर विश्वविद्यालय रोड़ के लिए राज्य संसाधन केन्द्र	18,00,000 18,00,000

असम

1.	सदायू असम ग्राम्य पुथीभाल संस्था	3,25,000
2.	राज्य संसाधन केन्द्र असम ज्ञान विज्ञान समिति, कार्यालय, असम	12,50,000 58,500 12,50,000

बिहार

1.	ए॰एन॰ सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान	20,000 30,820
2.	अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान, ग्राम : कटरा	80,300
3.	एशियन विकास अनुसंधान संस्थान	5,00,000 14,89,000 15,00,000 3,94,352 2,59,558
4.	वनवासी सेवा केन्द्र, डाक - अधौरा	2,562
5.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान	36,180
6.	हरिशक्ति दाव्य स्वैच्छिक सेवा संस्थान	1,13,100
7.	जनजागरण संस्थान	9,960
8.	जन कल्याण विकास परिषद	89,920
9.	जयप्रकाश सेवा संस्थान	7,029
10.	निर्माण भारती, चाक बिजगानी	79,900
11.	पं. श्री राम शर्मा सेवा संस्थान	1,12,000
12.	समता ग्राम सेवा संस्थान	1,03,00
13.	दीपायतन बुद्ध कालोनी	6,00,000 10,00,000
14.	वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान	20,300
15.	विवेक विहार सेवा संस्थान	1,00,678

गुजरात

1.	गुजरात राज्य क्राइम प्रिवेन्शन ट्रस्ट	2,71,184 1,06,000
2.	पीपल वेलफेयर सोसाइटी, दुबयानी	6,921
3.	श्रीमती बी॰के॰ बालजोशी शिक्षा ट्रस्ट	1,50,072 66,000
4.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ	4,50,000 12,50,000 3,60,000

हरियाणा

1.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति (राज्य संसाधन केन्द्र)	5,00,000

हिमाचल प्रदेश

1.	राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र (राज्य संसाधन केन्द्र)	5,31,600

जम्मू-कश्मीर

1.	सोसल वेलफेयर आफ इंडिया हेड आफिस, शाहदरा शरीफ	69,010
2.	राज्य संसाधन केन्द्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	5,00,000 5,00,000 6,00,921 10,00,000

कर्नाटक

1.	अमृत एजुकेशनल कलचरल सोसइटी	7,110
2.	मैसूर डिस्टरिक फ्रीडम फाइटर वेलफेयर एसोसिएशन	1,08,512
3.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, कर्नाटक	4,00,000 15,00,000

केरल

1.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र केरल एसोसिएशन फार नान फारमल एजुकेशन	7,00,000

मध्य प्रदेश

1.	अभिव्यक्ति जन-शिक्षा एवं संस्कृत समिति	10,00,000
2.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, मध्य प्रदेश, इंदौर (बी.जी.एम.एस.)	1,72,512 14,00,000 12,00,000

महाराष्ट्र

1.	कमेटी आफ रिर्सोसआर्गनाइजेशन फार मास प्रोग्राम आफ फंकशन लेट्रेसी	3,18,000
2.	भारतीय शिक्षा संस्थान	3,48,000 3,84,000
3.	राज्य और औपचारिक शिक्षा संसाधन केन्द्र	7,50,000 10,00,000
4.	टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	76,760

मेघालय

1.	राज्य संसाधन केन्द्र, उत्तर-पूर्वी हिल विश्वविद्यालय	7,06,913 8,28,000

उड़ीसा

1.	जतीया चेतना विकास मधुबन, वार्ड सं. 7, बारीपाडा	8,99,340
2.	जय भारती साथी समाज डाक सबराग	4,98,450
3.	नीरद चेलाईपाड़ा, डाक कलकाला	85,775
4.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र	17,62,500

राजस्थान

1.	प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र, राजस्थान	6,00,000

तमिलनाडु

1.	राष्ट्रीय सेवा संघ	4,56,361
2.	कांग्रीगेशन ऑफ द सिस्टर्स ऑफ द क्रॉस	17,500 16,902
3.	कंडा स्वामी केन्द्र न्यास बोर्ड वेलूर, जिला-सालेम	5,747
4.	खाजामलाई महिला संघ, डा.घ. - खाजामलाई	1,31,760
5.	पंजाब संघ लाजपत राय धवन	33,750 33,750
6.	राज्य गैर औपचारिक शिक्षा संसाधन केन्द्र, (तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड)	5,00,000 25,00,000 6,00,000
7.	वोमेनस वालेंटरी सर्विस ऑफ तमिलनाडु	8,560
8.	महिला भारतीय संघ	4,23,675

उत्तर प्रदेश

1.	आदर्श सेवा समिति	77,900 47,383 42,597
2.	अशोक संस्थान, कोनडेसवर, गाजीपुर	1,06,560 1,61,492 2,64,845 3,80,160 2,18,118
3.	आजाद सेवा समिति वी॰वी॰ इंटर कालेज	36,750 1,21,880 69,832
4.	बाल कल्याण केन्द्र पिदेरा, डाक दयोरिया	1,86,892

5.	बनवासी विकास आश्रम गांव एवं डाक मेज़ाखान	9,474
6.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	41,370
7.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, गांव कहाल कबीरा	1,00,800 50,645
8.	जी.बी. पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट	1,51,525
9.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान	82,280
10.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, ग्राम-खेड़ा	1,02,800 31,146 80,930
11.	समाज स्वास्थ्य कल्याण ग्रामीण विकास एवं शैक्षिक समिति संस्थान	38,000
12.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, महुआडाबरा	1,75,000 2,36,985
13.	साक्षरता भवन, लखनऊ	15,00,000 5,00,000
14.	लोकहित ट्रस्ट	1,99,777
15.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	5,94,600 4,212
16.	राष्ट्रीय हरिजन विद्यालय, बाहरियाबाद	4,865
17.	नव चेतना विकास समिति	38,125 1,44,375
18.	निशात शिक्षा समिति	51,715 16,918
19.	पर्वतीय आदिम जाति कमजोर वर्ग समिति	23,000
20.	आर.वी. असहाय महिला गृह उद्योग संस्थान	2,35,000
21.	रूरल लिटीगेशन एण्ड एनलाइटमेंट केन्द्र	74,000 1,22,500 1,26,198
22.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति	2,97,000 91,840
23.	श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान	1,732
24.	श्री शरण स्मारक सेवा संस्थान	1,34,790
25.	श्री संस्कृत शिक्षा प्रसार समिति	99,376 1,25,800
26.	सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर, सिविल लाइन्स	86,670
27.	सुमन टेक्नीकल इंस्टीटयूट, चांदी	31,351 46,300 13,300
28.	उत्तर प्रदेश राणा बेनी माधव जन कल्याण समिति	37,578 4,88,295 1,62,765
29.	युवा एवं बाल विकास समिति देवरिया, उत्तर प्रदेश	83,816

पश्चिम बंगाल

1.	उत्तर 24 परगना जिला साक्षरता समिति	5,01,000
2.	राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र द्वारा बंगाल समाज सेवा संघ	18,00,000 65,855 8,03,065

पंजाब

1.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चण्डीगढ़	5,00,000 10,00,000 10,87,327

दिल्ली

1.	डा॰ ए॰वी॰ बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट	1,72,463.
2.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ	4,850 6,155 4,161
3.	भारतीय कार्यरत पत्रकार संघ	1,50,000
4.	जिज्ञासा द्वारा 70-बी, सी.पी. डब्ल्यू.डी. काम्पलेक्स	22,500
5.	कथा बिल्डिंग सैन्टर	5,49,974
6.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिक एवं विकास अध्ययन संस्थान	1,61,000
7.	सेवा ग्राम विकास संस्थान	2,90,200
8.	राज्य संसाधन केन्द्र जामिया मिलिया इस्लामिया	4,00,000

1996-97

आंध्र प्रदेश

1.	आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल	16,35,000 73,300 5,00,000

2.	राज्य संसाधन केन्द्र, हैदराबाद	13,82,909
		15,49,499

असम

1.	राज्य संसाधन केन्द्र, गुवाहाटी	6,99,727
	असम शिक्षा विज्ञान और कला सम्पद केन्द्र	12,49,000

बिहार

1.	एशियन विकास अनुसंधान संस्थान (ए.डी.आर.आई)	3,75,000
		3,68,000
		1,10,724
		10,00,000
		4,00,000
		2,36,842
		3,00,000
		3,61,431
		8,00,000
		10,77,000
2.	जयप्रकाश सेवा सदन, पटना	56,200
3.	पुस्तकालय सेवा सदन	25,510
4.	वैशाली समाज कल्याण	49,140
		27,405
5.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान	2,78,300
6.	शिल्प उद्योग शिक्षा प्रतिष्ठान संस्थान	54,000
7.	ग्राम स्वराज अभियान संस्थान	42,680
8.	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन	15,00,000
		12,54,157
9.	ए.एल.पी. संख्याक कल्याण संस्थान	25,251
10.	दरोगा प्रसाद राय महिला प्रकाशन उद्योग केन्द्र	1,20,120
11.	राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ	66,000
12.	पूर्व एवं पश्चिम शिक्षा संस्थान	1,00,000
13.	आर्य समाज बाभनगामा	1,69,680
14.	वैशाली शान्ति समाज कल्याण संस्थान	13,300
15.	निर्माण भारती	46,776
16.	संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति	25,800
17.	सेवाश्रम	94,900
18.	समता ग्राम सेवा संस्थान	1,44,000

पंजाब

1.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र चंडीगढ़	5,00,000
		4,00,000

दिल्ली

1.	राज्य संसाधन केन्द्र	7,99,636
	जामिय मिलिया इस्लामिया	64,079
		19,20,000
		5,00,000
2.	विजन इंडिया चैरीटेबल ट्रस्ट	24,98,400
3.	जागौरी	4,35,150
4.	सदभावना न्यास	13,04,050
5.	साउथ एशियन नेटवर्क फार	21,45,420
	अल्टरनेटिव मीडिया (एस.ए.एन.ए.एम.)	21,45,420
6.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली	4,37,074
7.	आपरेशन अनुसंधान ग्रुप	4,80,000
8.	मीडिया अध्ययन केन्द्र	3,96,750

गुजरात

1.	श्रीमती बी॰के॰ बालजोगी शिक्षा ट्रस्ट	1,30,000
2.	गुजरात स्टेट क्राइमपरीवेशन ट्रस्ट	2,77,677
		63,600
3.	गुजरात विद्यापीठ	7,31,987

हरियाणा

1.	विज्ञान शिक्षा एवं कला संसाधन केन्द्र	2,00,000
		2,00,000

हिमाचल प्रदेश

1.	राज्य संसाधन केन्द्र	3,02,198
	राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र	3,00,000

जम्मू एवं कश्मीर

1.	जम्मू एवं कश्मीर निसाय एवं विकलांग कल्याण संस्था	8,00,000
2.	राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर	4,87,607
	विश्वविद्यालय	90,660

कर्नाटक

1.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन	2,88095
	केन्द्र कर्नाटक	18,00,000

2.	भारतीय विकास सेवा (अंतर्राष्ट्रीय)	31,368
केरल		
1.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	9,55,535
		15,00,000
		10,00,000
मध्य प्रदेश		
1.	अभिव्यक्ति जन शिक्षा एवं संस्कृत समिति	6,00,000
		11,40,000
		2,30,000
2.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर	17,63,668
		5,00,000
3.	अक्षर यात्रा अभियान समिति,	2,25,000
4.	मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल समिति	5,00,000
महाराष्ट्र		
1.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	3,00,000
2.	राज्य संसाधन केन्द्र भारतीय शिक्षा संस्थान	14,50,000
		13,76,700
		4,39,705
		1,00,000
3.	साक्षरता हक समिति, साहस ग्रेटर बम्बई	2,39,400
4.	महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (एम.एस.आई.ए.ई.)	10,00,000
		17,71,988
मेघालय		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	5,85,000
		3,50,000
उड़ीसा		
1.	ग्राम मंगल पाठागार	1,70,722
2.	युवा ग्रामीण पुनगर्ठन संघ,	5,08,918
3.	प्रौढ़ शिक्षा, राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा	11,18,164
		10,00,000
		3,32,343
		2,39,986
राजस्थान		
1.	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ (राज्य संसाधन केन्द्र)	13,77,343
		5,00,000
		14,49,083
तमिलनाडु		
1.	ग्राम कार्य तथा सुधार शिक्षा समिति	1,49,549
2.	पंजाब संघ	17,795
		17,651
3.	महिला भारत संघ	2,50,636
		1,99,097
4.	तमिलनाडु सतत् शिक्षा बोर्ड	2,13,806
		1,12,088
		8,98,853
		4,56,838
		18,00,000
5.	आनन्द वेलालार संगम	51,614
		66,259
6.	कांग्रेगेशन ऑफ सिस्टर ऑफ द क्रॉस छौनाद	28,333
		1,57,592
7.	वाई.एम.सी.ए.	8,733
8.	तमिलनाडु साईंस फोरम	1,32,050
त्रिपुरा		
1.	भारत ज्ञान-विज्ञान समिति	4,73,000
पश्चिम बंगाल		
1.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा बंगाल सोशल सर्विस लीग	18,00,000
		5,93,096
		1,26,283
		15,00,000
2.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान	4,38,750
उत्तर प्रदेश		
1.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति	2,33,690
		31,030
		1,21,500
		1,92,430
		82,480
		1,92,430
		97,200
2.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	1,86,200
		26,355
3.	सुमन तकनीकी संस्थान	8,712
		44,300
		37,000
		35,440

4.	बाल कल्याण केन्द्र पीडेरा, डा.घ.-देवरिया	1,86,892
5.	*बनवासी विकास आश्रम* ग्राम व डा.घ.-मेजा खास	*9,474*
6.	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	41,370
7.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, ग्राम-कहल कबीरा	1,00,800 50,645
8.	गोविन्द बल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान	1,51,525
9.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान	82,280
10.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति ग्राम-खेरा	1,02,800 31,146 80,930
11.	समाज स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण विकास और शिक्षा सोसाइटी	38,000
12.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, महुआडाबरा	1,75,000 2,36,985
13.	साक्षरता हाऊस लखलऊ	15,00,000 5,00,000
14.	लोखिट ट्रस्ट	1,99,777
15.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	5,94,600 4,915
16.	राष्ट्रीय हरिजन स्कूल, बहरियाबाद	4,865
17.	नव चेतना विकास समिति	38,125 1,44,375
18.	निशांत शिक्षा समिति	51,715 16,918
19.	पर्वतीय आदिम जाति कमजोर वर्ग समिति	23,000
20.	आर.वी. असहाय महिला गृह उद्योग संस्थान	2,35,000
21.	सरल लिटिगेशन एण्ड एनलाइटमेंट केन्द्र	74,000 1,22,500 1,26,198
22.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति	2,97,000 91,840
23.	श्री हरि ग्राम उद्योग सेवा संस्थान	1,732
24.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान	1,34,790
25.	श्री संस्कृत शिक्षा प्रसार समिति	99,376 1,25,800
26.	*सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर, सिविल लाइंस*	*86,670*
27.	सुमन तकनीकी संस्थान, चांदी	31,351 46,300 13,300
28.	उत्तर प्रदेश राना बेनी माधव जन कल्याण समिति	37,578 4,88,295 1,62,765
29.	युवा एवं बाल विकास समिति, देवरिया, उ.प्र.	83,816

पश्चिम बंगाल

1.	नार्थ 24 परगना जिला साक्षरता समिति	5,01,000
2.	प्रौढ़ शिक्षा राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा बंगाल समाज सेवा लीग	18,00,000 65,855 8,03,065
3.	आदर्श सेवा संस्थान	45,275 29,671 1,84,200 1,47,400
4.	निशात शिक्षा समिति	27,955 37,319 74,600 54,900
5.	ग्रामीण सेवा मंडल	77,140
6.	आजाद सेवा समिति	1,30,585 23,492 97,500 1,04,000 24,395 1,21,880
7.	विवेकानन्द संस्थान	23,583 1,06,970 3,47,500
8.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	1,25,925
9.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति	20,585 64,750 12,823 68,500

10.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान	3,76,000
11.	सृजन उत्तर प्रदेश	17,350
12.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान	26,965
13.	खाद ग्रामोद्योग निकेतन	77,715
14.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति	1,13,300
		73,400
		90,600
15.	अशोक संस्थान	3,04,000
		1,76,300
16.	सघन क्षेत्र विकास समिति	9,641
17.	बनवासी सेवा आश्रम	1,73,125
18.	नव चेतना विकास समिति	28,875
19.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान	35,406
20.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, इलाहाबाद	3,00,000
21.	राज्य संसाधन केन्द्र, साक्षरता हाउस	17,41,152
22.	अभियान लोधू थोक, अतारा बंदा	52,200
23.	ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान	1,00,000
24.	गोविंद बल्लभ पंत समाज विज्ञान संस्थान	1,21,000
25.	सामाजिक स्वास्थ्य कल्याण, ग्रामीण विकास संस्थान एवं शैक्षिक समाज	28,745
26.	दलित मानव उत्थान संस्थान	58,263
27.	ग्रामीण लिटिगेशन एवं इनटाइटलमेंट केन्द्र	2,45,000
		1,22,500
		1,22,500
		48,500
28.	देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	40,500

1997–98

आंध्र प्रदेश

1.	आंध्र प्रदेश मुक्त स्कूल संस्था, हैदराबाद	5,00,000
2.	प्रौढ़ शिक्षा हेतु राज्य स्थान केन्द्र, साक्षरता हाउस, हैदराबाद	35,01,185

असम

1.	राज्य संसाधन केन्द्र, नव साक्षरता मिशन, असम, गुंवाहाटी	19,12,000
2.	साधू असम ग्राम पुथीभराल संस्था, असम	2,97,895
3.	अलकनंदा मानव कल्याण संस्था, असम	32,500
4.	बरखेतरी उन्नयन समिति, मुकलमुआ, असम	6,87,355
5.	राज्य संसाधन केन्द्र ज्ञान-विज्ञान समिति, असम	2,00,000
6.	जालुगुति अग्रगामी महिला समिति, मोरीगांव, असम	1,50,000

बिहार

1.	विवेक विहार सेवा संस्थान, पटना, बिहार	80,500
2.	दीपायतन, बिहार राज्य संसाधन केन्द्र, पटना	32,95,376
3.	एशियन विकास अनुसंधान संस्थान, (ए.डी.आर.आई.) पटना	61,60,990
4.	ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान, वैशाली	42,685
5.	बाल एवं महिला ग्रामीण विकास संस्थान, वैशाली, बिहार	1,78,295

दिल्ली

1.	राज्य संसाधन केन्द्र, दिल्ली	25,88,858
2.	साउथ एशियन नेटवर्क फार एलटरनेटिव मीडिया (स.ए.एन.ए.एम.) मुनीरका, नई दिल्ली	7,50,000
3.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिक तथा विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	26,75,197
4.	डा. ए.वी. बलिगा मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली	2,20,000
5.	प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार एकक, सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	66,000
6.	विजन इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली	20,00,000
7.	पटेल शिक्षा संस्था, नई दिल्ली	76,000
8.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था, नई दिल्ली	8,48,029
9.	सदभावना ट्रस्ट, दिल्ली	7,00,000
10.	जगोरी साउथ एक्टेन्सन-II, नई दिल्ली	2,00,000

गुजरात		
1.	श्रीमति बी॰के॰ बाल जोशी शिक्षा ट्रस्ट, मेहसाना	1,64,671
2.	गुजरात राज्य क्राइम परिवेनशन ट्रस्ट	3,78,074
3.	प्रौढ़ शिक्षा द्वारा राज्य संसाधन केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	4,00,000
4.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद	1,25,000
हरियाणा		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र, रोहतक	9,00,000
हिमाचल प्रदेश		
1.	राज्य ज्ञान-विज्ञान केन्द्र, राज्य संसाधन केन्द्र, शिमला	10,40,884
जम्मू व कश्मीर		
1.	जम्मू-कश्मीर राज्य संसाधन केन्द्र कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	12,90,660
कर्नाटक		
1.	मैसूर राज्य संसाधन केन्द्र, कर्नाटक	35,55,834
केरल		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल	4,00,000
मध्य प्रदेश		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र अभिव्यक्ति, भोपाल	21,85,000
2.	प्रौढ़ शिक्षा द्वारा राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	41,00,000
3.	मध्य प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय समिति, भोपाल	5,00,000
4.	इंदौर सामाजिक कार्य विद्यालय, इन्दौर	39,625
5.	नवीन समेकित परियोजना जिला साक्षरता समिति द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान एवं सतत शिक्षा, बिलासपुर	2,25,000
महाराष्ट्र		
1.	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बई	20,000
2.	भारतीय शिक्षा संस्थान (राज्य संसाधन केन्द्र), पुणे	43,88,950
3.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र औरंगाबाद (महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान)	12,50,000
4.	टाटा प्रबंधन संस्थान, मुम्बई	82,500
5.	कोरो फार लिटरेशियम, मुम्बई	2,12,000
6.	जन कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम संसाधन	1,04,153
7.	जिला संसाधन एकक, पुणे (आई.आई.ई.)	2,32,000
8.	जिला संसाधन एकक, उत्तरी मुम्बई (आई.आई.ई.)	2,32,000
मणिपुर		
1.	दक्षिण पूर्वी ग्रामीण विकास संगठन, मणिपुर	33,000
मेघालय		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र शिलांग, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	16,50,000
उड़ीसा		
1.	युवा सामाजिक विकास केन्द्र, भुवनेश्वर	31,170
2.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र, उड़ीसा, भुवनेश्वर	26,10,618
3.	बी.जी.वी.एस. उड़ीसा, भुवनेश्वर	1,40,500
पंजाब		
1.	प्रौढ़ तथा सतत् शिक्षा (आर.आर.सी), पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	21,74,750
राजस्थान		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	25,00,000
तमिलनाडु		
1.	राज्य संसाधन केन्द्र के लिए अनौपचारिक एवं सतत शिक्षा के लिए (आर.आर.सी.) तमिलनाडु बोर्ड, मद्रास	22,19,947
2.	प्रबंध स्कूल, भरतीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	60,000

उत्तर प्रदेश

1.	ग्रामीण विकास समिति, इलाहाबाद	3,36,420
2.	गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	1,52,430
3.	ग्रामीण समाज कल्याण संस्था, मुजफ्फरनगर	25,290
4.	नव चेतना विकास समिति, सीतापुर	2,11,750
5.	ग्रामीण समाज कल्याण समिति, सहारनपुर	2,25,212
6.	खादी ग्रामोद्योग निकेतन, नैनीताल	78,995
7.	राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ, साक्षरता हाउस	36,85,868
8.	क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र लखनऊ	2,00,000
9.	श्री रामशरण स्मारक सेवा संस्थान बदायूं	1,67,156
0.	सुमन तकनीकी संस्थान, एटा-जिला	18,206
11.	अशोक संस्थान, गाजीपुर, जिला, उत्तर प्रदेश	5,77,977
12.	आजाद सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश	1,48,469
13.	आदर्श सेवा समिति, मुजफ्फरनगर	36,655
		58,64,428
14.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	2,79,387
15.	ग्रामीण सेवा मण्डल रायमनसुर, इलाहाबाद	1,58,240
16.	देवी ग्रामोद्योग सेवी संस्थान, कहल कबीरा, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश	44,350
17.	ग्रामीण लिटीगेशन एन्ड इनटाइटलमेंट केन्द्र देहरादून, उत्तर प्रदेश	2,94,000
18.	समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	3,14,982
19.	सृजन उत्तर प्रदेश नेकपुर सिविल लाइन्स बदायूँ, उ॰प्र॰	41,029
20.	दलित मानव उत्थान संस्थान, इलाहाबाद, उ॰प्र॰	90,722
21.	रतन ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, बिकापुर, फैजाबाद	1,36,682
22.	कनकपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान, जिला इलाहाबाद	2,61,419
23.	निशात शिक्षा समिति, हल्द्वानी, नैनीताल	43,979
24.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, लखनऊ	24,300
25.	सरदार पटेल लोक कल्याण समिति, भादेहाडु, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश	22,493
26.	डा॰ अम्बेडकर समाज सेवा मण्डल, ग्राम बेसकी, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2,59,614
27.	श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति वृन्दावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश	36,815

त्रिपुरा

1.	राज्य संसाधन केन्द्र, भारत ज्ञान विज्ञान समिति मेलारमथ अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा	4,00,000

पश्चिम बंगाल

1.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संस्थान केन्द्र, बंगाल समाजिक सेवा लीग, कलकत्ता	34,50,000
2.	भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	2,71,250

विवरण-II

स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत किए गए साक्षरता कार्यक्रमों की समीक्षा

साक्षरता कार्यक्रम को प्रदान करने के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक सगठनों के कार्यो की समीक्षा करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत मानीटरिंग तथा मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक तिमही प्रगति रिपोर्ट भेंजे। तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए इस मंत्रालय द्वारा एक विशेष प्रोफार्मा निर्धारित किया गया गया है। इस प्रयोजनार्थ प्रबंध सूचना प्रणाली पर आधारित एक विशेष प्रोफार्मा तैयार किया गया है। परियोजना पूरी होने के पश्चात स्वैच्छिक संगठन को प्रत्येक परियोजना से संबंधित लेखा परीक्षित लेखा विवरण भेजना होगा।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अन्तिम प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रेषित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखा विवरण, जो

परियोजनाएं उन्हें स्वीकृत की गई है, के पूरी होने के पश्चात इस मंत्रालय में उनकी बड़ी बारीकी से जांच की जाती है। यदि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई त्रुटि होती है तो प्रबंध सूचना प्रणाली आधारित प्रोफार्मा/लेखा परीक्षित लेखा विवरण में उसका उल्लेख कर दिया जाता है ताकि संबंधित स्वैच्छिक एजेंसी उसमें सुधार कर ले।

परियोजनाओं की जांच कर ली गई है और राज्य सरकार द्वारा यह सिफारिश की गई है कि साक्षरता कार्यक्रमों की प्रगति की मानीटरिंग करने का दायित्व राज्य स्तरीय प्राधिकारियों को ही सौंपा जाए। राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा जिला स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे साक्षरता परियोजनाओं का नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करें। परियोजना की प्रगति की मानीटरिंग करने के लिए उनके क्षेत्रीय निरीक्षणों पर आधारित राज्य स्तरीय प्राधिकारियों की टिप्पणियों पर भी विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना पूरी होने के पश्चात, बाह्य मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा भी स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्य का भी मूल्यांकन किया जाता है। जिन स्वैच्छिक एजेंसियों ने अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया है, बाह्य मूल्यांकन हेतु उनका चयन किया जाता है।

अनुवर्ती परियोजनाओं के सुधारात्मक उपाय करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की मूल्यांकन संबंधी परिणामों की जानकारी दे दी जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित 59 साक्षरता परियोजनाओं का बाह्य मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन परिणाम संतोषजनक न होने पर, ऐसी स्वैच्छिक एजेंसियों को आगे की परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

मौलिक कर्तव्य संबंधी समिति

200. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के निदेश पद तथा इसका गठन क्या है; और

(घ) यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के वास्ते रणनीति और क्रिया विधि तैयार करने हेतु सरकार ने एक समिति गठित की है। समिति की संरचना नीचे दी गई है :-

न्यायमूर्ति जे॰एस॰ वर्मा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	-	अध्यक्ष
डा॰ एल॰एम॰ सिंघवी	-	सदस्य
डा॰ कर्ण सिंह	-	सदस्य
डा॰ जे॰एस॰ राजपूत	-	सदस्य
प्रो॰ ए॰के॰ शर्मा	-	सदस्य सचिव

समिति के विचाराधीन विषय नीचे दिए गए हैं :-

(1) प्राथमिक और माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के लिए पैकेज विकसित करना।

(2) पाठ्य और पाठ्यतेर कार्यकलापों के अंग के रूप में किए जाने वाले कार्यकलापों के बारे में निर्णय करना।

(3) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के तहत पहले से ही कार्यान्वित किए जा रहे मौजूदा कार्यक्रम की समीक्षा करना तथा इसमें किए जा सकने वाले अतिरिक्त निवेशों की पहचान करना।

(4) विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम पैकेज विकसित करना।

(5) अनौपचारिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम/मीडिया (प्रिंट, इलैक्ट्रानिक आदि) के जरिए नागरिकों के प्रशिक्षण के लिए अलग से पैकेज तैयार करना।

(घ) हालांकि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो भी उम्मीद है कि मार्च, 1999 के अंत तक रिपोर्ट मिल जाएगी।

विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

201. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**
प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा लगाई जा रही लगभग 25 विद्युत परियोजनाओं पर लागत व्यय 1997 के अंत तक 15,063 करोड़ रुपये से बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये परियोजनाएं पूरी होने के विभिन्न चरणों में है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को कौन-कौन सी एजेन्सियां विकसित कर रही है;

(घ) इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार क्या कद्‌म उठा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री॰ पी॰आर॰ कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा विकसित की जा रही 22 ताप विद्युत और 55 जल विद्युत परियोजनाओं, जो कि वर्ष 1997 के अन्त में क्रियान्वयनाधीन थी, में वर्ष 1997 के अन्त तक क्रमशः 9408 करोड़ रुपये और 27972.55 करोड़ रुपये के लागत अभिवृद्धि हुई है। इनमें से 13 ताप विद्युत परियोजनाएं और 43 जल विद्युत परियोजनाएं समापन की विभिन्न अवस्थाओं में है। इनमें शामिल एजेंसियां राज्य बिजली बोर्ड/निगम और केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रम हैं।

(घ) लागत अभिवृद्धि के निम्न मुख्य कारण है :-

(i) वित्तीय समस्याएं

(ii) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और अन्य प्रमुख कार्यों को पूरा करने में विलम्ब।

(iii) समय पर आर्डर देना और विभिन्न एजेन्सियों को समय पर निवेश प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों की अक्षमता।

(iv) उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा विलम्ब और गैर-नियमित आपूर्तियां

(v) कानून व्यवस्था की समस्याएं।

(ङ) लागत अभिवृद्धि और विलम्ब को कम करने के लिए परियोजनाओं की सघन मानिटरिंग की जा रही है और समीक्षा संबंधी बैठके आयोजित की जा रही है।

राज्य विद्युत बोर्डों को हानि

202. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्य-वार राज्य विद्युत बोर्डों को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम्) : (क) राज्य बिजली बोर्डों के लेखों को लेखों से संबंधित वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा जाना होता है। तथापि, अधिकतर रा.वि. बोर्डों से वर्ष 1997-98 के लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान रा.वि. बोर्डों का विद्युत अधिशेष/कमी दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) रा.वि. बोर्डों की हानियों के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति की औसत लागत और वसूली के बीच बढ़ता अंतर, विशेषतः कृषि और घरेलू क्षेत्रों के संबंध में, टैरिफ का विलंब से तथा अपर्याप्त संशोधन, अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा नकद के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का भुगतान नहीं किया जाना, विद्युत की बिक्री के संबंध में रा.वि.बोर्डों द्वारा बकाया धनराशि को वसूल न किया जाना, विद्यमान संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन का निम्न स्तर तथा पारेषण एवं वितरण हानियां आदि शामिल हैं।

विवरण

आर्थिक सहायता समेत और बिना आर्थिक सहायता के जैसा कि वर्ष से संबंधित लेखों में अंकित है, वर्ष 1996-97 के दौरान रा.वि.बो. को विद्युत अधिशेष/कमी दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.		लाभ एवं हानि	
		आर्थिक सहायता समेत	बिना आर्थिक सहायता के
1.	आ.प्र.	129.19	-721.26 (ए)
2.	बिहार	-27.52	-27.52 (पी)
3.	गुजरात	109.90	-1069.68 (ए)
4.	हरियाणा	47.75	-593.98 (ए)
5.	हि.प्र.	24.80	24.80 (ए)
6.	कर्नाटक	58.45	-646.48 (यू)
7.	केरल	23.99	-223.13 (यू)
8.	म.प्र.	126.62	-210.91 (यू)
9.	महाराष्ट्र	346.58	87.87 (ए)
10.	उड़ीसा	26.94	-230.68 (पी)
11.	पंजाब	107.87	-295.91 (ए)
12.	राजस्थान	63.22	-499.92 (ए)
13.	तमिलनाडु	329.63	-256.88 (ए)
14.	उत्तर प्रदेश	170.80	-1385.97 (ए)
15.	पश्चिम बंगाल	18.25	227.27 (ए)
16.	असम	-358.72	-411.05 (यू)
17.	मेघालय	-33.52	-42.02 (ए)
		1164.23	-6729.98

नोट : ए - लेखा परीक्षित
यू - गैर लेखा परीक्षित
पी - अनंतिम

आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विश्व बैंक सहायता

203. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की आर्थिक व्यवहारिता पर चर्चा करने के लिए तीन सदस्यीय विश्व बैंक दल मे आंध्र प्रदेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदश विद्युत बोर्ड ने विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक अपेक्षित सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) विश्व बैंक के मूल्यांकन दल ने दो बार 5.10.1998 से 11.10.1998 और 21.10.1998 से 24.10.1998 तक आंध्र प्रदेश का दौरा किया और आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र सुधार एवं पुनर्गठन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विश्व बैंक "एडेपटेबल प्रोग्राम लोन" के अन्तर्गत 5 किस्तों में आंध्र प्रदेश विद्युत क्षेत्र को 6-8 वर्ष की अवधि के लिए एक बिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता का मूल्यांकन कर रहा है। उपर्युक्त प्रस्तावित ऋण की प्रथम किस्त (ए.पी.एल.-1 हासिल करने के लिए लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डालर की पारेषण और वितरण स्कीमों को अंतिम रूप दिया गया है। एक बिलियन अमेरिकी ऋण का वितरण 5 शाखाओं में किया जाना प्रस्तावित है।

भंडेर विद्युत संयंत्र

204. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में स्थित भंडेर विद्युत संयंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) क्या इसे मंजूर कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कंपनी को काउंटर गारण्टी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और संयंत्र को कब तक अंतिम मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम्) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य में मै. भांडेर पावर लि. द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित 342 मे.वा. वाली भांडेर सयुंक्त साईकल परियोजना को 197.622 मिलियन अमरीकी डॉलर 346.514 करोड रुपये की अनुमानित समापन लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि. प्रा.) द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की काउंटर गारंटी स्कीम को एक अस्थायी उपाय के रूप में तैयार किया गया था और वर्ष 1994 में यह निर्णय लिया गया था कि उन आठ परियोजनाओं को काउंटर गारंटी प्रदान की जाएगी जिन्हें विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश लाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। भांडेर परियोजना काउंटर गारंटी प्रदान करने के लिए अभिज्ञात की गई परियोजनाओं में शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

मोटर यान अधिनियम

205. डा॰ सुशील इंदौरा :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री अशोक प्रधान :
श्री विलास मुत्तेमवार :
प्रो॰ प्रेमसिंह चंदूमाजरा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मोटर यान अधिनियम, 1998 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में कोई संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निदेश पद तथा इसका गठन क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) मोटरयान अधिनियम और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली में संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है तथा सरकार, व्यापार एवं प्रयोक्ताओं की आवश्यकता/अभ्यावेदनों के मद्देनजर समय-समय पर इस अधिनियम/नियमावली में संशोधन करती है।

(घ) से (ङ) इस संबंध में कोई अधिसूचित समिति नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव (परिवहन) द्वारा विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से इनकी नियमित समीक्षा की जाती है।

वनों का विकास

206. श्री जयसिंहजी चौहान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1998 तक वनों के विकास में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में इस पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) देश में किन-किन राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में वन कम हैं;

(घं) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में सुधार लाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) 1998-99 के दौरान 31.10.1998 तक वनीकरण के अंतर्गत की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित वनीकरण स्कीमों के माध्यम से वनों के विकास पर क्रमशः 191.55 करोड़ रुपए, 183.13 करोड़ रुपए तथा 209.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

(ग) 1997 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10 प्रतिशत से कम वन क्षेत्र है।

(घ) किसी विशेष क्षेत्र में वनों का क्षेत्र विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें भौगोलिक, अवस्थितिकीय तथा इडाफो-क्लाइमेटिक स्थितियां तथा जैविक कारक शामिल हैं।

(ङ) देश में वनों के विकास के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

1. "वनों" के विषय को संविधान में राज्य सूची से समवर्ती सूची में रखा गया (42वां संशोधन)।
2. वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 बनाया गया था। इसके फलस्वरूप उपयोग की औसत वार्षिक दर 1.43 मिलियन हेक्टेयर से कम होकर 26,000 हेक्टेयर रह गई।
3. 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। इसमें पर्यावरणीय-स्थिरता बनाए रखने तथा पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली, जैविक विविधता तथा अनुवांशिक संसाधनों सहित प्राकृतिक वनों का परिरक्षण, वनों की सुरक्षा तथा विकास में स्थानीय लोगों को शामिल करना, तथा व्यापक वनीकरण कार्यक्रम के जरिए वन/वृक्षावरण के अंतर्गत देश के कुल भूमि क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई भू-क्षेत्र होने की परिकल्पना की गई है।
4. अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरूद्वार में ग्राम समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 1.6.1990 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब तक, 20 राज्यों ने संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प जारी किए हैं और अनुमान है कि लगभग 20,000 वन सुरक्षा समितियां लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि की सुरक्षा और पुनरूद्वार में लगी हुई हैं।
5. विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अब तक वनीकरण के तहत लगभग 28 मिलियन हेक्टेयर भूमि को लाया गया है। अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार, देश में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.27 प्रतिशत है।
6. वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात की सुरक्षा के लिए वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम (1991 में संशोधित) को 1972 में बनाया गया था।
7. वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए 447 वन्यजीव अभयारण्यों और 85 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क है जिसमें 1,50,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है।

विवरण

31.10.1998 तक वनीकरण के अंतर्गत प्रगति का ब्यौरा दर्शाने वाला राज्यवार विवरण

क्षेत्र हेक्टेयर में
पौध लाख में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वितरित पौध (निजी भूमियों पर पौधरोपण)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	435.33	73880.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.38	30.00
3.	असम	12.00	1969.00
4.	बिहार	0.00	0.00
5.	गोआ	7.91	510.00
6.	गुजरात	1089.48	54306.00
7.	हरियाणा	20.62	14948.00
8.	हिमाचल प्रदेश	5.56	9623.00

1	2	3	4
9.	जम्मू एवं कश्मीर	24.64	5478.00
10.	कर्नाटक	516.53	87746.75
11.	केरल	0.81	13024.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	464.36	5099.15
14.	मणिपुर	0.00	0.00
15.	मेघालय	4.21	310.00
16.	मिजोरम	2.07	2401.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00
18.	उड़ीसा	2.64	273.00
19.	पंजाब	1.07	0.00
20.	राजस्थान	243.80	59.379.00
21.	सिक्किम	5.68	2176.00
22.	तमिलनाडु	79.35	20527.00
23.	त्रिपुरा	22.07	4632.00
24.	उत्तर प्रदेश	373.82	76620.00
25.	पश्चिम बंगाल	150.00	4000.00
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.71	1534.56
27.	चंडीगढ़	0.47	103.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	2.14	245.50
29.	दमन एवं दीव	0.02	0.00
30.	दिल्ली	4.73	0.00
31.	लक्षद्वीप	1.07	11.00
32.	पांडिचेरी	0.83	15.00
	कुल	3473.30	438840.66

[अनुवाद]

न्यायाधीशों की सेवानिवृति आयु

207. श्री सत्यपाल जैन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु को बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, उसके सापेक्ष महत्व पर विवेकसम्मत विनिश्चय करने की आवश्यकता है।

आंध्र प्रदेश/उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य के लिए आबंटन

208. श्री के॰ येरननायडू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया; और

(ख) इन राज्यों में आरम्भ किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को क्रमशः 40 करोड़ रु॰ और 30 करोड़ रु॰ की राशि आवंटित की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आंध्र प्रदेश

1998-99 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची

	क्रम सं.	रा.रा.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी./मी.में)	अनुमानित लागत (करोड़ रु॰)
	1	2	3	4	5
नए कार्य					
अधि भीड़-भाड़ वाले कोरिडोर					
(क) एक्सप्रैस मार्ग साध्यता अध्ययन/केवल विस्तृत इंजीनियरी और भूमि अधिग्रहण		शून्य			

	1	2	3	4	5
(ख) चार लेन बनाना	1	9	हैदराबाद-विजयवाड़ा और हैदराबाद-पुणे खंडों को चार-लेन का बनाने के लिए एस एवं आई	380	2.4
	2	7	हैदराबाद-निजामाबाद और हैदराबाद-पुणे पंडों को चार-लेन का बनाने के लिए एस एवं आई	753	4.5
			जोड़	1133	6.9
			2-लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना		
मौजूदा कमजोर दो-लेन पेवमेंट और	1	7	365/0-375/0 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर)	10	3.5
शोल्डर्स को सुदृढ़ करना	2	7	250/0-260-0 कि.मी. (हैदराबाद-बंगलौर)	10	3.5
	3	7	320/0-330/0 कि.मी. (नागपुर-हैदराबाद)	10	3.5
	4	7	360/-370/0 कि.मी. (नागपुर-हैदराबाद)	10	3.5
	5	18	0/0-10/0 कि.मी. चितूर-करनूल	10	3.5
	6	43	514-525 कि.मी. (रामपूर-विशाखापत्तनम)	10	3.5
	7	18	350/0-360/0 (चितूर-करनूल)	10	3.5
			जोड़	70	24.5
			चौड़ा करना जिसमें सुदृढ़ीकरण के साथ ज्यामितीय सुधार भी शामिल हैं।		
	8	43	473/287-481/0 कि.मी. रायपुर-विशाखापत्तनम	8	4.5
	9	18	31/8-54/0 कि.मी. (चितूर-करनूल) (जिसमें छोड़े गए खंड भी शामिल है)	12	4.5
	10	18	62/0-74/0 कि.मी. (चितूर-करनूल)	12	4.5
	11	16	दो लेन में चौड़ा करना (निजामाबाद से जगदलपुर तक)	50	7
			जोड़	82	20.5
			मिसिंग लिंक का निर्माण		
	11	16	200-235 कि.मी.(निजामबाद-जगदलपुर)	30	1.5
			जोड़	30	1.5
पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करना/मरम्मत			*बड़े पुलों का निर्माण*		
कर पुनः स्थापित करना	12	18	165/4 कि.मी.	120	4.5
	13	18	289/2-6 कि.मी.	180	4
		14	513/6 कि.मी.	72	2
			जोड़	372	10.5

	1	2	3	4	5
			छोटे पुल		
	15	7	लखनपुर वग् (239/8010 कि.मी.;	40	1
	16	7	343/2-4 कि.मी.	एल एस	1
	17	9	145/2 कि.मी.	24	1
	18	16	149/0-2 कि.मी.	15	1
	19	18	157/8 कि.मी.	50	1.5
	20	18	113/4-6 कि.मी.	30	1
		18	119/2 कि.मी.	30	1
			जोड़	189	7.5
सड़क सुरक्षा और पर्यावरण			शून्य		
विविध कार्य	39	एनएचएस	सड़क सुरक्षा कार्य, मार्गस्थ सुविधाएं और टोल प्लाजा	एल एस	1
	40	एनएचएस	भूमि अधिग्रहण, पुलिया, नालियां, पुल पहुंचमार्ग, हार्ड शोल्डर्स, सुरक्षा कार्य, सर्वेक्षण और जांच, साध्यता अध्ययन, रा.रा. की डी पी आर	एल एस	5.5
	41	एनएचएस	भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण और जांच, 50 लाख रु० प्रत्येक से कम लागत के पुलों की मरम्मत/चौड़ा करना/ पुनः स्थापन, रा.रा. 63 की गूटी-आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा को चौड़ा करने के लिए सर्वेक्षण और जांच, चेन्नोर से मंचेवाल प्रत्येक को दो-लैन में चौड़ा करने के लिए सर्वेक्षण और जांच।	एल एस	3
			जोड़		9.5
			कुल जोड़		80.9

उड़ीसा

1998-99 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यों की सूची

नए कार्य

अधिक भीड़-भाड़ वाले कोरिडोर	
(क) एक्सप्रेस मार्ग साध्यता अध्ययन/केवल विस्तृत इंजीनियरी और भूमि अधिग्रहण	शून्य
(ख) चार लेन बनाना मौजूदा कमजोर दो-लेन पेवमेंट और शोल्डर्स को सुदृढ़ करना	शून्य दो लेन में चौड़ा करना (सुदृढ़ीकरण के साथ/बिना)

	1	2	3	4	5
	1	23	50.0-54.0 कि.मी	3.1	1.4
	2	23	296.96-305.0 कि.मी	8.04	4
	3	43	329.0-336.073 कि.मी.	7.07	3
	4	43	358.435-361 कि.मी.	2.565	1.2
	5	43	376.0-377.4	1.4	0.7
	6	43	382.8-390.0 कि.मी.	7.2	3.1
	7	43	437.0-446.0 कि.मी.	9	4
			जोड़	38.375	17.4
			कमजोर दो-लेन पेवमेंट को सुदृढ़ करना		
	8	5क	67-77.40 कि.मी.	10.6	3
	9	6	401.0-412.0 कि.मी	11	3.3
	10	6	480.0-491.0 कि.मी.	11	3.3
	11	42	18.0-29.30 कि.मी.	11.3	3.3
	12	42	39.0-49.0 कि.मी.	10	3
	13	43	319.0-320.0 कि.मी.	3	0.9
	14	60	चुने हुए खंड	6	1.8
			जोड़	62.9	18.6
			सड़क गुणता में सुधार		
			शून्य		
पुलों का पुनर्निर्माण/चौड़ा करना/ मरम्मत कर पुन: स्थापित करना			बड़े पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण		12
	16	23	पहुंचमार्गों सहित समाकोई पुल		4
	17	23	सुधीही नदी पर एच एल पुल		
			जोड़	0	16
			पुलों की मरम्मत करके उनका पुन: स्थापन		
	18	6,23,42	पैकेज 1 में क्षतिग्रस्त पुलों (7) का पुन: स्थापन	एल एस	2.5
	19	5,5क एवं 6	पैकेज 11 में क्षतिग्रस्त पुलों (5) का पुन: स्थापन	एल एस	2.5
			जोड़	0	5
			छोटे पुलों का निर्माण		
	20	6	बिसोई नाला पुल	24	0.7

	1	2	3	4	5
	21	23	नेता नाला पुल	40	2
	22	43	हरदापेट नाला पुल	40	1
			जोड़	104	3.7
सड़क सुरक्षा और पर्यावरण			शून्य		
विविध कार्य	20	एनएचएस	(क) सड़क कार्य		4
	21	एनएचएस	(ख) पुल कार्य		2
			जोड़	0	6
			कुल जोड़		*66.7*

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अतिरिक्त निधियां

209. श्री डी॰एस॰ अहिरे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत शामिल कुल सड़क क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को सुधारने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी निधियां स्वीकृत की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी लम्बाई

क्रम सं.	रा.रा.सं.	रूट	किस राज्य से गुजरता है और लम्बाई (कि.मी.)
1	2	3	4
1.	1	दिल्ली-अम्बाला-जालंधर-अमृतसर-भारत-पाक सीमा	दिल्ली(22), हरियाणा(180), पंजाब(254) जोड़: 456
2.	1क	जालंधर-माधोपुर-जम्मू-बनिहाल-श्रीनगर-बारामूला-उरी	पंजाब(108), हिमाचल प्रदेश(14), जम्मू एवं कश्मीर(541) जोड़: 663
3.	1ख	बटोटे-डोडा-किस्तवार	जम्मू एवं कश्मीर(107) जोड़: 107
4.	2	दिल्ली-महाराष्ट्र-आगरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया-बरहीपल्सीट-बिद्याबती-बारा-कलकत्ता	दिल्ली(19), हरियाणा(74), उत्तर प्रदेश(777), बिहार(392), पश्चिम बंगाल(235) जोड़: 1,490
5.	3	आगरा-ग्वालियर-शिवपुरी-इंदौर-धूले-नासिक-थाणे-मुम्बई	उत्तर प्रदेश(26), राजस्थान(32), मध्य प्रदेश(712), महाराष्ट्र(391), जोड़: 1,161

1	2	3	4
6.	4	थाणे-पूणे-बैलगांव-हुबली-बंगलौर रानीपेट-चेन्नई रा.रा.-3 के साथ जंक्शन	महाराष्ट्र(371), कर्नाटक(658), आंध्र प्रदेश(83), तमिलनाडु(123) जोड़: 1,235
7.	4क	बैलगांव-अन्मोड-पांडा-पन्नाजी	कर्नाटक(82), गोवा(71) जोड़: 153
8.	4ख	न्हावा शेवा-कलमबोली-पल्सपे	महाराष्ट्र(27) जोड़: 27
9.	5	बहारघोरा-कटक-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम-तमिलनाडु-विजयवाड़ा-चेन्नई के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	उड़ीसा(488), आंध्र प्रदेश(1,000), तमिलनाडु(45) जोड़: 1,533
10.	5क	हरिदासपुर-पारादीप पत्तन के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	उड़ीसा(77) जोड़: 77
11.	6	सूरत-धूले-नागपुर-रायपुर-सम्बलपुर-बहरागोढ़ा-कलकत्ता	महाराष्ट्र(813), मध्य प्रदेश(314), उड़ीसा(462), बिहार(22), पश्चिम बंगाल(161), गुजरता(160) जोड़: 1,932
12.	7	वाराणसी-मंगवान-रीवा-जबलपुर-लखनदोन-नागपुर-हैदराबाद-करनूल-बंगलौर-कृष्णगिरी-सलेम-डिन्डीगुल-मदुरै-केप-कमोरिन(कन्याकुमारी)	उत्तर प्रदेश(128), मध्य प्रदेश(504), महाराष्ट्र(232), आंध्र प्रदेश(753), कर्नाटक(125), तमिलनाडु(627) जोड़: 2,369
13.	7क	पल्यानकोटी-तूतीकोरिन पत्तन	तमिलनाडु(51) जोड़: 51
14.	8	दिल्ली-जयपुर-अजमेर-उदयपुर-अहमदाबाद-वदोदरा-मुम्बई	दिल्ली(13), हरियाणा(101), राजस्थान(688), गुजरात(498), महाराष्ट्र(128) जोड़: 1,428
15.	8क	अहमदाबाद-लिम्बडी-मोरवी-कांडला	गुजरात(378) जोड़: 378
16.	8ख	बमनबोर-राजकोट-पोरबंदर	गुजरात(206) जोड़: 206
17.	8ग	चिलोदा-गांधीनगर-सरखेज	गुजरात(46) जोड़: 46
18.	9	पूणे-सोलापुर-हैदराबाद-विजयवाड़ा	महाराष्ट्र(336), कर्नाटक(75), आंध्र प्रदेश(380) जोड़: 791
19.	10	दिल्ली-फजिल्का-भारत पाक सीमा	दिल्ली(18), हरियाणा(313), पंजाब(72) जोड़: 403

1	2	3	4
20.	11	आगरा-जयपुर-बीकानेर	उत्तर प्रदेश(51), राजस्थान(531) जोड़: 582
21.	11क	दौसा-मनोहापुर	राजस्थान(64) जोड़: 64
22.	12	जबलपुर-भोपाल-खिचिपुर-अकलेरा-झालवार-कोटा-बून्दी-देवली-टोंक-जयपुर	मध्य प्रदेश(490), राजस्थान(400) जोड़: 890
23.	13	सोलापुर-चित्रदुर्गा	महाराष्ट्र(43), कर्नाटक(448) जोड़: 491
24.	14	बैवार-सिरोही-राधापुर	राजस्थान(310), गुजरात(140) जोड़: 450
25.	15	पठानकोट-अमृतसर-भटिंडा-गंगानगर-बीकानेर-जैसलमेर-बारमेर-समाखैली (कांडला के निकट)	पंजाब(350), राजस्थान(906), गुजरात(270) जोड़: 1,526
26.	16	निजामाबाद-मनचेरल-जगदलपुर	आंध्र प्रदेश(220), महाराष्ट्र(30), मध्य प्रदेश(210) जोड़: 460
27.	17	पनवेल-महद-पाणजी-करवाड़-मंगलौर-कनानौर-कालीकट (कोजीकोड)-फिरोख-कुट्टीपुरम-पुडु-पोनामी-चौघाट-क्रेंगानौर इडापल्ली के निकट रा.रा.47 के साथ जंक्शन	महाराष्ट्र(482), गोवा(139), कर्नाटक(280), केरल(368) जोड़: 1,269
28.	17क	कोर्टलाम-मुरगांव रा.रा.7 के साथ जंक्शन	गोवा(19) जोड़: 19
29.	17ख	पांडा-वर्णा-वास्को	गोवा(40) जोड़: 40
30.	18	करनूल-नांदयाल-कुड्डापा रा.रा.-7 के साथ जंक्शन चित्तूर के निकट रा.रा.-4 के साथ जंक्शन	आंध्र प्रदेश(369) जोड़: 369
31.	19	गाजीपुर-बलिया-पटना	बिहार(120), उत्तर प्रदेश(120) जोड़: 240
32.	20	पठानकोट-मंडी	पंजाब(10), हिमाचल प्रदेश(210) जोड़: 220
33.	21	चंडीगढ़-रोपड़-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मंडी रा.रा.-22 के साथ जंक्शन।	चंडीगढ़(24), पंजाब(67), हिमाचल प्रदेश(232) जोड़: 323

(ख) ...

1	2	3	4
34.	22	अम्बाला-कालका-शिमला-नरकोंडा-रामपुर-चीन-भारत-पाक सीमा (शिपकिला के निकट)	हरियाणा(30), पंजाब(31), हिमाचल प्रदेश(398) जोड़: 459
35.	23	चास-रांची-राऊरकेला-तलचर-रा.रा.-42 के साथ जंक्शन	बिहार(250), उड़ीसा(209) जोड़: 459
36.	24	दिल्ली-बरेली-लखनऊ	दिल्ली(7), उत्तर प्रदेश(431) जोड़: 438
37.	25	लखनऊ-कानपुर-झांसी-शिवपुरी	उत्तर प्रदेश(237), मध्य प्रदेश(82) जोड़: 319
38.	26	झांसी-लखनदोन	उत्तर प्रदेश(128), मध्य प्रदेश(268) जोड़: 369
39.	27	इलाहाबाद-मंगवान	उत्तर प्रदेश(43), मध्य प्रदेश(50) जोड़: 93
40.	28	बरौनी-मुजफ्फरपुर-पिपरा-गोरखपुर-लखनऊ रा.रा.-31 के साथ जंक्शन	बिहार(259), उत्तर प्रदेश(311) जोड़: 570
41.	28क	पिपरा-सयौली-रक्सोल-भारत नेपाल सीमा रा.रा.28 के साथ जंक्शन	बिहार(68) जोड़: 68
42.	29	गोरखपुर-गाजीपुर-वाराणसी	उत्तर प्रदेश(196) जोड़: 196
43.	30	मोहनिया-तमिलनाडू-भक्तिपुर रा.रा.-2 के साथ जंक्शन	बिहार(230) जोड़: 230
44.	31	रा.रा. 37 के साथ जंक्शन	बिहार(437), पश्चिम बंगाल(366), असम(322) जोड़: 1,125
45.	31क	सिविक-गंगटोक	पश्चिम बंगाल(30), सिक्किम(62) जोड़: 92
46.	31ख	नार्थ सलमारा, जोगीघोपा के निकट रा.रा.-37 के साथ जंक्शन	असम(19) जोड़: 19
47.	31ग	गलगलिया-बगोगरा-छालसा-नगरकटा-गोयरकटा-डलगांव-हासीमारा-राजाभाट-खवा-कोचगांव-सिदली बिजनी के निकट रा.रा.-31 के साथ जंक्शन	पश्चिम बंगाल(142), असम(93) जोड़: 235
48.	32	गोविन्दपुर-धनबाद-जमशेदपुर के निकट रा.रा.-2 के साथ जंक्शन	बिहार(107), पश्चिम बंगाल(72) जोड़: 179

1	2	3	4
49.	33	बरही-रांची-रारा-2 के साथ जंक्शन। बहारघोड़ा के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	बिहार(352) जोड़: 352
50.	34	धलकोटा-बेहरामपुर-बरासट-कलकत्ता रा.रा.-31 के साथ जंक्शन	पश्चिम बंगाल(443) जोड़: 443
51.	35	बरासट-बंगाव- भारत बांगलादेश सीमा	पश्चिम बंगाल(61) जोड़: 61
52.	36	नौगांव-दीमापुर-(मणिपुर रोड)	असम(167), नागालैंड(3) जोड़: 170
53.	37	गोलपारा-गुवाहटी-जोरहाट-कमागांव-माकुम-सैकोघाट के निकट रा.रा. 31ख के साथ जंक्शन	असम(680) जोड़: 680
54.	37क	कोड़ीताल-तेजपुर के निकट रा.रा.-52 के साथ जंक्शन	असम(23) जोड़: 23
55.	38	मुकुम-लेडो-लेखपानी	असम(54) जोड़: 54
56.	39	नुमालीगढ़-इम्फाल-पटेल-भारत बर्मा सीमा	असम(115), नागालैंड(110), मणिपुर (211) जोड़: 436
57.	40	जोरहाट-शिलांग डॉकी के निकट बांग्लादेश सीमा	मेघालय(161) जोड़: 161
58.	41	कोलाघाट-हल्दिया पत्तन के निकट रा.रा.-6 के साथ जंक्शन	पश्चिम बंगाल(51) जोड़: 51
59.	42	संबलपुर-अंगुल के निकट रा.रा. 6 के साथ जंक्शन। कटक के निकट रा.रा.-5 के साथ जंक्शन	उड़ीसा(261) जोड़: 261
60.	43	रायपुर-विजियनग्राम, रा.रा.-5 के साथ जंक्शन	मध्य प्रदेश(316), उड़ीसा(152), आंध्र प्रदेश(83) जोड़: 551
61.	44	शिलांग-पासीबदरपुर-अगरतला-सबरूम	मेघालय(184), असम(111), त्रिपुरा(335) जोड़: 630
62.	45	चेन्नई-तिरूचिरापल्ली-डुंडीगल	तमिलनाडु(387) जोड़: 387
63.	45क	पांडिचेरी के लिए सम्पर्क मार्ग (ल्लिुपुरम-पांडिचेरी)	तमिलनाडु(17), पांडिचेरी(23) जोड़: 40
64.	46	कृष्णागिरी-रानीपेठ	तमिलनाडु(132) जोड़: 132

1	2	3	4
65.	47	सलेम-कोयम्बतूर-त्रिचूर- इर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी	तमिलनाडू(224), केरल(416) जोड़: 640
66.	47क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 47 विलिंग्डन द्वीप	केरल(6) जोड़: 6
67.	48	बंगलौर-हासन-मंगलौर	कर्नाटक(328) जोड़: 328
68.	49	कोचीन-मदुरै-धनुषकोटि	तमिलनाडू(290), केरल(150) जोड़: 440
69.	50	पुणे के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 4 के साथ नासिक जंक्शन।	महाराष्ट्र(192) जोड़: 192
70.	51	पैकन-तुरा-डालू	असम(22), मेघालय(127) जोड़: 149
71.	52	सैखोघाट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰37 के साथ बैहाता चारली-तेजपुर-बंदरे देवा-उत्तरी लखीमपुर-पासीघाट-तेजू- सीतापानी जंक्शन।	असम(540), अरूणाचल प्रदेश(310) जोड़: 850
72.	52क	बंदेर देवा-इटानगर-गोहपुर	असम(15),अरूणाचल प्रदेश(42) जोड़: 57
73.	52ख	कालाजान-डिब्रूगढ़	असम(31) जोड़: 31
74.	53	राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰44 बदरपुर- जिरीघाट-इम्फाल-सिल्चर के साथ जंक्शन	असम(100),मणिपुर(220) जोड़: 320
75.	54	सिल्चर-आयजोल-तुईपंग	असम(45), मिजोरम(515) जोड़: 560
76.	54क	केरियट लुंगले	मिजोरम(9) जोड़: 9
77.	54ख	वीनस सद्दल-सैहा	मिजोरम(27) जोड़: 27
78.	55	सिलीगुढ़ी-दा राजस्थानीलिंग	पश्चिम बंगाल(77) जोड़: 77
79.	56	लखनऊ-वाराणसी	उत्तर प्रदेश(285) जोड़: 285
80.	रा.ए.1	अहमदाबाद-बदोदरा	गुजरात(93) जोड़: 93
81.	57	मुजफ्फरपुर-दरभंगा-फारबिसगंज-पूर्णिया	बिहार(310) जोड़: 310

1	2	3	4
82.	58	गाजियाबाद-मेरठ-हरिद्वार-बद्रीनाथ-पाणा	उत्तर प्रदेश(527) जोड़: 527
83.	59	अहमदाबाद-गोधरा-धाड़-इंदौर	गुजरात(211), मध्य प्रदेश(139) जोड़: 350
84.		बैयासोर-खड़गपुर	उड़ीसा(57), पश्चिम बंगाल(68) जोड़: 125
85.	61	कोहिमा-वोखा-मकोकचंग-झांसी	नागालैंड(220), असम(20) जोड़: 240
86.	62	दामरा-बाघमारा	असम(5), मेघालय(125) जोड़: 130
87.	63	अंकोला-हुबली-होसपेठ-गूटी	कर्नाटक(370), आंध्र प्रदेश(62) जोड़: 432
88.	64	चंडीगढ़-राजपुरा-पटियाला-संगरूर-भटिंडा।	पंजाब(225) जोड़: 225
89.	65	अंबाला-कैथल-हिसार-फतहपुर	हरियाणा(240), राजस्थान(170) जोड़: 410
90.	66	पांडी-टिंडवनम-जिन्जी-तिरूअनमलै-कृष्णागिरी	पॉंडे(10), मिलिनाडू(234) जोड़: 244
91.	67	नागपट्टीनम-त्रिची-करूर	तमिलनाडू(217) जोड़: 217
92.	68	उलूरनपेठ-सलेम	तमिलनाडू(134) जोड़: 134
93.	69	नागपुर-ओबैदुल्लागंज	महाराष्ट्र(55), मध्य प्रदेश(295) जोड़: 350 जोड़: 38,517 कि.मी.

विवरण II

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन

वर्ष	धनराशि करोड़ रु.
1995-96	28.99
1996-97	19.20
1997-98	72.50

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

210. **श्री अरविंद कांबले :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय व्यय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 1998-99 में भारी कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इसका औचित्य क्या है;

(ग) क्या योजना व्यय में कमी का राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1998-99 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर॰ई॰सी॰) की स्कीमों के अंतर्गत परिव्यय धनराशि 1250 करोड़ रुपये है जो कि वर्ष 1997-98 के 775 करोड़ रुपये के परिव्यय से अपेक्षाकृत अधिक है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

महिलाओं के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना

211. **श्री सदाशिवराव दादोबा मण्डलिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार और उनके यौन-शोषण की घटनाओं को रोकने के लिये कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार और वाणिज्यक यौन शोषण को रोकने के लिये बनायी गयी कार्य योजना, जो वेश्यावृत्ति, बाल वेश्याओं और वेश्याओं के बच्चों पर समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट का एक भाग हैं, में निवारण, अवैध व्यापार, जागरूकता विकास और सामाजिक संघटन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, आवास, आश्रम और नागरिक सुविधाएं, आर्थिक शक्ति सम्पन्नता, कानूनी सुधार और विधि प्रवर्तन, बचाव और पुनर्वास तथा संस्थागत तंत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत कार्यवाही मुद्दे शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग

212. **प्रो॰ चमन लाल गुप्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर में किन-किन सड़कों का विकास कार्य शुरू किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनके विकास कार्य पर खर्च की गई धनराशि कितनी है;

(ग) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान कश्मीर घाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने दिनों तक बंद रहा तथा 1997-98 और 1998-99 के दौरान जम्मू-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग कितने दिन बंद रहा; और

(घ) इन सड़कों को साल भर चालू रखने के लिए क्या प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय जम्मू और कश्मीर में रा.रा.-1-क (जम्मू-श्रीनगर-उड़ी) तथा रा. रा.-1 ख (बटोटे-किश्तवार) के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :-

(करोड़ रु॰)

वर्ष	विकास कार्य	अनुरक्षण और मरम्मत
1995-96	11.23	9.10
1996-97	17.79	5.12
1997-98	15.73	6.09

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 1-क (जम्मू-श्रीनगर) और श्रीनगर-लेह सड़क इस प्रकार बन्द रही :-

क्रम सं.	सड़क का नाम	दिनों की संख्या 1997-98	दिनों की संख्या 1998-99
1.	जम्मू-श्रीनगर (रा.रा.-1-क)	11 दिन	01 दिन
2.	श्रीनगर-लेह सड़क	192 दिन	50 दिन

(घ) भू-स्खलनों और अत्यधिक बर्फ गिरने से सड़क बन्द होती है। अवरोधों को हटाने और इन सड़कों को न्यूनतम संभव समय के भीतर यातायात के लिए खोलने हेतु तुरन्त कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

छात्रवृत्ति

213. **श्री जोगेन्द्र कवाडे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनका मंत्रालय विदेश में उच्च शिक्षा/अनुसंधान कार्य पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो विषयवार कितने छात्र प्रति वर्ष छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों के चयन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कोई आरक्षण दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि सांस्कृतिक विनिमय और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत मंत्रालय को छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। दाता देशों से प्राप्त इन प्रस्तावों के लिए नामांकन इस मंत्रालय द्वारा किए जा रहे हैं। पुरस्कारों हेतु अंतिम चयन दाता देशों पर निर्भर करता है। नामाकंन के लिए चयन योग्यता के आधार पर इस उद्देश्य हेतु गठित चयन समितियों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा मे विद्युत परियोजनाएं

214. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 31 मार्च, 1998 तक स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) चालू वर्ष में इन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) से (ग) आंकडे निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने संबंधी कार्यक्रम वास्तविक	अब प्रत्याशित	टिप्पणियां
1	तलचेर चरण-II (एनटीपीसी)				
	यूनिट I	500	3/2002	3/2002	-
	यूनिट II	500	12/2002	12/2002	-
	यूनिट III	500	9/2003	9/2003	-
	यूनिट IV	500	6/2004	6/2004	-
2.	ईब टीपीपी चरण-II (ओपीजीसी)				इबी वैली टीपीपी यूनिट-III और IV मैसर्स आईवीपीएल झार-सुगुदार (क्षमता 2×210 मे.वा.) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति अगस्त, 94 में दी गई थी।इस स्कीम को उड़ीसा सरकार द्वारा रोक लिया गया था। इसके बदले में आईपीपी ने 2 × 250 मे.वा. क्षमता वाट 6 के लिये डीपीआर प्रस्तुत किया है।
	यूनिट III	210	-	12/2001	
	यूनिट IV	210	-	06/2002	
3.	ईब टीपीपी (एईएस ईब वेली कारपोरेशन)				
	यूनिट V	250	-	-	
	यूनिट VI	250	-	-	

गैर-इमारती लकड़ी के उत्पादन की योजना

215. श्री पी॰आर॰ किन्डिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनजातीय लोगों को अपना जीवन-यापन करने हेतु राज्यों को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देने के लिए गैर-इमारती लकड़ी के उत्पादन की योजना इस समय किस स्तर पर है;

(ख) वर्ष 1998-99 के लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है और इस अवधि के दौरान कुल कितने क्षेत्र को कवर किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना के अंतर्गत मेघालय को विशेष धनराशि आबंटित करने का है जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इमारती लकड़ी पर प्रतिबंध और औषधीय पौधों/जड़ी बूटियों की खेती की शुरूआत करने से जूझ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) गैर-इमारती लकड़ी के उत्पादन संबंधी योजना को नौंवी योजना में क्रियान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान लगभग 52,000 हैं को "कवर" करने के लिए 59.85 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्ष 1998-99 के लिए बजटीय आबंटन 11 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) इस स्कीम के तहत नौंवी योजना में मेघालय के लिए अस्थायी तौर पर 1.64 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इस स्कीम में बांस, बेंत, औषधियों में काम आने वाली मिश्रित प्रजातियों का पौधरोपण तथा बारह-मासी जड़ी बूटियों और झाड़ियों के पुनरूत्पादन की अनुमति है।

साक्षरता कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण

216. **श्री सुरेश वरपुडकर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सहित साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों को लाने की दृष्टि से हाल ही में उनका विकेन्द्रीकरण करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य साक्षरता मिशनों को सुदृढ़ बनाने और इसे जनता का एक कार्यक्रम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की योजना विकेन्द्रीकरण और कार्यान्वयन पर सदैव बहुत बल दिया है। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक राज्य सरकारों की इसमें पूर्ण भागीदारी न हो। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने राज्यों की पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं:-

(i) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन और उन्हें कुछेक शक्तियां प्रदत्त करना।

(ii) राज्य मुख्यालयों में आयोजित और राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित मानिटरिंग बैठकों के माध्यम से निरीक्षण और मानिटरिंग कार्य में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी। इन राज्य स्तरीय बैठकों में से सभी जिले जिनमें साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन हो रहा है, भाग लेते हैं।

(iii) राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय साक्षरता अभियान के सापेक्ष मूल्याकंन में सक्रिय रूप से शामिल है। निदेशालय विख्यात शैक्षिक और संसाधन सहा ता संस्थानों का पैनल बनाए रखता है और इस प्रयोजनार्थ मूल्यांकन में उनका प्रयोग करता है।

(iv) राज्य सरकारें, जिला क्लेक्टर जो कि जिला साक्षरता समिति के अध्यक्ष भी हैं के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रमों के सभी कार्यात्मक पहलुओं से सीधे ही जुड़ी रहती है।

(ख) राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रकार्य का विकेन्द्रीकरण क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त सूचना को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। इन प्रत्यायोजनों के परिणाम और उनके प्रत्युत्तर प्रोत्साहनवर्धक रहे हैं।

(ग) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : -

(i) सतत शिक्षा योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने की शक्तियां।

(ii) वित्तीय सहायता के प्रावधान द्वारा अपने प्रशासनिक आधार को मजबूत करना, इस संदर्भ में पहले ही छः राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को 25.00 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है।

(iii) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को शैक्षिक, प्रशिक्षण और प्रगति संबंधी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के लिए सतत शिक्षा योजना के कुल प्रशासनिक बजट का 3 प्रतिशत की दर पर निधि निर्धारित की गई है।

(iv) राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के गठन में बहुत से शिक्षाविदों, गैर सरकारी सदस्यों और जन प्रतिनिधियों के सहयोजन से जन समूह की भागीदारी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के अवसर

217. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के भिन्न-भिन्न भागों में उच्च शिक्षा के अवसर सीमित हैं;

(ख) यदि हो, तो कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के अवसर मिल रहे है;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा के क्षेत्र को अधिक लोगों के लिए बढ़ाने का है ताकि उच्च शिक्षा के उपलब्ध अवसर अधिकतम व्यक्तियों को प्रदान किये जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। विभिन्न कारणों की वजह से देश के विभिन्न भागों में उच्च शिक्षा के अवसर एक समान नहीं हैं।

(ख) आयु वर्ग का छः प्रतिशत (अनुमानित)।

(ग) से (ङ) सरकार का बल मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा उनके स्तर को ऊंचा करने पर है ताकि देश के विभन्न भागों में उच्च शिक्षा की ओर और अधिक छात्रों को आकर्षित किया जा सके। वर्ष 1996-97 में उच्च शिक्षा में छात्रों का कुल नामांकन बढ़कर 67.55 लाख हो गया जो 1950-51 में 2.63 लाख था। इसी प्रकार, विश्व-विद्यालयों और कॉलेजों की संख्या 1950-51 में 30 और 750 से बढ़कर 1996-97 में क्रमशः 237 और 9703 हो गई है।

[अनुवाद]

बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 'मॉडल कनसेशन एग्रीमेन्ट'

218. श्री प्रसाद बाबूराव तनुपरे :

श्री एस॰एस॰ ओवेसी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बड़ी परियोजनाओं के लिए 'मॉडल कनसेशन एग्रीमेन्ट' को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह 'एग्रीमेनट' स्टेक होल्डरों के परामर्श से तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समझौते के लिए वर्तमान में आरम्भ की गई कितनी बड़ी परियोजनाएं हैं और क्या यह 'एग्रीमेन्ट' आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी लागू होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

लंबित फेरा मामले

219. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री *यह बताने की* कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1998 तक फेरा बोर्ड के पास फेरा के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या क्या है और प्रतिमाह औसत कितने मामले इनमें और जुड़ जाते हैं;

(ख) दो वर्षों से अधिक समय से निपटान हेतु लंबित मामलों की संख्या क्या है;

(ग) इन मामलों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित फेरा मामलों को निपटाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (घ) 30 अप्रैल, 1998 को 4528 मामले लंबित थे। फेरा बोर्ड में, प्रतिमास लगभग 20 मामले और जुड़ जाते हैं। विद्यमान कार्य को निपटाने के लिए बोर्ड में सदस्यों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है। फेरा बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों के दो पदों का सृजन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर

220. श्री तथागत सत्पथी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं कक्षा से पूर्व तथा बाद में बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार का उन्हें कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में प्राथमिक स्तर पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल ही के वर्षों में पहली से दसवीं कक्षाओं में स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर घटते क्रम में दर्शाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

क्या सरकार ...

(ग) और (घ) स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने बच्चों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनका संबंध विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की सुलभता में वृद्धि, स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार, वातावरण निर्माण तथा सामुदायिक सहभागिता, पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करना, बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफार्म तथा उपस्थिति छात्रवृत्तियां जैसे प्रोत्साहन मध्याहन भोजन कार्यक्रम से है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त बेसिक शिक्षा परियोजनाएं हैं, जिन्हें उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार में कार्यान्वित किया जा रहा है, उन्होंने प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बेहतर सहभागिता तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रसंगाधीन आवश्यक कार्य-नीतियां तैयार की हैं।

उड़ीसा में समुद्री कछुए

221. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा तट के साथ-साथ और विशेषकर भिटरकनिका क्षेत्र में समुद्रीय कछुओं का बचाव करने के लिए कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा किस संरक्षण योजना का सुझाव दिया गया है; और

(ग) उक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां। उड़ीसा तट के साथ-साथ विशेषकर भिटरकनिका के गछीरमठ क्षेत्र में समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने 175.20 लाख रु॰ का एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार द्वारा सुझाई गई संरक्षण स्कीमों के घटक निम्नलिखित हैं :-

1. राज्य की मशीनरी को निम्नलिखित सुविधाओं से लैस करना
   - सभी उपकरणों से युक्त जलपोस (100.160) एच पी तथा गहरे समुद्र में गश्त करने के लिए मोटर युक्त सहायता वोट जेड ओ एच पी
   - शस्त्राओं तथा गोला बारूद की खरीद।
   - समुद्र तटीय क्षेत्रों के गश्त के लिए जीप तथा मोटर साइकिलें।
2. वी एच एफ सुविधा सहित स्थायी तथा अस्थायी अवैध शिकार निरोधक कैम्पों/टैंटों का निर्माण।
3. सौर ऊर्जा इकाईयों, दूरबीनों, स्पोटिंग स्कोप, कैम्प इक्विपमेंट पैट्रोलिंग गियर्स आदि।
4. कछुआ बचाव उपकरणों का विनिर्माण।
5. प्रचालनात्मक क्षेत्र में समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए तथा नेचर कैम्प आयोजित करना तथा जागरूकता पैदा करना।

(ग) केन्द्र सरकार ने वर्ष 98-99 के लिए 51.00 लाख रुपए अनुमोदित किए हैं तथा पहली किस्त के तौर पर 30.00 लाख रु॰ स्वीकृत किए हैं। इस मंत्रालय ने विशेषतौर पर उड़ीसा के तटवर्ती तथा सामान्य तौर पर भारतीय तट के साथ साथ समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू एन डी पी के समक्ष 3000,000 अमरीकी डालर का प्रस्ताव भी रखा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूमिगत पैदल पार पथ निर्माण हेतु प्रस्ताव

222. **श्री रवि सीताराम नायक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने भूमिगत पैदल पार पथों का निर्माण कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) एक नीति के रूप में शहरी क्षेत्रों में ही भूमिगत पैदल पार पथ (सब-वे) बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूमिगत पैदल पार पथ बनाने की कोई योजना नहीं है।

ताप विद्युत परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति

223. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के मैसर्स ए.ई.इस. की ताप विद्युत परियोजनाओं (इकाई तीन व चार) के संशोधित परियोजना संबंधी मानकों को मद्दे नजर रखते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से नई तकनीकी आर्थिक संबंधी स्वीकृति प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : (क) इस परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोई नई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सूर्य मन्दिर

224. श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटील :
डा॰ सुगुण कुमारी चलामेला :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधव राव सिंधिया :
श्री के॰ येरननायडू :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 सितम्बर 1998 के *इण्डियन एक्सप्रैस* में "ए॰एस॰आई॰ बाचसि सन् टम्पल क्रम्बल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सूर्य मन्दिर के अनुरक्षण और उसे सुरक्षित रखने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस मन्दिर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पुरातत्व स्थलों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी, हां। हाल ही में कोणार्क के सूर्य मन्दिर से पत्थर गिरने संबंधी प्रेस रिपोर्ट को जांच करने पर निराधार पाया गया।

(ख) और (ग) कोणार्क का सूर्य मन्दिर परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है। इस देवालय का संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास की एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का सर्किल/शाखा/निदेशालय के अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जाता है और उनकी टिप्पणी के आधार पर संरक्षण/पर्यावरणीय विकास के कार्यों को वास्तविक आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

[हिन्दी]

"सूखा" रोगग्रस्त पेड़

225. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान बिहार में "सूखा" रोग के कारण बड़े पैमाने पर शीशम के पेड़ बर्बाद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने इस बीमारी के कारणों का पता लगाने की जांच की है और इससे बचने के लिए उपाय सुझाएं हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। एक लम्बी अवधि तक अभूतपूर्व वर्षा होते रहने की वजह से पैदा हुई असामान्य जलवायु परिस्थितियों की वजह से 1977 में बिहार में, बड़ी संख्या में शीशम (शीशू) के पेड़ बर्बाद हुए हैं। इसकी वजह से, पेड़ों की जड़ों पर फफूंदी के आक्रमण के फलस्वरूप पेड़ों का नाश हुआ।

(ग) इस समस्या का पता लगा लिया गया है तथा वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा इसके लिए उचित उपाय सुझाये गए हैं।

(घ) अन्वेषण रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार, राज्य सरकार को निम्नलिखित उपचार उपाय करने का अनुरोध किया गया है:-

1. मृत तथा बीमार वृक्षों की अविलम्ब कटाई की जानी चाहिए तथा उनकी इमारती लकड़ी को अलग कर लेना चाहिए।
2. सड़क के किनारों पर वृक्षों की छाल उतारना तथा नहर के किनारे वृक्षारोपण पर रोक लगाई जाए।
3. एक ही जाति के पौधों की अपेक्षा मिश्रित पौधरोपण किया जाना चाहिए।
4. पौध की रोपाई की अपेक्षा कटाई से उगाए हुए पौधों की रोपाई की जानी चाहिए।
5. कृषि-वानिकी फसल के रूप में यह प्रजाति ज्यादा उपयुक्त है।

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक द्वारा हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना

226. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना के लिए करोड़ों रुपये अग्रिम देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

न्यायिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करना

227. **श्री सुरेश चन्देल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायिक प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई व्यापक कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या उपाय किए गए है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) से (ग) विधि आयोग और बकाया समिति जैसे विभिन्न अन्य निकाय समय-समय पर न्यायपालिका, दंड संहिता और विधिक कार्यवाहियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करते रहे हैं। हाल ही में, विधि आयोग ने, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का व्यापक पुनर्विलोकन किया। विधि आयोग ने, अपनी 154वीं रिपोर्ट में दांडिक मामलों के त्वरित निपटान की बाबत अनेक सिफारिशें की है। इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन करने के लिए विधेयक, राज्य सभा में, क्रमशः मई, 1954 और अगस्त, 1997 में पुरःस्थापित दिए जा चुके हैं जिनमें अन्य बातों के साथ मामलों के त्वरित निपटान के लिए कतिपय उपबंध भी हैं।

आयोग/समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार कालिकतः समुचित उपाय करती रही है। इन उपायों में मामलों के त्वरित निपटान के लिए विधिक कार्यवाहियों का सरलीकरण, न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण, जिसके अंतर्गत मामलों का सूचीकरण भी है, विशेष मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का पुनर्विलोकन भी है। इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम भी, न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के आवासों के सन्निर्माण के प्रयोजन के लिए 1993-94 से प्रवर्तित की जा रही है।

और, सरकार ने, माध्यस्थम्, मध्यस्थता और समझौते जैसी विवाद समाधान की वैकल्पिक पद्धतियां अपनाई हैं। 9.11.95 से यथासंशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रवर्तन के साथ लोक अदालतों को कानूनी आधार दे दिया गया है। लोक अदालतें, विवादों के समाधान के लिए प्रभावी और सफल अनुपूरक मंच साबित हुई हैं।

महिला आरक्षण विधेयक

228. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण क्या है और इसके पारित होने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने को सुनिश्चित करने के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया है;और

(ग) यदि हां, तो इस विधेयक को कब तक पुरःस्थापित और पारित किए जाने की सभांवना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई) : (क) सरकार, संसद और राज्य विधान-मंडलों में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने के पक्ष में है। कुछ संसद सदस्यों द्वारा, साधारण रूप में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करते समय, अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करने की मांग, विधेयक के पारित होने में विलम्ब का प्राथमिक कारण रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने के लिए एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की सूचना पहले ही दे दी गई है।

[अनुवाद]

न्यायालयों में लंबित मामले

229. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :
प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन :
श्री कृष्णलाल शर्मा :
श्री गिरिधर गमांग :
श्री सुशील चन्द्र :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा राज्यवार उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है तथा ये मामले कब से लंबित हैं;

(ख) लंबित मामलों में चुनाव याचिकाओं तथा रिट याचिकाओं की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (डा॰ एम॰ तम्बी दुरई): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में शहतूस का व्यापार

230. **श्री सुशील कुमार शिन्दे :**

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अगस्त, 1998 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "ए शॉल दैट इज ए शराउड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तिब्बती लुप्त प्रायः नील गाय चिरू के अस्तित्व को आसन्न संकट के बावजूद जम्मू और कश्मीर और अन्य स्थानों पर शहतूस का व्यापार निर्बाध रूप से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके व्यापार पर कारगर ढंग से प्रतिबंध लगाने और इस लुप्त प्रायः प्रजाति को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विभिन्न पक्षी विहारों, अभयारण्यों और वनों में चिरू और अन्य लुप्त प्रायः प्रजातियों की संख्या कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, शहतूस के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं हैं और इसलिए उस राज्य में इसका व्यापार पूर्णतया वैध है। तथापि, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत, जम्मू और कश्मीर से बाहर शहतूस के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

(ग) इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. शहतूस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है।
2. जब कभी भी वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना वन्यजीव प्राधिकारियों को मिलती है तो उनके द्वारा छापे मारे जाते हैं।
3. प्राणियों की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन कन्वेंशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड इन एनडैंजर्ड स्पैसीज आफ वाईल्ड फाउना एंड फ्लोरा साइट्स के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। चिरू प्रजाति को साइट्स के अन्तर्गत रखा गया है।

(घ) चिरू केवल भारत, तिब्बत सीमा के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में उनकी संख्या लगभग 200-250 तक है। देश में पाई जाने वाली मुख्य संकटापन्न प्रजातियों की संख्या निम्नानुसार है :-

बाघ	3750	1993
शेर	304	1995
हाथी	22796 से 28346	1993
गैंडे	1566	1995
ब्रो एन्टलड हिरण	147	1997
तेंदुए	6828	1993

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 02.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

अपराह्न 02.02¼ बजे

इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। आप अनावश्यक रूप से सभा का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छा भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने की है। आप अनावश्यक ढंग से सभा का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात समझिए। कृपया पहले अपनी सीट पर जाइये और फिर अपनी बात कहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की इच्छा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की है। आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुन रहे हैं। आप बेकार ही सभा का समय गंवा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? अपनी सीट पर जाइए। मैं वरिष्ठ सदस्यों से भी अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के इच्छुक हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपनी सीट पर जाकर बैठने की अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। कृपया अपनी सीट पर वापस जाइए। आप अध्यक्षपीठ के निकट आकर नहीं बल्कि अपनी सीट से ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात समझिए। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ की परवाह नहीं कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट पर चले जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर कई सदस्यों ने सूचनाएं दी है और वे इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है? सभा की भी इच्छा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी और अन्य वरिष्ठ सदस्यगण कृपया अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा भी इस मामले पर चर्चा करने की इच्छुक है। परन्तु आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बार फिर मैं आपसे अपनी सीट पर जाने की अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां से नहीं, कृपया अपनी सीट पर जाकर अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपनी सीट पर जाने की अपनी अपील कर रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं; मैं एक बार फिर आपसे अपनी सीट पर जाने की अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा भी इस पर चर्चा करने की इच्छुक है। यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वरिष्ठ नेताओं से भी अपनी सीटों पर बैठ जाने का अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। कृपया इस बात को समझिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, मैं आपसे अपनी सीट पर जाने की अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छुक है। कई माननीय सदस्यों ने भी सूचनाएं दी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नही है। जब सभा महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने जा रही है तो आप उसी बात पर जोर क्यों दे रहे हैं?

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है। मैं नहीं जानता कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? कृपया मुझे यह बताइए कि क्या आप मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। यह सभा मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। कई माननीय सदस्यों ने मूल्य वृद्धि और अन्य मुद्दों के संबंध में नोटिस दिये है। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं और आप इस सभा का समय बरबाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभा का समय बरबाद कर रहे हैं। आप वास्तव में ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। आप मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप हद कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वरिष्ठ सदस्यों से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने सदस्यों से बैठ जाने के लिए कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाली है परन्तु आप मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह सब क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बैठ जाइए। कृपया यह समझ लीजिए कि यह सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने वाली है, परन्तु आप मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह सही तरीका नहीं है। मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि आप सभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह सभा कल 1 दिसम्बर, 1998 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 1 दिसम्बर 1998/ 10 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।